उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास

प्रगति समीक्षा 2010–11

उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश

(नियोजन एवं समन्वय अनुभाग)

कानपुर

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास

प्रगति समीक्षा 2010–11

प्रगति समीक्षा 2010–11 में निम्न अनुदान संख्या से संबंधित विभागों की प्रगति सम्मलित की गई है।

क्रं0	*अनुदान सं0*	*सम्बन्धित विभाग*
1	*अनुदान सं0–3*	*उद्योग विभाग(लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)*
2	*अनुदान सं0–4*	*उद्योग विभाग(खाने एवं खनिज)*
3	*अनुदान सं0–5*	*उद्योग विभाग(खादी एवं ग्रामोद्योग)*
4	*अनुदान सं0–6*	*उद्योग विभाग(हथकरघा उद्योग)*
5	*अनुदान सं0–7*	*उद्योग विभाग(भारी एवं मध्यम उद्योग)*
6	*अनुदान सं0–8*	*उद्योग विभाग(मुद्रण एवं लेखन सामग्री)*

उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश

(नियोजन एवं समन्वय अनुभाग)

कानपुर

प्रस्तावना

अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत जैसे विकासशील देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में उद्योगों की विशेष भूमिका है। उ0प्र0 जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है तथा प्राकृतिक संसाधनों, अनुकूल जलवायु एवं उपजाऊ भू–सम्पदा से परिपूर्ण है। कृषि क्षेत्र के बाद प्रदेश में औद्योगिक विकास को गतिशील कर प्रदेश के आर्थिक संसाधनों में वृद्धि की सम्भावनाएं परिलक्षित होती है। वर्तमान सरकार प्रदेश में औद्योगिक वातावरण को गतिशीलता प्रदान करने हेतु अवस्थापना सुविधाएं जैसे सड़क एवं विद्युत की मांग की पूर्ति सुनियोजित ढ़ंग से पूर्ण करने हेतु कृतसंकल्प है।

*वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर, 2010 तक औद्योगिक क्षेत्र में कुल मिलाकर रू0 6254.89 करोड़ का पूँजी निवेश हुआ है तथा 173863 रोजगार सृजन हुआ है। प्रदेश में पूँजी निवेश प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योग निदेशालय में ''**पूँजी निवेश प्रकोष्ठ**'' की स्थापना भी की गई है।*

प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने हेतु वर्तमान सरकार कृतसंकल्प है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 से ''प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम'' प्रारम्भ किया गया है, वर्ष 2009–10 में योजनान्तर्गत रू0 221.41 करोड़ 4612 लाभार्थियों को वितरित किया गया है।

औद्योगिक क्लस्टरों में लघु उद्योगों को सभी प्रकार की औद्योगिक परिसंरचनाएं प्रदान करते हुए कलस्टर के रूप में विकसित करने का प्रयास भी किया जा रहा है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के युग में औद्योगिक इकाइयॉ अपनी उत्पाद क्षमता, गुणवत्ता का उच्चीकरण कर सकें। यह योजना सार्वजनिक व निजी सहभागिता पर आधारित है। योजनान्तर्गत अब तक

05 कलस्टर्स (कारपेट कलस्टर भदोही, ग्लास बीड्स कलस्टर वाराणसी, पाटरी कलस्टर खुर्जा, सीजर्स कलस्टर मेरठ तथा लेदर कलस्टर चौरीचौरा, गोरखपुर) के हार्ड इंटरवेशन हेतु तथा 17 क्लस्टर साफ्ट इंटरवेंशन हेतु स्वीकृत किये गये है।

लघु उद्योगों की त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमो के तकनीकी उन्नयन (टेक्नोलांजी अपग्रेडेशन) योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 में अब तक 122 इकाइयों को रू0 200.00 लाख की सहायता उपलब्ध करायी गयी है। वर्ष 2010–11 दिसम्बर, 2010 तक 82 इकाइयों को रू0 141.30 लाख की सहायता उपलब्ध करायी गयी है।

प्रदेश के वृहत औद्योगिक आस्थानों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न अवस्थापना सुविधाएं (जैसे–सड़क, नाली, ड्रेनेज आदि) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश के समस्त जनपदों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अपना रोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति एवं जनजाति सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रशिक्षित किये जा रहे है। समस्त जनपदों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे है, जिसके अन्तर्गत 4431 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है।

प्रदेश में निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ''त्वरित निर्यात प्रोत्साहन विकास योजना'' अन्तर्गत विपणन सहायता योजना, गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान तथा वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इसी प्रकार प्रदेश में हस्तशिल्प के

विकास के लिए हस्तशिल्प प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन तथा डिजाइन वर्कशाप योजना संचालित है। प्रदेश के चुने हुए शिल्पियों को राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार योजनान्तर्गत विभिन्न पुरस्कार दिये जाते है एवं हस्तशिल्पी पेंशन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत विशिष्ट हस्तशिल्पियों को नियमानुसार रू0 1,000/– प्रति माह की दर से पेंशन भी दी जा रही है। गाजियाबाद (गढ़मुक्तेश्र) में मूढ़ा शिल्प की तकनीकी उन्नयन योजना भी प्रारम्भ की गई है।

प्रदेश में एकल मेज व्यवस्था लागू है जिसके माध्यम से जनपद स्तर पर इकाइयों की स्थापना हेतु विभिन्न विभागों के आवश्यक अनुमोदन, अनापत्ति प्रमाण–पत्र आदि एक ही स्थान पर समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण हेतु त्रिस्तरीय उद्योग बन्धु जनपद /मण्डल तथा राज्य स्तर पर स्थापित हैं जिनके माध्यम से समस्याओं का प्रभावी निराकरण किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न स्तरों पर आयोजित मेलों के माध्यम से प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को विपणन की सुविधा के साथ ही निर्यात के अवसर भी उपलब्ध कराये जा रहे है।

सामग्री क्रय योजनान्तर्गत सभी टेण्डर ई–टेण्डरिंग के माध्यम से प्राप्त किये जा रहे है। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों द्वारा उत्पादित माल को विभिन्न विभागों/प्रतिष्ठानों को आपूर्ति किये जाने के पश्चात रोके गये भुगतान एवं उक्त पर अनुमन्य ब्याज के निर्णय हेतु आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0 की अध्यक्षता में निदेशालय स्तर पर फैसीलेटेशन कांउसिल का गठन किया गया है, जिसकी बैठक सामान्यतया प्रत्येक माह मे आयेाजित की जा रही है। अब तक प्राप्त 321 दावों में से 236 दावों का निस्तारण किया जा चुका है। उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं अन्य

औद्योगिक विकास प्राधिकरणों तथा संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए कार्यरत विभिन्न संस्थाओं की संक्षिप्त रूप रेखा तथा प्रगति का विवरण इस पुस्तिका में प्रस्तुत किया गया है। आशा है कि उद्योग क्षेत्र से संबंधित विभिन्न वर्गो एवं उद्यमियों को महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने में यह पुस्तिका उपयोगी सिद्ध होगी।

(अनूप मिश्र)

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,

उ0प्र0 लखनऊ।

अनुक्रमणिका

क्रमांक	योजना का नाम	पृष्ठ.संख्या
1–वृहत उद्योग एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र :–		1–3
2–लघु स्तरीय उद्योग क्षेत्र :–		–4
1–	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना	5–7
2–	कच्चा माल	8–9
3–	औद्योगिक आस्थान	10
4–	जिला उद्योग केन्द्र योजना	11
5–	एकल मेज व्यवस्था	12
6–	उद्यमिता विकास कार्यक्रम	13
7–	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	14–15
8–	प्रदेश में बीमार लघु एवं लघुत्तर औद्योगिक इकाइयों का पुनर्वासन	16
9–	बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर लघु उद्योग प्रादेशिक पुरस्कार योजना	17
10–	औद्योगिक पर्यावरण प्रदूषण	18
11–	सूक्ष्म, लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना	19–20
12–	उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन(टेक्नॉलाजी अपग्रेडशन) योजना	21
13–	प्रसार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	22
14–	हस्तशिल्प उद्योग	23–28
15–	काँच एवं पाटरी उद्योग	29
16–	चर्म उद्योग	30–32
17–	महिला उद्यमी प्रकोष्ठ	33
18–	एसाइड योजना	34–36
19–	सामग्री क्रय अनुभाग	37–38
20–	फेसिलिटेशन काउंसिल	39
21–	उ० प्र० में गणना योजनान्तर्गत लघु औद्योगिक इकाइयों के आँकड़ों का संग्रहण	40–42
22–	उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण	43–47
23–	मैपडाइटिक्स योजना	48–50
24–	उद्योग बन्धु	51–52
25–	उद्योग निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की दक्षता अभिवृद्धि हेतु प्रशिक्षण योजना	53–54
26–	ई–गर्वनेन्स प्रकोष्ठ	55

क्रमांक योजना का नाम	पृष्ठ.संख्या
3–**सम्बन्धित विभाग** :–	–56
1–मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	57–61
2–हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर	62–70
3–निदेशालय, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	71–72
4–उद्यमिता विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	73–76
5–निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	77–82
6–भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	83–84
7–उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ	85–90
8–रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	91–98
9–उत्तर प्रदेश निवेश केन्द्र, नई दिल्ली	99–100
4–**औद्योगिक निगम/प्राधिकरण** :–	–101
1–उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर	102–103
2–उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि0, कानपुर	104–106
3–उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, कानपुर	107–110
4–उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि0, कानपुर	111–113
5–उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर	114–115
6–यू0पी0 स्टेट स्पीनिंग कं0 लि0, कानपुर	116–117
7–यू0पी0 इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसिएशन लि0, (यूपिका), कानपुर	118–121
8–दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू०पी० लि0 (पिकप) लखनऊ	122–123
9–उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0, लखनऊ (पूर्ववती नाम–उ0प्र0 निर्यात निगम लि0)	124–127
10–यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ	128–133
11–भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा)	134–139
12–सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा), जौनपुर	140–141
13–गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा)	142–145
14–ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण	146–151

9-वृहद उद्योग एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र

१- वृहद उद्योग

किसी भी देश अथवा प्रदेश के त्वरित आर्थिक विकास में औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्योगों की स्थापना व विकास से न केवल तीव्र आर्थिक प्रगति प्राप्त होती है बल्कि भारी संख्या में रोजगार के अवसर भी सुलभ होते है। इस प्रकार उद्योगों की अधिकाधिक स्थापना से बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। वृहद उद्योगों का प्रदेश के विकास में अहम योगदान है। वृहद उद्योग जिस क्षेत्र में स्थापित होते हैं, उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की संभावना बलवती हो जाती है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ही प्रदेश सरकार द्वारा त्वरित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने हेतु कई कदम उठाए जा रहें है। चूंकि औद्योगिक विकास में सरकार का मुख्य उद्देश्य विकासयुक्त वातावरण सृजित करने का है, जिससे प्रेरित होकर अधिकाधिक उद्यमी अपना उद्योग प्रदेश में लगा सके। उद्योगों के विकास में अवस्थापना सुविधाओं का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इसके दृष्टिगत सरकार द्वारा एक अलग अवस्थापना विकास विभाग की स्थापना की गयी है, जिसका कार्य सार्वजनिक निजी क्षेत्र सहभागिता के आधार पर विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना है। इस प्रयास का ही यह परिणाम है कि यमुना एक्सप्रेस वे, ग्रेटर नोएडा से बलिया गंगा एक्सप्रेस वे, अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस वे, बिजनौर नरौरा एक्सप्रेस वे, झांसी–कानपुर–लखनऊ–गोरखपुर– कुशीनगर एक्सप्रेस वे, लखनऊ–बाराबंकी–नानपारा लिंक एक्सप्रेस वे, आगरा कानपुर एक्सप्रेस वे इत्यादि प्रदेश के विकास में मील का पत्थर बनने की दिशा में अग्रसर हैं।

इसी प्रकार ऊर्जा क्षेत्र में भी आगामी वर्षों में प्रदेश को आत्म निर्भर बनाने हेतु सरकार द्वारा कई कदम उठाए गयें हैं। कई प्रमुख ऊर्जा परियोजनायें जैसे– 3X660एम0डब्लू बारा थर्मल प्रोजेक्ट इलाहाबाद, 2X660एम0डब्लू करछना थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट इलाहाबाद 2X660एम0डब्लू जवाहरपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, 3X660एम0डब्लू दोपाहा थर्मल पावर प्रोजेक्ट सोनभद्र इत्यादि परियोजनायें ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाऐंगे।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा उद्योगों के विकास को फैसिलिटेट करने के उद्देश्य से विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। वृहद उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना भी संचालित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत किसी भी वृहद इकाई द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में दिये गये कुल करों (सेन्ट्रल टैक्स+व्यापार कर) के योग के बराबर की धनराशि उनको ब्याजमुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाती है, जिसकी वापसी 07 वर्ष बाद प्रारम्भ होती है। इस योजना का क्रियान्वयन उ0प्र0 वित्त निगम तथा पिकप द्वारा किया जाता है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में 85.00 करोड़ की व्यवस्था सरकार द्वारा की गयी है। वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु रू0 119.00 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु रू0 129.00 करोड़ का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निवेश मित्र योजना, एकल मेज व्यवस्था, त्रि–स्तरीय उद्योग बन्धु व्यवस्था, एस्कार्ट ऑफीसर व्यवस्था इत्यादि योजनाएं भी सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य उद्यमी को उद्यम स्थापना के हर स्टेप (कन्सेप्ट से मार्केट तक) पर सहयोग प्रदान करते हुए वांछित समस्त औपचारिकतायें इत्यादि को समयबद्ध ढंग से उपलब्ध कराना है। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु क्रय की गयी भूमि पर नियमानुसार 100 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की स्टैम्प शुल्क में छूट की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की गयी है।

उपरोक्तानुसार किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप ही प्रदेश में अधिकाधिक उद्योगों की स्थापना सुनिश्चित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार आशय पत्रों/इच्छा पत्रों को भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है।

वर्ष	जारी इच्छा पत्र/आशय पत्र	पूंजी विनियोजन (करोड़ रू0 में)	रोजगार संख्या
2008–09	6886	210100.80	1531075
2009–10	7061	220569.78	1569451
31 दिसम्बर–2010 तक	7157	227145.78	1584483

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करते हुए सरकार त्वरित औद्योगिक विकास हेतु कटिबद्ध है।

स्टार केटेगरी अलंकरण योजनाः–

प्रदेश के अच्छे उद्योगों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या 711/18–6–6–20 (विविध)/94 दिनांक 06 अप्रैल, 1994 द्वारा स्वीकृत करते हुए संचालित की गई है, जिसके अन्तर्गत ऋण पूंजी निवेश निर्यात की धनराशि के शासनादेश में वर्गीकरण के आधार 1 स्टार से 7 स्टार उद्योग तक से सम्मानित कर प्रमाण–पत्र दिये जाने का प्राविधान हैः–

उद्योगों को स्टार केटेगरी प्रदान किये जाने हेतु शर्तें निम्नानुसार निर्धारित हैः–

1. इकाई पिछले 03 वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त किये हो।
2. इकाई पर किसी संस्था का बकाया न हो, अर्थात् किस्तें समय से भुगतान की गई हों।
3. इकाई के ऊपर कोई शासकीय देय, विद्युत परिषद के देयों को सम्मिलित करते हुए शेष न हों।
4. निर्यात मूलक इकाई के लिए निर्धारित पूंजी निवेश के विरूद्ध निर्धारित निर्यात किया गया हो।

उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में प्रदेश की अच्छी एवं लाभ अर्जित कर रही 116 इकाइयों एवं वित्तीय वर्ष 2010–11 में 84 इकाइयों का चयन करते हुए विभिन्न स्टारों से अलंकृत करते हुए अलंकरण प्रमाण–पत्र जारी किये गये हैं।

✷✷✷

२- लघु स्तरीय उद्योग क्षेत्र

१-सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना

प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में लघु उद्योगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लघु उद्योगों के त्वरित विकास हेतु विभाग द्वारा कई योजनाओं का कियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण, लघु उद्योग इकाइयों को क्रय मूल्य में वरीयता, अवस्थापना, संबंधी सुविधायें, त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना, लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना, लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एकल मेज व्यवस्था आदि उल्लेखनीय है।

उपरोक्त व्यवस्था के फलस्वरूप प्रदेश में लघु औद्योगिक इकाइयों के विकास में आशातीत प्रगति हुई है और अब इनके द्वारा आधुनिक वस्तुयें जैसे इलेक्ट्रानिक एवं इन्जीनियरिंग उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी आदि पर आधारित उद्योगों का भी विकास हो रहा है।

उपरोक्त संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 दिनांक 2 अक्टूबर, 2006 से लागू हो गया है। जिसके अन्तर्गत लघु उद्योगों के लिए पंजीकरण की व्यवस्था भी समाप्त हो गयी है। अधिनियम के अन्तर्गत अब सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इकाइयों को मात्र मेमोरेन्डम कर पावती रसीद प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के उत्पादन एवं सेवा सम्बन्धी इकाईयों की सूचनायें एकत्र की जा रही है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की वर्षवार प्रगति का विवरण अधोलिखित हैः–

वर्ष	लक्ष्य	लघु उद्योगों की स्थापना	पूँजी विनियोजन (करोड़ रू0 में)	रोजगार सृजन	उत्पादन (करोड़ रु0 में)
2004–2005	30000	30402	284.34	121102	431.25
2005–2006	30000	30282	262.79	125611	372.71
2006–2007	30000	28487	507.59	120876	944.08
2007–08	33000	31734	1270.83	148985	4625.21
2008–09	33000	33302	2046.80	171141	4996.21
2009–10	33000	34063	3474.12	175504	6751.82
2010–11 दिसम्बर 10	33000	25619	2196.24	133827	3682.89

मार्च 2010 तक स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की सेक्टरवार प्रगति का विवरण अधोलिखित है:–

(अनन्तिम)

क्रमांक	उद्योग श्रेणी	लघु उद्योगों की संख्या	लघु उद्योगों में पूँजी निवेश (करोड़ रू0)	सृजित रोजगार संख्या
1	खाद्य उत्पाद	99009	2177.49	389627
2	पेय,तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	1976	43.32	10707
3	काटन टेक्सटाइल	13517	287.15	63171
4	ऊन,सिल्क एवं सिन्थेटिक फाइवर टेक्सटाइल	15346	263.61	66067
5	जूट,हेम्प एवं मस्ता टेक्सटाइल	3114	50.73	12996
6	होजरी एण्ड गारमेंट्स	72818	1105.45	297730
7	वुड प्रोडक्ट्स	41971	465.32	153055
8	पेपर प्रोडक्ट्स एण्ड प्रिंटिगं	14054	448.65	70943
9	लेदर प्रोडक्ट्स	23844	443.62	113380
10	रबर एण्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स	11020	524.24	64176
11	केमिकल एण्ड केमिकल प्रोडक्ट्स	13644	552.63	73777
12	नान–मेटैलिक मिनरल प्रोडक्ट्स	12471	388.25	108989
13	बेसिक मेटल इन्डस्ट्रीज	8079	450.16	47649
14	मेटल प्रोडक्ट्स	38064	985.34	183829
15	मशीनरी एण्ड पार्ट्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल	14867	526.56	76396
16	इलेक्ट्रिकल मशीनरी एण्ड आपरेटस	11306	343.70	55186
17	ट्रांसपोर्ट एक्विपमेंट्स एण्ड पार्ट्स	4131	179.26	26210
18	मिसलेनियस मैन्यूफैक्चरिंग	98305	1627.06	369760
19	रिपेरिंग एण्ड सर्विसिंग इण्डस्ट्रीज	182167	1830.40	559118
	योग–	**679703**	**12692.84**	**2742766**

मार्च, 2010 की उपरोक्त स्थिति के आधार पर निम्नलिखित आर्थिक क्षेत्रवार विश्लेषण से स्वतः स्पष्ट होगा कि प्रदेश के अन्तर्गत उद्योगों का विकास हर क्षेत्र में समान रूप से नहीं हो पा रहा है । प्रमुख रूप से लगभग 50 प्रतिशत उद्योग प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में तथा उसमें भी गाजियाबाद एवं नोयडा ही उद्योगों का केन्द्र बनते जा रहें हैं। शासन द्वारा उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु उद्यम, तकनीकी उन्नयन, औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण आदि योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के औद्योगिक विकास को गतिशील किया जा रहा है।

मार्च, 2010 तक आर्थिक क्षेत्रवार सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की स्थापना एवं रोजगार सृजन की स्थिति निम्नवत् है :–

आर्थिक क्षेत्र	स्थापित इकाइयाँ	पूँजी निवेश (करोड़रू0)	सृजित रोजगार
पश्चिमी क्षेत्र	341050	7938.36	1516097
पूर्वी क्षेत्र	188442	2078.74	683811
मध्य क्षेत्र	109756	2309.47	421120
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	40455	366.38	121738
योग–	**679703**	**12692.95**	**2742766**

nLrdkjh bdkb;ksa dh LFkkiuk

वर्ष	लक्ष्य	लघु उद्योगों की स्थापना	पूँजी विनियोजन (करोड़ रू0 में)	रोजगार सृजन	उत्पादन (करोड़ रु0 में)
2004–2005	40000	39195	31.06	47511	42.44
2005–2006	40000	39966	33.68	45251	39.08
2006–2007	40000	37816	30.78	45895	47.80
2007–2008	40000	37390	39.68	46009	66.84
2008–2009	40000	35941	42.21	41582	61.67
2009–2010	40000	34547	52.75	43505	91.37
2010–2011 दिसम्बर 10 तक	40000	21999	43.06	27069	63.47

✷✷✷

२-कच्चा माल

उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 में कच्चामाल अनुभाग की स्थापना प्रदेश में लघु उद्यमियों को दुर्लभ कच्चेमाल का आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उददेश्य से की गई थी। शनैः–शनैः औद्योगिक नीति में संशोधन के फलस्वरूप अधिकांशतः कच्चे माल जैसेः– मोम, लोहा, इस्पात, पिग आयरन, सीसी, केरोसिन, सीमेन्ट आदि की उपलब्धता सहज हो जाने के कारण समस्त नियंत्रण समाप्त हो गये। 1 जनवरी 2000 से लघु उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले कोयले पर भी समस्त नियंत्रण समाप्त कर दिया गया और कोल इण्डिया द्वारा समस्त कोल कम्पनियों को अपनी विपणन नीति बनाने हेतु स्वतन्त्र कर दिया गया है। वर्ष 2004 से कोल कम्पनियों द्वारा लघु औद्योगिक इकाईयों की केवल स्टेट्स रिपोर्ट ही मांगी जा रही थी, लेकिन कोल इण्डिया द्वारा दिनांक 12–1–2005 से ई–आक्शन की नीति लागू हो जाने के कारण अब कुछ ही कोल कम्पनियों द्वारा स्टेट्स रिपोर्ट की मांग की जा रही है।

तीन वर्षो में इकाईयों की भेजी गई स्टेट्स रिपोर्ट की स्थिति

वर्ष	स्लैक कोल आवंटित इकाईयों की संख्या	मात्रा बैगन बाक्स में	स्टीम कोल आवंटित इकाईयों की संख्या	मात्रा बैगन बाक्स मे	स्टीम कोल स्लैक कोल इकाईयों का योग	मात्रा का योग	हार्ड कोक आवंटित इकाईयों की संख्या	मात्रा एम0 टी0 में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2008	06	–	15	–	21	–	–	–	वर्ष 2008 में इकाईयों की केवल स्टेट्स रिपोर्ट भेजी गई जिसमें मात्रा नहीं दर्शायी गई।
2009	02	–	06	–	08	–	01	–	तदैव
2010	26	–	41	–	67	–	–	–	तदैव

कोल मंत्रालय भारत सरकार के आफिस मेमोरेडम पत्रांक 23011/4/2007सी0पी0डी0दिनांक 18–10–2007 द्वारा जारी नई कोल नीति के अनुसार प्रदेश में स्थिति औद्योगिक इकाईयां सम्बंधित कोल कम्पनी से सीधे आवश्यकतानुसार कोयला प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। उक्त प्रयोजन हेतु शासन के पत्र सं0 772/18–5–2008–12क/2005 दिनांक 2–5–2008 माडुलेट द्वारा निर्गत किया गया है।

प्रदेश को आवंटित 9.41 लाख मी0टन कोयला प्राप्त कर उ0प्र0 के लघु एवं मध्यम तथा टाइनी औद्योगिक इकाईयों को कोयले की मांग की सुगमता से आपूर्ति हेतु उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 कानपुर को कोल इण्डिया एवं भारत सरकार के नीतियों के अन्तर्गत कोयले की आपूर्ति हेतु प्रदेश सरकार द्वारा नोडल एजेन्सी नामित किया गया है जिसके अनुसार 4200 मी0टन वार्षिक तक की आवश्यकता वाली औद्योगिक उद्यम इस नोडल एजेन्सी से कोयला प्राप्त कर सकते हैं।

(क) उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि0 कानपुर द्वारा प्रदेश की ईट भठ्ठे आदि उद्यमियों को वितरित किये गये कोयले का सत्यापन कार्य संबंधित महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र से कराया जाता है जिसकी सूचना समय–समय पर निदेशालय द्वारा शासन को अवगत कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सी0सी0एल0, एन0सी0एल0 एवं बी0सी0सी0एल0 धनबाद द्वारा एफ0एस0ए0 किये गये इकाईयों का सत्यापन संबंधित महाप्रबंधकों से निदेशालय द्वारा समय–समय पर कराया जा रहा है।

(ख) कोयले की स्पांसरिंग व्यवस्था वर्ष 2004 से समाप्त होनें के फलस्वरूप कोल कम्पनियों के अनुरोध पर कोल उपभोग करने वाली इकाईयों की स्टेट्स रिपोर्ट उन्हें भेजी जाती हैं। आलोच्च अवधि में विभिन्न जनपदों में कोल उपभोग करने वाली 67 इकाईयों की स्टेट्स रिपोर्ट संबंधित कोल कम्पनियों को प्रेषित की गई।

लुब्रीकेटिंग आयल एवं ग्रीस का लाइसेंस

1. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक 1302/78–सप्लाई /वितरण खण्ड–1, दिनांक 8–5–1987 एवं संशोधित आदेश संख्या 11013/3/87–वितरण दिनांक 7–10–1987 के अन्तर्गत लुब्रीकेटिंग आयल एवं ग्रीस का व्यापार करने वाली इकाईयों को केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–3 के अन्तर्गत लाइसेंस लेना आवश्यक है जिसकी अवधि 5 वर्ष होती है। 5 वर्ष बाद नवीनीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र भेज कर लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
2. उक्त कार्य के सम्पादन हेतु उ0प्र0 सरकार के लघु उद्योग अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 583/18–7–88 दिनांक 18–6–1988 द्वारा उद्योग निदेशक उ0प्र0 कानपुर को लाइसेंस निर्गत किये जाने हेतु प्राधिकृत किया गया है।
3. लुब्रीकेटिंग आयल एवं ग्रीस का लाइसेंस निर्गत किये जाने में घोषित सक्षम अधिकारी के शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों को आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार के पत्र सं0 पी–17011/20/82 दिनांक 12–11–1984 में दिये गये प्राविधानानुसार उ0प्र0 सरकार के शासनादेश सं0 1617क/18–7–89–173क/87 दिनांक 19–9–1989 द्वारा एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है।
4. अधिसूचना सं0 493क/18–7–91–173क/87 दिनांक 18–5–1991 के द्वारा लुब्रीकेटिंक आयल एवं ग्रीस (प्रसंस्करण प्रदान और वितरण विनियम) आदेश 87 के अन्तर्गत ड्रेडर्स एवं सप्लाई (क्रेता एवं विक्रेता) के पक्ष में लाइसेंस जारी करने हेतु परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग को अधिकार प्रदान किये गये हैं।

लुब्रीकेटिंग आयल एवं ग्रीस की वर्ष 2010–11 की प्रगतिः–

क–	वर्ष 2010 में लुब्रीकेटिंग आयल से संबंधित लाइसेंस/नवीनीकरण किये जानें हेतु प्राप्त आवेदन पत्र की संख्या	11
ख–	वित्तीय वर्ष 2010–11 में 31–12–2010 तक जारी किये गये नवीनीकरण लाइसेंस की संख्या	07
ग–	लम्वित आवेदन पत्रों की संख्या	04

✷✷✷

3–औद्योगिक आस्थान

औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण

प्रदेश के 57 जनपदों में 80 औद्योगिक आस्थान छठवें दशक में बनाये गये है। वर्ष 1995 से इनके रख–रखाव, मरम्मत के लिए बजट की व्यवस्था नही हुई है। अतः अवस्थापना सुविधाओं सड़क, नाली, पेयजल एवं ड्रेनेज तथा रख–रखाव की अत्यंत महती आवश्यकता है। वर्ष 2007–08 में औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण योजना प्रारम्भ हुई। वित्तीय वर्ष–2007–08 में धनराशि रू0 398.00 लाख प्राप्त हुई, से 16 जनपदों के 16 औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं हेतु सड़क निर्माण कार्य कराये गये। वर्ष 2008–09 में रू0 100.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई, से अन्य 7 जनपदों के 7 औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना के सड़क, निर्माण कार्य कराये गये हैं। वर्ष 2009–10 में इस योजना में रू0 100.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई, से अन्य 5 जनपदों के 5 औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना के सड़क निर्माण कार्य कराये गये हैं। वर्ष 2010–11 में रू0 100.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई, से अन्य 5 जनपदों के 5 औद्योगिक आस्थानों बिजनौर,कोंच (जालौन),नंदगंज(गाजीपुर), चुनार (मिर्जापुर), आजमगढ़ में अवस्थापना के सड़क निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं।

क्रमॉक	औद्योगिक आस्थान का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि (लाख रू0में)
1.	औद्योगिक आस्थान, चुनार जनपद मिर्जापुर	सड़क निर्माण	रू0 20.00 लाख
2.	औद्योगिक आस्थान, बिजनौर	सड़क निर्माण	रू0 20.00 लाख
3.	राजकीय औ0आ0,नंदगंज, गाजीपुर	सड़क निर्माण	रू0 20.00 लाख
4.	औद्योगिक आस्थान, कोंच, जनपद–जालौन	सड़क निर्माण	रू0 20.00 लाख
5.	औद्योगिक आस्थान, आजमगढ़	सड़क निर्माण	रू0 20.00 लाख
		योग	**रू0 100.00 लाख**

✷✷✷

४-जिला उद्योग केन्द्र योजना

जिला केन्द्र योजना का शुभारम्भ वर्ष 1978–79 में किया गया है। इस योजना का प्रारम्भ निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया है :–

1. लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करके रोजगार के अधिकाधिक औद्योगिकीकरण की गति मे अधिक तीव्रता लाना।
2. उद्योगों की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमियों को एक छत के नीचे उद्योग स्थापना की समस्त जानकारी एवं सभी सुविधायें उपलब्ध कराना।
3. लघु एवं छोटे उद्योगों के विकास के लिए अवस्थापना का प्रबन्ध, तकनीकी जानकारी उद्यमिंता विकास तथा सर्वेक्षण करना।
4. लघु उद्यमियों को विभिन्न स्तरों पर अनुभूतियों/स्वीकृतियॉ शीघ्र जारी करने के उद्देश्य से जिला प्राधिकृत समिति की स्थापना प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की गयी है।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति को कार्यरूप देने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक जनपद में जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना की है। इन जिला उद्योग केन्द्रों में लघु उद्योगों के अस्थाई/स्थाई पंजीकरण भूमि एवं भवन, कच्चामाल, मशीन यंत्र उपकरण,संयंत्र तकनीकी मार्गदर्शन ऋण एवं विद्युत आदि की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। जिला उद्योग केन्द्र का वरिष्ठतम अधिकारी महाप्रबन्धक होता है, जिसके अधीन सुचारू रूप से कार्यसंचालन हेतु प्रबन्धक(विपणन) परियोजना प्रबन्धक एवं प्रबन्धक (ऋण) आदि कार्यरत हैं। तहसील/ब्लाक स्तर पर उद्यमियों को जानकारी एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए सहायक प्रबन्धक कार्यरत हैं। ग्रामीण आंचलों में कार्यक्रम के प्रचार एवं प्रसार हेतु प्रत्येक विकास खण्ड के लिए एक सहायक विकास अधिकारी उद्योग सेवा व्यवसाय की व्यवस्था भी राज्य सरकार के नियोजन विभाग द्वारा की गयी है।

जिला उद्योग केन्द्र का शुभारम्भ भारत सरकार की सहायता से किया गया था जिसे प्रदेश सरकार द्वारा योजना पुनः परीक्षण कर महाराष्ट्र पैटर्न के आधार पर प्रत्येक जनपद में 30 पद रखे जाने का निर्णय लिया गया था जिसको प्रदेश के पुराने 56 जनपदों में लागू कर दिया गया था, किन्तु उत्तरांचल का गठन होने के फलस्वरूप अब प्रदेश में कुल 48 जनपदों में यह पैटर्न लागू है तथा उसमें महाप्रबन्धक तथा 9 सहायक प्रबन्धकों को सम्मिलित करते हुए 30 अधिकारी एवं कर्मचारी हैं।

21 जनपदों कानपुर देहात, महोबा, महराजगंज, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, फिरोजाबाद, मऊ, भदोही, पडरौना, कौशाम्बी, महामाया नगर, गौतमबुद्ध नगर, चित्रकूट, श्रावस्ती, बलरामपुर, चन्दौली, ज्योतिबाफुले नगर, अम्बेदकर नगर, कन्नौज, बागपत, कांशीराम नगर एवं छत्रपतिशाहूजी नगर में महाराष्ट्र पैटर्न लागू नहीं है। शेष 02 जनपदों औरैया एवं सन्तकबीर नगर में अभी जिला उद्योग केन्द्र स्वीकृत नहीं है, जिनकी स्वीकृत हेतु प्रयास जारी है।

✷✷✷

७-एकल मेज व्यवस्था

एकल मेज व्यवस्था की योजना शासनादेश संख्या 1839/77–6–98, दिनांक 14–12–1998 द्वारा कियान्वित की गयी तथा 01–01–1999 में लागू किये जाने के निर्देश हुए।

एक छत के नीचे एकल मेज व्यवस्था का उद्देश्य उद्योगों को विभिन्न विभागों से अनुमोदन, स्वीकृतियॉ, आपत्तियों, लाईसेन्स आदि के सम्बंध में आवेदन पत्र का निस्तारण एक ही स्थान पर केन्द्रीय तथा समयबद्ध रूप से सम्पन्न करना है ताकि उद्यमियों को विभिन्न विभागों में उपरोक्त कार्य हेतु बार–बार चक्कर लगाने की कठिनाई से मुक्त किया जा सके। एक छत के नीचे एकल मेज व्यवस्था का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने का दायित्व महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को दिया गया है।

एकल मेज व्यवस्था के अन्तर्गत माह दिसम्बर–2010 तक की प्रगति

क्र0	मद	वर्ष 2008–09	वर्ष 2009–10	वर्ष 2010–11 दिसम्बर 2010तक
1.	कुल प्राप्त आवेदन पत्र जो नोडल अधिकारियों द्वारा पूर्ण पाये गये	51135	53326	38330
2.	निस्तारित आवेदन पत्र			
(अ)	निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत	50849	53190	38243
(ब)	समय सीमा के उपरान्त	71	–––	––
3.	अनिस्तारित आवेदन पत्र			
(अ)	जो निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत	215	136	87
(ब)	समय सीमा के अधिक	––	––	––

✷✷✷

६-उद्यमिता विकास कार्यक्रम

प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विकास में गति देने तथा बेरोजगार शिक्षित/प्रशिक्षित एवं तकनीकी (कुशल/अकुशल) व्यक्तियों को अपना उद्यम (उद्योग/व्यवसाय) करने हेतु स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिकोण से यह योजना प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1978–79 से संचालित की गयी।

औद्योगिक इकाइयों, उद्यमों को स्थापित करने तथा सफलतापूर्वक चलाने के लिए उद्यमियों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें सभी प्रकार की जानकारी एवं उनमें उद्यम स्थापना के लिए रूचि तथा उनमें उद्यमिता विकसित हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थानीय संसाधनों एवं बाजार की मॉग के अनुरूप व्यक्तियों में उद्यमिता जागरूगता करने के लिए उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान, प्रशिक्षण संस्थाओं एवं जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम एक द्विवसीय, दो साप्ताहिक, चार साप्ताहि एवं छैः साप्ताहिक आयोजित कर उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण देकर प्रेरित किया जाता है। छैः साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उद्यम विशेष का क्रियात्मक प्रशिक्षण भी दिलाया जाता है।

प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 25 से 50 तक प्रशिक्षार्थी शामिल किये जाते हैं। जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त महिला/अल्प संख्यकों को चयन में वरीयता दी जाती है। इस योजना में शासन द्वारा रू0 5.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस धनराशि से उद्यमिता विकास प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जनपदों में 33 दो साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं 5 एक द्विवसीय उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कराकर 1240 व्यक्तियों को प्रशिक्षित कराया जाना है।

वर्ष	बजट स्वीकृत (लाख रू0 में	व्यय	आयोजित शिविर		प्रशिक्षार्थियों की संख्या	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
2001–02	90.00	90.00	1135	372	49450	18853
2002–03	63.69	63.63	716	750	29335	31137
2003–04	101.75	101.59	2162	2150	98610	98182
2004–05	92.31	92.31	2017	2017	92445	92807
2005–06	103.17	103.17	2715	2714	126654	139806
2006–07	96.02	93.35	1565	1558	71500	71223
2007–08	66.76	55.36	560	487	22520	20443
2008–09	16.50	16.50	370	370	17100	17100
2009–10	05.00	––	18	13	540	390
2010–11	5.00	––	38	––	1240	––

✷✷✷

७– प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(पी०एम०ई०जी०पी०)

भारत सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को संविलीन करते हुए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना नाम की एक नयी योजना की शुरूआत की गयी है। यह योजना खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से कियान्वित की जायेगी।

नये स्वरोजगार उद्यमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरो का सृजन करना । व्यापक रूप से दूर दूर अवस्थित परपंरागत कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाने एवं उन्हें स्व–रोजगार की ओर अग्रसर करना, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की पलायन रोका जा सकें। ग्रामीण/शहरी रोजगार की विकास दर बढ़ाने में योगदान करना।

लाभार्थियों की श्रेणी	लाभार्थियों का अंशदान (परियोजना लागत में)	सब्सिडी/मार्जिन मनी की दर	
क्षेत्र		शहरी	ग्रामीण
सामान्य श्रेणी	10%	15%	25%
विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/ अल्पसंख्यक /महिला पूर्व सैनिक, विकंलाग, पूर्वोत्तर क्षेत्र पहाड़ी और सीमावर्ती)	5%	25%	35%

राज्य स्तर पर यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से संचालित की जायेगी और शहरी क्षेत्रों में केवल जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से संचालित की जायेगी। योजना में जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से 20ः एवं 20ः ग्रामीण लक्ष्यों की पूर्ति किये जाने के निर्देश है। उक्त कार्यकारी संस्थायें योजनान्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कियान्वयन ख्याति प्राप्त संस्थाओं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम/उद्यमी मित्र/पंचायत राज्य संस्थाओं आदि के सहयोग से करेगी। योजना में उद्योग क्षेत्र में प्रोजेक्ट/यूनिट की अधिकतम लागत रू0 25.00 लाख तथा व्यवसाय क्षेत्र में रू0 10.00 लाख होगी।

18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति योजना का लाभ उठा सकता है। आय की कोई सीमा नही है। शैक्षिक योग्यता, 8वी उत्तीर्ण होना चाहियें। अन्य विशेष श्रेणियों के मामले में लाभार्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये जाति/समुदान प्रमाण–पत्र या संगत प्रपत्रों की अभिप्रमाणित प्रति, मार्जिन राशि के दावे के साथ, सम्बन्धित बैंक शाखा को प्रस्तुत करनी होगी। जहॉ भी आवश्यक हो, संस्था के उप नियमों की एक अभिप्रमाणित प्रति मार्जिन राशि के दावे के साथ संलग्न करना अपेक्षित होगा। परियोजना लागत में पूॅजी व्यय और कार्यशील पूॅजी का एक चक्र शामिल होगें। इस योजना के अर्न्तगत पूॅजी–व्यय रहित परियोजनायें, वित्त

पोषण के लिये पात्र नही है, उनके मामले बैंक शाखा के क्षेत्रीय कार्यालय या नियंत्रक कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी और दावों को यथा–स्थिति, क्षेत्रीय कार्यालयों या नियंत्रक कार्यालयों के अनुमोदन की अभिप्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा।

जमीन की लागत को परियोजना लागत में शामिल नही किया जा सकेगा। परियोजना स्थापित करने के लिये एक परिवार से एक ही व्यक्ति पात्र है, परिवार में स्वयं और पति/पत्नी शामिल है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रगति वर्ष 2008–09 से 2010–11 (**दिसम्बर–2010**)

(लाख रू0 में)

वर्ष	लक्ष्य	प्राप्त आवेदन–पत्रों की सं0	बैकों को प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृति		प्रशिक्षण	वितरण		सृजित रोजगार
				संख्या	धनराशि		संख्या	धनराशि	
08-09	2565	12922	6735	2579	15074.00	2489	2112	11728.93	11424
09-10	6655	23792	15580	6761	52949.75	4189	4612	22141.49	14449
10-11 दिसम्बर 2010 तक	3328	13991	7185	2199	19239.11	916	1083	6540.87	3486

८-प्रदेश में बीमार लघु एवं लघुत्तर औद्योगिक इकाइयों का पुनर्वासन

प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों की बढ़ती हुई रूग्णता चिन्ताजनक स्थिति में है बढती हुई रूग्णता के कारण औद्योगिकरण की वर्तमान नीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। एक उद्योग की रूग्णता दूसरे उद्योगों को प्रभावित करती है। औद्योगिक इकाईयों को सावधि ऋण भुगतान समयान्तर्गत न होना, कार्यशील पूंजी न मिलना अनियमित विद्युत आपूर्ति तथा प्रबन्धकीय अकुशलता आदि इकाई के बीमार हो जाने के मुख्य कारण है। बीमार होने के कारण इकाई अपनी–उत्पादन क्षतमा के अनुसार कार्य नहीं कर पाती और घाटे में आकर बंद हो जाती है। जिसके फलस्वरूप वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण के विरूद्ध वसूली सुनिश्चित नहीं हो पाती है। उद्योग में लगे लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पडता है। निर्मित की जानी वाली वस्तुओं की कमी हो जाती है और इकाई में विनियोजित पूॅजी अनुत्पादक हो जाती है। शासनादेश के अनुसार किसी लघु स्तरीय औद्योगिक इकाई को निम्नलिखित परिस्थितियों में रूग्ण माना जाएगाः–

(अ) इकाई का कोई ऋण खाता 6 माह से अधिक समय तक सब स्टैण्डर्ड रहा हो अर्थात इसके किसी ऋण खाते का मूलधन या ब्याज एक वर्ष से अधिक अवधि से अतिदेय रहा हो। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यदि किसी खाते को सब स्टैण्डर्ड वर्गीकृत किये जाने की वर्तमान अवधि भविष्य में कम कर दी जाती है। तथापि उक्त एक वर्ष से अधिक समय तक अतिदेय रहने की अधिमान्यता परिवर्तित नहीं होगी।

या

(ब) संचित नकद हानियों के कारण पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में वास्तविक मूल्य (नेट बर्थ) में इसके अधिकतम वास्तविक मूल्य (पीक नेट वर्थ) के 50 प्रतिशत या अधिक का अपक्षरण हुआ है। नकद हानियों के कारण पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में इसके वास्तविक मूल्य नेट वर्थ में इसके अधिकतम वास्तविक मूल्य पीक नेट वर्थ के 50 वर्थ के 50 प्रतिशत या अधिक का अपक्षरण हुआ हों।

और

(स) इकाई कम से कम दो वर्ष तक व्यावसायिक उत्पादन में रही है।

रूग्ण इकाईयों के पुनर्वासन हेतु नया संशोधित शासनादेश संख्या 959 दिनांक 9.6.2004 निर्गत किया जा चुका है तथा रूग्ण इकाईयों को सुविधा प्रदान करने और समस्याओं का निराकरण करने हेतु मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय पुनर्वासन समिति कार्यरत है। मण्डलीय पुनर्वासन समिति के कार्यकलापों का अनुश्रवण करने, वित्तीय संस्थाओं द्वारा पुनर्वासन पैकेज तैयार करने अथवा अपेक्षित सुविधाओं में अनावश्यक विलम्ब करने अथवा मण्डलीय पुनर्वासन समिति द्वारा इकाई रूग्ण घोषित करने से मना कर दिये जाने पर इकाई की अपील सुनवाई हेतु सचिव, लघु उद्योग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समिति की उप समिति गठित की गई है।

प्रदेश में रूग्ण लघु औद्योगिक इकाईयों का पुनर्वासन

1.	रूग्ण घोषित करने हेतु प्राप्त आवेदन–पत्र	367
2.	आवेदन पत्र अपूर्ण होने पर पत्रवलित	118
3.	मण्डल स्तरीय समिति को संदर्भित	158
4.	रूग्ण घोषित इकाईयॉ	187
5.	रूग्ण घोषित होने के बाद निरस्त	29
6.	पुनर्वासन इकाईयों की संख्या	96

***

9– बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर लघु उद्योग प्रादेशिक पुरस्कार योजना

प्रदेश के सफल एवं उत्कृष्ट लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना शासनादेश संख्या 564/18–2–2009–30 (15)/2002 दिनांक 17 अगस्त, 2009 द्वारा प्रारम्भ की गई।

उक्त योजनान्तर्गत प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के अधिक से अधिक उद्यमियों को उनके हाई टर्न ओवर सफल एवं उत्कृष्ट उत्पाद, गुणवत्ता, अनुसंधान एवं विकास हेतु पुरस्कार दिया जायेगा। जो निम्नवत श्रेणी में होंगेः–

1. **उ0प्र0 उद्यमी पुरस्कारः–** रू0 1.00 लाख (ड्राफ्ट) स्वर्ण पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र

यह पुरस्कार सभी श्रेणियों में चयनित प्रथम इकाईयों में से मास्टर तालिका के अंको व सर्वाधिक टर्नओवर के आधार पर सर्वोत्तम इकाई को दिया जायेगा।

2. **सूक्ष्म उद्योग श्रेणीः–** पुरस्कार – प्रथम– 25,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
   द्वितीय – 20,000 (नगद),पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
3. **लघु उद्योग श्रेणीः–** पुरस्कार– प्रथम – 25,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
   द्वितीय – 20,000 (नगद),पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
4. **मध्यम उद्योग श्रेणीः–** पुरस्कार– प्रथम – 25,000 (नगद),पदक ,प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
   द्वितीय – 20,000 (नगद),पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
5. **सर्विस क्षेत्रः–** पुरस्कार– प्रथम – 25,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
   द्वितीय – 20,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
6. **सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम उद्योगों में विशिष्ट प्रयासों हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमी पुरस्कारः–** अनु0जाति/जनजाति – 25,000 (नगद),पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
   महिला उद्यमी – 20,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
7. **सूक्ष्म, लघु उद्योगों हेतु विशिष्ट गुणवत्ता उत्पादः–** कुल पुरस्कार संख्या 14 प्रत्येक श्रेणी में एक पुरस्कार रू0 15,000 (नगद) (पदक, प्रशस्ति पत्र)।
8. **सेवा क्षेत्र उद्यमी विशिष्ट पुरस्कारः–**कुल पुरस्कारों की संख्या–12 प्रत्येक श्रेणी में एक पुरस्कार रू0 15,000(पदक, प्रशस्ति पत्र)।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम पुरस्कार योजना अन्तर्गत पात्र उद्यमियों का वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु चयन शासन द्वारा रू0 10.00 लाख की स्वीकृति की गयी है तथा चयन हेतु कार्यवाही की जा रही है।

✷✷✷

१०–औद्योगिक पर्यावरण प्रदूषण

भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, 1981 एवं हेजाराड्स मैनेजमेंट, 1989 पारित करके औद्योगिक पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए मानकों आदि का निर्धारण किया गया है। इन अधिनियमों के कियान्वयन एवं समय–समय पर प्रदेश शासन की नीति निर्धारण करने में सहयोग/सलाह देने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। इस बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय प्रदेश के विभिन्न जनपदों जैसे कानपुर, झॉसी, आगरा, लखनऊ, बरेली, इलाहाबाद, गोरखपुर, रायबरेली, वाराणसी नोएडा तथा गाजियाबाद में कार्यरत है।

प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार के लघु, मध्यम एवं वृहद् विनियोजन के लिए उद्योगों की स्थापना अथवा कार्यरत इकाईयों में क्षमता विस्तार आधुनिकीकरण प्रक्रिया में संशोधन करने से पूर्व पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना नोटिफिकेशन नं0 जी0ओ0 1933796 दिनांक 9.7.1996 द्वारा अनिवार्य किया गया है। इसके संबंध में उद्योग विभाग द्वारा शासन स्तर से किये गये प्रयासों के अंतर्गत 220 लघु स्तरीय उद्योगों की सूची जिसमें जल/वायु/ध्वनि करा प्रदूषण न हो एवं उद्योग हैजारड्स प्रकृति का न हो, को चिन्हित करते हुए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पत्र सं0 जी0आ– 216437/ए एन/97, दिनांक 3.6.1997 द्वारा ऐसे 220 उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लेने पर छूट प्रदान कर दी है। सूची के अनुसार उक्त चिन्हित प्रदूषण्कारी 220 उद्योगों के लघु औद्योगिक इकाईयों के रूप में प्रस्तावित पंजीकरण किए जाने हेतु महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किए जाने हेतु प्राधिकृत किया गया है। अतः वर्तमान समय में इंगित 220 उद्योगों के अतिरिक्त समस्त प्रदूषण्कारी उद्योगों को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाना अनिवार्य है। किन्तु सभी इकाईयों को अनिवार्य रूप से सहमति उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ही प्राप्त करनी होगी।

✷✷✷

११ सूक्ष्म, लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना

सूक्ष्म लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना का शुभारम्भ भारत सरकार के परिपत्र सं0 टी0एम0/यू0एन0डी0/2005 दिनांक 14.3.2006 के द्वारा किया गया जिसका मूल उद्देश्य सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाईयों को क्लस्टर के रूप में विकसित करने का है ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा के युग में इकाईयॉ अपनी उत्पाद क्षमता गुणवत्ता एवं कैपसिटी उच्चीकरण कर सकें। यह योजना सार्वजनिक निजी, सहभागिता की मंशा पर आधारित है ताकि क्लस्टरों के विकास एवं प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी लाभार्थियों द्वारा ही उठाई जाए। योजनान्तर्गत प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा क्लस्टर अनुमोदित होने के पश्चात डायग्नोस्टिक स्टडी हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त की जाती है। डायग्नोस्टिक स्टडी, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित की जाती है, क्लस्टर प्रोजेक्ट में लागत का 60–80 प्रतिशत अधिकतम रू0 10 करोड केन्द्रांश शेष 40 प्रतिशत में से राज्य सरकार एवं क्लस्टर एसपीवी का योगदान होता है। अब तक 17 क्लस्टर्स साफ्ट इंण्टरवेंशन हेतु तथा 05 क्लस्टर्स (कारपेट क्लस्टर भदोही, ग्लास बीड्स क्लस्टर, वाराणसी, पाटरी क्लस्टर खुर्जा, सीजर्स क्लस्टर मेरठ, तथा लेदर क्लस्टर चौरी चौरा, गोरखपुर) हार्ड इण्टरवेंशन हेतु भारत सरकार से स्वीकृत कराये गये है।

क्लस्टर योजनान्तर्गत उ0प्र0 के क्लस्टर की अद्यतन स्थिति

क्लस्टर का नाम	कुल स्वीकृत धनराशि (लाख रू0 में)			
1	2	3	4	5
	केन्द्रांश	राज्यांश	एसपीवी	कुल
हार्ड इण्टरवेंशन				
1. ग्लास बीड्स क्लस्टर वाराणसी	525.00	126.50	223.50	875.00
2. कारपेट क्लस्टर भदोही	310.00	83.75	123.75	517.50
3. पोटरी क्लस्टर खुर्जा	109.74	36.58	36.58	182.90
4. लेदर क्लस्टर चौरी चौरा गोरखपुर	152.058	76.029	25.343	253.43
5. सीजर क्लस्टर मेरठ	198.188	148.641	148.641	495.47
साफ्ट इण्टरवेंशन				
1. ग्लास बीड्स ग्लस्टर, वाराणसी	3.70	0.42	—	4.12
2. कारपेट क्लस्टर भदोही	3.70	0.42	—	4.12
3. स्टील फर्नीचर, लखनऊ	7.00	0.80	—	7.80

4. दरी मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर, जौनपुर	6.70	0.72	—	7.45
5. फैन इंजीनियरिंग कम्पनी, वाराणसी	6.48	0.72	—	7.20
6. सिल्क ब्रोकेड क्लस्टर, वाराणसी	6.48	0.72	—	7.20
7. जूटवाल हैविंग क्लस्टर, गाजीपुर	7.11	0.79	—	7.90
8. चिकिन इम्बाइड्री क्लस्टर, बाराबंकी	5.40	0.60	—	6.00
9. टेक्सटाइल प्रिन्टिंग गाजियाबाद	7.00	0.80	—	7.80
10. मिन्ट क्लस्टर, बदायूँ	4.50	0.50	0.00	5.00
11. राइस क्लस्टर, बरेली	8.10	0.90	0.00	9.00
12. स्क्रीन प्रिन्टिंग क्लस्टर, फर्रूखाबाद	4.50	0.50	0.00	5.00
13. वुडेन बीड्स क्लस्टर मेरठ	9.00	1.00	0.00	10.00
14. कारपेट क्लस्टर शाहजहॉपुर	17.04	0.00	6.71	23.75
15. ब्लैक पॉटरी क्लस्टर आजमगढ़	16.08	0.00	6.52	22.60
16. पावरलूम क्लस्टर, मऊ	7.69	1.09	0.98	9.75
17. पावरलूम क्लस्टर, झॉसी	6.04	1.09	0.84	8.38

✷✷✷

१२-उ०प्र० सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन (टेक्नालॉजी अपग्रेडेशन) योजना

आर्थिक वैश्वीकरण और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के नये वातावरण और उदारीकरण के सम्पूर्ण प्रभाव के परिपेक्ष्य में लघु उद्योगों के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के उद्देश्य से यह योजना शासनादेश सं0 26/18–2–2007–30 (26/2003 दिनांक 16.1.07) द्वारा प्रारम्भ की गई है।

उक्त योजनान्तर्गत निम्नलिखित सुविधायें दी जा रही हैः–

- तकनीकी की खरीद और आयात में व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 2.50 लाख।
- उत्पादन में वृद्धि एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु मशीन/संयंत्रों के क्रय में व्यय की गई धनराशि का 50ः अधिकतम रू0 2.00 लाख।
- मशीनों के क्रय हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज का 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष अर्थात अधिकतम रू0 50,000.00
- आई0एस0ओ0/आई0एस0आई0 पर व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 2.00 लाख।
- परामर्श प्राप्त किये जाने पर व्यय की गई धनराशि का 90 प्रतिशत अधिकतम रू0 50,000.00

उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में कुल 76 इकाईयों को रू0 113.84 लाख, वर्ष 2008–09 में कुल 108 इकाईयों को रू0 200.00 लाख तथा वर्ष 2009–10 में 122 इकाईयों को रू0 200.00 लाख की धनराशि उद्यमियों को उपादान हेतु वितरित की जा चुकी है। मासान्त दिसम्बर, 2010, तक वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्राविधानित रू0 200.00 लाख एवं स्वीकृत रू0 200.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष रू0 1,41,29,568.00 वितरित की जा चुकी है। आगामी वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु रू0 400.00 लाख की आवश्यकता अनुमानित है।

✷✷✷

१३- प्रसार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण योजना :–

यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए लागू की जा रही है। इस समुदाय के अधिकांश लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तथा इनमें से अधिकांश लाभार्थी दूर–दराज गांव में रहते हैं। अतः यह उचित प्रतीत होता है कि ऐसे लाभाथिर्यों को चयनित कर उनमें स्किल्ड डेवलपमेंट पैदा करने हेतु स्थानीय स्तर पर उद्यमियों की मांग के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाय। यह तभी सम्भव होगा जब लाभार्थियों को उनके घर से ट्रेनिंग सेन्टर तक आने जाने का किराया तथा दोपहर का भोजन एवं सांयकाल की चाय आदि के व्यय का वहन किया जाय ताकि प्रशिक्षणोपरान्त लाभार्थी स्वयं को उद्यम स्थापित कर रोजगारयुक्त हो सके अथवा स्थानीय स्तर पर स्थापित/स्थापित होने वाले उद्योगों में सुगमता से रोजगार प्राप्त कर सकें। इस योजना के अन्तर्गत यह प्रयास है कि अधिक से अधिक संख्या में व्यक्ति उपलब्ध हो सकें तथा विशेष रूचित के साथ पूर्ण समय तक प्रशिक्षण प्राप्त कर सके तथा प्रशिक्षणोपरान्त एक कुशल कारीगर बनें।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्य विकास अधिकारी, महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र तथा जिले में स्थित सभी राजकीय पालीटेक्निक/आई0टी0आई0 के प्रधानाचार्यों की समिति गठित करने तथा समिति को उक्त प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त राजकीय/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जिला मुख्यालय पर नवयुवक अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों में कुशलता बढ़ाने हेतु एक सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित ट्रेड आच्छादित होंगेः–

प्रशिक्षण निम्नलिखित ट्रेडों में दिया जायेगा :–

1–	बढई	2–	प्लम्बरिंग
3–	सुरक्षा गार्ड	4–	मेडिकल नर्सिंग(आया)
5–	दुपहिया वाहन रिपेयरिंग	6–	पंचर रिपेयरिंग
7–	ट्रेक्टर रिपेयरिंग	8–	बिजली मोटर रिपेयरिंग
9–	विजली के छोटे मोटे सामान बनाने एवं रिपेयरिंग का कार्य	10–	राज मिस्त्री
11–	बॉसबेत	12–	कालीन एवं दरी बुनाई
13–	बोरिंग मिस्त्री	14–	लेथ मशीन मैकेनिक
15–	इलैक्टीशियन	16–	साड़ीयों की कढाई छपाई
17–	टेलरिंग		

प्रत्येक मण्डल/जनपद में स्थापित प्रशिक्षणर्थियों को एक माह का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण एवं तीन माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाईयों/सेवा केन्द्रों पर दिया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ हो जाने के पश्चात प्रशिक्षार्थियों को सम्बन्धित ट्रेडों की टूलकिट दी जायेगी। इस प्रकार प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति सम्बन्धित ट्रेडों में कर सकेंगे।

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रशिक्षण योजनान्तर्गत 71 जिला उद्योग केन्द्रों में वित्तीय वर्ष 2008–09 में रू0 402.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसके सापेक्ष 5589 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। वर्ष 2009–10 में रू0 269.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसके सापेक्ष 3721 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2010–11 में रू0 319.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसके सापेक्ष प्रथम बैच के 2215 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है एवं द्वितीय बैच के 2216 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

✷✷✷

१४-हस्तशिल्प उद्योग

उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग की अपार सफलताएं हैं और उत्तर प्रदेश अपनी परम्परागत शैली के कारण अपने हस्तशिल्प उद्योगों में विशिष्ट स्थान रखता है। मुख्यतः बनारसी शिल्क व ब्रोकेड, भदोही व मिर्जापुर में कालीन, लखनऊ में चिकन तथा आगरा का कलात्मक संगमरमर का सामान, मुरादाबाद तथा वाराणसी में पीतल के पात्र एवं सहारनपुर में नक्काशीदार लकड़ी, स्टोन आदि की मॉग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक है। देश के कुल निर्यात में हस्तशिल्प की सहभागिता लगभग 65 प्रतिशत है। एन0सी0ए0आई0आर0 द्वारा वर्ष 1995–96 में कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर दिसम्बर 1997 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 2,83,804 इकाईयों में 11,76,529 शिल्पी कार्यरत है। वर्तमान में लगभग 25 लाख शिल्पी अनुमानित है। उपरोक्त सर्वेक्षण में अनुमानित उत्पादन 1004.5 करोड़ एवं अनुमानित उत्पादन लागत रू0 800 करोड़ अनुमानित है। राज्य सरकार ऐसे हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अनावरत रूप से प्रयत्नशील रही है तथा इसके समुचित विकास हेतु योजनाबद्ध रूप से निम्न योजनाएं चलायी जा रही है।

बाबा सहाब डा0 भीमराव अम्बेडकर विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार योजना

यह योजना प्रदेश में वित्तीय वर्ष 1977–78 से निरन्तर संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उत्कृष्ट हस्तशिल्पयों को उच्च–कोटि की कलात्मक वस्तुओं के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना है इसी उद्देश्य से उनके द्वारा निर्मित कलाकृतियों को गुण दोष के आधार पर चयन कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष 10 विशिष्ट हस्तशिल्पियों को राज्य पुरस्कार तथा हस्तशिल्पियों में दक्ष 10 शिल्पियों को दक्षता पुरस्कार मा0 लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री जी के कर कमलो द्वारा प्रदान किये जाते हैं। राज्य पुरस्कार विजेताओं को रू0 20,000/– नकद, अंगवस्त्र, ताम्रपत्र तथा प्रमाण–पत्र एवं दक्षता पुरस्कार विजेताओं को रू0 10,000/– नकद एवं प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2009–10 तक 354 हस्तशिल्पियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इस योजनान्तर्गत 50 वर्ष से अधिक आयु वाले सम्मानित हस्तशिल्पियों को विशिष्ट शिल्पकारों के लिये पेंशन योजनान्तर्गत लाभान्वित कराया जाता है तथा पुरस्कृत हस्तशिल्पियों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रशिक्षण भी प्रदान करवाया जाता है। वर्ष 2010–11 के राज्य/दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कारों के चयन हेतु प्रदेश के मण्डलों से हस्तशिल्पियों की कलाकृतियॉ महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय, लखनऊ में एकत्र करायी गयी हैं जिसका चयन शीघ्र ही राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा सम्पन्न कराया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के सम्मानित हस्तशिल्पियों द्वारा बनायी जाने वाली उत्कृष्ट श्रेणी की कलाकृतियों को उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर में स्थापित हस्तशिल्प संग्राहलय में अपनी स्वेच्छा से प्रचार–प्रसार हेतु भी रखा जाता है।

अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह का मनाया जाना

यह योजना प्रदेश में वर्ष 1961–62 से निरन्तर संचालित है । प्रदेश के विभिन्न हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित वस्तुओं को लोकप्रियता में उत्तरोत्तर वृद्वि करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार देश एवं प्रदेश में एक साथ दिनांक 8 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तक अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह मनाया जाता है। इस अवसर पर हस्तशिल्प वस्तुओं की बिक्री पर विशेष छूट प्रदान की जाती है तथा प्रदर्शनी/गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है एवं जनपद के ख्याति प्राप्त अनुभवी शिल्पकारों की कार्यशालाओं का आयोजन भी कराया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये शासन से रू0 2.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिससे निम्न हस्तशिल्प बाहुल्य 28 जनपदों में अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजना कराया गया हैः– अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मथुरा, ललितपुर, बॉदा, फर्रूखाबाद, रामपुर, मैनपुरी, बाराबंकी, वाराणसी, आगरा, मुरादाबाद, सहारनपुर, झॉसी, लखनऊ, गोरखपुर, मिर्जापुर, बरेली, मेरठ, चित्रकूट, आजमगढ़, संतरविदास नगर(भदोही), बुलन्दशहर (खुर्जा), हमीरपुर, पीलीभीत, महोबा एवं बिजनौर।

अल्प संख्यक समुदाय के दस्तकारों की सहायता करने तथा हस्तकला उन्नयन से सम्बन्धित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की परियोजना अन्तर्गत सहायता योजना

समाज के अल्पसंख्यक समुदाय के दस्तकारों के उत्थान हेतु प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1984 से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अधीनस्थ सामान्य सुविधा केन्द्र (सी0एफ0सी0) तथा प्रशिक्षण उत्पादन–कम–प्रसार केन्द्र (टी0पी0ई0सी0) को स्थापना हेतु उ00प्र0 सरकार द्वारा रू0 38.88 लाख के अनुदान की स्वीकृति प्रदान कर योजना प्रारम्भ की गयी थी।

सामान्य सुविधा केन्द्र (सी0एफ0सी0) एवं प्रशिक्षण–कम–उत्पादन–कम–प्रसार केन्द्र (टी0पी0ई0सी0) द्वारा शिल्पियों के कार्यो को आधुनिक मशीनों/औजारों/उपकरणों के माध्यम से जनपद अलीगढ़ में गृह उद्योग के रूप में चल रहे ताला उद्योग के कारीगरों को ताला उद्योग के आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी कार्य दशा में सुधार लाने तथा उनसे सम्बन्धित अन्य उद्योगों आदि को बढ़ावा देने में सहायक सिद्व हुई है।

योजनान्तर्गत दो वर्षीय प्रशिक्षण–कार्यक्रम के माध्यम से निर्धन शिल्पकारों एवं उनके बच्चों को जिनकी शिक्षा कम से कम 8 पास हो को विभिन्न ट्रेडो जैसेः– फिटर कम वेल्डर तथा मशीनिष्ट में प्रारम्भिक वर्ष 1986 से वर्ष 2009 तक 786 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण हेतु चयनित किया गया जिसमें से 577 प्रशिक्षार्थी सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर इस उद्योग के आधुनिक तकनीकी के लाभ से लाभान्वित हुये हैं। योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों में से 80 प्रतिशत लाभार्थी विभिन्न उद्योग में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं अथवा स्वंय का उद्योग प्रारम्भ कर चुके हैं। योजना के सफल संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये रू0 7.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसे प्रधानाचार्य, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

जनपद रामपुर में हस्तशिल्प सामान्य सुविधा एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना योजना

जनपद रामपुर में महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र रामपुर की सूचना अनुसार जनपद में 6000 शिल्पी, जरीजरदोजी एवं 5000 शिल्पी पेंचवर्क में लगे हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र के उत्पाद स्थानीय तथा देश के अन्य राज्यों में ही बिकते हैं तथा समय समय पर लगने वाले व्यापार मेलों व प्रदर्शनियां भी इनके लिये विक्रय का अच्छा साधन है। कुछ गिने चुने लोगों द्वारा दिल्ली स्थित निर्यातकों के माध्यम से लगभग रू0 50.00 करोड़ का निर्यात यू0के0, यू0एस0ए0, जापान, सउदी अरब देशों को जरी व जरदोजी का निर्यात होता है।

दिनांक 30–7–2004 की हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की सहभागिता में एक दिवसीय सेमिनार रामपुर में आयोजित किया गया था। क्षेत्र के हस्तशिल्पियों के स्वंय सहायता समूह के सदस्यों द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प उत्पादों के विक्रेताओं एवं उद्यमियों आदि द्वारा जनपद के हस्तशिल्प की अन्तराष्ट्रीय बाजार में पहुॅच को बढ़ाने के लिये एवं इनके उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की मॉग उठाई गयी थी। इस प्रकार की कतिपय सुविधायें शिल्पियों द्वारा निजी निवेश से नहीं जुटाई जा सकती जो उत्पादों की गुणवत्ता के लिये आवश्यक है। अतः शिल्पकारों के तकनीकी ज्ञान व कला कौशल हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के साथ ही सामान्य सुविधा केन्द्र भी स्थापित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गई। जनपद रामपुर में हस्तशिल्प सामान्य सुविधा केन्द्र एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव के आलोक में शासन द्वारा रू0 567.12 लाख की योजना स्वीकृत की गई। जिसमें रू0 372.73 लाख भवन निर्माण के लिये निर्धारित था किन्तु कुर्सी क्षेत्रफल की दरें परिवर्तित होने के कारण निमार्ण कार्य की लागत परियोजना की निर्माण इकाई उ0प्र0 निर्माण निगम लि0 द्वारा रू0 430.40 लाख का संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, रू0 67.00 लाख यन्त्र सन्यत्रों की स्थापना के लिये तथा रू0 127.40 लाख आवर्ती व्यय मद् में निर्धारित है।

उक्त परियोजना के भवन का निर्माण कार्य परियोजना की निर्माण एजेन्सी उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है जिसे वर्ष 2005–06 में स्वीकृत रू0 100.00 लाख, वर्ष 2006–07 में रू0 100.00 लाख, वर्ष 2007–08 में रू0 100.00 लाख एवं 2008–09 में रू0 372.00 लाख निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त किया जा चुका है। सामान्य सुविधा एवं प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण पूर्ण लगभग पूर्ण है जिसमें शीघ्र ही प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कराते हुये यहॉ के शिल्पकारों को लाभान्वित कराया जायेगा जिससे वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाते हुये अन्तराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा मात्रा में पहुॅचाने के लिये आत्मनिर्भर हो सकेगें।

हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन हेतु डिजाइन वर्कशाप योजना

अ– हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना

हस्तशिल्प क्षेत्र के घरेलू उद्यम है जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कौशल का प्रशिक्षण जीवन शैली में स्वयमेव चलता रहता है। यह परम्परागत हस्तकला तेजी से बदले बाजार के अनुरूप सक्षम होना आवश्यक है जिसके लिये कौशल विकास व नई डिजाईनों के नये–नये आयाम स्थापित करने के लिये हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन हेतु डिजाइन वर्कशाप योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कराते हुये वर्ष 2007–08 से प्रदेश में संचालित करवायी गयी है। वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक प्रदेश के निम्न हस्तशिल्पी बाहुल्य जनपदों में वहॉ प्रचलित शिल्प के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा था वाराणसी (लकड़ी के खिलौने), आगरा (संगमरमर पच्चीकारी), मुरादाबाद (पीतल कला), लखनऊ (चिकन), झॉसी (पीतलकला), बरेली (बेंत–बॉस), गोरखपुर (टेराकोटा), बॉदा (सजर पत्थर), मथुरा (पेंटिग), आजमगढ (ब्लैक पाटरी), बुलन्दशहर (खुर्जा) (पाटरी), फिरोजाबाद (ग्लास आर्ट), फर्रूखाबाद (जरी जरदोजी), ललितपुर (पीतल कला), चित्रकूट (लकड़ी के खिलौने) जिससे वर्ष 2007–08 में 150, वर्ष 2008–09 में 150 तथा वर्ष 2009–10 में 150 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित कराया गया। किन्तु योजना को और अधिक प्रभावी/व्यापक बनाये जाने के उददेश्य से वर्ष 2010–11 में निम्न योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि रू0 09.00 लाख से निम्न जनपदों में वहॉ प्रचलित शिल्प में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कराते हुये 150 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराया गया :– वाराणसी (लकड़ी के खिलौने), आगरा (संगमरमर पच्चीकारी), मुरादाबाद (पीतल कला), झॉसी (पीतलकला), बरेली (बेंत–बॉस), गोरखपुर (टेराकोटा), बॉदा (सजर पत्थर), आजमगढ (ब्लैक पाटरी), फर्रूखाबाद (जरी जरदोजी), ललितपुर (पीतल कला), चित्रकूट (लकड़ी के खिलौने), बहराइच में (गेहूँ के ठण्डल की कला), महोबा (पत्थर पर नक्काशी), कानपुर नगर (पंजादरी), इटावा (वीड्स)

इस योजनान्तर्गत प्रशिक्षक को मानदेय के रूप में रू0 4,000/– मासिक मानदेय एवं रू0 1,000/– कच्चेमाल हेतु प्रदान किया जाता है तथा प्रशिक्षार्थियों को रू0 500/– मासिक मानदेय के रूप में प्रदान किया जाता है। यह प्रशिक्षण भारत सरकार के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार व दक्षता पुरस्कार प्राप्त शिल्पकारों तथा विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा शिल्पगुरू की उपाधि से अलंकृत शिल्पकारों के घरों पर उन्हीं के व्यक्तिगत निर्देशन व संरक्षण में संचालित कराया जाता है। एक बैच में 10 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 माह का होता है। प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षार्थियों द्वारा स्वरोजगार स्थापित करते हुये अपने जीवन स्तर को ऊॅचा उठाया जा रहा है।

सहयोगी व्यपारियों के अधीन डिजाइन विकास हेतु प्रशिक्षण योजना

सामान्यतः बिचौलिया कहकर उन व्यापारियों को शिल्पकारों के शोषक के रूप में सन्दर्भित किया जाता है किन्तु ऐसे व्यापारियों द्वारा शिल्पकार को आवश्यक कच्चामाल, आवश्यकतानुरूप डिजाइन देकर बाजार की मॉग के दृष्टिगत उत्पाद बनवाकर खरीद लिया जाता है। यह सही है कि व्यापारी केवल मजदूरी भर पाता है किन्तु यदि ऐसे सहयोगी व्यापारी न हो तो शिल्पकारों को काम न मिल पायेगा एवं वे कहीं बद्तर स्थिति में जीवनयापन को मजबूर होगे इसी को दृष्टिगत रखते हुये इस योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कराते हुये वर्ष 2007–08 से प्रदेश में संचालित कराया गया है। वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक प्रदेश के निम्न हस्तशिल्पी बाहुल्य जनपदों में वहॉ प्रचलित शिल्प के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा था वाराणसी (साड़ी टेक्सटाईल, गिफ्ट आईटम), आगरा (फुटवियर, पत्थर की मूर्तियॉ, रेशमजरी), मुरादाबाद (मेटल हस्तशिल्प), लखनऊ (जरी जरदोजी, चिकन), सहारनपुर (वुड कार्विंग, वुड क्राफ्ट), झॉसी (हैण्डलूम टेक्सटाईल), बरेली (जरी जरदोजी), मथुरा (साड़ी प्रिटिंग), बुलन्दशहर (खुर्जा) (सिरेमिक्स कला), फिरोजाबाद (ग्लास आर्ट), फर्रूखाबाद (जरी जरदोजी), ललितपुर(पीतल क्राफ्ट), बिजनौर (वुड कार्विंग), अलीगढ (मेट्ल आर्ट), मिर्जापुर (कारपेट ड्रगेट), मेरठ (जेम ज्वैलरी), सन्तरविदास नगर (भदोही) (कारपेट ड्रगेट), मैनपुरी (तारकशी), रामपुर (पैचवर्क जरी) में संचालित कराते हुये वर्ष 2007–08 में 240, वर्ष 2008–09 में 240 तथा वर्ष 2009–10 में 240 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित कराया गया किन्तु योजना को और अधिक प्रभावी/व्यापक बनाये जाने के उददेश्य से वर्ष 2010–11 में योजनान्तर्गत स्वीकृत रू0 33.00 लाख से निम्न 22 जनपदों में वहॉ प्रचलित शिल्प में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कराते हुये 220 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित कराया गया :– आगरा (पत्थर की मूर्तियॉ), मुरादाबाद (मेटल हस्तशिल्प), लखनऊ (बोन कार्विंग), झॉसी (हैण्डलूम टेक्सटाईल), बरेली (जरी जरदोजी), मथुरा (साड़ी प्रिटिंग), आजमगढ़ (बनारसी साड़ी) फिरोजाबाद (ग्लास आर्ट), ललितपुर(हैण्डलूम

टेक्सटाईल), बिजनौर–नगीना (वुड कार्विंग), अलीगढ (मेट्ल आर्ट), मिर्जापुर (कारपेट ड्रगेट), मेरठ (कलात्मक कैंची), मैनपुरी (तारकशी), रामपुर (पैचवर्क जरी), इलाहाबाद (जूट हस्तशिल्प), गाजीपुर (जूट वाल हैंगिंग), गोण्डा (बॉस–बेंत), जालौन (कालीन), पीलीभीत (जरी जोब), गाजियाबाद (ब्लाक मेकिंग), श्रावस्ती (थारू इम्ब्राइडरी)

योजनान्तर्गत सहयोगी व्यापारी को रू0 2000/– प्रति प्रशिक्षार्थी का मुआवजा एवं प्रशिक्षार्थी को रू0 500/– का मासिक स्टाईपेण्ड देकर 6 माह की अवधि के डिजाइन विकास हेतु प्रशिक्षण केन्द्र संचालित कराया जाता है जिसके लिये वार्षिक वित्तीय आवश्यकता व लाभग्रहीताओं की स्थिति निम्न प्रकार होगी। प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर 10 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थियों द्वारा स्वंय का रोजगार स्थापित किया जा रहा है या पहले से स्थापित हस्तशिल्प व्यापार में बढ़ोत्तरी करते हुये अपना आर्थिक एवं सामाजिक स्तर ऊँचा उठाया जा रहा है।

निर्यात बाजार हेतु डिजाइन वर्कशाप

यद्यपि कि देश में प्रदेश से कुल निर्यात में हस्तशिल्प क्षेत्र की सहभागिता 70 प्रतिशत से अधिक रही है किन्तु प्रायः सभी उत्पाद परम्परागत डिजाइनों तक सीमित एवं उन पर आधारित हैं जिन्हें निरन्तर विकसित हो रही मॉग के अनुरूप बनाये जाने की आवश्यकता को दृष्टि रखते हुये 11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत योजना को स्वीकृत कराते हुये वर्ष 2007–08 से संचालित करायी गयी। वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक प्रदेश के निम्न हस्तशिल्पी बाहुल्य जनपदों में वहॉ प्रचलित शिल्प के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा था वाराणसी (वीड्स), आगरा (फुटवियर), मुरादाबाद(पीतल), लखनऊ (जरी जरदोजी), बुलन्दशहर (खुर्जा) (पाटरी), फिरोजाबाद (ग्लास), रामपुर(जरी जरदोजी,पैचवर्क) मुरादाबाद (पीतल क्राफ्ट), लखनऊ (चिकन वर्क), सहारनपुर (वुड् क्राफ्ट), मिर्जापुर (कालीन), सन्तरविदास नगर (भदोही)(कालीन) जिसके अर्न्तगत वर्ष 2007–08 में 240, वर्ष 2008–09 में 240 तथा वर्ष 2009–10 में 240 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, किन्तु योजना को और अधिक प्रभावी/व्यापक बनाये जाने के उददेश्य से वर्ष 2010–11 में स्वीकृत धनराशि रू0 18.00 लाख से निम्न जनपदों में जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से वहॉ प्रचलित शिल्प में भी डिजाइन वर्कशाप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कराते हुये 240 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित कराया गयाः– वाराणसी (वीड्स), आगरा (फुटवियर), मुरादाबाद(पीतल क्राफ्ट), झॉसी (पीतल कला), बुलन्दशहर (खुर्जा) (पाटरी), ललितपुर (साड़ी टेक्सटाइल), गाजियाबाद (वुड कार्विंग) तथा मैपडाईटेक्स, कानपुर संस्था द्वारा कानपुर नगर (लेदर फुटवियर), लखनऊ (चिकन वर्क), मिर्जापुर (कालीन), सन्तरविदास नगर–भदोही (कालीन), कन्नौज (जरी जरदोजी)।

योजनान्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डिजाइनर्स को हस्तशिल्प निर्यात सम्बर्द्धन परिषद, नई दिल्ली के माध्यम से आमन्त्रित किया जाता है एवं आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम तैयार कराकर वर्कशाप कराये जाते हैं। प्रत्येक वर्कशाप में 20 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जिन्हें वर्तमान में निर्यातक अपने कार्यशाला में ही प्रशिक्षित करके उनसे काम लेते हैं।

प्रदेश के विशिष्टि शिल्पकारों के लिये पेंशन योजना

प्रदेश में शिल्पियों की बाहुल्यता एवं उनकी कार्यकुशलता के कारण ही कलाकृतियों का विदेशों में ख्याति के साथ ही निर्यात भी दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है परन्तु दस्तकार अपनी आर्थिक अक्षमता के कारण दिन–प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य एवं बढ़ती आयु के कारण दस्तकारी कार्य के साथ साथ शारीरिक रूप से भी शिथिल हो जाते हैं और वे जीवकोपार्जन के योग्य नहीं रह जाते हैं। इनमें कई ऐसे हस्तशिल्पी भी हैं जिन्हें केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न पुरस्कारों एवं उपाद्यियों से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार के दस्तकारों की कला के प्रति समर्पित भावना एवं प्रदेश के गौरव को बढ़ाने में दिये गये योगदान को दृष्टिगत रखते हुये 11वीं पंचवर्षीया योजनान्तर्गत विशिष्टि शिल्पकारों के लिये पेंशन योजना को स्वीकृत कराते हुये वर्ष 2007–08 से प्रदेश में प्रभावी बनाया गया है। यह योजना पूरे प्रदेश में लागू है। इसमें प्रत्येक हस्तशिल्पी को रू0 1000/– प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता है।

योजनान्तर्गत राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार / राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार एवं शिल्प गुरू पुरस्कार पाने वाले प्रदेश के ऐसे विशिष्ट हस्तशिल्पी जिनकी आयु कम से कम 50 की होनी चाहिए, अधिकतम आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है अर्थात चयनोपरान्त शेष जीवनकाल तक इस पेंशन हेतु वे अधिकृत होते हैं। शारीरिक (Physically तथा visualy) रूप से विकलांग शिल्पकार/दस्तकार होने की स्थिति में न्यूनतम आयु सीमा में दस वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। जिसके लिये मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र देय होता है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में 60 विशिष्ट हस्तशिल्पियों के लिये रू0 06.00 लाख 2008–09 में 105 विशिष्ट शिल्पकारों के लिये रू0 12.60 लाख तथा 2009–10 में 105 विशिष्ट हस्तशिल्पियों के लिये 12. 60 लाख एवं 2010–11 में रू0 15.60 लाख की धनराशि से 130 विशिष्ट हस्तशिल्पियों को पेंशन वितरण कर लाभान्वित किया गया है। जो कि निम्न जनपदों के हैः– मुरादाबाद, रामपुर, फर्रूखाबाद, वाराणसी, संतरविदास नगर भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, लखनऊ, बरेली, सहारनपुर, आगरा, झॉसी, ललितपुर, चित्रकूट, गोरखपुर, आजमगढ़, इटावा, गाजियाबाद, श्रावस्ती । योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाले विशिष्ट शिल्पकारों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर ऊॅचा उठने के साथ–साथ उनका अपने शिल्प कार्य के प्रति अत्याधिक रूझान बढ़ने लगा है।

गढ़मुक्तेश्वर (गाजियाबाद) के मूढ़ा हस्तशिल्प का तकनीकी उन्नयन एवं सामान्य सुविधा केन्द्र

यह योजना गढ़मुक्तेश्वर (गाजियाबाद) के मूढ़ा हस्तशिल्प का तकनीकी उन्नयन एवं सामान्य सुविधा केन्द्र के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के दस्तकारों की सहायता हेतु प्रदेश शासन की स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में 11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत शासन से स्वीकृत करायी गयी है जो कि वर्ष 2007–08 से संचालित है। प्रशिक्षण केन्द्र किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है जिसमें हस्तशिल्पियों के लिये कच्चेमाल की उपलब्धता, डिजाइन डवलपमेन्ट का प्रशिक्षण एवं बेहतर टूल्स एवं तकनीकी सुविधा उपलब्ध करायी जाती है जिससे इन दस्तकारों को अपने उत्पाद के लिये अधिक उचित मूल्य प्राप्त होता है। प्रशिक्षण केन्द्र में 50 प्रशिक्षार्थियों को प्रति बैच में दो माह का प्रशिक्षण दिया जाता है प्रति वर्ष इस प्रकार के पॉच बैच संचालित किये जाते हैं प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में रू0 500/– प्रति प्रशिक्षार्थी मानदेय दिया जाता है। उक्त प्रशिक्षण के दौरान द्वितीय माह में एक विकसित टूल किट जिसकी अनुमानित लागत रू0 1,000/– प्रति लाभार्थी उपलब्ध करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये शासन से स्वीकृत धनराशि रू0 33.00 लाख के सापेक्ष 250 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

योजनान्तर्गत प्रशिक्षित हुये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षार्थियों को द्वारा या तो अपना स्वंय का शिल्प स्थापित किया गया है या उनके द्वारा पूर्व में स्थापित शिल्पकला को उत्कृष्ट श्रेणी से बनाकर पूर्व में प्राप्त हो रही आय में बढ़ोत्तरी की गयी है जिससे उनके आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में वृद्वि हुयी है।

हस्तशिल्पी पहचान पत्र योजना।

प्रदेश से अन्य देशों को होने वाले निर्यात में 70 प्रतिशत हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित शिल्पकला की वस्तुओं का निर्यात होता है। प्रदेश में अनुमानतः 25 लाख हस्तशिल्पी अपने शिल्प कला से प्रदेश का गौरव बढ़ाये हुये हैं किन्तु प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाले हुनरमंद कई ऐसे भी हस्तशिल्पी हैं जो कार्य तो हस्तशिल्पी का करते हैं परन्तु कम शिक्षा अर्जित कर पाने के कारण अपनी हस्तशिल्पी होने की पहचान प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं जिसके लिये विकास आयुक्त हस्तशिल्प, भारत सरकार द्वारा पिछले कई वर्षो से हस्तशिल्पी पहचान पत्र बनवाने की योजना प्रदेश के निम्न जनपदों आगरा, बाराबंकी, सहारनपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, में विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र/सेवा केन्द्र खोलेते हुये संचालित करायी जा रही है किन्तु कहीं कहीं के हस्तशिल्पियों को उक्त सेवा केन्द्रों में पहुॅचने में होने वाली असुविधा को दृष्टिगत रखते हुये तथा इस योजना को और अधिक व्यापक / प्रभावी बनाने के लिये उद्योग विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा मैपडाईटैक्स, संस्था, उद्योग निदेशालय परिसर द्वितीय तल, कानपुर को भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय (हस्तशिल्प) कार्यालय, नई दिल्ली से अनुमोदित कराते हुये मुख्यालय पर ही यह सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इस सम्बन्ध में जनपदों के जिला उद्योग केन्द्रों के महा प्रबन्धकों को भी लक्ष्यों के साथ निर्देश निर्गत किये गये हैं कि वे अपने अपने जनपदों के हस्तशिल्पियों की पहचान करते हुये कैम्प आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हुये ज्यादा से ज्यादा हस्तशिल्पी पहचान पत्र निर्गत कराये। अभी तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निवास करने वाले हस्तशिल्पियों के लगभग 25 हजार से भी ज्यादा हस्तशिल्पी पहचान पत्र बनाये जा चुके हैं। हस्तशिल्पी फोटो पहचान पत्र बन जाने के बाद हस्तशिल्पी भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित करायी जा रही विभिन्न योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराये जाते हैं।

हस्तशिल्पी क्रेडिट कार्ड योजना

प्रदेश के हस्तशिल्पी अपने शिल्प कार्य से ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ये अपने छोटे से शिल्पकार्य से इतनी पूँजी नहीं जुट पाते हैं कि वे अपने शिल्पकार्य में अपनी बचत की धनराशि निवेश कर सकें। प्रदेश के कई शिल्पकारों के शिल्प आर्थिक मदद के अभाव में बन्द से हो रहे थे ऐसे इनके सम्मुख उत्पन्न हो रहे आर्थिक संकट को दृष्टिगत रखते हुये विकास आयुक्त हस्तशिल्प, भारत सरकार के माध्यम से आर्टीजन क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत बैंकों से अधिकतम रू0 2,00,000/– तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे ये शिल्पकार अपने अपने शिल्पकार्य को और अधिक बढ़ाते हुये अपने परिवार का पालन पोषण सुचारू रूप से सम्पन्न करते हुये अपने आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को ऊँचा उठा पा रहे हैं। वित्तीयी वर्ष 2010–11 के लिये प्रदेश के हस्तशिल्पियों के लिये 58000 हजार का लक्ष्य जिलेवार निर्धारित किया गया है। जिसके सम्बन्ध में निदेशक संस्थागत वित्त, 16–विधान सभा मार्ग, लखनऊ द्वारा प्रदेश के समस्त अग्रणी बैंको के आंचलिक प्रबन्धक को भी निर्देश निर्गत किये गये हैं। योजना का लाभ प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा हस्तशिल्पियों तक पहुॅचाये जाने के लिये प्रदेश के समस्त जिला उद्योग केन्द्र के महा प्रबन्धकों तथा परिक्षेत्रीय कार्यालयों को भी निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

हस्तशिल्प क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिये हस्तशिल्पियो को राष्ट्रीय पुरस्कार योजना।

यह योजना विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रदेश के हस्तशिल्पियों को समाज में एक उत्कृष्ट श्रेणी का सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित करायी जा रही है। इस योजनान्तर्गत सिद्वहस्तशिल्पियों को शिल्पकारिता में उत्कृष्टा बनाये रखने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र से पुस्कृत हेतु आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय कमेटी के द्वारा चयनित किया जाता है जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय पुरस्कार चयनित हस्तशिल्पी को रू0 1.00 लाख तथा राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र से पुरस्कृत हस्तशिल्पी को रू0 50,000/– की धनराशि प्रदान की जाती है।

✷✷✷

१५-काँच एवं पाटरी उद्योग

परिचय–

प्रदेश में निर्यातोन्मुखी पाट्री उद्योगों के गुणात्मक तकनीकी तथा उत्पादकता से जुड़े आधुनिकीकरण गुणवत्ता में नवीनता तथा नये उत्पादों हेतु प्रशिक्षाथियों को प्रशिक्षण आदि क्रियाकलापों हेतु यह योजना वर्ष 1981–82 से संचलित है। इस संस्थान के वार्षिक व्ययों का 50 प्रतिशत अंश केन्द्रांश तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में वहन किया जाता है, जिसका निर्णय उत्तर प्रदेश शासन एवं सी0जी0सी0आर0आई / सी0एम0आर0आई0 के उच्चाधिकारियों के मध्य वर्ष 1997 से निर्णीत है।

वित्तीय वर्ष 2008–09 की भौतिक प्रगति

वित्तीय वर्ष 2008–09 में 20 इकाइयों के निर्मित उत्पादों का परीक्षण कर रू0 80 हजार शुल्क प्राप्त किया गया। 50 इकाइयों के कच्चे माल का रसायनिक परीक्षण किया गया। 5 उद्यमियों को केरल के कलस्टर का भ्रमण कराया गया, 7 इकाइयों के उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार कराया गया। ग्लास, बीड्स मेकिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 प्रशिक्षाथियों को प्रशिक्षित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2009–10 की भौतिक प्रगति

संस्थान द्वारा रू0 5.00 लाख शुल्क में प्राप्त किया गया। संस्थान द्वारा दो सौ इकाईयों की भट्ठियों (फर्नेश) में पर्यायवरण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए संशोधन कराये गये। 10 सिरामिक तथा 6 ब्लेज वाडी का विकास किया गया। 25 इकाईयों द्वारा उत्पादों में प्रयुक्त कच्चे माल के वेस्ट मेरी माइजेशन की तकनीकी उपलब्ध कराई गयी। उक्त के अतिरिक्त ग्लास बीड्स ज्वैलरी, मेकिंग से सम्बन्धित सेमिनार एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 80 प्रशिक्षार्थी लाभान्वित हुए।

वित्तीय वर्ष 2010–11 की भौतिक प्रगति –

वित्तीय वर्ष 2010–11 माह दिसम्बर 2010 तक 30 इकाईयों के निर्मित उत्पादनों का परीक्षण कर तथा 80 इकाईयों का कच्चे माल का रासायनिक परीक्षण कर शुल्क के रूप में लगभग 10.00 लाख प्राप्त किये गये। 15 उद्यमियों को दक्षिण भारत में क्रियान्वित पाट्री क्लस्टरों का भ्रमण कराया गया। ग्लास, बीड्स एवं ज्वैलरी मेकिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। जिनमें 100 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

✷✷✷

१६–चर्म उद्योग

चर्म उद्योग उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख निर्यातमूलक उद्योग है, जिसका प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। कच्ची खालों के संग्रहण से लेकर उत्पादों के निर्माण से सम्बन्धित आधुनिक इकाइयों तक इस उद्योग में लगभग 5 लाख लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें अधिकतर कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं। प्रदेश में लघु सेक्टर एवं मध्यम/वृहद सेक्टर में पंजीकृत इकाइयों की संख्या/पूँजी निवेश एवं रोजगार की स्थिति निम्न प्रकार है :–

कमांक	मद	इकाइयॉ	निवेश (लाख रू0 में)	रोजगार की संख्या
01	लघु इकाइयां	23673	424.26	111098
02	मध्यम एवं वृहद इकाइयॉ	30	56.93	7,314
	योग–	23703	481.19	118412

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2009–10 में चर्म, चर्म उत्पादों व फुटवियर उत्पादों का निर्यात रू0 4393.45 करोड़ का हुआ है, जो कि भारत से हुए चर्म, चर्म उत्पादों व फुटवियर उत्पादों के कुल निर्यात का 27.23 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश से हुए चर्म, चर्म उत्पादों व फुटवियर उत्पादों के पिछले 03 वर्ष में हुए निर्यात की स्थिति निम्नानुसार है :–

वर्ष	निर्यात (रू0 करोड़ में)
2007–08	4,374.33
2008–09	4561.62
2009–10	4393.45

उद्योग निदेशालय के व्दारा प्रदेश में चर्म उद्योग के विकास/आधुनिकीकरण एवं निर्यात प्रोत्साहन हेतु चर्म तथा चर्म उत्पादों के विकास से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित कर विकास कार्यक्रमों को सुनियोजित एवं सुचारू रूप से क्रियान्वयन में केन्द्रीय भूमिका के रूप में निर्वाहन किया जाता है। उद्योग निदेशालय व्दारा चलाये गये प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है :–

1–कानपुर में केन्द्रीय चर्म अनुसन्धान संस्थान, चेन्नई के क्षेत्रीय प्रसार केन्द्र की स्थापना :–

केन्द्रीय चर्म अनुसन्धान संस्थान (सी0एल0आर0आई0) चेन्नई, वैज्ञानिक एवं अनुसन्धान परिषद का एक संगठन (प्रयोगशाला) है। यह चमड़ा तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसन्धान के क्षेत्र में विश्व का एक प्रमुख संस्थान है और भारतीय चमड़ा उद्योग के लिए तकनीकी सुविधाएं जैसे– ट्रेनिंग, परीक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, आधुनिकीकरण एवं अन्य विविध तकनीकियों को उपलब्ध कराता है। संस्थान की गतिविधियों को प्रदेश में चलाये जाने तथा प्रदेश के चर्म उद्यमियों को सहायता प्राप्त कराने हेतु, उत्तर प्रदेश सरकार व्दारा प्रसार केन्द्र के लिए भूमि एवं भवन को उपलब्ध कराते हुए जाजमऊ , कानपुर में प्रसार केन्द्र की स्थापना की गई है। 30 सितम्बर, 2003 को इस भवन में सी0एल0आर0आई0 का प्रसार केन्द्र पूर्ण रूप से स्थानान्तरित हो चुका है। यू0एन0डी0पी0 और भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कई तकनीकी सुविधाएं इस केन्द्र व्दारा प्रदान की जा रहीं हैं, जिनमें प्रमुख सुविधाएं निम्न प्रकार हैं :–

1– चर्म तथा चर्म प्रसंस्करण में प्रयुक्त विभिन्न रसायनों की परीक्षण सुविधा।

2– चर्म प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में तकनीकी परामर्श की सुविधा।

3– पर्यावरण की सुरक्षा से सम्बन्धित परामर्श।

4– सेडलरी में प्रशिक्षण सुविधा।

5– हार्नेस लेदर की गुणवत्ता उन्नयन हेतु कार्यक्रम।

6– फुटवियर में कम्प्यूटर एडेड डिजायन सुविधा।

7– प्रतिबन्धित एकाइल अमीन डाइज तथा पी0सी0सी0 के परीक्षण की सुविधा।

8– विश्वबैंक की सहायता से सामूहिक सुविधा केन्द्र की स्थापना।

9– ह्यूमेन रिसोर्स डेवलेपमेण्ट (एच0आर0डी0) व ग्लोबल बेंच मार्किंग (जी0बी0एम0) के कार्यक्रम भी इस संस्थान व्दारा सम्पादित कराये जा रहे है।

01 अप्रैल,2009 से 31 मार्च,2010 तक सी0एल0आर0आई0,कानपुर के उक्त केन्द्र,द्वारा किये गये कार्य निम्नानुसार हैः–

1. चर्म एवं चर्म रसायनों का परीक्षण किया गया–102 सैम्पल्स
2. चर्म,फुटवियर एवं चर्म उत्पादों पर तकनीकी राय व्यक्त की गयी–376 सैम्पल्स।
3. चर्म के निर्यात हेतु चर्म असिसमेन्ट कमेटी द्वारा प्रमाणपत्र जारी किये गये–2123 सैम्पल्स।।
4. चर्म प्रौद्योगिकी एवं उत्पाद विकास के प्रशिक्षण हेतु केन्द्रीय चर्म अनुसन्धान संस्थान, चैन्नई के लिये अभ्यर्थियों का चुनाव किया गया।
5. जाजमऊ, बंथर–चर्म काम्पलेक्स एवं उन्नाव के टेनर्स एवं टेनरी में कार्यरत व्यक्तियों की समस्याओं को हल किया गया और उनका समुचित मार्गदर्शन किया गया।
6. आई0डी0एल0एस0 में नामाँकन हेतु प्रार्थनापत्रों को अग्रसारित किया गया।(चर्म शोधनालय आधुनिकीकरण योजना)
7. एच0बी0टी0आई0 कानपुर के छात्रों का प्रोजेक्ट कार्य हेतु मार्गदर्शन किया गया एवं उनकी प्रयोगात्मक परीक्षायें ली गयी।
8. विभिन्न अवसरों पर सेमिनार एवं कार्यशालायें आयोजित की गयी एवं टैनरों को सी0एल0आर0आई0 चैन्नई में हो रहे विकास योजनाओं की जानकारी दी गयी।
9. सी0एस0आई0आर0 की ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत पशु–शवों का उत्तम उपयोग हेतु एफ0सी0यू0 सेन्टर/समिति लि0, गॉधी नगर, हण्ड्डीगंज, बाराबंकी,(उ0प्र0) को तकनीकी सहायता दी गयी।
10. लेदर प्रोसेसिंग एवं केमिकल एनालिसिस में अभ्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।
11. सी0ओ0आई0एन0डी0एस0: सी0पी0सी0बी0 नई दिल्ली के लिये

2– कानपुर (उन्नाव) में चर्म औद्योगिक पार्क/काम्लेक्स की स्थापना :–

कानपुर उन्नाव राजमार्ग पर जाजमऊ के समीप उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम(यू0पी0एस0आई0डी0सी0) द्वारा एक लेदर टेक्नोलोजी पार्क/काम्पलेक्स आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है, जिसके अन्तर्गत 232.74 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है। उक्त के अन्तर्गत 69.75 एकड़ भूमि पर 62 प्लाट टेनरी इकाईयों हेतु एवं 47.05 एकड़ भूमि पर 86 प्लाट लेदर गुडस इकाईयों हेतु काटें गये है, 30.09 एकड़ भूमि संयुक्त उत्प्रवाह शोधन संयत्र (सी0ई0टी0पी0) हेतु आरक्षित की गयी है। शेष भूमि सी0एफ0सी0,सबस्टेशन, ग्रीन बैल्ट एवं रोड आदि हेतु रखी गयी है। 35.4 एकड़ भूमि पर लघु उद्यमियों हेतु आई0आई0डी0सी0 विकसित किया गया है, जिसके अन्तर्गत 200 व 300 वर्गमीटर के प्लाट बनायें गये है। वर्तमान में 202 प्लाट टैनरी, लेदर गुडस, एवं आई0आई0डी0सी0 सेक्टर के उद्यमियों को आवंटित किये जा चुके है, जिनमें से 24 आवंटियों ने अपना उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है एवं 43 आवंटियों द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है।

लेदर काम्पलेक्स में प्रस्तावित सेन्ट्रल एफ्लुएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना तथा हैजाडर्स वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु टैनर्स एशोसियेशन द्वारा एक पृथक कम्पनी बंथर इण्डस्ट्रियल पाल्यूशन कन्ट्रोल कम्पनी लि0(बी0आई0पी0सी0सी0एल) का गठन किया गया है। लेदर काम्पलेक्स में 4.5 एम0एल0डी0 क्षमता का सेन्ट्रल एफ्लुएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित किया गया है, जिसकी कुल लागत रू0 632.55 लाख है जिसमें रू0 299.00

लाख सी0आई0बी0/एसाइड योजना अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया है।शेष रू0 333.55 लाख की व्यवस्था बंथर इण्डस्ट्रियल पाल्यूशन कन्ट्रोल कम्पनी लि0(बी0आई0पी0सी0सी0एल) द्वारा की गयी है। वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

3– प्रदूषण नियन्त्रण एवं पर्यावरण सुरक्षा :–

जाजमऊ कानपुर के चर्म उद्योग से निकलने वाले उत्प्रवाह के शोधन हेतु इण्डो डच कार्यक्रम के अन्तर्गत 36 एम0एल0डी का कामन एफ्लुएण्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट(सी0ई0टी0पी0) रू0 22.00 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य तीन चरणों में कमीशन कर चालू किया गया था। योजना की लागत का 65 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार द्वारा तथा शेष 35 प्रतिशत के सापेक्ष 17.5 प्रतिशत अंशदान उत्तर प्रदेश शासन तथा अवशेष 17. 5 प्रतिशत अंशदान चर्म उद्योग इकाईयों द्वारा वहन किया गया है। इस सयन्त्र में 9 एम0एल0डी टैनरी से निकलने वाले उत्प्रवाह में 27 एम0एल0डी धरेलू उत्प्रवाह मिला कर शोधित किया जा रहा है। इस संयंत्र के संचालन एवं रख–रखाव का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम तथा गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई द्वारा किया जा रहा है।

उन्नाव लेदर काम्प्लेक्स क्षेत्र में स्थित 20 टैनिंग इकाईयों द्वारा एक कम्पनी बना कर कामन एफ्लुएण्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट(सी0ई0टी0पी0) की स्थापना वर्ल्ड बैक/भारत सरकार की योजनान्तर्गत की गई है, जिसमें परियोजना लागत का 25 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान व 25 प्रतिशत राजकीय अनुदान है। शेष 50 प्रतिशत आई0डी0बी0आई से साफ्ट लोन एवं टैनरी इकाइयों द्वारा सहयोग कर किया गया है।

4– चर्म निर्यात परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना :–

चर्म निर्यात परिषद(सी0एल0ई) वार्णिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रयोजित एक परिषद है।चर्म निर्यात परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना हेतु उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 व्दारा एच0बी0टी0आई0, कानपुर परिसर में भूमि–भवन की व्यवस्था कराई गई है, जहॉ पर परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय 01 जुलाई, 2005 में स्थानान्तरित हो चुका है, पूर्व में उक्त क्षेत्रीय कार्यालय सिविल लाइन्स, कानपुर में किराए के भवन में कार्यरत था। इस क्षेत्रीय कार्यालय व्दारा क्षेत्रीय चर्म निर्यातकों को ग्लोबल ट्रेन्ड की अद्यतन जानकारी, अन्तर्राष्ट्रीय चर्म/चर्म उत्पाद के मेलों में भाग लेने हेतु मार्ग–दर्शन/सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, साथ ही चर्म/चर्म उत्पादों के निर्यात विषयक महत्वपूर्ण सूचना सामग्री संकलित कर उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में 350 चर्म/चर्म उत्पाद निर्यातक इकाईयॅा चर्म निर्यात परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर की सदस्य है।

5–चमड़ा क्षेत्र की एकीकृत विकास योजना (इन्टीग्रेटेड डेवलेपमेन्ट आफ लेदर सेक्टर स्कीम):–

चमड़ा क्षेत्र की आवश्यकताओं के मूल्यांकन के आधार पर चमड़ा उद्योग के सभी भागों नामतः टैनरीज़, फुटवियर, फुटवियर संघटकों, जीन साजी, चमड़ा वस्तुओं और परिधानों में रूपया 290 करोड़ के परिव्यय से आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन की एक व्यापक योजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। '' चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास ''(आई0डी0एल0एस0) शीर्षक से इस योजना को दसवीं योजना अवधि (2002–07) के दौरान कार्यान्वित किया गया। यह योजना 03 नवम्बर 2005 को लागू की गई थी।

इस योजना को दो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है, जिसमें से एक टैनरी के लिये सी0एल0आर0आई0, चेन्नई में और अन्य चमड़ा वस्तुओं तथा परिधानों, जीन साजी, चमड़ा फुटवियर और चमड़ा संघटकों के लिये एफ0डी0डी0आई0 नोएडा में हैं। इस योजना के लिये सिडबी नोडल एजेन्सी निर्धारित की गई है। इस योजना हेतु चर्म निर्यात परिषद (सी0एल0ई0) को फैसिलिटेटिंग एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है, जिसके अन्तर्गत सी0एल0ई0 के सभी कार्यालय इस योजनान्तर्गत आवेदन पत्रों को प्राप्त करेगें व प्रारम्भिक जॉच कर सी0एल0आर0आई0/एफ0डी0डी0आई0 को प्रेषित करेंगे साथ ही आवेदन पत्रों पर हुई कार्यवाही की सूचना भी प्राप्त करेंगे।

✷✷✷

१७-महिला उद्यमी प्रकोष्ठ

महिलाओं में जागृति लाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जाये तथा इसके लिए उन्हें आवश्यक सुविधायें एवं अधिकार दिए जायें। इसके साथ ही उनमें चेतना जागृत की जाये तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुये स्व रोजगार की ओर प्रेरित किया जाये। इसी उद्देश्य से महिला उद्यमी प्रकोष्ठ का गठन अप्रैल 1990 में किया गया है तथा प्रत्येक जिला उद्योग केंद्र में महिला उद्यमी प्रकोष्ठ की स्थापना की जा चुकी है जिसके उद्देश्य एवं कार्य निम्नवत हैः–

1. महिलाओं को स्वरोजगार विशेष कर उद्योगों में प्रोत्साहन देना।
2. उद्योग स्थापना हेतु आवश्यक सुविधायें जैसे वित्तीय सहायता, भूमि/भवन की सहायता तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तु के विपणन में सहायता देना।
3. उद्योग स्थापना हेतु विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही सुविधाओं को विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके महिला उद्यमी को उपलब्ध कराना।
4. महिला उद्यमी प्रकोष्ठ उपरोक्त उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति एवं कियान्वयन प्रदेश के समस्त महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र द्वारा जनपद स्तर पर स्थापित महिला उद्यमी प्रकोष्ठ के माध्यम से किया जाता है। लाभान्वित महिला उद्यमियों से संबंधित समस्त विवरण एवं जानकारी संबंधित जनपद के महाप्रबन्धक से प्राप्त की जाती है।

लाभान्वित महिलाओं का वर्षवार विवरण

क्रम संख्या	वर्ष	पी0एम0आर0वाई0 योजना में लाभान्वित महिलाओं की संख्या	ई0डी0पी0 योजना में लाभान्वित महिलाओं की संख्या	पी0एम0ई0जी0पी0 योजना में लाभान्वित महिलाओं की संख्या
1.	2003–04	3912	3202	–
2.	2004–05	3954	2037	–
3.	2005–06	2840	2598	–
4.	2006–07	4601	3284	–
5.	2007–08	5053	2285	–
6.	2008–09	169	780	94
7.	2009–10	–	25	359
8.	2010–11	–	–	76

***

१८-एसाइड योजना

प्रदेश में निर्यात संवर्धन हेतु शासनादेश संख्या 2798/18–4–10–9(सी.आई.बी)/01 दिनांक 18.08.2010 द्वारा भारत सरकार की एसाइड योजना हेतु उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. के स्थान पर निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश को एसाइड योजना की नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश एसाइड योजना के नोडल अधिकारी नामित है। भारत सरकार द्वारा एसाइड योजना की नोडल एजेन्सी निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश को एसाइड योजना की धनराशि सीधे निर्गत की जाती है। एसाइड योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति (एस.एल.ई.पी.सी.) गठित है। इस राज्य स्तरीय समिति के द्वारा प्रदेश में निर्यात संर्वधन हेतु ढांचा गत सुविधाओं की स्थापना एवं विकास से सम्बन्धित परियोजनाओं का परीक्षण कर एसाइड फंड से सहायता धनराशि स्वीकृत की जाती है। नोडल एजेन्सी निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य स्तरीय समिति के स्तर से स्वीकृत परियोजनाओं को एसाइड फण्ड से धनराशि अवमुक्त करते हुए अवमुक्त धनराशि की सदुपयोगिता सुनिश्चित करायी जाती है।

एसाइड योजना वर्ष 2002–03 से आरम्भ हुई है। योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्रदेश को वर्षवार निम्नानुसार धनराशियां प्राप्त हुई हैः–

वर्ष	भारत सरकार से प्राप्त धनराशि	कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त धनराशि
2002–03	2000.00	1895.68
2003–04	2100.00	1115.94
2004–05	1259.00	1129.80
2005–06	2100.00	1399.95
2006–07	1155.00	2529.35
2007–08	2310.00	1097.10
2008–09	2210.00	866.45
2009–10	2099.00	3347.10
2010–11	1049.50	956.04

वर्तमान में एसाइड योजनान्तर्गत क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के विवरण

क्र.सं.	जनपद	परियोजना का नाम	कुल लागत/वित्त पोषण व्यवस्था	अभ्युक्ति
1.	भदोही	भदोही में मार्डन डाई हाउस की स्थापना	कुल लागत : 906.06 एसाइड : 772.06 एस.पी.वी. : 134.00	एसाइड फण्ड से आंवटित धनराशि रु0 772.06 लाख मे से रु0 658.36 लाख का सदुपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो चुका है। कार्य प्रगति में है।
2.	उन्नाव	बन्थर उन्नाव में मल्टीस्किल डेवलपमेन्ट सेन्टर की स्थापना	कुल लागत : 924.31 एसाइड : 701.93 एस.पी.वी. : 222.38	एसाइड फण्ड से रु0 280.00 लाख अवमुक्त किया गया है। कार्य प्रगति में है।

3.	उन्नाव	बन्थर उन्नाव में टेस्टिंग लैब की स्थापना	कुल लागत : 976.23 एसाइड : 826.23 एस.पी.वी. : 150.00	एसाइड फण्ड से रु0 220.00 लाख अवमुक्त किया गया है। कार्य प्रगति में है।
4.	गाजियाबाद	फैशन डिजाइन एवं मैनेजमेन्ट ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना (निट्रा, गजियाबाद)	कुल लागत : 807.00 एसाइड : 577.20 एस.पी.वी. : 230.00	एसाइड फण्ड से आंवटित धनराशि रु0 577.20 लाख में से रु0 89.41 लाख का सदुपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो चुका है। कार्य प्रगति में है।
5.	लखनऊ	गोयला औद्योगिक क्षेत्र लखनऊ में सड़क एवं नालियों का निर्माण	कुल लागत : 117.53 एसाइड : 86.68 एस.पी.वी. : 30.85	एसाइड फण्ड से आंवटित धनराशि रु0 77.27 लाख में से रु0 55.00 लाख का सदुपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो चुका है। कार्य प्रगति में है।
6.	मेरठ	जेम्स एण्ड ज्वैलरी ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना	कुल लागत : 516.40 एसाइड : 463.33 एस.पी.वी. : 53.07	एसाइड फंड से स्वीकृत धनराशि अवमुक्त किए जाने हेतु औपाचरिकताएं पूर्ण कराई जा रही है।
7.	बीडा भदोही	ईदगाह–सेन्टमेरी स्कूल तक सड़क/लिंक मार्ग का सुदढ़ीकरण एवं नाली निर्माण	कुल लागत : 200.43 एसाइड : 200.43 एस.पी.वी. :	एसाइड फण्ड से आंवटित धनराशि रु0 200.43 लाख में से रु0 140.34 लाख का सदुपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो चुका है। कार्य प्रगति में है।
8.	भदोही	जी.टी.रोड औराई से माधव सिंह कन्टेनर डिपो तक मार्ग सुदृढ़ीकरण	कुल लागत : 99.13 एसाइड : 99.13 एस.पी.वी. :	एसाइड फण्ड से आंवटित धनराशि रु0 99.13 लाख में से रु0 25.00 लाख का सदुपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो चुका है। कार्य प्रगति में है।
9.	बदॉयू	बदॉयू में मैथा ऑयल के परीक्षण हेतु टेस्टिंग लैब की स्थापना	कुल लागत : 132.39 एसाइड : 119.16 एस.पी.वी. : 13.23	एसाइड फंड से स्वीकृत धनराशि अवमुक्त किए जाने हेतु औपाचरिकताएं पूर्ण कराई जा रही है।
10.	मऊ	मऊ में मार्डन डाईंग व यार्न मेकिंग हेतु सी. एफ.सी. की स्थापना	कुल लागत : 323.26 एसाइड : 291.70 एस.पी.वी. : 31.56	एसाइड फण्ड से रु0 291.70 लाख अवमुक्त किया गया है। कार्य प्रगति में है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति की दिनांक 06.10.2010 को सम्पन्न बैठक में नगर पंचायत काकोरी, लखनऊ की सड़के एवं नालियों के निर्माण की परियोजना, औद्योगिक आस्थान

हरथला व औद्योगिक क्षेत्र प्रेम नगर मुरादाबाद में स्वतन्त्र विद्युत फीडर की स्थापना की परियोजना, मुरादाबाद में रॉ मैटीरियल बैंक हेतु प्रोसेंसिंग यूनिट की स्थापना, अलीगढ़ में डाई मेंकिग व कास्टिंग हेतु सी.एफ.सी. की स्थापना, यूपिका के प्रदर्शन कक्षों को हस्तशिल्प निर्यात केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने की परियोजना तथा टांडा (अम्बेदकर नगर) में पावरलूम इण्ड. के आधुनिकीकरण की परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है। इसी प्रकार दिनांक 03.12.2010 को सम्पन्न राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति की बैठक में फर्रूखाबाद में जरी एवं टैक्सटाइल इण्ड. के विकास हेतु सी.एफ.सी. की स्थापना, मुरादाबाद में ग्लास आर्टवेयर सी.एफ.सी. की स्थापना, उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि. के नई दिल्ली प्रदर्शन कक्ष के उच्चीकरण एवं मुरादाबाद में लैम्प शेड उद्योग हेतु सी.एफ.सी. की स्थापना की परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है। इन परियोजनाओं के लिए एसाइड फन्ड से स्वीकृत धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

✷✷✷

१९–सामग्री क्रय

उद्योग निदेशालय में समग्री कय अनुभाग वर्ष 1918 से कार्यरत है। उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न सरकारी एवं अर्द्वसरकारी कार्यालयों में प्रयोग हाने वाली विभिन्न वस्तुओ की कय व्यवस्था उद्योग निदेशालय अन्तर्गत सामग्री कय अनुभाग द्वारा दर/मात्रा अनुबन्ध के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। समस्त कय व्यवस्था वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5, भाग–1 में अंकित नियमों तथा समय–समय पर जारी शासनादेशों के माध्यम से प्राप्त निर्देशों। के अनुसार की जाती है।

वर्तमान में सामग्री कय्र करने की अद्योलिखित तीन प्रकियाये। अपनायी जा रही हैः–

1– दर अनुबन्ध द्वारा कयः–

जो सामग्री सामान्यतः एक से अधिक सरकारी विभागों द्वारा नियमित रूप से कय की जाती है।, उन वस्तुओ का कय दर अनुबन्ध के माध्यम से किया जाता है। दर अनुबन्ध के माध्यम से कय किये जाने वाले लगभग 100 आइटमों का दर अनुबन्ध इस अनुभाग द्वारा किया जाता है। 11 कैटेगरी आइटम ऐसे है जो राज्यस्तरीय लद्यु उत्पादक इकाइयों के लिये आरक्षित है। राज्य स्तरीय लद्यु इकाइयों के पक्ष में उन आइटमों को आरक्षित किया जाता है। जिनकी प्रदेशीय इकायों की उत्पादन क्षमता इतनी होती है। कि वे सरलता से राजकीय विभागों की मांग की आपूर्ति कर सकते है। समय समय पर दर अनुबन्ध की सूची में ऐसे आइटमों को भी जोड़ दिया जाता है जिसकी मांग एक से अधिक विभागो द्वारा की जाती है। दर अनुबन्ध में सम्मलित अधिकांशतः आइटमों का मानक भारतीय मानक व्यूरो द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार होता है । कुछ ऐसे आइटम है जिनके मानक का निर्धारण मांग अधिकारी एवं विभाग के अधिकारियों के सुक्षाव के आधार पर होता है । कागज की कय व्यवस्था जो निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद की मांग के अनुसार उद्योग निदेशालय द्वारा मात्रा अनुबन्ध के अन्तर्गत की जाती थी , जिसकी अब कय व्यवस्थ शासनादेश सं0 251/18–05–2003–76(एसपीएस)/86 दिनांक 10 मार्च 2003 के निर्देशानुसार निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री द्वारा की जाती है। इन वस्तुओं का नियमित दर अनुबन्ध उद्योग निदेशक द्वारा किये जाने का निर्णय शासन से प्राप्त हो चुका है जिसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

2– मात्रा अनुबन्ध द्वारा कयः–

विकेन्द्रीयकृत कय प्रणाली के अन्तर्गत मात्रा अनुबन्ध के अधीन मात्र गृह, शिक्षा एवं ग्राम्य विकास विभाग को छोड़कर अन्य सभी क्रेता विभागों को स्वयमेव कय व्यवस्था की अनुमति शासनादेश सं0 2177 एल/18.05.98–15(एसपी)/94 दिनांक 17.10.94 द्वारा प्रदान की गयी है। तदोपरान्त शासनादेश सं0 708/18–05–98–15(एसपी),दिनांक 08.01.09 एवं संख्या 344/18–05– 2003–76 (एसपीएस)/86,दिनांक 10.03.03 द्वारा गृह शिक्षा एवं ग्राम्य विकास विभाग को भी स्वयमेव कय की अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

वर्तमान में मात्र पुलिस विभाग शासनादेश सं0 124/18–05–2002–56/(एसपीएस)/99 दिनांक 04.03.02 में निहित प्राविघानो के अनुसार ऐसे आइटम्स की कय व्यवस्था उद्योग निदेशक के माध्यम से करा सकते है जिनके लिये पुलिस विभाग के पास विशेषज्ञता उपलब्ध न हो इन आइटमो की कय व्यवस्था उद्योग निदेशालय द्वारा मात्रा अनुबन्ध के माध्यम से की जा रही है ।

3– मांग अधिकारियों द्वारा सीधे कय–

विभिन्न सरकारी विभागो द्वारा सामान्य स्थिति वाले मामलो में जनहित मे मात्रा अनुबन्ध के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष एक बार में रू0 1,00,000.00 तक की सीमा तक सामग्री (विदेशी तथा स्वदेशी निर्मित दोनो प्रकार की वस्तुओ) का कय कर सकते है । इसी प्रकार विभागाध्यक्ष उपर्युक्त स्थिति में एक समय में रू0 10,00,000.00 तक की सीमा तक की वस्तुओ का कय कर सकते है । रू0 10,00,000.00 से अधिक मूल्य की वस्तुओ का कय शासन के प्रशासनिक विभाग के माध्यम से करने की व्यवस्था है ।

उद्योग निदेशालय का सामग्री क्रय अनुभाग उत्तर प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाईयों के उत्पाद के विपणन मे सहायता भी प्रदान करता है । सरकारी कार्यालयो में उपयोग में आने वाली वस्तुओ की शासकीय क्रय में प्रादेशिक इकाईयों को मूल्य वरीयता/क्रय वरीयता प्रदान की जाती है, जिससे इकाईयों को विपणन का लाभ प्राप्त होने के साथ– साथ प्रदेश का औद्योगिक विकास भी होता है ।शासनादेश सं0 950/18–5–09–(एस0पी0)/95 दिनांक 25.08.2009 द्वारा उक्त योजना 31 मार्च 2012 तक प्रभावी है।

सामग्री क्रय योजना की विगत 3 वर्षो एवं चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में दिनांक 31.12.2010 तक भौतिक/वित्तीय प्रगति सूचना

क्रमांक	मद	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
(अ)	**भौतिक प्रगति**				
1–	विभिन्न विभागो से प्राप्त मांग–पत्र	02	02	02	02
2–	कुल जारी निविदायें	166	118	91	142
3–	दर अनुबन्ध में जारी निविदायें मात्रा	145	108	86	112
4–	अनुबन्ध में जारी निविदायें	21	10	05	30
5–	**दर अनुबन्ध निर्गतः–**				
	(क) मूल दर निर्गत	66	83	62	55
	(ख) अडेन्डम/ कोरीजेन्डम/ एक्सटेंशन/डी–नोटीफिकेशन	14	18	26	12
6–	मात्रा अनुबन्ध निर्णीत	08	07	04	16
	वित्तीय प्रगति :–				
(ब)	**(हजार रू0 में)**				
1–	टेण्डर फीस	4,70,660	3,88,785	278625	3,45,325
2–	अन्य श्रोतो से प्राप्त आय	16,075	6,950	6,580	5125
3–	प्रदेशिक इकाइयों से क्रय	53,92,749	49,93,683	6,18,780	5,11,80,364
4–	प्रदेश से बाहर की इकाइयों से क्रय	6,87,200	—	10,83,978	—

✷✷✷

२०–फैसिलिटेशन कॉउन्सिल

वृहद एवं मल्टी नेशनल कम्पनियों की उच्च प्रतिस्पर्धा एवं कार्यशील पूंजी की कमी से जूझ रहें सूक्ष्म एवं लघु उद्यमकर्ताओं द्वारा आपूर्तित माल/ सेवाओं के सम्बन्ध में क्रेता द्वारा रोके गये भुगतान सम्बन्धी व्यवसायिक विवादों के त्वरित निस्तारण हेतु **विशेष केन्द्रीय अधिनियम** ***(एम0एम0एम0ई0डी0एक्ट–2006)*** के अध्याय–5 के प्रावधानों के अन्तर्गत उ0प्र0शासन द्वारा ''**फैसिलीटेशन काउन्सिल**'' का गठन निम्नवत किया गया है:–

क्रमांक	काउन्सिल का कम्पोजीशन	पद
1	आयुक्त एवं उद्योग निदेशक,उ0प्र0,कानपुर	अध्यक्ष
2	इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोशियेसन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3	प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0वित्त निगम द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य

काउन्सिल एक ''**विशेष स्ट्रेटूरी ट्रिब्यूनल**'' के रूप में ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमकर्ताओं के विलम्बित दावों का निस्तारण प्रथमतः सुलह–समझौते के आधार पर अन्ततः आर्बीट्रेशन के माध्यम से एवार्ड घोषित करती है,, जिन्होंने उक्त अधिनियम के प्रभाव में आने के उपरांत जिला उद्योग केन्द्र में उद्यमी ज्ञापन–2 (मेमोरेण्डम–2) प्रस्तुत कर अभिस्वीकृति पत्र (एग्नॉलेजमेंट) प्राप्त किये है अथवा जो पूर्व में स्थायी रूप में पंजीकृत थे।

फैसिलीटेशन नियमावली के अनुसार माह में काउन्सिल की न्यूनतम एक बैठक आहूत किये जाने का प्रावधान है। **काउन्सिल में 31–12–2010 तक प्राप्त दावों एवं उनके निस्तारण के संचयी विवरण निम्नवत हैः–**

क्रमांक	दावों के विवरण	संख्या
1	***काउन्सिल में पंजीकृत कुल दावों की संख्या–***	***321***
2	**निस्तारित दावों की संख्या–**	**236**
	क–घोषित एवार्डो की संख्या–	140
	ख–ड्राप/डिसमिस किये गये दावों की संख्या–	53
	ग–विदड्रा/कम्प्रोमाइज किये गये दावों की संख्या–	43
3	**अनिस्तारित दावों की संख्या–**	**85**
	क–सुनवायी विचाराधीन दावों की संख्या–	80
	ख–एवेन्स में आच्छादित दावों की संख्या–	05
4	***पंजीयन हेतु प्राप्त नवीन दावों की संख्या–***	**03**

***

२१–उत्तर प्रदेश में गणना योजनान्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के आंकड़ों का संग्रहण

(कलैक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑफ एम०एस०एम०ई०)

कलैक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑफ एम0एस0एम0ई0 योजना वर्ष 1978–79 से प्रारम्भ हुई

योजना का उद्देश्य :–

लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत पंजीकृत/अपंजीकृत लघु औद्योगिक इकाईयों के विभिन्न आर्थिक पैरामीटर्स जैसेः– पूंजी निवेश, रोजगार सृजन, निर्यात, कच्चे माल की आवश्यकता/खपत, उत्पादन क्षमता/उत्पादन मात्रा के अतिरिक्त लघु औद्योगिक इकाईयों में व्याप्त प्रारम्भिक रूग्णता एवं रूग्णता के कारणों आदि पर आकड़ों को संग्रहीत कराये जाने हेतु फ्रेम संरचना, संशोधन एवं आधुनान्तीकरण तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक निर्धारण एवं प्रकाशन हेतु मासिक उत्पादन आकड़ों का संग्रहण सहित लघु औद्योगिक क्षेत्र से संम्बन्धित भावी योजनाओं के निर्माण हेतु सैम्पुल सर्वे, नैदानिक सर्वे सहित लघु उद्योग गणना के माध्यम से डाटा बेस तैयार कर समय–समय पर अद्यतन कराना।

योजनान्तर्गत तैनात स्टाफ का विवरण :–

योजनान्तर्गत भारत सरकार से निम्न स्टाफ के विरूद्ध तैनात एवं प्रोन्नति के आधार पर भरे जाने वाले पदों का विवरण निम्नवत् है :–

क0	पदों का नाम/वेतनमान	भारत सरकार से अनुमोदित पद	भरे पद	रिक्त पद	प्रोन्नति के आधार पर भरे जाने वाले पद
1	2	3	4	5	6
1	सांख्यकीय सहायक/ अनुसंधाता 9300–34800–(4600)	3	1	2	2
2	इन्वेस्टीगेटर–कम–कम्प्यूटर 9300–34800–(4200)	8	1	7	–
	योग	11	2	9	2

योजनान्तर्गत विगत 3 वर्षों की वित्तीय स्वीकृतियां एवं व्यय की स्थिति :–

यह योजना 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्त पोषित योजना है, जिसके अन्तर्गत विगत 3 वर्षो में राज्य सरकार से निम्न प्रकार से धनराशियों की स्वीकृति कराकर व्यय की गयी, जिसकी प्रतिपूर्ति यथासमय भारत सरकार से की जाती है :–

क0	वर्ष	राज्य सरकार से स्वीकृत धनराशि (लाख रू0 में)	व्यय की गयी धनराशि वित्तीय वर्ष के मासांत तक(लाख रुपये में)	भारत सरकार से प्राप्त धनराशि (लाख रू0 में)
1	2008–09	208.05	196.40	239.00
2	2009–10	27.97	19.92	24.38
3	2010–11	25.59	10.73(दिसम्बर–2010)	–

योजनान्तर्गत निस्पादित किये जा रहे मुख्य कार्यों का विवरण :–

अ– पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाईयों की फ्रेम संरचना :–

औद्योगिक सांख्यकीय से सम्बन्धित अतिविशिष्ट क्षेत्रीय कार्यों को ससमय सम्पन्न कराये जाने हेतु समय–समय पर विभिन्न आर्थिक पैरामीटर्स पर सूचनाओं को तैयार कराये जाने हेतु पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाईयों की फ्रेम संरचना, संशोधन एवं आधुनान्तीकरण का कार्य विकास आयुक्त भारत सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के पत्रांक–6(1)/2009–एस0 एण्ड डी0/1561–1634 के अनुपालन में दिनांक 01.04. 2007 से 31.03.2009 तक के फ्रेम्स को कम्प्यूटराईज्ड कराकर भारत सरकार, नई दिल्ली को ई–मेल तथा हार्ड कापी पर उपलब्ध कराया जा चुका है। अवशेष सूचनाएं संग्रहीत कराकर विकास आयुक्त(एम0एस0एम0ई0), भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही चल रही है।

ब– औद्योगिक उत्पादन सूचकांक :–

भारतीय अर्थ व्यवस्था में औद्योगिक उत्पादन/सेवा क्षेत्र के योगदान एवं वृद्धि दर के आकलन हेतु अखिल भारतीय स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सेवा क्षेत्र की वृद्धि में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित किये जाने हेतु त्रैमासिक आधार पर उ0प्र0 के 1060 उद्यमों के मासिक उत्पादन विवरण 28 जनपदों से सीधे विकास आयुक्त(एम0एस0एम0ई0), भारत सरकार, नई दिल्ली को उपलब्ध कराया जाता है।

स– लघु उद्योगों की गणना :–

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर राज्य उद्योग निदेशालयों, कारखाना अधिनियम, के0वी0आई0सी0/ के0वी0आई0बी एवं कोयर बोर्ड के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2007 तक पंजीकृत/ई0एम0 प्रस्तुत करने वाले उद्यमों की चतुर्थ गणना (प्रति उद्यम मानदेय भुगतान के आधार पर) वर्ष 2008 में सम्पन्न कराई गयी चतुर्थ गणना के त्वरित परिणाम निम्नवत् हैंः–

1. कार्यरत चिन्हित उद्यमों की संख्या– 187512 (62.87 प्रतिशत)
2. बन्द चिन्हित उद्यमों की संख्या– 75659 (25.37 प्रतिशत)
3. लापता चिन्हित उद्यमों की संख्या– 35065 (11.76 प्रतिशत)

द– अपंजीकृत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के आंकलन हेतु सैम्पुल सर्वेः–

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर दिनांक 31.03.2007 तक अपंजीकृत/ई0एम0 प्रस्तुत न करने वाले उद्यमों का आंकलन प्रति उद्यम मानदेय बेसिस पर वर्ष 2009 में प्रारंभ कराया गया। उक्त प्रयोजनार्थ 2150 ग्रामों एवं 69 शहरी क्षेत्रों का चयन किया गया।

क्षेत्रीय कार्य हेतु चिन्हित मानव शक्ति एवं पर्यवेक्षीय कर्मचारियों/अधिकारियों को विधिवत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2009–10 में सैम्पुल सर्वे का क्षेत्रीय कार्य पूर्ण हो चुका है। जिला उद्योग केंद्रों द्वारा संकलित सूचना के आधार पर विवरण निम्नवत हैंः–

1–सर्वे किए गए शहरी क्षेत्रों की संख्या– 69
2–सर्वे किए गए ग्रामों की संख्या– 2066
3–कार्यरत चिन्हित उद्यमों की संख्या– 18018

अब तक सम्पन्न सर्वेक्षणों का संक्षिप्त विवरण :–

क0	सर्वेक्षणों का नाम	समयावधि	रिपोर्ट की स्थिति
1	2	3	4
1	प्रथम गणना	प्रारंभ से 30.11.1973 तक	प्रकाशित
2	सैम्पुल सर्वे	प्रारंभ से 31.03.1981 तक	प्रकाशित
3	सैम्पुल सर्वे	प्रारंभ से 31.03.1984 तक	प्रकाशित
4	द्वितीय गणना	प्रारंभ से 31.03.1988 तक	प्रकाशित
5	सैम्पुल सर्वे	प्रारंभ से 31.03.1992 तक	प्रकाशित
6	सैम्पुल सर्वे	प्रारंभ से 31.03.1998 तक	प्रकाशित
7	तृतीय गणना सैम्पुल सर्वे	प्रारंभ से 31.03.2001 तक	प्रकाशित
8	चतुर्थ गणना	प्रारंभ से 31.03.2007 तक	त्वरित परिणाम प्रकाशित
9	फर्मासुटिकल्स उद्यमों की प्रथम गणना	प्रारंभ से 31.03.2007 तक	क्षेत्रीय कार्य पूर्ण एवं रिपोर्ट प्रतीक्षित
10	सैम्पुल सर्वे	प्रारंभ से 31.03.2007 तक	क्षेत्रीय कार्य समाप्त स्कूटनी एवं स्केनिंग कार्य प्रगति पर है।

✷✷✷

२२-उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण(राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना)

उद्योग निदेशालय के तत्वावधान में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1994 में उ0प्र0 व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण का गठन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम सं0–21 , 1860 के अर्न्तगत उद्यमियों को प्रोत्साहित करने, इकाइयों की स्थापना किये जाने तथा उनके विपणन विषयक सहायता करने के उद्देश्य से किया गया था। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु निर्यात उन्मूलक प्रभावी कदम उठाये गये है, जिसके कियान्वयन में उ0प्र0 व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः प्राधिकरण हेतु निर्दिष्ट कार्यकलापो में मूलतः उद्देश्य निम्नवत् हैः–

1– विभिन्न व्यापार मेलो में भाग लेना, प्रदेश की इकाइयों द्वारा जो उत्पाद के बाजार को बढाने के लिये देश व विदेशों में व्यापार मेलो की व्यवस्था कराना ।

2– देश व विदेश में प्राधिकरण द्वारा लगाये जा रहे मेलो का प्रचार –प्रसार कराना तथा प्रदेश के उद्यमियों का तकनीकी ज्ञान बढाने एवं विदेश के उद्यमियों को इन मेलो में आमत्रित करना ।

3– प्रदेशीय औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादित पारम्परिक उत्पादो के निर्यात एवं प्रोत्साहन हेतु बाजार का सर्वेक्षण करना तथा निर्यात बढाना ।

4– प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के कार्यकलापो के अनुसार उन्हें श्रेणीबद्व कर उनका पंजीकरण कराना ताकि उनके उत्पादित माल की संरचना के अनुसार विभिन्न व्यापारिक मेलो में उनका प्रतिनिधित्व एवं भाग लेना सुनिश्चित किया जा सके।

5– अन्य कोई कार्य–कलाप या व्यापार करना , जो प्राधिकरण के उद्देश्य के अनुरूप तथा प्रदेश की औद्योगिक इकाईयो के हित में हो।

6– प्राधिकरण के उद्देश्यों के अनुरूप पुस्तकालय एवं सूचना प्रभाग की स्थापना करना, जिसके द्वारा प्रदेश के उद्यमियों को अन्य उत्पादो का निर्यात करना या उसके बाजार को बढाने में सहायता प्राप्त हो सके।

7– आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना करना, जो प्रदेश या विदेश में स्थित हो एवं प्राधिकरण के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक हो।

8– किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान जिसका उद्देश्य प्राधिकरण के उद्देश्यों के समान हो, का सदस्य बनाना एवं सदस्यता शुल्क का भुगतान करना ।

यह प्राधिकरण निदेशालय स्तर पर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग उ0प्र0 की अध्यक्षता में कार्यरत है और समय समय पर शासी निकाय की बैठके आयोजित कर अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा तथा संचालन विषयक कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा सम्पन्न कराई जाती है। शासी निकाय में शासन , वित्त एवं विभिन्न निगमों के पदाधिकारी नामित है, जो चेयरमैन , यू0पी0टी0पी0ए0 को अपना सुझाव एवं मार्ग दर्शन देते है।

प्राधिकरण द्वारा समय समय पर विभिन्न मेलो का आयोजन भारत/उ0प्र0 सरकार के दिशा निर्देश के आवश्कतानुसार किया जाता है। वास्तव में आई0टी0पी0ओ0 नई दिल्ली द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रमों उनके दिशा निर्देश के अनुसार सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास उ0प्र0 व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण करता है। आई0टी0पी0ओ0 द्वारा मेलो का वर्गीकृत एक स्लाट तैयार किया जाता है तथा इस सम्बन्ध में उनके स्तर पर समय समय पर महत्वपूर्ण बैठके आयोजित की जाती है। जिसमें उ0प्र0 व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण की अपेक्षाएँ भी रहती है। प्रगति मैदान नई दिल्ली मे इसी प्राधिकरण के अर्न्तगत यू0पी0पवेलियन मे जहॉ पर स्थानीय रूप से सहायतार्थ उद्यमियों के मार्ग दर्शन तथा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु स्टाफ की भी व्यवस्था है। प्राधिकरण द्वारा इस पवेलियन को संचालित करने हेतु समय समय पर दिशा निर्देश अध्यक्ष, उ0प्र0व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण के माध्यम से दिये जाते है। शासन द्वारा प्रतिवर्ष के लिये एक निश्चित तिथि (14 से 27 नवम्बर तक) के मध्य प्रगति मैदान, नई दिल्ली मे आयोजित होने वाले भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले हेतु व्यवस्था की जाती है जिसका व्यय शासन द्वारा दिये गये मदो में वित्तीय नियमों के अधीन किया जाता है। अन्य मेलो के कियान्वियन का संचालन व दायित्व प्राधिकरण अपने श्रोतो से करता है जिस हेतु कोई अनुदान या राशि अलग से उपलब्ध नहीं होती है।

वित्तीय वर्ष 2008–09 में प्राधिकरण द्वारा आयोजित कराये गये मेले/प्रदर्शनी

1– औद्योगिक एवं हस्तशिल्प मेला–कानपुर

यह मेला जनपद कानपुर निदेशालय प्रागंण में दिनांक 10–9–2008 से 16–9–2008 तक आयोजित किया गया है जिसमें 150 इकाइयों ने भाग लिया।

2– औद्योगिक एवं हस्तशिल्प मेला–बरेली

यह मेला जनपद बरेली मे दिनांक 18–10–2008 से 24–12–2008 तक आयोजित किया गया जिसमें 150 इकाइयों ने भाग लिया। यह मेला बरेली इन्टर कालेज मैदान में आयोजित किया गया था।

3– भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2008

यह मेला दिनांक 14–11–2008 से 27–11–2008 तक प्रगति मैदान , नई दिल्ली, उ0प्र0मण्डप में आयोजित किया गया जिसमें 127 इकाइयों के उत्पादो का प्रदर्शन एवं बिक्री की गई। मेले मे दौरान 15.10 करोड़ की व्यापारिक पूछ–ताछ की गई जिसमें से 85 प्रतिशत के कन्फर्म आर्डर मिलने की सम्भावना है। मेले में 2.60 करोड की बिक्री विभिन्न उत्पादो के माध्यम से की गई। विभिन्न प्रदेशो के गणमान्य व्यक्तियों एवं व्यापारिक प्रतिनिधियों को मिलाकर 10 लाख व्यक्तियों द्वारा मण्डप का भ्रमण किया गया ।

4– औद्योगिक एवं हस्तशिल्प मेला–गाजियाबादः–

यह मेला गाजियाबाद के रामलीला मैदान, कवि नगर में दिनाक 20 से 27 दिसम्बर–2008 के मध्य आयोजित किया गया। इस मेले में 150 इकाइयों की भागीदारी कराई गई।

5– भारतीय हस्तशिल्प महोत्सव (सोर्सिंग शो)– कानपुर

यह मेला भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से प्राधिकरण द्वारा दिनांक 11–1–2009 से 20–1–09 के मध्य मोतीझील प्रागंण में आयोजित किया गया जिसमें लगभग 150 हस्तशिल्प इकाईयों की भागीदारी कराई गई।

6– औद्योगिक एवं हस्तशिल्प मेला–फैजाबाद–

दिनांक 1 से 8 फरवरी,2009 के मध्य यह प्रदर्शिनी फैजाबाद के गुलामबाड़ी मैदान में आयोजित की गई जिसमें लगभग 120 हस्तशिल्प इकाईयों की भागीदारी कराई गई।

7– औद्योगिक एवं हस्तशिल्प मेला,वाराणसी–

दिनांक 22 फरवरी से 01 मार्च,2009 के मध्य यह प्रदर्शिनी वाराणासी के बेनियाबाग मैदान में आयोजित की गई जिसमें लगभग 150 हस्तशिल्प इकाईयों की भागीदारी कराई गई।

8– क्राफ्ट बाजार, गोवा–

दिनांक 10 मार्च से 19 मार्च,2009 के मध्य यह प्रदर्शिनी गोवा के हस्तशिल्प मैदान पंजिम में आयोजित की गई जिसमें लगभग 150 हस्तशिल्प इकाईयों की भागीदारी कराई गई। यह प्रदर्शिनी विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित की गई।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में प्राधिकरण द्वारा आयोजित कराये गये मेले/प्रदर्शनी

1–औद्योगिक एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी चित्रकूट–

यह मेला चित्रकूट के राष्ट्रीय रामायण मेला परिसर में दिनांक 20 से 27 जुलाई –2009 के मध्य आयोजित किया गया। जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्रदेश की 80 इकाईयों की सहभागिता कराते हुये उनके उत्पादो के प्रदर्शन एवं बिक्री कराई गई।

2–दिल्ली हाटः–

यह मेला दिल्ली टूरिज्म एण्ड ट्रान्सर्पोट्रशन कारपोरेशन, नई दिल्ली एवं विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से दिनांक 16 से 26 जून 2009 तक, 04 से 14 सितम्बर 2009 तक, दिनॉक 21 से 30 सितम्बर–2009 तक तथा दिनांक 16 से 26 अक्टूबर 2009 तक आयोजित किया गया, जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्रदेश की क्रमशः 50 हस्तशिल्पियों,197 हस्तशिल्पियों, 50 हस्तशिल्पियों तथा 50 हस्तशिल्पियों की सहभागिता कराते हुये उनके उत्पादो के प्रदर्शन एवं बिक्री कराई गई।

3–औद्योगिक एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी जौनपुरः

यह प्रदर्शनी जौनपुर के इण्टरकालेज मैदान, बस स्टाप के पास दिनांक 3 से 10 अक्टूबर 09 के मध्य आयोजित की गयी थी जिसमें 65 इकाइयों की भागीदारी कराते हुए हस्तशिल्प एवं औद्योगिक इकाइयों के उत्पादों की बिक्री करायी गयी ।

4–ट्रेड फेयर देहरादूनः–

यह मेला इन्डिया इन्टरनेशनल ट्रेड आर्गनाइजेशन नई दिल्ली द्वारा देहरादून में दिनांक 06 से 13 अक्टूबर–2009 के मध्य आयोजित किया गया जिसमें प्राधिकरण द्वारा उक्त मेले में 30 हस्तशिल्प इकाइयों की भागीदारी कराई गई, जिसमें उनके उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री कराई गई।

5–भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2009 :–

यह मेला दिनांक 14 से 27 नवम्बर–2009 तक,उ0प्र0 मण्डप प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें 115 इकाइयों के उत्पादो का प्रदर्शन एवं बिक्री की गई। मेले के दौरान 20.10 करोड़ की व्यापारिक पूछ ताछ की गई जिसमें से 85 प्रतिशत के कन्फर्म आर्डर मिलने की सम्भावना है। मेले में 3.60 करोड की बिक्री विभिन्न उत्पादो के माध्यम से की गई । मेले का उद्घाटन दिनांक 14 नवम्बर–2009 को प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन , लखनऊ द्वारा किया गया । विभिन्न प्रदेशो के गणमान्य व्यक्तियों एवं व्यापारिक प्रतिनिधियों को मिलाकर लगभग 15 लाख व्यक्तियों द्वारा मण्डप का भ्रमण किया गया।

6–औद्योगिक एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी मेरठः–

यह मेला दिनांक 19 से 27 दिसम्बर–09 के मध्य गॉधी आश्रम परिसर मेरठ में आयोजित किया गया। जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्रदेश की 80 हस्तशिल्प इकाइयों द्वारा भाग लिया गया एवं उनके उत्पादो का प्रदर्शन एवं बिक्री कराई गई । मेले का उद्घाटन जिलाधिकारी मेरठ द्वारा किया गया उनके द्वारा मेले की भूरि–भूरि प्रशंसा की गई।

7–र्नादन इण्डिया इन्टरनेशल ट्रेड फेयर 2010 :–

दिनांक 19 से 26 जनवरी–2010 स्थान मोतीझील, कानपुर में ट्रेड इवेन्ट र्आगनाइजेशन नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया । जिसमें प्राधिकरण द्वारा भी अपनी इकाइयों की भागीदारी करायी गयी। इस मेले में भारत सरकार, नई दिल्ली, राज्य सरकार के उपक्रम सहित 300 इकाइयों की भागीदारी हुई। मेले का उद्घाटन मा0 मंत्री लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन श्री चन्द्र देव राम यादव द्वारा दिनांक 22 जनवरी,2010 को किया गया।

8–औद्योगिक एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी मथुरा

यह मेला दिनांक 19 से 25 फरवरी 2010 के मध्य उत्तर मध्य रेलवे मैदान,मथुरा में आयोजित किया गया। जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्रदेश की 67हस्तशिल्प एवं औद्योगिक इकाइयों द्वारा भाग लिया गया एवं उनके उत्पादो का प्रदर्शन एवं बिक्री कराई गई ।

9–औद्योगिक एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी झॉसी

यह मेला दिनांक 6 से 12 मार्च 2010 के मध्य सीपरी रोड, सर्किट हाउस मैदान,झॉसी में आयोजित किया गया। जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्रदेश की 72 हस्तशिल्प एवं औद्योगिक इकाइयों द्वारा भाग लिया गया एवं उनके उत्पादो का प्रदर्शन एवं बिक्री कराई गई ।

10–औद्योगिक एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी गाजियाबाद

यह मेला दिनांक 25 से 31 मार्च 2010 के मध्य रामलीला मैदान,कवी नगर गाजियाबाद में आयोजित किया गया। जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्रदेश की 81 हस्तशिल्प एवं औद्योगिक इकाइयों द्वारा भाग लिया गया एवं उनके उत्पादो का प्रदर्शन एवं बिक्री कराई गई ।

वर्ष 2010–11 में प्राधिकरण द्वारा आयोजित मेले

1– क्राफ्ट बाजार , कानपुर–

21 से 30 अप्रैल 2010: यह प्रदर्शनी कानपुर के मोतीझील मैदान में विकास आयुक्त हस्तशिलप भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित की गयी थी जिसमें प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर की 167 हस्तशिल्प इकाइयों की भागीदारी करायी गयी तथा इन शिल्पियों के उत्पादों की बिक्री रू0 91,22,500.00 की हुई । मेले का उद्घाटन श्री सीताराम मीणा,आई0ए0एस0 श्रमायुक्त एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0वित्तीय निगम,कानपुर द्वारा किया गया तथा दिनांक 24.4.10 को माननीय कोयला मंत्री भारत सरकार श्री श्री प्रकाश जायसवाल द्वारा मेले का दृश्यावलोकन भी किया गया

2– क्राफ्ट बाजार, शिलांग ,गुवाहाटी :–

यह प्रदर्शनी शिलांग के लाबान स्पोर्टस क्लब, लाबान में दिनांक 12 से 21 जून 2010 के मध्य विकास आयुक्त, हस्तशिल्प,भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित की गयी जिसमें प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के 133 हस्तशिल्पियों द्वारा भागीदारी की गयी । प्रदर्शनी में रू0 67.00 लाख की बिक्री की गयी । प्रदर्शनी के आयोजन पर रू0 14.50 लाख का व्यय हुआ, जिसमें भारत सरकार से रू012.25 लाख की स्वीकृति प्राप्त है तथा 75 एवं 25 प्रतिशत का व्यय किया जाना था।

3– दिल्ली हाट:–

यह प्रदर्शनी विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं यू0पी0 टूरिज्म एवं ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, नई दिल्ली के सहयोग से दिल्ली हाट में 3 से 16 जून 2010तक आयोजित की गयी, जिसमें प्रदेश के 55 हस्तशिल्पियों की भागीदारी करायी गयी ।

4– दिल्ली हाट:–

यह प्रदर्शनी विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं यू0पी0टूरिज्म एवं ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन नई दिल्ली के सहयोग से दिल्ली हाट में दिनॉक 07 से 17 सितम्बर 2010 तक तथा 18 से 30 सितम्बर 2010 तक आयोजित की गयी, जिसमें प्रदेश की क्रमशः 10 एवं 13 पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पियों की भागीदारी करायी गयी ।

5– क्राफ्ट बाजार, बंगलौर:–

यह प्रदर्शनी सेंट एंटोनी चर्च ग्राउण्ड ,माराथल्ली, बंगलौर में दिनांक 07 से 16 अक्टूबर 2010 के मध्य विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित की गयी, जिसमें प्रदेश एवं

प्रदेश के बाहर के 133 हस्तशिल्पियों द्वारा भागीदारी की गयी । प्रदर्शनी में रू0 82.57 लाख की बिक्री की गयी, प्रदर्शनी के आयोजन पर 14.72 लाख का व्यय हुआ, जिसमें भारत सरकार से 12.25 की स्वीकृति प्राप्त है।

6–भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2010 :–

यह मेला दिनांक 14 से 27 नवम्बर–2010 तक,उ0प्र0 मण्डप प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें 142 इकाइयों के उत्पादो का प्रदर्शन एवं बिक्री की गई। मेले के दौरान 25.00 करोड़ की व्यापारिक पूछ ताछ की गई जिसमें से 85 प्रतिशत के कन्फर्म आर्डर मिलने की सम्भावना रही। मेले में 5.60 करोड की बिक्री विभिन्न उत्पादो के माध्यम से की गई । मेले का उद्घाटन दिनांक 14 नवम्बर–2010 को प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन , लखनऊ द्वारा किया गया तथा दिनांक 17 नवम्बर 2010 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर माननीया मुख्यमंत्री जी द्वारा मेले का दृश्यावलोकन किया गया। विभिन्न प्रदेशो के गणमान्य व्यक्तियों एवं व्यापारिक प्रतिनिधियों को मिलाकर लगभग 18 लाख व्यक्तियों द्वारा मण्डप का भ्रमण किया गया। व्यापार मेले के आयोजन पर प्रदेश शासन द्वारा रू0 65.00लाख की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2010 :–

यह मेला दिनांक 14 से 27 नवम्बर–2010 तक,उ0प्र0 मण्डप प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें 142 इकाइयों के उत्पादो का प्रदर्शन एवं बिक्री की गई। मेले के दौरान 25.00 करोड़ की व्यापारिक पूछ ताछ की गई जिसमें से 85 प्रतिशत के कन्फर्म आर्डर मिलने की सम्भावना रही। मेले में 5.60 करोड की बिक्री विभिन्न उत्पादो के माध्यम से की गई । मेले का उद्घाटन दिनांक 14 नवम्बर–2010 को प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन , लखनऊ द्वारा किया गया तथा दिनाक 17 नवम्बर 2010 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर माननीया मुख्यमंत्री जी द्वारा मेले का दृश्यावलोकन किया गया। विभिन्न प्रदेशो के गणमान्य व्यक्तियों एवं व्यापारिक प्रतिनिधियों को मिलाकर लगभग 18 लाख व्यक्तियों द्वारा मण्डप का भ्रमण किया गया। व्यापार मेले के आयोजन पर प्रदेश शासन द्वारा रू0 65.00लाख की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

✷✷✷

२३-मैपडाईटेक्स योजना

मार्केटिंग एण्ड प्रोडक्ट डिस्प्ले फार इण्डस्ट्रीज एण्ड टेक्नालाजी एक्सचेंज (मैपडाईटेक्स)

मैपडाईटेक्स संस्था का गठन वर्ष 1994 में एक संस्था के रूप में उद्योग निदेशालय द्वारा विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, निर्यातक इकाइयों तथा एच0बी0टी0आई0 के सहयोग से किया गया जिसे सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 29–12–1994 को पंजीकृत कराया गया। यह पंजीकरण दिनांक 28–12–2014 तक वैध है।

संस्था के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :–

1. उत्पादक इकाइयों एवं विपणन एजेन्सीज के बीच माध्यम के रूप में समन्वय स्थापित करना जिससे कि औद्योगिक इकाइयों के उत्पादों एवं उपभोक्ता की अभिवृद्धि सम्भव हो सके।
2. उत्पादक इकाइयों को अपने उत्पादों के प्रर्दशन हेतु (डिस्प्ले) स्थान उपलब्ध कराना जिससे उनकी विपणन व्यवस्था में सहयोग प्राप्त हो तथा प्रदेश के उत्पादों के विपणन व्यवस्था का विकास हो सके।
3. औद्योगिक व्यापार मेले एवं प्रर्दशनी आयोजित करना तथा शो रूम्स व डिपो विकसित करना एवं उनमें भाग लेना जिससे राज्य के औद्योगिक उत्पादों की बिक्री में अभिवृद्धि हो सके।
4. निर्यात में उन्नति के लिए सहयोग करना, नये उत्पादों तथा परम्परागत उत्पादों के लिए नये बाजारों की तलाश करना जिससे उनके विपणन एवं निर्यात अभिवृद्धि/विस्तार हो सके।
5. सभी उत्पादक इकाइयों की अद्यतन डाटाबेस सूचनायें उनके उत्पादों तथा स्पेशीफिकेशन (मानको) के साथ तैयार करना तथा उन्हें विभिन्न एजेन्सीज को उपलब्ध कराना।
6. औद्योगिक इकाइयों को अद्यतन तकनीकी व अन्य सूचनायें उपलब्ध कराना एवं उन्हें संशोधन एवं उच्चीकरण हेतु सुझाव देना।
7. औद्योगिक एवं अन्य उपभोक्ता उत्पादों के प्रदर्शन हेतु किराये/लीज पर स्थान उपलब्ध कराना।
8. औद्योगिक उत्पादन में लगे हुए कारीगरों की दक्षता में अभिवृद्धि एवं उच्चीकरण हेतु अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराना।
9. औद्योगिक इकाइयों एवं व्यक्तिगत औद्योगिक उत्पादों के वर्गीकरण एवं उनकी सदस्यता के साथ विभिन्न व्यापारिक संगठनों, संघों की स्थापना जिसके दस्य संगठन, संस्था/औद्योगिक इकाइयों एवं व्यक्गित उत्पाद हों।
10. नकद या अन्य रूप में अथव चल अचल सम्पत्ति के रूप में संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्धारित नियमों के अनुसार अंशदान, गिफ्ट अथवा दान प्राप्त करना।
11. संस्था की परिसम्पत्तियों को बेचना, लीज पर देना तथा हस्तांतरण करना।
12. शासन, अर्द्ध सरकारी संस्थाओं, शासकीय अण्टरटेकिंग्स, बैंकों, औद्योगिक संघों तथा व्यक्गित औद्योगिक इकाइयों से गवर्निंग कौंसिल के निर्णयानुसार धन प्राप्त करना।
13. न्यूज लेटर्स, जनरल्स तथा पुस्तकों जिनसे संस्था के उद्देश्य स्पष्ट हो सकें, प्रकाशित करना।

संस्था के कार्यकलाप :–

1. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मैपडाईटेक्स द्वारा एच0बी0टी0आई0 कैम्पस में उद्योग निदेशालय,उ0प्र0 से 1800 वर्गमीटर भूमि प्राप्त करके 5000 वर्ग फिट पर निर्माण कराया गया जो सेन्ट्रल इण्डिउरूा फुटवियर एक्सपोर्ट्स एसोशियेसन, कानपुर को चर्म उद्योग में दक्षता वृद्धि एवं उच्चीकरण हेतु उपलब्ध कराया गया जिसके लिए सीफिया एवं एन0एल0डी0पी0 के सहयोग से विभिन्नि कार्यक्रम चलाये गये जा रहे हैं। मैपडाईटेक्स भवन में सीफिया के सहयोग से फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेन्ट इन्स्टीट्यूट की स्थापना की गयी। एफ0डी0डी0आई0 द्वारा वर्ष 1995 से 2002 तक फुटवियर के विभिन्न विभागों क्लिकिंग, क्लोजिंग, डिजाइनिंग एवं मशीन मेन्टीनेन्स आदि में 599 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षित किये गये।

2. मैपडाईटेक्स द्वारा वर्ष 1995–96 द्वारा वर्ष 1996–97 में भारत सरकार की बी0आर0एस0 योजना के अन्तर्गत एसोचेम के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित कराये गये, जिनमें विभिन्न उद्योगों में 212 बी0आर0एस0 वर्क्स प्रशिक्षित किये गये।

3. संस्था द्वारा 1995–96 से वर्ष 2001–02 तक उद्यमिंता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनान्तर्गत कुल 34 प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्योग निदेशालय द्वारा आवंटित विभिन्न जनपदों में सम्पादित कराये गये जिनमें कुल 1137 अभ्यर्थी प्रशिक्षित किये गये।

4. मैपडाईटेक्स द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996–97 से वर्ष 2001–02 तक विभिन्न जनपदों में कुल 6993 लाभार्थी प्रशिक्षित किये गये जिनमें से उद्योग वर्ग में 1338, सेवा वर्ग में 830 तथा व्यवसाय वर्ग में 4825 लाभार्थी प्रशिक्षित किये गये।

5. उद्योग निदेशालय,उ0प्र0 के अनुभाग–10 द्वारा वर्ष 2001–02 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लाभार्थियों द्वारा स्थापित उद्योगों के उत्पादों विपणन हेतु मार्केटिंग संगठन की स्थापना हेतु सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने का कार्य मैपडाईटेक्स को दिया गया था। यह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करके अधिशाषी निदेशक, मैपडाईटेक्स के पत्रांक 1403/मैप दिनांक 18–3–2002 द्वारा निदेशालय के अनुभाग–10 को भेजी जा चुकी है। इस हेतु अनुभाग–10 को वांछित सदुपयोगिता प्रमाण पत्र भी अधिशाषी निदेशक द्वारा पहले ही भेजा जा चुका है।

6. दिनांक 28–8–2003 को सम्पन्न मैपडाईटेक्स की गवर्निंग कौंसिल की नवीं बैठक में सीफिया के प्रतिनिधि श्री राकेश सूरी ने समिति को अवगत कराया कि उन्नाव जनपद में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र, उन्नाव में चर्म उद्योग की अधिकाधिक इकाइयां लग रही हैं। अतः एन0एल0डी0पी0 तथा सीफिया द्वारा एफ0डी0डी0आई0 सबसेन्टर को एच0बी0टी0आई0 स्थित मैपडाईटेक्स भवन से बन्थर (उन्नाव) में ट्रांसफर किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा मैपडाईटेक्स भवन में कौंसिल फार लेदर एक्सपोर्ट के सहयोग से एक एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेन्टर स्थापित करने का प्रस्ताव है। मैपडाईटेक्स से एन0एल0डी0पी0 तथा सीफिया की समस्त मशीने (उन्नाव) स्थानान्तरित की जा चुकी हैं।

7. दिनांक 05–10–04 को सम्पन्न मैपडाईटेक्स की गवर्निंग कौंसिल की दशवीं बैठक में लिए गये निर्णयानुसार एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेन्टर की स्थापना हेतु सी0एल0ई0 के साथ शेष 21 वर्षो के लिए लीजडीड इस शर्त के साथ निष्पादित किया जा चुका है कि भवन के आडिटोरियम में मैपडाईटेक्स/उद्योग निदेशालय द्वारा किये जाने वाले कार्यक्रमों के लिए पट्टेदार (सीएलई) द्वारा कोई चार्ज नही लिये जायेगें। इसके अतिरिक्त भवन में ही एक कमरा अधिशाषी निदेशक, मैपडाईटेक्स के लिए स्थाई रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

8. मानव संसाधन विकास के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार (1) प्रतिष्ठित टेक्निकल एपं प्रबन्धन/संस्थानों/विश्वविद्यालय में ढांचागत सुविधाओं का सृजन (2) उद्यमिंता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों (ईडीपी) का संचालन (3) ग्रामीण क्षेत्रों में जनशक्ति का विकास खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र (4) एफएफपीआई द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के आवेदन पत्र आमंत्रित किय गये हैं जिसके संदर्भ में खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिंता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए मैपडाईटेक्स का प्रस्ताव है जिसके भारत सरकार से 5 कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति उनके पत्रांक 6–33/2005 एचआरडी, दिनांक 31–10–05 से प्राप्त हो गयी थी। उक्त पांच खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रम सम्पादित करा लिये गये हैं जिसमें 103 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया तथा इसका पूर्ण भुगतान भी संस्था को प्राप्त हो चुका है।

9. विकास आयुक्त (हस्त0) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक 14011/25/2005–06 सीसी(सीआर) दिनांक 29–9–06 रू0 9.00 लाख की स्वीकृति के विपरीत रू0 4.50 लाख की धनराशि भारत सरकार से फर्रूखाबाद, कायमगंज कमालगंज, नवाबगंज एवं कन्नौज में डिजाईन एण्ड टेक्निकल डेवलपमेन्ट वर्कशाप सम्पादित कराने के लिए प्राप्त हुई थी जिसके संदर्भ में भारत सरकार द्वारा वांछित औपचारिकतायें पूरी कराकर पांचो वर्कशाप सम्पादित करा दी गयी हैं एवं उस पर व्यय हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2008–09 में फर्रूखाबाद के घोड़ा नखास एवं मनीहारी, फर्रूखाबाद में जरी–जरदोजी के डिजाइन एण्ड टेक्निकल डेवलपमेन्ट वर्कशाप आयोजित करने के लिए रू0 3.60 लाख की

स्वीकृति आदेश संख्या सी–14011/25/2005–06सीसी(सीआर) वाल्यू–।। दिनांक 15–5–08 द्वारा प्राप्त हुई है जिसके लिए रू0 1,80,000/– का बैंक ड्राफ्ट भी प्राप्त हुए हैं। उक्त दोनो वर्कशाप में 60 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। शेष धनराशि प्राप्त करने हेतु आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कर भेजा जा चुका है परन्तु अभी अवशेष धनराशि प्राप्त नही हो सकी है प्रयास किया जा रहा है।

10. विकास आयुक्त (हस्त0), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रदेश के वाराणसी एवं मिर्जापुर मण्डल 1,23,000/– हस्तशिल्पियों के पहचान पत्र बनाने का कार्य इस संस्था को सौंपा गया था, जिसके लिए सम्बंधित मण्डलों के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से निर्धारित फार्म पर सूचना भेजने हेतु अनुरोध किया गया है जिसके विपरीत अभी तक संस्था द्वारा लगभग 16500 आई0डी0 कार्ड तैयार कर सम्बंधित महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से हस्तशिल्पियों को उपलब्ध कराया जा चुका है।

11. प्रदेश में हर्बल उद्योग के प्रचार–प्रसार हेतु महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, प्रबन्धकों एवं सहायक प्रबन्धकों को प्रशिक्षण एफ0एफ0डी0सी0 एवं मैपडाईटेक्स द्वारा एफ0एफ0डी0सी0 कन्नौज में प्रदान कराने का निर्णय आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा लिया गया। इस प्रशिक्षण हेतु रू0 2.10 लाख की स्वीकृति वर्ष 2008–09 में प्राप्त हुई जिससे 30 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण एफ0एफ0डी0सी0, कन्नौज में सम्पन्न कराया गया।

12. फर्रूखाबाद में –जरी–जरदोजी सामान्य सुविधा एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु फर्रूखाबाद प्रशासन द्वारा नजूल भूमि में 1100 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध करायी गयी है जिस पर बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु उद्योग निदेशालय के हस्तकला अनुभाग द्वारा रू0 2.25 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है जिसे कार्यदायी संस्था यू0पी0एस0आई0सी0 को बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु रू0 2.25 लाख देकर उक्त वाल निर्माण कराकर रू0 2.25 लाख की प्राप्त धनराशि की सुदपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

13. वित्तीय वर्ष 2009–10 में उद्योग निदेशालय से तकनीकी उन्नयन योजना का मूल्यांकन कार्य मैपडाईटेक्स एवं एन0पी0सी0 को संयुक्त रूप से करने के लिए दिया गया था जिसकी रिपोर्ट तैयार कर शासन को उद्योग निदेशलय के माध्यम से भेजा जा चुका है।

14. प्रदेश में हर्बल उद्योग के प्रचार–प्रसार एवं विकास हेतु प्रदेश के संयुक्त निदेशक उद्योग, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, मैनेजर एवं सहायक प्रबन्धकों में से 120 को प्रशिक्षित करने के लिए रू0 8.40 लाख की धनराशि प्राप्त हुई जिसके विपरीत 120 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है ।

15. वित्तीय वर्ष 2009–10 में विकास आयुक्त (हस्त) भारत सरकार से आगरा में एक जरी–जरदोजी के डिजाइन डेवलपमेन्ट वर्कशाप आयोजित करने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसके लिए रू0 1.80 लाख की स्वीकृति के विरूद्ध रू0 90,000=00 की धनराशि अग्रिम के रूप में प्राप्त हुई। उक्त वर्कशाप मई 2010 में सम्पन्न कराकर अवशेष धनराशि अवमुक्त करने हेतु समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर भेजा जा चुका है परन्तु अभी अवशेष धनराशि रू0 90,000=00 प्राप्त नही हो सकी है जिसे अवमुक्त कराने का प्रयास जारी है।

16. वित्तीय वर्ष 2010–11 में उद्योग निदेशालय,उ0प्र0 हस्तकला अनुभाग–13 कानपुर से निर्यात बाजार हेतु हस्तशिल्पियों के कौशल उन्नयन हेतु 15 दिवसीय डिजाइन कार्यशाला योजनान्तर्गत 5 प्रशिक्षण प्रोग्राम कानपुर, लखनऊ, कन्नौज, मिर्जापुर, भदोही के लिए क्रमशः लेदर क्राफ्ट, चिकन वर्क, जरी जरदोजी, कालीन उद्योग के प्राप्त हुए थे जिसके लिए रू0 7.50 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी। उक्त सभी पांचो प्रोग्राम विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत सरकार, नई दिल्ली के इम्पैनल्ड डिजाइनरों के सहयोग से सम्पन्न कराकर समस्त सूचना रिपोर्ट, सदुपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रशिक्षार्थियों द्वारा तैयार कलाकृतियों को उद्योग निदेशालय,उ0प्र0 हस्तकला अनुभाग, कानपुर को हस्तगत करा दिया गया है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा 100 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।

17. वित्तीय वर्ष 2010–11 में उद्योग निदेशालय,उ0प्र0 नियुक्ति अनुभाग–3 (प्रशिक्षण) से 5 प्रशिक्षण प्रोग्राम हर्बल उद्योग से सम्बंधित जानकारियां उद्योग विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध कराने के निर्णय के विरूद्ध दो प्रशिक्षण प्रोग्राम सम्पन्न करा लिये गये हैं। शेष तीन बैच के प्रशिक्षण हेतु धनराशि प्राप्त करने के सम्बंध में प्रयास किये जा रहे हैं जिसके लिए एफ0एफ0डी0सी0, कन्नौज से प्रशिक्षण की तिथियां भी माह फरवरी 2011 में निर्धारित करा ली गयी हैं।

✷✷✷

२४-उद्योग बन्धु

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के औद्योगिक विकास को त्वरित गति देने के उद्देश्य से 1981 में उद्योग बन्धु की स्थापना उच्च स्तरीय समिति के रूप में की गयी थी जिससे लघु/मध्यम/वृहद औद्योगिक इकाइयों की समयवद्ध स्थापना एवं सबन्धित समस्याओं के निराकरण को सुनिश्चित करने हेतु यथोचित सहायता प्रदान की जा सके। औद्योगिक वातावरण के सृजन के महत्वाकांक्षी उद्यमियों को उत्प्रेरित करने तथा आधारभूत सुविधाओं जैसे – भूमि, विद्युत, वित्त, वाणिज्य कर तथा अनुमन्य प्रोत्साहनो एवं सुविधाओं की यह संस्था न केवल जानकारी उपलब्ध करा रही है बल्कि औद्योगिक नीतियो का प्रतिपादन तथा शासकीय प्राविधानों के फलस्वरूप अनुभव की जा रही बाधाओं के लिए नीतिगत् निर्णय लेने तथा नीतियों में यथासंभव आवश्यक संशोधन कराने में उद्योग बन्धु उल्लेखनीय भूमिका निभा रही है।

उद्योग बन्धु के अध्यक्ष अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 हैं तथा इसके दैनिक कार्यो के दायित्व का सम्पादन अधिशासी निदेशक द्वारा किया जाता है। उद्योग बन्धु के उच्च स्तरीय समिति की बैठको के माध्यम से उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण एवं अध्ययन में उद्योग बन्धु की गहन भूमिका को देखते हुए शासन ने 28 फरवरी, 1989 को जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तथा मंडल स्तर पर 23 जून, 1990 को मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बन्धु का गठन किया गया था। विभिन्न समितियों के माध्यम से उद्यमियों की जिन समस्याओं का समाधान जिला/मण्डल स्तर की समितियों में नही हो पाता है, उन्हें राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करके उनका समाधान उद्योग बन्धु द्वारा कराया जाता है। वर्तमान में जिला उद्योग बन्धु की बैठकें प्रत्येक माह जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित की जाती है। जिला/मण्डल उद्योग बन्धु उद्योगों को विद्युत स्वीकृत, कनेक्शन, कर छूट, सुविधा, ऋण, कार्यशील पूंजी, भूमि पर कब्जा दिलाया जाना आदि विभिन्न प्रकार स्वीकृतियॉ प्रदान कराने में पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। उद्योग बन्धु को वर्ष 2009–10 में आई0एस0ओ0 9001–2008 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

उद्यमियों की समस्याओं के समाधान हेतु अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु द्वारा संबन्धित विभागों के साथ त्रिपक्षीय बैठकों का नियमित आयोजन किया जाता है। जिससे संबन्धित विभाग व उद्यमी आमने–सामने बैठकर समस्याओं का समाधान करते है। जिन समस्याओं का समाधान त्रिपक्षीय बैठकों के माध्यम से नही होता है उन्हें विशेष रूप से गठित वर्किग ग्रुप जैसे वाणिज्य कर, विद्युत, अवस्थापना, प्रदूषण तथा श्रम में प्रस्तुत कर समस्याओं का समाधान कराते है।

जिन समस्याओं का समाधान वर्किग ग्रुप के स्तर पर भी संभव नही होता या किसी महत्वपूर्ण नीति विषयक अथवा एक से अधिक विभाग से संबन्धित होता है या किसी महत्वपूर्ण निर्णायक बिन्दु उससे समाहित होता है तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष रखा जाता है।

उद्योग बन्धु का निम्नलिखित उद्देश्य है :–

1. औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के साथ–साथ अवस्थापना क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों को प्रदेश में उपलब्ध सुविधाओ, छूट, अन्य सुविधाओं जैसे भूमि, विद्युत, वाणिज्य कर इत्यादि से संबन्धित सूचनायें प्रदान करना। निवेशकों को प्रदेश के सम्बंध में जानकारी उपलब्ध कराने एवं अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से विभागीय वेबसाइट को सुदृढ किया गया है, जिसके माध्यम से औद्योगिक एवं अवस्थापना विभाग से सम्बंधित सभी शासनादेशों एवं प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही पी.पी.पी. परियोजनाओं से सम्बंधित सूचनाएं इत्यादि सुगमता से प्राप्त की जा सकती हैं।
2. उद्यमियों की समस्याओं को उच्चस्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना। उद्योगों के साथ–साथ अब सेवा क्षेत्र के उपक्रमों एवं अवस्थापकीय सुविधायें उपलब्ध कराने वाले उपक्रमों की भी समस्याओं का निराकरण एवं अनुश्रवण जिलास्तरीय उद्योग बन्धु, मण्डल स्तरीय उद्योग बन्धु एवं राज्यस्तरीय उद्योग बन्धु की बैठकों में किये जाने की व्यवस्था की गयी हैं।
3. शासन एवं विभिन्न विभागों से जनसंपर्क करना एवं नीतियों के प्रख्यापन मे शासन को राय देना।

4. निवेश मित्र के माध्यम से ऑन–लाइन स्वीकृतियॉ एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की व्यवस्था करना। प्रदेश में लघु, मध्यम् एवं वृहद उद्योगों को लगाने के लिए उद्यमियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने, अनापत्तियाँ प्राप्त करने एवं सहमति प्राप्त करने हेतु प्रथम चरण में 18 जिलों (आगरा, गाजियाबाद, बाराबंकी, कानपुर, गौतमबुद्ध नगर, गाजीपुर, लखनऊ, गोण्डा, रामपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, कुशीनगर, फतेहपुर, ज्योतिबा फूले नगर, उन्नाव एवं लखीमपुर खीरी) में ''निवेश मित्र'' व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिससे निर्णय प्रकिया में पारदर्शिता तथा जबावदेही बढ़ेगी। निवेश मित्र के कियान्वयन हेतु जिला उद्योग केन्द्रों को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा इस योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक उद्यमी लाभान्वित हो सके। प्रथम चरण में लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव एवं कानपुर में दो दिवसीय वर्कशाप के माध्यम से संबन्धित विभागों के अधिकारियों को निवेश मित्र योजना के उद्देश्यों से अवगत कराया गया। इन जनपदों में पूर्व से लागू वेब एनेबिल्ड सिंगल टेबिल सिस्टम के व्यवस्था समाप्त करते हुए निवेश मित्र योजना में ऑन–लाइन भुगतान की भी व्यवस्था की गयी है। शेष जनपदों में वेब एनेबिल्ड सिंगल टेबिल सिस्टम व्यवस्था प्रचालित है।
5. उद्यमियों को विभिन्न स्वीकृतियॉ/अनुमोदन एवं विभिन्न प्रकार की सुविधायें प्रस्तुत कराने में सहायता करना। प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों की सुविधा हेतु प्रदेश के समस्त जिला उद्योग केन्द्रों में हेल्पडेस्क की स्थापना कर दी गई है जिसके माध्यम से उद्यमियों को विभिन्न सूचनायें उपलब्ध कराई जाती है तथा उद्योग की स्थापना हेतु विभिन्न स्वीकृतियाँ/सहमतियाँ/अनापत्तियाँ प्राप्त करने में सहायता दी जाती है।
6. विभिन्न सेमिनार्स, इन्टेकमार्ट, ट्रेडफेयर्स आदि में भाग लेना, समन्वय कार्य तथा भारत सरकार के विभागो द्वारा आयोजित बैठको हेतु व उद्योग से संबन्धित विभिन्न औद्योगिक संगठनों से समन्वय करना। अधिक से अधिक निवेशकर्ताओं को आमंत्रित करने हेतु इनवेस्टर मीट का आयोजन करना एवं अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग करना।
7. इंटरनेट के माध्यम से उद्योगो से संबन्धित डाटा की मॉनीटरिंग करना।
8. भारत सरकार / उद्योग निदेशालय से आई0ई0एम0 एवं एल0ओ0 आई0 की नियमित रूप से सूचना का आदान–प्रदान करना।
9. विभिन्न मामलें जो कि मण्डलीय/जिला अथवा राज्य स्तर पर स्वीकृत होती है, का संज्ञान रखना।
10. विशिष्ट औद्योगिक संगठनों जैसे पी0एच0डी0 चैम्बर ऑफ कामर्स, सी0आई0आई0, आई0आई0ए0 एवं एसौचैम के साथ उद्योग बन्धु द्वारा प्रदेश के औद्योगिक वातावरण को प्रत्येक स्तर पर विकसित करने के उद्देश्य से एक नीति निर्धारण समिति का गठन किया है, जिसमें एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत नीतिगत् प्रकरणों पर संबन्धित विभागों के साथ बैठक कर मत स्थिर किया जाता है।
11. पी.पी.पी. आधार पर प्रदेश में एक्सप्रेस–वे, नगरीय परिवहन, चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन, सूचना एवं प्रोद्योगिकी, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, एयरपोर्ट, आवास, नगरीय पुनरूत्थान, तकनीकी शिक्षा, सड़क, ऊर्जा आदि सेक्टर में लगभग रू0 169301 करोड़ लागत की परियोजनाओं के क्रियान्वयन करने की कार्यवाही विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही है। इनके कियान्वयन का अनुश्रवण किया जा रहा है।
12. प्रदेश में विशेष आर्थिक परिक्षेत्र की स्थापना सम्बन्धी परियोजनाओं को बढावा देने का कार्य किया जा रहा है।

***

२५–उद्योग निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की दक्षता अभिवृद्धि हेतु

प्रदेश के सुनियोजित औद्योगीकरण एवं उपयुक्त वातावरण के सृजन तथा शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का निरंतर प्रशिक्षण अत्यन्त आवश्यक है। जिला उद्योग केन्द्र जनपदों में समन्वय एवं प्रसार का कार्य कर रहे हैं तथा उद्यमियों को इस्कार्ट सेवा उपलब्ध कराना समस्त क्रियाकलापों का केन्द्र बिन्दु बन गया है। अतः, प्रभावी समन्वय के लिए दक्षता, सम्पर्क एवं परामर्श हेतु पर्याप्त जानकारी और औद्योगिक विकास से सम्बन्धित विभागों के साथ–साथ रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स के नियमों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी अधिकारियों के लिए अत्यन्त आवश्यक है, इसके अतिरिक्त समसामयिक परिवर्तनों के अनुसार दृष्टिकोण परिवर्तन के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन महत्वपूर्ण है।

उद्योग व्यापार तथा वाणिज्यिक जगत मे हो रहे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिवर्तनों से सम्बन्धित बिन्दुओं पर सेमिनार तथा कार्यशालाएं अधिकारियों को नीतियों, रणनीतियों, कार्यशैली तथा दृष्टिकोणों के पुनरीक्षण तथा इनमें निहित कमियों और त्रुटियों को चिन्हित करने का का अवसर प्रदान करते हैं। संभावित परिवर्तनों के प्रभावों का विश्लेषण और आवश्यक तैयारियों पर विचार करने के लिए सबसे अच्छे प्लेटफार्म सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न शोध एवं प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के अतिरिक्त ऐसे संस्थानों के भ्रमण से नये अध्ययनों, शैक्षिक शोधों और अन्य राज्यों में प्रारम्भ की गयी नई नीतियों और कार्यक्रमों को समझने का अवसर प्रदान करते हैं।इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य स्तरीय, मण्डल स्तरीय तथा जनपद स्तरीय वर्कशापों और सेमिनारों का आयोजन विभिन्न विषयों तथा क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित बिन्दुओ पर अत्यन्त उपयोगी है। अन्य राज्यों के भ्रमण से उनके द्वारा प्रारम्भ की गई नई परियोजनाओं तथा नये प्रयोगों की सफलता का अध्ययन करने का अवसर ऐसे उपयोगी कार्यक्रमों को अपने प्रदेश में अपनाने के लिए आवश्यक है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में उद्योग विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं का विवरण (माह 31, दिसम्बर 2010 तक)

प्रशिक्षण कार्यक्रम				
क0	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	संस्थाओ का नाम	अवधि	अधि./कर्म की संख्या
1	डब्लू0 टी0ओ0	उ0प्र0प्रशासन अकादमी, लखनऊ	07–9 जुलाई, 2010	10
2	ट्रान्सपोर्ट आफ हजार्डस गुड्सः रिएक मैनेजमेन्ट एण्ड इमरजेन्सी रिस्पान्स	एन0आई0डी0एम0 नई दिल्ली	22–23 जुलाई,2010	01
3	फार मैनेजिग दा कान्ट्रेक्ट लेबर	लखनऊ मैनेजमेन्ट एसोशियेशन	11–12 जुलाई,2010	02
4	लेबर इन लेबर लॉ जजमेंटृस	लखनऊ मैनेजमेन्ट एसोशियेशन	13 जुलाई, 2010	02
5	सूचना अधिकार अधिनियम 2005	लखनऊ मैनेजमेन्ट एसोशियेशन	15, सितम्बर 2010	02
6	कोपिंग विद डिजास्टर आफ क्लाइमेट चेंज	उ0प्र0प्रशासन अकादमी, लखनऊ	29–31अगस्त, 2010	13
7	एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स	बैकर ग्रमीण विकास सस्थान	02–03नवम्बर 2010	48
8	सकारात्मक सोच व्यक्तिगत विकास	सचिवालय संस्थान कानपुर	08–12 नवम्बर 2010	04
9	प्रशासनिक प्रबन्ध	सचिवालय संस्थान कानपुर	27अप्रैल 1मई, 2010	02

10	मैनेजमेन्ट आफ केमिकल बायोजाजिकल रेडियेशन एवं न्यूकिलियर डिजास्टर्स	उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ	10–14 मई, 2010	10
11	साइन्टिफिक कन्वेन्शन : अर्बन ट्रान्सफार्मेशन द रोड एहेड	लखनऊ मैनेजमेन्ट एसोशियेशन	11, नवम्बर 2010	04
	कुल –11 कार्यक्रम		कुल–	98

सेमिनार कार्याक्रम

क्र0	सेमिनार कार्यक्रम का नाम	संस्थाओ का नाम	अवधि	अधि/कर्म. की संख्या
1	क्लाइमेट चेन्ज	सी0आई0आई लखनऊ	21,अप्रैल 2010	04
2	केनिटल मार्केट कारपोरेट गर्वनेन्स	कम्पनी सेकेट्रीज आफ इण्डिया	25,अप्रैल 2010	02
3	ग्यारवी पंचर्षीय योजना पर कार्यशाला	गिरि विकास अध्ययन सस्थान	11–12 अक्टुबर 2010	01
4	नेशलन ई–गवर्नेस प्लान	आई0टी0 एवं इलेक्ट्रनिक्स अनुभाग,	22 अक्टुबर 2010	02
5	राजीव गॉधी उद्यमी मित्र योजना	उद्योग निदेशालय कानपुर	21 दिसम्बर 2010	121
	कुल –05 कार्यक्रम		कुल–	130

प्रशिक्षण योजना

विगत तीन वर्षो (वर्ष,2008–09 से 2010–11 तक) की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण।

आयोजनेत्तर मद

भौतिक प्रगति			वित्तीय प्रगति		
वर्ष	कार्यक्रम की संख्या	प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या	बजट प्रावधान	स्वीकृत बजट	व्यय
2008–09	33	1357	शासनादेश के अनुसार प्रशिक्षण मद में वेतन बजट के एक प्रतिशत के समतुल्य बजट का प्रावधान हैं।	19.53 लाख	18.57 लाख
2009–10	38	913		19,45 लाख	19,42 लाख
2010–11 (31–12–2010)	11	98		47,38 लाख	10,85 लाख

सेमिनार कार्यक्रम

विगत तीन वर्षो (वर्ष,2008–09 से 2010–11 तक) की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण।

भौतिक प्रगति			वित्तीय प्रगति		
वर्ष	कार्यक्रम की संख्या	प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या	बजट प्रावधान	स्वीकृत बजट	व्यय
2008–09	11	422	04.00 लाख	02.00 लाख	01.90 लाख
2009–10	06	253	04.00 लाख	02.00 लाख	01,06 लाख
2010–11	05	130	शून्य	शून्य	शून्य

✷✷✷

२६-उद्योग निदेशालय में ई–गर्वेन्स की प्रगति

सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम/त्वरित उपयोग के माध्यम से उद्योग सम्बंधी नवीनतम सूचनाओं/तकनीकी गतिविधियों के सुसंगत एवं बेहतर संचालन/प्रस्तुतीकरण हेतु उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा सत्त प्रयास किया जाता रहा है जिसका उद्देश्य उचित प्रबन्ध व्यवस्था के माध्यम से सूचनाओं को तीव्र गति प्रदान करना तथा उद्यम संबंधीय प्रकियाओं का सरलीकरण हैं परिणामस्वरूप उद्योग सम्बंधी विशिष्ट/नवीनतम सूचनाओं से सुसज्जित उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों उद्यमों के उत्प्रेरण में प्रेरणा स्रोत का काम करेगा और आधुनिक एवं दक्ष कार्य संस्कृति का विकास भी होगा जिससे कार्यालय के दक्षता में भी अभिवृद्वि होगी।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एवं ई–गर्वनेन्स को सुदृढ़ रखने हेतु समस्त जिला उद्योग केन्द्रो को कम्प्यूटर, स्कैनेर,प्रिन्टर तथा इन्टरनेट सुविधायुक्त बनाया जा चुका है एवं प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्रों में हेल्प–डेस्क सुविधा की व्यवस्था की गई है जिसके माध्यम से उद्योग विभाग द्वारा अनुप्रयोग में लाई जाने वाली ई–गर्वनेन्स परियोजनाओं को उद्यमी एवं स्वरोजगार हेतु इच्छुक व्यक्ति को सुलभ बनाया जा रहा है। पत्राचार तथा अन्य प्रकार की सूचनाओं के संप्रेषण हेतु अधिकाधिक रूप से इन्टरनेट का प्रयोग किया जा रहा है ताकि सूचनाओं का संप्रेषण द्रुतगामी तथा मितव्यी हो सके।

इसके अतिरिक्त विविध संस्थाओं जैसे सिडबी, आई0टी0पी0ओ0, डीजी0एफ0टी0, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल तथा अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा निदेशालय से सूचनाएं मांगी जाती है इस हेतु निदेशालय में डाटा बैंक स्थापित करने में प्रयास किये जा रहें है। निदेशालय द्वारा विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन तथा उद्यमियों हेतु सार्थक सामग्री भी उपलब्ध करवाया जा रहा ताकि उद्यमियों को सूचनाओं एवं प्रक्रियों हेतु भटकना न पड़े।

उद्यमियों को आई0टी0 जागरूक बनाने हेतु हेतु विभिन्न कार्यशाला का भी आयोजन निदेशालय द्वारा किया जाता रहा है ताकि उद्यमी ई–गवर्नेन्स के विभिन्न परियोजनाओं जैसे ई–टेन्डर, उद्यमी निवेश मित्र, ऑनलाईन सिंगल टेबल सिस्टम, उद्यमी मित्र इत्यादि से उनका परिचय हो सके तथा इस परियोजनाओं निहित उद्देश्यों का अधिकाधिक लाभ उद्यमियों द्वारा प्राप्त किया जा सके।

स्वरोजगार सृजन से संबंधी महात्वाकॉक्षी कार्यक्रम 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्य' को लाभार्थियों को अधिकाधिक लाभान्वित करने के दृष्टि से विभाग द्वारा ई–ट्रेकिंग के माध्यम से सुविधा प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे है।

निदेशालय के सामग्री क्रय अनुभाग के अन्तर्गत की जाने वाली समस्त क्रय प्रक्रिया को समयबद्ध व कम्प्यूटराइज्ड किये जाने के साथ साथ वेब बेस्ड ऑनलाइन किये जाने हेतु निक लखनऊ, यू0पी0ई0सी0एल0 के सहयोग से ई–प्रिक्योरमेन्ट व्यवस्था लागू की गयी है। सामग्री क्रय अनुभाग के 270 टेण्डर ऑनलाइन प्रकाशित किये जा चुके है और भविष्य में सभी टेण्डर ई–प्रिक्योरमेन्ट के माध्यम से ही प्रकाशित होगें जिससे टेण्डर प्रक्रिया पारदर्शी एवं मितव्ययी होगी ।

प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने, वर्तमान योजनाओं का लाभ जन–जन तक सुलभ कराने, पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एवं उद्योग स्थापित करने को और अधिक सरल–सुगम बनाने के उद्देश्य से निवेश मित्र की स्थापना की गयी है जिसके लिए एकलमेज व्यवस्था के अन्तर्गत एक वेब आधारित साफ्टवेयर विकसित किया गया है ताकि उद्यमों को स्वीकृतियां/अनुमतियां/अनापत्तियां/प्रमाण–पत्र समयबद्ध रूप से निर्गत किया जा सके। प्रथम चरण में 18 जनपदों (रामपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बाराबंकी कानपुर(नगर), उन्नाव, मुरादाबाद, कुशीनगर, हाथरस आगरा, अलीगढ़, फतेहपुर, लखनऊ, गाजीपुर मथुरा, जे0पी0 नगर, लखीमपुर खीरी, गोण्डा) में यह व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत मध्यम एवं वृहद औद्योगिक इकाइयों के लिए उद्यमियों द्वारा आवेदन पत्र निवेश मित्र के माध्यम से ही प्राप्त किये जायेगें एवं समयबद्ध रूप में सभी सम्बंधित विभागों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए स्वीकृतियां/अनुमतियां/अनापत्तियां/प्रमाण पत्र आदि निर्गत किये जा जा रहे है।

दिनॉक 12.1.2011 तक ऑनलाइन निवेश मित्र व्यवस्था के माध्यम से 1067 आवेदन निस्तारित किये गये।

इसके अतिरिक्त सूक्ष्म तथा छोटी इकाईयो को ऑनलाईन एकल मेज की सुविधा प्रदान करने हेतु आई0आई0ए0 के सहयोग से ऑनलाईन एकल मेज व्यवस्था प्रदेश के समस्त जिलों प्रारभ्भ की गई है जिसके द्वारा उद्यमी मैमोरेन्डम पार्ट–1 एवं 2 की रसीद प्राप्तकर सकता है। इसके द्वारा दिनॉक 12.1.2011 तक 2363 आवेदन निस्तारित किये जा चुके है।

✷✷✷

3-सम्बन्धित विभाग

१-मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ० प्र०, इलाहाबाद

ब्रिटिश सरकार ने प्रदेश वासियों में नियमों, प्रक्रियाओं एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं के मुद्रण उद्देश्य से राजकीय सेन्ट्रल प्रेस, आगरा की स्थापना ब्रिटिश काल में की गयी थी, क्योंकि तत्कालीन समय में यूनाइटेड प्राविंस का मुख्यालय जनपद आगरा में था, तत्पश्चात् इसे इलाहाबाद जनपद में सन् 1857 में स्थानान्तरित किया गया। इस प्रकार यह विभाग वर्तमान में 154 वर्षीय प्रदेश शासन का बिना लाभ–हानि का सेवा विभाग है। पूर्व में राजकीय सेन्ट्रल प्रेस, इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। पूर्व समय में विभाग के सर्वोच्च अधिकारी (विभागाध्यक्ष) का पदनाम अधीक्षक (सुपरिन्टेन्डेन्ट) था। तत्पश्चात् सन् 1984 में विभागाध्यक्ष का पदनाम निदेशक परिवर्तित कर दिया गया, जो वर्तमान में भी प्रचलित है।

स्वतंत्र भारत के प्रान्त उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में दिनों–दिन वृद्धि के कारण मुद्रणालय के सर्वांगीण विकास एवं जनमानस के उपयोगार्थ शासकीय प्रपत्रों के मुद्रण/परिपूर्ति हेतु समय–समय पर शाखा एवं उप शाखा मुद्रणालयों की स्थापना की गई है, जो निम्नवत् है :–

क्रम सं0	शाखा मुद्रणालय का नाम	स्थापना वर्ष	शाखा मुद्रणालय का प्रधान पदनाम	उपशाखायें
1.	राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद	**1857**	संयुक्त निदेशक	(क) राजकीय मिनी प्रेस, मा0 उच्च न्यायालय, परिसर, इलाहाबाद। (स्थापना वर्ष **1988**) (ख) राजकीय प्रपत्र भण्डार, मा0 उच्च न्यायालय, इला0 के निकट जी0टी0 रोड, इलाहाबाद। (स्थापना वर्ष **1972**)
2.	राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ	**1949**	संयुक्त निदेशक	(क) राजकीय शाखा मुद्रणालय, हजरतगंज, लखनऊ । (स्थापना वर्ष **1981**) (ख) राजकीय मिनी प्रेस राजभवन परिसर, लखनऊ । (**ब्रिटिश काल से**)
3.	राजकीय मुद्रणालय, बागहजारा, रामपुर	**1976**	उप निदेशक	–
4.	राजकीय मुद्रणालय, रामनगर, वाराणसी	**1979**	उप निदेशक	–

पूर्व मे इस विभाग का मुख्यालय, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद था और विभागाध्यक्ष, अधीक्षक (वर्तमान में निदेशक) के अधीन नियंत्रित था, किन्तु वर्ष 1990 में शासनादेशानुसार राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद से पृथक कर, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद के परिसर स्थित लेखन सामग्री भवन में निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, निदेशालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना के उपरान्त, राजकीय शाखा मुद्रणालय, हजरतगंज लखनऊ के परिसर में शिविर कार्यालय की स्थापना वर्ष 2006 में किया गया।

यह विभाग श्सामान्य सेवाओं के अर्न्तगत पृथक इकाईयों में विभाजित/संचालित है, जिसकी देखरेख प्रत्येक इकाईयों में तैनात कार्यालयाध्यक्षों द्वारा की जाती है, किन्तु समस्त इकाईयों के नियंत्रक, निदेशक (विभागाध्यक्ष) है। यह विभाग प्रदेश शासन का एक महत्वपूर्ण विभाग है, जो प्रशासकीय विभाग, औधोगिक विकास विभाग (औद्योगिक विकास अनुभाग–2) उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन है।

यह विभाग राज्य सेक्टर के अर्न्तगत वित्त पोषित है। इस विभाग को वित्तीय स्वीकृतियां राज्य योजना आयोग–1 नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा प्राप्त होती है।

2– विभाग के अन्तर्गत चल रही चालू योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद, लखनऊ (ऐशबाग एवं हजरतगंज), रामपुर एवं वाराणसी को आधुनिकीकृत करने हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि (2007–2012) में राज्य योजना आयोग–1, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के आ0शा0 पत्र सं0 18 एफ (1) 35–आ–1/2006–19, दिनांक 11.4.2007 द्वारा आयोजनागत पक्ष में 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु रु0 2500.00 लाख का परिव्यय निर्धारित किया गया, जिसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष का आय–व्ययक प्राविधान, निर्धारित परिव्यय, स्वीकृतियॉ एवं व्यय निम्नवत् है :–

आयोजनागत पक्ष (प्लान हेड)

(रु0 लाख में)

वर्ष	आय–व्ययक प्राविधान	निर्धारित परिव्यय	स्वीकृति	व्यय
2007–08	948.45	740.00	700.00	धनराशि शासन को समर्पित ।
2008–09	897.25	600.00	600.00	162.72 । शेष धनराशि रु0 437.28 लाख शासन को समर्पित ।
2009–10	150.00 (मशीनों के क्रय हेतु)	150.00	150.00	रु0 150.00 लाख में से रु0 1,47,01,000.00 व्यय हुआ तथा शेष धनराशि रु0 2,99,000.00 शासन को समर्पित।
2010–11	50.00 (मशीनों के क्रय हेतु)	50.00	50.00	रु0 50.00 लाख की स्वीकृति शासन के पत्रांक 1134/77–2–10–1(84) पी एस/09 दि0 20/7/2010 दवारा प्राप्त हुयी जिसमें से रु 29.31 लाख व्यय हो चुका है तथा शेष धनराशि पर क्रय कार्यवही जारी है।

विभाग के अन्तर्गत चल रही भविष्य की योजनायें

प्रदेश में औद्योगिक विकास को गतिशीलता प्रदान करने, प्रदेश के बाहर के उद्यमियों को प्रोत्साहित एवं आकर्षित करने हेतु औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढीकरण करना सर्वप्रथम आवश्यक है। कम्प्यूटराइजेशन युग में अत्याधुनिक मशीनों की स्थापना के उपरान्त भावी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने हेतु प्राथमिकता पर वार्षिक योजनानुसार मशीनें के क्रय के साथ आवश्यकतानुसार राजकीय मुद्रणालयों के भवनों का परिवर्तन/परिवर्द्धन, तापमान/आर्द्रता नियंत्रण, जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण कराया जाना परमावश्यक है। मुद्रणालयों हेतु मशीनों के क्रय में समुचित धनराशि के आबंटन के उपरान्त ही आगामी वार्षिक योजना वर्ष 2011–12 में मशीनों का क्रय संभावित होगा। साथ ही भवनों के परिवर्तन/परिवर्द्धन एवं जीर्णोद्धार व सुदृढीकरण आदि हेतु धनावंटन का प्रस्ताव नई मांग स्वरुप शासन के समक्ष निदेशालय के पत्रांक 25 प्लान–निदे0–10 दिनांक 15–11–2010 द्वारा भेजा गया है। अतः राजकीय मुद्रणालयों को गतिशीलता प्रदान करने के निमित्त भवनों के निर्माण आदि कार्य हेतु धनावंटन प्राप्त होने पर ही मशीनों की स्थापना एवं सुविधाओं का सुदृढीकरण हो पावेगा ।

3– विभाग की कार्य प्रगति

नेशनल इन्फारमेटिक्स सेन्टर, लखनऊ द्वारा मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 विभाग की वेबसाइट दिनांक 18.4.2008 को तैयार किया गया, जिसपर विभाग के कार्य प्रणाली की सम्पूर्ण सूचनाएं तथा ई–गवर्नेन्स प्लान के अर्न्तगत ई–प्रोक्योरमेन्ट/ ई–टेण्डरिंग प्रणाली में होने वाले टेण्डर से संबंधित सूचनाएं (बिड डाकूमेन्ट एवं नियम शर्तें) वेबसाइट पर उपलब्ध है।

यह विभाग मुद्रण तथा लेखन सामग्री नियम संग्रह (प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी मैनुअल) से संचालित है एवं मैनुअल के अन्तर्गत शासन के महामहिम राज्यपाल, सामान्य प्रशासन, सचिवालय तथा अन्य समस्त शासकीय विभागों के उपयोगार्थ प्रपत्रों का मुद्रण, जिल्दसाजी एवं लेखन सामग्री सम्पूर्ति कार्यों का निष्पादन कर उनकी देखभाल करना ही इसका एकमात्र उददेश्य एवं विशिष्टियां हैं।

मुद्रण एवं लेखन–सामग्री, उ0प्र0, विभाग की कार्य प्रणाली में राज्याधीन विभागों के विभिन्न श्रृंखलाओं के 1600 प्रकार के पंजीकृत तथा लगभग 300 प्रकार के अपंजीकृत प्रपत्र, रजिस्टरों जैसे शिक्षा, गजेटियर, साधारण एवं असाधारण गजट, उर्दू गजट, महालेखाकार की वित्तीय एवं आडिट रिपोर्ट, बजट, परफारमेन्स बजट, माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं, परीक्षा संबंधी विभिन्न प्रपत्रों, लोक सेवा आयोग के कार्य, मा0 उच्च न्यायालय के काजलिस्ट एवं अन्य प्रपत्र, लोक सभा, विधान सभा, स्थानीय निगम एवं पंचायत के निर्वाचन मतपत्रों, विधानमण्डल, परिषद् की कार्यवाहियों, एजेण्डा आदि का मुद्रण, प्रकाशन एवं महामहिम श्रीराज्यपाल सचिवालय, सचिवालय प्रशासन, विधानसभा, परिषद की लेखन सामग्री आदि की सम्पूर्ति का कार्य आता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्याधीन विभागों के गोपनीय कार्य–कार्मिक विभाग के शासनादेश, राजाज्ञा, नियुक्तियां, प्रतिवेदन, पुलिस विभाग के जी0डी0, सी0डी0, गोपनीय आख्या कोषागार एवं विभागीय परीक्षाओं के प्रकाशन आदि का मुद्रण व प्रकाशन कार्य किया जाता है ।

निदेशक (विभागाध्यक्ष) द्वारा राज्याधीन विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण एवं विभागीय कार्यकलापों के निष्पादन हेतु प्रदेश के 72 जिलों को सम्बन्धित चारों शाखा मुद्रणालयों के नजदीकी जिलों के परिक्षेत्रों में बांटा गया है, जो निम्नानुसार हैं, जहां से सम्बन्धित जिलों के शासकीय विभागों को प्रपत्रों का मुद्रण एवं सम्पूर्ति कार्य सम्पादित किया जाता है :–

मुद्रणालय का नाम	जिलों का नाम
राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद (25 जिले)	आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, मथुरा, अलीगढ़ हाथरस, इलाहाबाद, प्रतापगढ, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर शहर, रमाबाई नगर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरेया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झॉसी, ललितपुर, कांशीराम नगर।
राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ (15 जिले)	लखीमपुरखीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, छत्रपति शाहू जी महराज नगर ।
राजकीय मुद्रणालय, रामपुर (15 जिले)	बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, जे0पी0नगर, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत।
राजकीय मुद्रणालय, वाराणसी (17 जिले)	मऊ, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, चन्दौली, सन्त रविदासनगर (भदोही), मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, सन्त कबीर नगर, आजमगढ़।

मुद्रण एवं लेखन–सामग्री नियम संग्रह (प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी मैनुअल) में उत्तर प्रदेश के सरकारी ओर अर्द्ध सरकारी कार्यालयों तथा संस्थानों को लेखन–सामग्री आदि को प्राप्त करने का प्राविधान है। वे राजकीय मुद्रणालयों से मुद्रण कार्य निष्पादित कराने के लिए प्राधिकृत हैं। प्रदेश शासन से सम्बन्धित विभागों के मांगाधिकारियों (इन्डेन्टिंग आफिसर्स) अपने अपने विभागों के उपयोगार्थ सम्बन्धित श्रृंखलाओं के प्रपत्र (विवरण निम्नवत् है) व लेखन–सामग्री को प्राप्त करने के लिए प्रान्तीय प्रपत्र संख्या–173 पर अपना मांग–पत्र (इन्डेन्टस) निर्धारित तिथियों के अन्तर्गत भेजकर प्रपत्रों, लेखन–सामग्री की आपूर्ति प्राप्त कर सकते है ।

क्रम सं0	विभागीय प्रपत्रों का नाम	निर्धारित अवधि	प्रपत्रों का प्रकार
1	2	3	4
1.	प्रान्तीय (प्राविन्शियल)	अगस्त	36
2.	कोषागार (ट्रेजरी)	दिसम्बर	200
3.	सिंचाई विभाग (आई0 डी0)	दिसम्बर	36
4.	लोक निर्माण विभाग (पी0डब्लू डी0)	दिसम्बर	169
5.	पुलिस	अगस्त	111
6.	परिवहन आयुक्त (एम0टी0सी0)	अगस्त	10
7.	वन (फारेस्ट)	अगस्त	43
8.	कारागार (प्रीजन)	नवम्बर	03
9.	न्यायालय (एच0सी0जे0)	जुलाई	444
10.	निबन्धन (आई0जी0आर0)	जनवरी	27
11.	राजस्व विभाग (बी0 आर0)	नवम्बर	67
12.	राजस्व परिषद (आर0 डी0)	नवम्बर	58
13.	चिकित्सा (डिस्पेन्सरी)	नवम्बर	10
14.	पशुपालन (डी0ए0एच0)	मार्च	02
15.	कृषि (डी0ए0)	सितम्बर	10
16.	कारखाना	जुलाई	50
17.	जिला परिषद एवं नगर पालिका	जुलाई	109
18.	विविध	जुलाई	30
19.	भूलेख	जुलाई	142
20.	जमींदारी उन्मूलन	जुलाई	43
		योग :–	**1600**

मैनुअल में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के कार्य–कलापों के संबंध में शासन द्वारा जारी किये गये नवीनतम आदेश को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार मैनुअल में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से संबंधित कार्यों को सम्पादित कराने हेतु नियमों एवं प्राविधानों का समावेश है, जिस हेतु मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, उ0प्र0 कर्तव्यनिष्ठ है।

4– 11वीं पंचवर्षीय योजना के विगत 3 वर्षो (2008–09, 2009–10 एवं 2010–11 तक) की प्रगति का विवरण

आयोजनागत पक्ष (प्लान हेड)

(रु0 लाख में)

वर्ष	आय–व्ययक प्राविधान	निर्धारित परिव्यय	स्वीकृति	व्यय
2008–09	897.25	600.00	600.00	162.72 । शेष धनराशि रु0 437.28 लाख शासन को समर्पित ।
2009–10	150.00 (मशीनों के क्रय हेतु)	150.00	150.00	रु0 150.00 लाख में से रु0 1,47,01,000.00 व्यय हुआ तथा शेष धनराशि रु0 2,99,000.00 शासन को समर्पित।
2010–11	50.00 (मशीनों के क्रय हेतु)	50.00	50.00	रु0 50.00 लाख की स्वीकृति शासन के पत्रांक 1134/77–2–10–1(84) पी एस/09 दि0 20/7/2010 दवारा प्राप्त हुयी जिसमें से रु 29.31 लाख व्यय हो चुका है तथा शेष धनराशि पर क्रय कार्यवही जारी है।

आयोजनेत्तर पक्ष

(रु0 लाख में)

वर्ष	बजट प्राविधान	वास्तविक व्यय
2008–09	8046.85	4915.14
2009–10	9536.92	9291.56
2010–11	11321.16	7806.92

5– चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के वार्षिक लक्ष्य एवं उत्पादन (उपलब्धि) का विवरण

दिनांक 31.12.10 तक

क्रम सं0	मद का नाम	इकाई	लक्ष्य		उपलब्धि	प्रतिशत
			वार्षिक	क्रमिक		
1	2	3	4	5	6	7
1	राजकीय मुद्रणालयों, इलाहाबाद, लखनऊ (ऐशबाग/हजरतगंज), रामपुर एवं वाराणसी का आधुनिकीकरण	डी0टी0पी0 कम्पोजिंग कैरेक्टर्स (करोड़ में)	100.90	75.67	69.66	92 :
		मुद्रण इम्प्रेशन ए–4 साइज (करोड़ में)	311.13	233.35	144.31	62 :
		कागज खपत (मैट्रिक टन में)	11225.698	8419.273	3271.896	39 :

6 एवं 7 विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछडें वर्गो एवं अल्पसंख्यकों के लिए शासन स्तर पर समय–समय पर निहित निर्देशों के अनुपालन में निर्गत शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में नियुक्ति एवं प्रोन्नति संबंधी कार्यो का क्रियान्वयन किया जाता है ।

8 महिलाओं/विकलांगों/भूतपूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अन्य विशेष वर्गो के लिए रोजगार के अवसर समय–समय पर शासनादेशानुसार प्रदान किये गये हैं/ किये जा रहे हैं, के प्रसंग में समय–समय पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है/की जा रही है ।

9 क्षेत्रीय असंतुलन की विषमताओं को दूर करने तथा प्रदेश की औद्योगिक गति को निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर होने के लिए विभाग के राजकीय मुद्रणालयों इलाहाबाद, लखनऊ (ऐशबाग/हजरतगंज), रामपुर एवं वाराणसी को इण्टरनेट की त्वरित सेवा चालू कर दी गई है जिससे सभी शाखाओं व जनमानस को किसी भी प्रकार की सूचना की मॉग पर, उन्हें सूचना सीधे उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही विभाग की आधुनिकीकरण योजना को उच्च शिखर पर ले जाने के लिए आधुनिकतम कम्प्यूटराइज्ड मशीनों की स्थापना की गई/की जा रही है, जिससे प्रदेश में नई–नई आधुनिक तकनीकी मशीनों का ज्ञानार्जन समाज के लोगों को कराया जा सके ।

***

२-हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर

हथकरघा उद्योग कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला प्रदूषण रहित विकेन्द्रीकृत कुटीर उद्योग है। यह उद्योग अपनी परम्परागत कलात्मकता एवं ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। वर्तमान सरकार ने स्वदेशी दृष्टिकोण को प्राथमिकता देने के इरादे से इस उद्योग को ग्रामीण क्षेत्र तक प्रसारित करने का उद्देश्य बनाया है। हथकरघा उद्योग का सीधा सम्बन्ध स्वदेशी भाव से है। प्रदेश में उत्पादित वस्त्रों का विक्रय एवं प्रदर्शन विभिन्न प्रदेश के साथ–साथ विदेशों में भी किया जा रहा है। जिससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का अर्जन भी हो रहा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हथकरघा उद्योग को भी विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ, परन्तु उद्योग निदेशालय के अंतर्गत हथकरघा अनुभाग के रूप में कार्य करने के कारण हथकरघा उद्योग तथा बुनकरों की स्थिति में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नही हुई। अतः प्रदेश में राम सहाय आयोग की संस्तुति के आधार पर 16 सितम्बर 1972 को हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय का गठन एक स्वतंत्र विभाग के रूप में हुआ।

वर्ष 1995–96 की गणना के आधार पर प्रदेश में लगभग 6.64 लाख हथकरघा बुनकर, 2.24 लाख हथकरघों पर हथकरघा वस्त्रों का उत्पादन कर रहे हैं। देश के कुल हथकरघा बुनकरों की लगभग एक चौथाई बुनकरों की संख्या उ0प्र0 में है। लगभग 1.16 लाख पावरलूम बुनकर, 0.70 लाख पावरलूमों पर वस्त्रों का उत्पादन कर रहे हैं। हथकरघा/पावरलूम उद्योग के प्रमुख केन्द्र बिन्दु **गोरखपुर** (जैकार्ड बेडकवर, टावेल, टेरीकाट सूटिंग), **सिद्धार्थ नगर** (काटन साड़ी, धोती), **मऊ** (मऊ साड़ी, काटन पोलिस्टर साड़ी, लुंगी), **आजमगढ़** (सिल्क साड़ी), **वाराणसी** (सिल्क साड़ी, ड्रेस मैटेरियल), **बस्ती** (जैकार्ड बेडकवर, टावेल, टेरीकाट सूटिंग), **फैजाबाद** (गमछा, लुंगी, ड्रेस मैटेरियल), **टाण्डा** (टेरीकाट शर्टिंग), **अम्बेदकर नगर** (गमछा, लुंगी, ड्रेस मैटेरियल), **सीतापुर** (काटन दरी, धोती लुंगी, गमछा), **हरदोई** (काटन धोती, गमछा, गाढ़ा), **मुरादाबाद** (पाइल बेडकवर, गाढ़ा, शर्टिंग, टावेल, गाज–बैंडेज, प्रिन्टेड बेडशीट्स), **बिजनौर** (काटन खेस, बेडशीट्स, कम्बल, ऊनी शाल), **मेरठ** (प्रिन्टेड बेडकवर, बेडशीट्स, फर्नीशिंग क्लाथ), **गाजियाबाद** (टेपेस्ट्री, जैकार्ड बेडकवर, एवं एक्सपोर्ट टावेल), **अलीगढ़** (काटन दरेट, दरी, गाढ़ा, धोती), तथा **झॉसी** (टेरीकाट सूटिंग, शर्टिंग) है।

बुनकरों के उत्थान एवं हथकरघा उद्योग विकास के लिए हथकरघा निदेशालय के 13 परिक्षेत्रीय कार्यालय प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कार्यरत है। प्रदेश के बुनकरों की आर्थिक एवं समाजिक स्थिति के सुधार एवं हथकरघा उद्योग के समग्र विकास हेतु भारत सरकार/प्रदेश सरकार द्वारा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय के समन्वित सहयोग से प्रदत्त सहायता के माध्यम से निम्न प्रमुख योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

1) एकीकृत हथकरघा विकास योजना :–

विकास आयुक्त हथकरघा, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा एकीकृत हथकरघा विकास योजना लागू की गयी है जिसमें हथकरघा उद्योग को सक्षम बनाने के उद्देश्य से समग्र रूप से बुनकरों, व्यापारी, मास्टर वीवर, निर्यातक, ट्रेडर्स, कच्चा माल व्यापारी, यार्न एवं डाई केमिकल के आपूर्तिकर्ताओं को समूह एवं क्लस्टर के रूप में एक–दूसरे से लिंक स्थापित कर अपना समस्त कार्य अपने द्वारा गठित संस्था के माध्यम से स्वयं कर अपनी समस्याओं का निराकरण एवं उद्योग के विकास में कार्य करने का प्रस्ताव है।

(क) क्लस्टर – योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005–06 में 4 क्लस्टरों को चयन किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

क0	क्लस्टर का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम
1	वाराणसी	इन्ट्रीप्रिनियोरशिप डेवलपमेन्ट आफ इण्डिया, नियर विलेज भाटा, वाया अहमदाबाद एयरपोर्ट एण्ड इन्द्राब्रिज पोस्ट आफिस, भाटा–382438, गांधीनगर, गुजरात।
2	बाराबंकी	नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ स्माल इन्डस्ट्रीज एक्सटेन्शन ट्रेनिंग यूसुफ गुडा, हैदराबाद–500045, आन्ध्रप्रदेश।
3	मुबारकपुर, आजमगढ़	नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ स्माल इन्डस्ट्रीज एक्सटेन्शन ट्रेनिंग यूसुफ गुडा, हैदराबाद–500045, आन्ध्रप्रदेश।
4	बिजनौर	टेक्सटाइल कमेटी, पी0 बालू रोड, प्रभादेवी चौक, मुम्बई–400025, महाराष्ट्र।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में 10 क्लस्टरों को चयन किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

क0	क्लस्टर का नाम	जनपद का नाम	बुनकर की संख्या	कार्यदायी संस्था का नाम
1	गोरखपुर शहर और खलीलाबाद	गोरखपुर	300	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, गोरखपुर
2	अमरोहा	जे0पी0 नगर	500	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, मुरादाबाद
3	भोजपुर (सरदार नगर, रानीनांगल)	मुरादाबाद	500	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, मुरादाबाद
4	दुलहीपुर (मुगलसराय, चन्दौली)	चन्दौली	500	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, वाराणसी
5	कैराना (कैराना गॉव और आस–पास का क्षेत्र)	मुजफ्फरनगर	400	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, मेरठ
6	झॉसी (मऊरानीपुर और पृथ्वीपुर)	झॉसी	300	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, झॉसी
7	सरैयां (बटलोहिया और कोनिया)	वाराणसी	500	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, वाराणसी
8	पीलीभीत (मीरपुर वाहनपुर और आस–पास का क्षेत्र)	पीलीभीत	300	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, बरेली
9	अदलहाट (नरायनपुर ब्लाक, पातीहारा खुटहा)	मिर्जापुर	500	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, वाराणसी
10	बजरडीहा	वाराणसी	500	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, वाराणसी

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में 14 क्लस्टरों को चयन किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

क0	क्लस्टर का नाम	जनपद का नाम	बुनकर की संख्या	कार्यदायी संस्था का नाम
1	खेकड़ा	बागपत	375	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, मेरठ
2	लावण्य	मेरठ	460	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, मेरठ
3	ठाकुरद्वारा	मुरादाबाद	370	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, मुरादाबाद
4	बुढ़नपुर	बिजनौर	500	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, मुरादाबाद
5	बीलना, नहरपार क्षेत्र	जे0पी0 नगर	305	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, मुरादाबाद

6	सैफनी, छितौनी, भजनपुर, सागरपुर	रामपुर	433	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, मुरादाबाद
7	विकास खण्ड–मझवा	मिर्जापुर	500	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, वाराणसी
8	चोलापुर	वाराणसी	300	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, वाराणसी
9	इब्राहिमपुर	आजमगढ़	310	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, मऊ
10	सरैया	आजमगढ़	350	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, मऊ
11	चकसिकठी	आजमगढ़	326	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, मऊ
12	कयोटिबादुल्ला, बिसेन्डी, बिसवॉ	सीतापुर	313	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, लखनऊ
13	मल्लावॉ	हरदोई	352	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, लखनऊ
14	सुजातगंज, चन्दारी	कानपुर	311	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, कानपुर

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में 11 क्लस्टरों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0	**क्लस्टर का नाम**	**जनपद का नाम**	**बुनकर की संख्या**	**कार्यदायी संस्था का नाम**
1	बड़ागांव	वाराणसी	320	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, वाराणसी
2	दुलहीपुर	चन्दौली	312	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, वाराणसी
3	जलालपुर	वाराणसी	315	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, वाराणसी
4	सिकन्दरपुर	चन्दौली	350	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, वाराणसी
5	सरैयां, मुहाना	वाराणसी	320	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, वाराणसी
6	हरसोस	वाराणसी	345	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, वाराणसी
7	लल्लापुरा	वाराणसी	320	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, वाराणसी
8	कॉठ (गरही, सलेमपुर, सिकन्दराबाद)	मुरादाबाद	500	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, मुरादाबाद
9	अमरोहा–।।	जे0पी0 नगर	500	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, मुरादाबाद
10	भोजपुर–।।	मुरादाबाद	500	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, मुरादाबाद
11	धकिया (पीरू)–।	मुरादाबाद	500	सहायक निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, मुरादाबाद

योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 में स्वयं सहायता समूह (एन0जी0ओ0) के माध्यम से प्राप्त 08 हथकरघा क्लस्टरों के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये थे, जिनकी स्वीकृति प्राप्त हुई है विवरण निम्नवत् है :–

क्रमांक	क्लस्टर का नाम	संस्था का नाम
1–	नैनामऊ जिला बाराबंकी	ब्रिज सेन्टर फार असिस्टेंट टू वीकर सेक्सन्स आफ दि इण्डियन सोसाइटी 1042, सेक्टर–ए, पाकेट–ए, वसन्तकुंज, नई दिल्ली।
2–	दरहरा जिला बाराबंकी	
3–	साहबपुर जिला बाराबंकी	
4–	कन्टूर जिला बाराबंकी	
5–	हाथरस जिला महामाया नगर	एहसास फाउण्डेशन, डी–6,6138/8, वसंतकुंज नई दिल्ली।
6–	फतेहपुर सीकरी जिला आगरा	ग्लोबल वैल्यू क्रिएशन, 301,एस0जी0 शापिंग माल सेक्टर–9 रोहिणी दिल्ली।
7–	चिरई गॉव वाराणसी	जल संग्रहण विकास समिति, सुरभि उत्सव पहाड़िया, वाराणसी।
8–	करधना सेवापुरी, वाराणसी	स्मृति सेवा संस्थान सी–23–इ, पार्क महानगर विस्तार, लखनऊ।

योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 में 01 हथकरघा क्लस्टर को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हुई है विवरण निम्नवत् है :–

क्रमांक	क्लस्टर का नाम	संस्था का नाम
1–	सफीपुर उन्नाव	यू0पी0एपेक्स एक्सपोर्ट कार्पो0 मार्के0 एसो0 लि0, कानपुर।

(ख) ग्रुप एप्रोच

क्लस्टरो मे जो हथकरघा बुनकर शामिल नही हुये है उन्हें समूह दृष्टिकोण से लाभ दिया जाता है, जिसका कार्यान्वयन आस–पास के भौगोलिक क्षेत्र उदाहरणार्थ ग्रामीण क्षेत्र मे राजस्व ग्राम खण्ड और शहरी क्षेत्र मे वार्ड मे सामान्य विशेषतायें है। हथकरघा बुनकरों का विकास परियोजना प्रणाली मे किया जायेगा ऐसे समूह जिनमे न्यूनतम 10 बुनकर है, सहायता के पात्र होंगे और समूह परियोजना रिपोर्ट के आधार पर उन्हें सहायता दी जायेगी।

(ग) हथकरघा संगठन को सहायता

1. **विपणन प्रोत्साहन** – विपणन हेतु सहायता के लिए विगत तीन वर्षो के औसत बिक्री कारोबार का 10 प्रतिशत की दर से राज्य हथकरघा निगम,शीर्ष सहकारी समितियॉ,प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियॉ तथा राष्ट्रीय हथकरघा संगठन पात्र होंगे। इसमे से भारत सरकार और राज्य सरकार का अंश बराबर का होगा।
2. **हथकरघा संगठनों का सुद्ढीकरण** – राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हथकरघा संगठनों की पुनः संरचना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर–बराबर दी जायेगी।

(घ) अन्य

योजना के सुधारात्मक विचारों और प्रचार,मानिटरिंग,पर्यवेक्षण,प्रशिक्षण और मूल्यांकन के लिये सहायता दी जायेगी।

2) पावरलूम क्षेत्र का आधुनिकीकरण एवं समग्र विकास योजना

पावरलूम उद्योग का वस्त्रोद्योग क्षेत्र मे एक महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक उदारीकरण के पश्चात यह उद्योग देश के प्रमुख उद्योगो के रूप मे विकसित हो रहा है। देश मे पावरलूम पर उत्पादित हो रहे वस्त्रों से निर्मित परिधानों का न केवल विकाशील देशों मे बल्कि विकसित देशों मे भी निर्यात हो रहा है। वस्त्रों की मॉग एवं पावरलूम के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने, आधुनिकीकरण करने एवं समग्र विकास की अपार सम्भावनायें पायी गयी थी और इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये इस योजना को दिनॉक 24.03.2008 को लागू किया गया था। कालान्तर मे यह पाया गया कि उक्त योजना का लाभ पावरलूम बुनकरों को सही ढंग से नही मिल पा रहा है। शासन स्तर पर विभिन्न चरणों मे योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध मे बैठकें आयोजित कर यह निर्णय लिया गया कि पूर्व संचालित योजना मे निम्न प्रकार से आंशिक संशोधन कर योजना का प्रारूप तैयार कर योजना को प्रारम्भ किया जाये।

पावरलूम उद्योग के बुनकरों को तकनीकी/प्रबन्धकीय प्रशिक्षण,नये सेमी आटोमेटिक/ आटोमेटिक पावरलूम की स्थापना,पुराने पावरलूम का उच्चीकरण,कार्यशाला निर्माण आदि सुविधाये प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है। इसमे विपणन के स्त्रोत की सम्भावना,छोटे एवं अत्यन्त छोटे पावरलूम बुनकरों की वर्तमान आय मे वृद्धि,रोजगार के अवसर मे वृद्धि,वस्त्रों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता मे वृद्धि की अपार सम्भावनायें हैं। इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बुनकरों को सम्मिलित कर लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव है। संशोधित दिशा–निर्देश के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है :–

(क) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बुनकरों द्वारा 10 प्रतिशत की धनराशि स्वयं वहन की जाये तथा 90 प्रतिशत की धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। जबकि पूर्व मे 50:50 के अनुपात मे योजना क्रियान्वित थी।

(ख) योजना मे प्रत्येक लाभार्थी/इकाई को अधिकतम 02 लूम का लाभ दिया जायेगा। जबकि पूर्व मे 01 लाभार्थी/ इकाई को 01 ही लूम देय था।

3) हैल्थ इन्श्योरेंस योजना :–

यह योजना शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित है। भारत सरकार के सहयोग से आई0सी0आई0सी0आई0 लाम्बार्ड जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0 द्वारा संचालित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों को इस योजनान्तर्गत आच्छादित किया जाता है। वार्षिक प्रीमियम रू0 988.30 जिसमें बुनकर का अंशदान रू0 179.20 एवं भारत सरकार का अंशदान रू0 809.10 है। भारत सरकार अपने अंश की धनराशि सीधे आई0सी0आई0सी0आई0 लाम्बार्ड जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0 को अवमुक्त करेगी। योजनान्तर्गत बुनकर, बुनकर की पत्नी एवं दो बच्चों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। प्रति बुनकर परिवार को रू0 15000/– धनराशि का निम्नलिखित रोगों में लाभ देय होगा–

1.	वार्षिक सीमा प्रति परिवार (1+3)	रू0 15,000/–
2.	मातृत्व लाभ(पहले दो बच्चे के लिये प्रति बच्चा)	रू0 2,500/–
3.	दंत चिकित्सा	रू0 250/–
4.	नेत्र चिकित्सा	रू0 75/–
5.	चश्में	रू0 250/–
6.	आवासी चिकित्सा	रू0 4,000/–
7.	बाल कवरेज	रू0 500/–
8.	ओ0 पी0 डी0	रू0 7,500/–
9.	आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक/सिद्ध	रू0 4000/–

योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 में 1,91,714 बुनकरों को आच्छादित कर लाभान्वित किया गया।

4) महात्मा गॉधी बुनकर बीमा योजना :–

वर्ष 2005–06 में भारत सरकार के बजट भाषण की घोषणा का अनुसरण करते हुए लाखों बुनकरों के हित के लिए एक नई बीमा योजना का शुभारम्भ करते हुए ''महात्मा गॉधी बुनकर बीमा योजना'' नामक योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से अमल में लाया जा रहा है।

उद्देश्य :–18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के हैण्डलूम बुनकरों को प्राकृतिक मृत्यु एवं दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में पहले से अधिक बीमा सुरक्षा लाभ प्रदान करना।

प्रीमियम :–

लाभ :– दिनांक 01.10.2007 से

योगदान	रूपये प्रतिवर्ष		घटना	राशि रूपये
1	2		1	2
भारत सरकार द्वारा	150.00		प्राकृतिक मृत्यु	60,000.00
बुनकर द्वारा	80.00		दुर्घटनावश मृत्यु	1,50,000.00
सामाजिक सुरक्षा फण्ड के माध्यम से एल0आई0सी0 द्वारा	100.00		दुर्घटनावश सम्पूर्ण स्थायी अपंगता	1,50,000.00
योग :–	330.00		दुर्घटनावश आंशिक स्थायी अपंगता	75,000.00

शिक्षा सहयोग योजना :–

महात्मा गॉधी बुनकर बीमा योजना के अन्तर्गत इस योजना का लाभ उठाने वाले माता–पिता के बच्चों को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों को हर तिमाही के लिए रू0 300/– की छात्रवृत्ति प्रदान की जायगी, यह लाभ प्रति बीमित परिवार के दो बच्चों तक ही सीमित है।

5) विपणन एवं निर्यात प्रोत्साहन योजना :–

भारत सरकार द्वारा निर्यात योग्य हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन एवं उनके विपणन विकास हेतु निर्यात के माध्यम से देश की आय के साथ–साथ बुनकरों को प्रोत्साहित करने तथा उनकी आर्थिक स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार की दृष्टि से वर्तमान हथकरघा निर्यात योजना दिनांक 31.01.2003 के स्थान पर भारत सरकार के पत्र संख्या 4/67/2006-डीसीएच/पीएण्डई दिनांक 16.11.2007 के द्वारा संशोधित विपणन एवं निर्यात प्रोत्साहन योजना वर्ष 2007–08 में 11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रायोजित की गयी हैं। योजनानुसार एक प्रोजेक्ट की कुल लागत 28.00 लाख है जिसमें कुल धनराशि का 75 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत कार्यदायी संस्था द्वारा वहन किए जाने का प्राविधान है।

(धनराशि लाख रू0 में)

क0	वित्तीय प्राविधान	केन्द्रांश (75%)	कार्यदायी संस्था का अंश (25%)	कुल
	उत्पादन विकास			
1	डिजाइनों का नवनिर्माण एवं उत्पादों का विविधीकरण	3.75	1.25	5.00
2	करघों का आधुनिकीकरण एवं कार्यकुशलता वृद्धि	1.80	0.60	2.40
3	नमूनों का विकास	3.00	1.00	4.00

4	पैकेजिंग हेतु प्रशिक्षण	0.45	0.15	0.60
5	प्रोत्साहन सामग्री का विकास	2.25	0.75	3.00
6	विपणन सलाहकार की नियुक्ति	2.25	0.75	3.00
	विपणप एवं प्रचार	7.50	2.50	10.00
	योग :–	**21.00**	**7.00**	**28.00**

6) प्रदर्शनी एवं एक्सपों का आयोजन :–

विकास आयुक्त, हथकरघा द्वारा देश के बड़े–बड़े शहरों में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल हैण्डलूम एक्सपो का आयोजन किया जाता है। जिसमें विभिन्न राज्यों की शीर्ष संस्थाओं के साथ अपेक्स समितियां, प्राथमिक बुनकर समितियां भाग लेती हैं, जिसमें केवल स्टाल, विद्युत पब्लिसिटी आदि मदों पर आने वाली लागत का 50 प्रतिशत व्यय प्रतिभागी संस्था/समितियों द्वारा वहन किया जाता है। एक्सपों से हथकरघा वस्त्रों के माल की निकासी के उद्देश्य की पूर्ति होती है तथा बुनकरों को उनके द्वारा उत्पादित कपड़े की निकासी के साथ ही बुनकर परिवारों को भरण–पोषण तथा रोजगार भी प्राप्त होता है। योजना शत–प्रतिशत केन्द्रपोषित है।

7) मा0 कांशीराम राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना :–

मा0 कांशीराम राज्य हथकरघा पुरस्कार योजनान्तर्गत प्रदेश के हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने तथा उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिये मान्यता देने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 से चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर/परिक्षेत्र स्तर पर पुरस्कार दिये जाने के लिए अच्छे किस्म के वस्त्रों/सैम्पुलों का चयन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार हेतु वर्ष 2009–10 में रू0 4.56 लाख की स्वीकृति हो चुकी है।

राज्य स्तरीय पुरस्कार

चयनित बुनकरों को सम्मानित करते समय शील्ड, अंगवस्त्रम्, प्रमाण–पत्र व निम्न धनराशि से पुरस्कृत किया जायेगा :–

- प्रथम पुरस्कार रू0 25,000/–ड्राफ्ट
- द्वितीय पुरस्कार रू0 21,000/–ड्राफ्ट
- तृतीय पुरस्कार रू0 18,000/–ड्राफ्ट

परिक्षेत्र स्तरीय पुरस्कार

चयनित बुनकरों को सम्मानित करते समय शील्ड, अंगवस्त्रम्, प्रमाण–पत्र व निम्न धनराशि से पुरस्कृत किया जायेगा :–

- प्रथम पुरस्कार रू0 10,000/–ड्राफ्ट परिक्षेत्रों की संख्या–13
- द्वितीय पुरस्कार रू0 8,000/–ड्राफ्ट परिक्षेत्रों की संख्या–13
- तृतीय पुरस्कार रू0 6,000/–ड्राफ्ट परिक्षेत्रों की संख्या–13

8) उ0प्र0 बुनकर बहबूदी फण्ड योजना का संक्षिप्त विवरण :–

उ0प्र0 बुनकर बहबूदी फण्ड नामक संस्था की स्थापना बुनकरों के कल्याण के लिए वर्ष 1975–76 में की गयी थी। संस्था सहकारिता अधिनियम संख्या–21,1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है। जिसका पंजीयन संख्या–605 (वर्ष 1975–76) है।

उ0प्र0 बुनकर बहबूदी फण्ड गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले बुनकरों के लिए निम्न मदों में सहायता देने की व्यवस्था है। योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न मानक निर्धारित किये गये।

क0	मद का नाम
1	शादी मद में सहायता (प्रति लाभार्थी रू0 5,000.00)
2	बुनकर हाट (प्रति लाभार्थी रू0 10,000.00)
3	दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में वैकल्पिक ऊर्जा की व्यवस्था हेतु सहायता

वित्तीय वर्ष 2010–11 में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले बुनकरों को सोलर लालटेन सुविधा प्रदान की जा रही है।

9) शक्तिचालित करघा (पावरलूम योजना) :–

1. शक्तिचालित करघा उद्योग के विकास सम्बन्धी कार्य भी इस विभाग द्वारा किया जाता है।
2. शक्तिचालित करघों के नियोजित विकास के लिये समिति का गठन किया जाता है। जिसमें न्यूनतम 21 सदस्य व 21 करघों का होना अनिवार्य है।
3. शक्तिचालित करघा समिति के सदस्यों का ''निट्रा'' पावरलूम सर्विस सेन्टर के केन्द्रों द्वारा नवीन तकनीकी डिजाइनों के साथ उत्पादन आदि का प्रशिक्षण दिया जाता हैं प्रशिक्षण अवधि में छात्रवृत्ति भी दी जाती है।
4. शक्तिचालित करघा समितियों का कार्य भी लागू नाबार्ड मानक के अनुसार जिला सहकारी बैंकों से साख सीमा ऋण की व्यवस्था कराई जाती है। पावरलूम उद्योगों के विकास हेतु हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय में पावरलूम प्रभाग स्थापित किया गया है।

10) गुणवत्ता सुधार योजना :–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की संख्या के अनुसार कपड़ों की गुणवत्ता तथा उनकी डिजाइन में सुधार लाना है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 25 गुणवत्ता केन्द्र स्थापित हैं। जिनमें तकनीकी कर्मचारियें द्वारा कपड़े की जांच करके गुणवत्ता की (क्यू) क्वालिटी सील चिन्हित की जाती है। इस योजना में सदस्यता के लिए व्यक्तिगत बुनकरों से रू0 10/– और सहकारी समितियों से रू0 25/– शुल्क लिया जाता है। यह सदस्यता आजीवन होती है। हथकरघा निदेशालय कानपुर में एक केन्द्रीय प्रयोगशाला स्थापित है। जहॉ कपड़ों की गुणवत्ता की जॉच की जाती है। जांच शुल्क प्रति नमूना रू0 40/– भौतिक परीक्षण हेतु एवं रू0 60/– रसायनिक परीक्षण हेतु देना होता है।

11) हथकरघा आरक्षण अधिनियम–1985 :–

इस अधिनियम के द्वारा जो कपड़े हथकरघा द्वारा आरक्षित किये गये है। वह कपड़ा शक्तिचालित करघों पर न बने। इस लिये भारत सरकार द्वारा तथा उ0 प्र0 सरकार द्वारा बल दिया जा रहा है कि हथकरघा पर आरक्षित कपड़ों का निर्यात केवल हथकरघा पर ही बने। इस सम्बन्ध मे शासन द्वारा परिक्षेत्रों के कार्यालय को समय–समय पर निर्देश दिये गये है। जिससे हथकरघा बुनकरों का लगातार विकास होता रहे, और आरक्षित वस्तुओं का उत्पादन हथकरघा पर ही होता रहे। हथकरघा आरक्षण अधिनियम 1985 के अन्तर्गत जो बुनकर (हैण्डलूम) हथकरघा पर आरक्षित वस्तुओं का निर्माण (शक्तिचालित) करघों पर करेगा उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाती है।

हथकरघा पर बने वस्त्र शक्तिचालित करघों पर न बने इस लिए, भारत सरकार ने हथकरघा आरक्षण अधिनियम 1985 के अन्तर्गत 11 उत्पादों को आरक्षित किया है। इसका उल्लंघन करने वाली शक्तिचालित इकाईयों के विरूद्ध दण्डात्मक/कानूनी कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है।

हथकरघा पर आधारित वस्तु निम्न प्रकर है :–

1. साड़ी (सूती व रेशमी)
2. धोती (तदैव)
3. तौलिया गमछा अंग वस्त्र
4. खेस, बेडसीट, बेडकवर, पलंगपोस, फर्निशिंग टेपेस्ट्री, आदि
5. जमा कलम, दरी व दरेट।
6. ड्रेस मैटेरियल,
7. लूंगी
8. बैरक कम्बल
9. शाल, लोई, मसकट पंखी आदि
10. ऊनी कपड़ा
11. चादर मेरवल/कणिक आदि

हथकरघा क्षेत्र के अन्तर्गत कियान्वित प्रमुख कार्यक्रमों की भौतिक उपलब्धि का तुलनात्मक विवरण

क्र0 सं0	मद का नाम	इकाई	वर्ष 2008–09		वर्ष 2009–10		वर्ष 2010–11 (माह दिसम्बर, 2010 तक)	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हथकरघा वस्त्र का उत्पादन	मि0 मीटर	610.00	600.05	620	426.567	630	319.57
2	पावरलूम समूह बीमा योजना	संख्या	7700	1090	7700	1278	7700	1789
3	महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना	संख्या	38000	20858	22000	11840	22000	7607
4	हेल्थ इन्श्योरेन्स योजना	संख्या	294000	371617	166300	191714	190000	
5	हथकरघा वस्त्रों का गुणचिन्हांकन	लाख मीटर	--	1-991	--	1.46690	--	0.95162
6	नमूनों का परीक्षण	संख्या	--	73	--	168	--	90
7	परीक्षण से प्राप्त धनराषि	लाख रू0	--	0.0684	--	0.16620	--	0.0785
8	बुनकरों को रोजगार सुलभ कराना	संख्या (हजार में)	25.00	18.541	25.00	17.534	25.00	2.404

✷✷✷

3–निदेशालय, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अभ्युदय

प्रदेश में कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों का प्रभावी संगठनात्मक ढॉचा प्रदान करने एवं खादी तथा ग्रामोद्योग सेक्टर से संबंधित उद्योगों की विशिष्ट समस्याओं के निराकरण हेतु निदेशालय की स्थापना शासनादेश संख्या 1880/18–10–184 (के0बी0)–86 टी0सी0 दिनांक 5 मई, 1987 द्वारा की गयी थी।

निदेशालय के मूलभूत उद्देश्य

शासन द्वारा इस निदेशालय की स्थापना निम्न उद्देश्यों को दृष्टिगत रखकर की गयी :–

1. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों से संबंधित सांख्यकीय आधार (डाटा बेस) को सुदृढ़ करना तथा इन उद्योगों हेतु नीति निर्धारण में प्रदेश शासन को आवश्यक सहयोग देना।
2. प्रदेश में कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों के व्यापक तथा समन्वित विकास हेतु आवश्यक परियोजनाओं/योजनाओं की संरचना करना तथा कार्यान्वित की जाने वाली समस्त परियोजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण करना।
3. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण वितरण करना तथा उसका सम्पूर्ण लेखा–जोखा रखना।
4. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों से संबंधित विभिन्न संस्थाओं/शासकीय विभागों से प्रभावी समन्वय स्थापित करना।
5. अन्य कार्य जो प्रदेश शासन द्वारा निदेशालय को समय–समय पर आवंटित किये जायें। इसके तहत अब तक निम्न कार्य सुपुर्द किये गये हैं :–
   (क) शासनादेश संख्या 4399पी0एस0/18–8–87, दिनांक 28 सितम्बर, 1987 द्वारा फाइल कवर्स, कैडक, फाइल बोर्ड तथा ड्राइंग पेपर के क्रय एवं शासकीय विभागों को आपूर्ति का कार्य निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री के स्थान पर, निदेशक कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, उ0प्र0 को दिया गया।

   (ख) शासनादेश संख्या– 23/59–11–97–77(ख)/95, दिनांक 19 दिसम्बर, 1997 द्वारा उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि के आहरण का दायित्व निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग को सुपूर्द किया गया है।

   (ग) शासनादेश संख्या ई–6–475/दस–2006 दिनांक 18 मई, 2006 द्वारा उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्मिकों के अवकाश नगदीकरण का भुगतान कोषागार के माध्यम से कराने हेतु 'निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग उ0प्र0' को अधिकृत किया गया है।

विभागीय संगठन

इस निदेशालय का गठन केवल मुख्यालय के रूप में किया गया है। शासन द्वारा इस निदेशालय के मूलभूत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुल 16 अधिकारी/कर्मचारी के पद सृजित किये गये थे, जिनमें से संयुक्त निदेशक का पद समाप्त कर दिया गया है और आशुलिपिक का पद उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ को समर्पित कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 14 पद सृजित हैं। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ही इस निदेशालय का पदेन निदेशक नामित किया गया है तथा इस निदेशालय का कार्यालय भी खादी बोर्ड परिसर में ही स्थापित रखने का प्राविधान किया गया है।

गत वर्ष किये गये प्रमुख कार्यों का संक्षिप्त विवरण

1. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों से संबंधित सांख्यकीय आधार को सुदृढ़ बनाया गया एवं ग्रामोद्योगों की नीति हेतु प्रदेश सरकार को आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया।
2. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण वितरण किया गया तथा उसका लेखा–जोखा रखा गया।
3. गत वर्षों के स्वीकृत धन की पी0यू0सी0 शासन को प्रेषित कराने पर बल दिया गया।

4. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कतिपय खादी उत्पादन केन्द्र/परिक्षेत्रीय कार्यालय/जिला कार्यालयों पर विकास कार्यों की समीक्षा एवं निरीक्षण कार्य किया गया।
5. वसूली व पेंशन संबंधी कार्यों का अनुश्रवण किया गया।
6. खादी बोर्ड के कार्मिकों के जी0पी0एफ0 संबंधी कार्यों का निस्तारण कोषागार के माध्यम से कराया गया।
7. खादी बोर्ड के सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन संबंधी कार्यों का निस्तारण कोषागार के माध्यम से कराया गया।
8. खादी बोर्ड के सेवानिवृत्त कार्मिकों को सेवानिवृत्त हित लाभ के अन्तर्गत ''अवकाश नकदीकरण'' का भुगतान शासकीय कर्मचारियों की भांति अनुदान संख्या–62 से कोषागार के माध्यम से कराया गया ।
9. सशुल्क फाइल कवर, फाइल बोर्ड, कैडक एवं ड्राइंग पेपर की आपूर्ति शासनादेश संख्या 179/59–1–2010–77(खा)/96 दिनांक 25 फरवरी, 2010 के अनुसार कराये जाने पर बल दिया गया।

विगत तीन वर्षों (2008–09 से 2010–11 तक) की वित्तीय प्रगति का विवरण

शासन द्वारा इस निदेशालय को सौंपे गये दायित्वों में मुख्यतः कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों हेतु स्वीकृत धनराशि का आहरण–वितरण करना व उसका लेखा–जोखा रखना है। इसके अनुसार निदेशालय के अधिष्ठान एवं उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के उपयोगार्थ निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के निवर्तन पर रखी गई धनराशि (जिसका आहरण–वितरण सीधे इस निदेशालय द्वारा किया गया है) के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है :

(धनराशि लाख रूपये में)

	वर्ष– 2008–2009		वर्ष– 2009–2010		वर्ष– 2010–2011	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
योग–	**1138.50**	**2076.82**	**1239.00**	**2754.35**	**1331.27**	**3485.78**

चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 31.12.2010 तक निर्गत स्वीकृतियां/उपलब्धियों का विवरण–

(धनराशि लाख रूपये में)

	जारी स्वीकृति		**वास्तविक व्यय**	
	आयोजनागत	**आयोजनेत्तर**	**आयोजनागत**	**आयोजनेत्तर**
योग–	903.125	3017.36	891.50	1772.70

विकास के आगामी लक्ष्य तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित कार्यक्रम संबंधी विवरण

1. खादी बोर्ड के पेंशनर्स को कोषागारों के माध्यम से पेंशन वितरण कराया जाना।
2. खादी बोर्ड के कार्मिकों के जी0पी0एफ0 संबंधी कार्यों का निस्तारण कोषागार के माध्यम से कराया जाना।
3. खादी बोर्ड के सेवानिवृत्त कार्मिकों के अवकाश नकदीकरण का भुगतान कोषागार के माध्यम से कराया जाना।
4. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों हेतु प्रदेश शासन द्वारा निर्गत स्वीकृतियों की धनराशियों का आहरण वितरण करना एवं उनका लेखा–जोखा रखना।
5. स्टेट बजट के अन्तर्गत वित्तपोषित इकाईयों के स्थलीय निरीक्षण/जांच की कार्यवाही।
6. खादी बोर्ड के कार्यक्रमों का प्रभावी अनुश्रवण।
7. प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

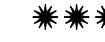

४–उद्यमिता विकास संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ

1– संस्थान की स्थापना का उद्देश्य एवं गतिविधियॉः

उद्यमिता विकास संस्थान,उ0प्र0, लखनऊ उद्यमिता के क्षेत्र में प्रदेश का एक शीर्ष संस्थान है। प्रशिक्षण, शोध, प्रकाशन, कार्यशाला, सेमीनार व गोष्ठी आदि के माध्यम से उद्यमिता संस्कृति को विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश शासन द्वारा केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम) एवं दो व्यवसायिक बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक) के सहयोग से वर्ष 1986 में एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में की गई है। संस्थान का अपना संचालक मण्डल है जिसका अध्यक्ष, उ0प्र0 शासन के वरिष्ठतम सदस्य होते हैं। संस्थान द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोफेशनल कार्यों के सम्पादन के अतिरिक्त प्रदेश की आर्थिक –सामाजिक विकास की दिशा में विभिन्न स्तरों पर नीतिगत परामर्श एवं सुझाव दिये जाते हैं। संस्थान द्वारा भावी एवं कार्यशील उद्यमियों, शिक्षित बेरोजगार युवाओं एवं युवतियों, अकुशल एवं अर्द्धकुशल कारीगरों, विभिन्न संस्थाओं, महाविद्यालयों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रशिक्षकों, शिक्षकों एवं उत्प्रेरकों, औद्योगिक विकास से जुड़े विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं (विशेषकर–जिला उद्योग केन्द्रों) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु भिन्न–भिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रायोजन विभिन्न संस्थाओं एवं विभागों जैसेः उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0, यूनिसेफ, यू0एन0डी0पी0, श्रम निदेशालय उ0प्र0, भूमि सुधार निगम, डूडा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, लोक निर्माण विभाग, खादी ग्रामोद्योग आयोग मुम्बई, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली जैसे राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

प्रशिक्षण के अतिरिक्त संस्थान द्वारा परियोजना परामर्श एवं अनुश्रवण सेवायें भी प्रदान की जाती है। उद्यमिता विकास, उद्यम संभावना,, औद्योगिक विकास सें जुड़े विभिन्न विषयों पर शोध कार्य भी किया जाता है। प्रशिक्षण हेतु पाठ्य सामग्री, केस स्टडी, आदि का प्रकाशन भी समय–समय पर संस्थान द्वारा किया जाता हैं। संस्थान द्वारा कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन कर औद्योगिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों, विकास कर्मियों एवं उद्यमियों आदि द्वारा तथ्यों परिस्थितियों एवं प्रगति आदि के विश्लेषण हेतु मंच प्रदान किया जाता है ताकि विकास नीतियों एवं कार्यो को प्रभावी बनाने के लिए रणनीति व कार्ययोजना तय करने हेतु विचार–विमर्श का अवसर मिल सकें। इसके साथ ही सार्वजनिक संचार माध्यमों की सहायता से उद्यमिता संस्कृति को विकसित एवं व्यापक बनाने का प्रयास भी संस्थान द्वारा समय–समय पर किया जाता है।

2. संस्थान द्वारा संचालित वर्तमान कार्यः

संस्थान द्वारा किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैंः

- उद्यमिता जागरूकता शिविर (ई0ए0सी0)
- उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (ई0डी0पी0)
- तकनीकी उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
- ट्रेड विशेष पर आधारित उद्यमिता–सह दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रम
- स्व रोजगार/रोजगार परक दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रम
- पॉलीटेक्निक/आई0टी0आई0 एवं विज्ञान संकाय के अध्यापकों हेतु संकाय विकास कार्यक्रम (एफ0डी0पी0)
- ट्रेड आधारित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
- अभिमुखीकरण कार्यक्रम
- कलस्टर विकास हेतु कार्यक्रम एवं अध्ययन
- सेमिनार एवं कार्यशाला का आयोजन

उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर के प्रयोजन से संस्थान द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति सब–प्लान के अर्न्तगत 04 रोजगार/स्वरोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 104 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। इसी प्रकार निदेशालय द्वारा 33 दो साप्ताहिक

उद्यमिता विकास कार्यक्रम एवं 05 एक दिवसीय उद्यमिता जागरूकता शिविर आयोजित किये जाने का दायित्व संस्थान को दिया गया है जिसे तत्काल प्रारंभ किये जाने की योजना है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, वाराणसी के प्रायोजन से 06 रोजगार परक दक्षता अभिवृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु आवंटित किया गया है जिनमें से 03 कार्यक्रम सम्पादित कराये जा चुके हैं तथा 03 शीघ्र प्रारम्भ किये जाने की योजना है।

संस्थान द्वारा स्व–वित्तपोषित कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों को कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, फैशन डिजाइनिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कम्प्यूटराईज एकाउन्टेन्सी इत्यादि विषय पर तकनीकी जानकारी प्रदान की जाती है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संस्थान को विज्ञान एवं तकनीकी पृष्ठभूमि के भावी उद्यमियों हेतु 01 संकाय विकास कार्यक्रम, 01 महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम, 01 तकनीकी उद्यमिता विकास कार्यक्रम, 02 उद्यमिता जागरूकता शिविर आयोजित किये जाने की योजना भी इसी वित्तीय वर्ष में है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग, वाराणसी, गोरखपुर के प्रयोजन से संस्थान द्वारा 06 उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन पी0एम0ई0जी0पी0 योजनान्तर्गत किया गया। प्रतिभागियों को उद्यम प्रबंधन, विपणन एवं औद्योगिक कानूनों एवं विभागीय क्रियाकलापों की जानकारी प्रदान की गयी।

संस्थान द्वारा हिन्दू विश्वविद्याालय, वाराणसी के गृह विज्ञान के एम0एस0सी0 अन्तिम वर्ष की 36 छात्राओं के लिए इन्टर्नशिप आयोजित किया गया। इसके अर्न्तगत छात्राओं का उद्यमिता विषय वस्तु की जानकारी प्रदान की गयी। इसकी अवधि एक माह की थी।

संस्थान को डूडा चन्दौली एवं कौशाम्बी से 07 तकनीकी दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम अल्प आय वर्ग के अथ्यर्थियों के लिए आयोजित किये जाने हेतु आवंटित किये गये हैं जिनमें से 05 प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित कराये जा चुके हैं तथा 02 कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं।

3. विगत तीन वर्षों की वित्तीय/भौतिक तुलनात्मक प्रगति विवरणः

संस्थान द्वारा उद्योग निदेशालय उ0प्र0, उद्योग निदेशालय उत्तरांचल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार, नई दिल्ली, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यूनिसेफ, यू0एन0डी0पी0,डूडा, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 एवं स्व–वित्तपोषित कार्यक्रम आदि के प्रायोजन से भिन्न–भिन्न अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विगत तीन वर्षो का प्रगति विवरण निम्नवत् हैं:

वित्तीय वर्ष	कुल आय(रू.लाख में)	कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
2008–09	157.54	251	10405
2009–10	109.96	127	3919
2010–11 (दिसम्बर, 10 तक)	21.28	32	871

विगत तीन वर्षों में उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 के प्रायोजन से संस्थान द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति विवरणः

वित्तीय वर्ष	कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
2008–09	59	1960
2009–10	12	312
2010–11 (दिसम्बर, 10 तक)	17	504

4. तीन वर्षों की प्रगति का विवरणः

संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 में कुल 251 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 10405 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया तथा इन कार्यक्रमों के आयोजन से कुल रू0 157.54 लाख की आय प्राप्त हुई। वित्तीय वर्ष 2009–10 में 127 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 3919 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया तथा इन कार्यक्रमों के माध्यम से कुल रू0 109.96 लाख की आय प्राप्त हुई। वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह दिसम्बर, 2010 तक कुल 32 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये तथा इन कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 871 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया तथा संस्थान को कुल रू0 21.28 लाख की आय प्राप्त हुई।

5. वित्तीय वर्ष 2010–11 में 31.12.2009 तक की भौतिक/वित्तीय उपलब्धिः

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर, 2010 तक कुल 32 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से संस्थान को लगभग रू0 21.28 लाख की धनराशि प्राप्त हुई तथा 871 प्रशिक्षार्थियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। संस्थान द्वारा मार्च 2011 तक रू0250 लाख का प्रशिक्षण व अन्य गतिविधियॉ प्राप्त कर आयोजित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

6. नई प्रस्तावित योजना का विवरणः

संस्थान द्वारा विभिन्न प्रायोजक संस्थाओं की प्रख्यापित मानकों तथा दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्यक्रमों के आयोजन की योजना प्रस्तावित है। वर्तमान में चल रही योजनाओं की गुणवत्ता पूर्वक क्रियान्वयन किया जाना संस्थान का प्रथम प्रयास रहेगा तथा कुछ नये राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय प्रायोजक/संस्थाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया है। प्रदेश में औद्योगिक कल्स्टर विकास योजना के अर्न्तगत संस्थान द्वारा विभिन्न स्तरों पर सहभागिता की योजना भी प्रस्तावित है। संस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सकार, नई दिल्ली से भी प्रशिक्षण व अन्य गतिविधियॉ प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है। संस्थान द्वारा पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अर्न्तगत उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के औद्योगिक विकास के नीति निर्धारण में भी संस्थान अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाता है। संस्थान द्वारा माह मार्च, 2011 में एम0एस0एम0ई समिति आयोजित किये जाने की भी कार्ययोजना है।

7. अल्पसंख्यकों हेतु कार्यक्रमः

संस्थान द्वारा आयोजित किये जा रहे कार्यक्रमों में अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों की समुचित संख्या में सहभागिता रहती है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2010–11 में अल्पसंख्यकों हेतु लघु उद्योग विकास बैंक, वाराणसी के प्रायोजन से संस्थान द्वारा पूर्वाचल के जनपदों में06 रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं जिसके अन्तर्गत इस वर्ग के 150 अभ्यर्थियों को रोजगार/स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है।

8. आरक्षित वर्ग के लिए संस्थान द्वारा किये गये कार्यः

वित्तीय वर्ष 2010–11 में 04 चार माह की अवधि के अनु.जाति/जनजाति सबप्लान के अर्न्तगत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आवंटन संस्थान को उद्योग निदेशालय,उ0प्र0 कानपुर द्वारा आरक्षित वर्ग के भावी उद्यमियों हेतु किया गया है जिनके माध्यम से 104 अनुसूचित जाति के भावी उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त सामान्य वर्ग हेतु आयोजित किये गये उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अर्न्तगत भी शासकीय नियमानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति पिछड़ी जाति के साथ–साथ महिला एवं अल्पसंख्यक वर्ग के भावी उद्यमियों को सम्मिलित किया जाता है। संस्थान द्वारा आयोजित अन्य प्रायोजक संस्थाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अर्न्तगत भी आरक्षण के नियमानुसार भावी उद्यमियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जाता है।

9. महिलाओं/विकलांगो/भूतपूर्व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों एवं अन्य विशेष वर्गों के लोगों के लिए किये गये/किये जा रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरणः

इन वर्गो हेतु संस्थान द्वारा समय–समय पर विभिन्न अवधि के उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रायोजक संस्थाओं द्वारा प्रख्यापित दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वरीयता दी जाती है एवं संबंधित विभागों से प्रायोजन के आधार पर वर्ग विशेष हेतु विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं।

10. क्षेत्रीय असंतुलन की विषमता दूर करने हेतु संस्थान द्वारा किये जा रहे प्रयासः

संस्थान द्वारा प्रति वर्ष प्रदेश के सुदूरवर्ती एवं पिछड़े अंचलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर क्षेत्रीय औद्योगिक विषमता को दूर करने तथा औद्योगिक विकास को गति देने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। संस्थान द्वारा विगत वर्षो में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के प्रायोजन से वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर एवं सुल्तानपुर में ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम का संचालन किया गया है जिसके अर्न्तगत उद्यमिता जागरूकता शिविरों, तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से अधिक से अधिक भावी ग्रामीण भावी उद्यमियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु प्रेरित किया गया। संस्थान द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक कार्यक्रमों के आयोजन पर बल दिया जा रहा है। उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर द्वारा प्रायोजित दो साप्ताहिक उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी विकास खण्ड स्तर पर आयोजित किये जाते हैं।

इसके साथ ही संस्थान द्वारा उद्योग विभाग की विभिन्न नयी–नयी योजनाओं की रूपरेखा/प्रारूप निर्धारित करने तथा उनको संचालित करने की रणनीति तय करने में आवश्यक परामर्श एवं सुझाव समय–समय पर दिये जाते हैं। संस्थान, उ0प्र0 शासन द्वारा औद्योगिक विकास हेतु गठित समितियों के सदस्य के रूप में सम्मिलित होकर आवश्यक सहयोग प्रदान करता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के आर्थिक सहयोग से जनपद आजमगढ़ के मुबारकपुर में बुनकरों के सहयोग से विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित किये जाने हेतु संस्थान का शाखा कार्यालय खोला जाना प्रस्तावित है।

सरलीकरण व वैश्वीकरण का संस्थान के क्रियाकलापों पर प्रभावः

संस्थान अपने प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों के माध्यम से औद्योगिक विकास में अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभा रहा है। औद्योगिक विकास के सरलीकरण एवं वैश्वीकरण का प्रभाव संस्थान के क्रियाकलापों पर भी पड़ा है। संस्थान को अपने पारम्परिक प्रशिक्षण विधियों से हटकर नवीन तकनीकी विधियों को अपनाना पड़ा है। भविष्य की चुनौतियों को मद्दे नजर रखते हुए संस्थान प्रशिक्षण कार्य में इलेक्ट्रानिक संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहा है ताकि प्रशिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी एवं गुणवत्ता पूर्ण बनाया जा सके।

✷✷✷

५-निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

1. निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना का उद्देश्य :–

उ0प्र0 शासन द्वारा निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना उ0प्र0 के निर्यात में वृद्धि तथा निर्यात से सम्बन्धित अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा उ0प्र0 निर्यात नीति के क्रियान्वयन, अनुश्रवण आदि विशिष्ट कार्यों हेतु की गयी है। प्रमुख सचिव, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन, उ0प्र0 शासन निर्यात आयुक्त नियुक्त है। शासनादेश संख्या 2574/18–4–99–81(निर्यात)/98 लखनऊ दिनांक 12 फरवरी, 1999 द्वारा निर्यात आयुक्त के निम्नलिखित कर्तव्य एवं दायित्व हैं।

1. निर्यात व्यापार से जुड़ी इकाईयों एवं उद्यमियों को पंजीकृत करना तथा ऐसी पंजीकृत इकाईयों में से जिनका निर्यात मूल्य रु0 20.00 लाख वार्षिक से अधिक किन्तु रू0 50.00 लाख से कम को सिल्वर कार्ड एवं रू0 50.00 लाख से अधिक वार्षिक निर्यात टर्नओवर वाली इकाई को गोल्ड कार्ड उपलब्ध कराना।
2. निर्यात क्षेत्र में सफलता प्राप्त किये जाने हेतु विदेशी बाजारों के बारे में विस्तृत एवं अद्यावधिक सूचना निर्यातकों को उपलब्ध कराना।
3. प्रमुख निर्यात केन्द्र स्तर पर तथा प्रदेश स्तर पर निर्यातकों एवं सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं की नियमित बैठकें आयोजित कर उनकी समस्याओं का निराकरण करना।
4. निर्यातकों को सभी क्लियरेन्स तथा अवस्थापना, विद्युत व्यापार कर, प्रदूषण आदि निश्चित समय के अन्दर उपलब्ध कराना।
5. निर्यात मूलक उद्योग से सम्बन्धित विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियों का परीक्षण एवं कार्यान्वयन करना एवं उ0प्र0 के निर्यातकों को उपलब्ध कराना तथा आयातक/निर्यातक एवं आपूर्तिकर्ताओं की निदर्शनी तैयार करना।
6. प्रमुख निर्यात केन्द्रों में प्रदर्शन, विक्रय, सम्मेलन, गोष्ठी आदि का आयोजन कराना।
7. क्रेता–विक्रेता सम्मेलनों का आयोजन तथा निर्यातकों को व्यापार मेलों में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराना।
8. उत्पादकता में वृद्धि, नये डिजाइनों, आधुनिक तकनीक की जानकारी एवं उत्पाद के विविधीकरण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना।
9. उ0प्र0 औद्योगिक सेवा क्षेत्र एवं निवेश नीति–2004 के अन्तर्गत निर्यात से सम्बन्धित बिन्दुओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करना।

2. निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा संचालित की जा रही वर्तमान योजनाओं का संक्षिप्त विवरण :–

1. परामर्श सम्बन्धी कार्य

प्रदेश के भावी निर्यातकों को उनकी रूचि के अनुसार निर्यात क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न विभागों से सम्बन्धित जानकारियों/औपचारिकताएं पूर्ण कराने सम्बन्धी परामर्श देने के साथ–साथ निर्यात क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव तथा परामर्श दिया जाता है।

2. निर्यातक इकाईयों के पंजीयन का कार्य–

निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा की जा रही योजनाओं की सुविधा प्राप्त करने हेतु ब्यूरो में पंजीयन आवश्यक है। पंजीयन का कार्य प्रदेश स्तर पर ब्यूरो कार्यालय के साथ–साथ जनपद स्तर पर सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा भी जा रहा है।

3. गोल्ड/सिल्वर कार्ड का जारी किया जाना–

प्रदेश के निर्यातकों को विशिष्ट महत्व देने के उद्देश्य से ऐसे निर्यातक जिनका निर्यात मूल्य प्रतिवर्ष रु0 20.00 लाख से रु0 50.00 लाख के मध्य हो, के पक्ष में सिल्वर कार्ड एवं रु0 50.00 लाख से अधिक निर्यात मूल्य होने की स्थिति में उनके पक्ष में गोल्ड कार्ड निर्गत किये जाने का प्राविधान है। इन ग्रीन कार्ड (गोल्ड/सिल्वर कार्ड) धारकों को विभिन्न शासकीय विभागों/सचिवालय में प्रवेश हेतु प्रवेश पत्र निर्गत किये जाने तथा उनकी समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से वरीयता के आधार पर किया जाता है।

4. त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना–

प्रदेश के आर्थिक विशेषकर भारत के आर्थिक आधारभूत ढॉचे के पुनर्निर्माण, उदारीकरण तथा वैश्विकरण के प्रकाश में ''निर्यात'' की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनवरी 2005 से विश्व व्यापार संगठन के समस्त प्राविधान प्रभावी हो चुके हैं। यद्यपि इससे राज्य से निर्यात के लिए पर्याप्त सम्भावनाएं जनित हो चुकी हैं किन्तु वर्तमान में विश्व प्रतिस्पर्धा को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश की निर्यातक इकाईयों को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो निर्यातकों विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों की श्रेणी के निर्यातकों के लिए एक सहयोगी की भूमिका निभा रही है।

10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्रदेश का निर्यात लगभग रू0 20 हजार करोड़ रहा जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू. 40 हजार करोड़ किया जाना प्रस्तावित है। इसको प्राप्त करने के लिए वित्तीय वर्ष 2007–08 से निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के माध्यम से **''त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना''** लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार उप योजनाएं संचालित की जा रही हैः–

(1) अ– अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता–
ब– राष्ट्रीय स्तर पर विपणन सहायता
(2) गेट वे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान
(3) निर्यातकों की क्षमता का विकास
(4) अध्ययन, सर्वे, ब्राण्ड प्रमोशन एवं आंकड़े उपलब्ध कराना
(5) निर्यात पुरस्कार

उपरोक्त उप योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

(1) अ– अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता–

प्रदेश के निर्यातकों को अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात व्यापार बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह उपयोजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र निर्माता निर्यातकों को अर्न्तराष्ट्रीय बाजार प्राप्त करने के लिए निम्न श्रेणियों में उनके द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए की जा रही हैः–

क– विदेशी मेले एवं प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु
ख– निर्यात उत्पादों के प्रचार–प्रसार सामग्री जैसे–कैटलाग, विज्ञापन, वेबसाइट आदि पर किये गये व्यय हेतु वित्तीय सहायता।
ग– विदेशी क्रेताओं को नमूने भेजने हेतु
घ– गुणवत्ता नियंत्रण (आईएसओ–9000/बीआईएस–14000,ऊनी वस्त्रों के लिए वूल मार्क, स्वर्ण आभूषण के लिए हाल मार्क आदि)

ब– राष्ट्रीय स्तर पर विपणन सहायता–

उक्त योजना का संचालन उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण, उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत औद्योगिक इकाईयों के विपणन वृद्धि हेतु प्रदेश की लघुत्तर, लघु, हस्तशिल्प, खादी ग्रामोद्योग एवं हथकरघा क्षेत्र की ऐसी इकाईयॉ जो एम.एस.एम.ई. एक्ट के अन्तर्गत आती हैं, को विशेष रूप से लाभान्वित किया जा रहा है।

उपरोक्त क्षेत्र की इकाईयों को प्रदर्शनियों में स्टाल बुक कराकर अपने माल को प्रदर्शनी स्थल पर ले जाने एवं स्थल किराये के रूप में किये गये व्यय के सापेक्ष प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

(2) गेट वे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान–

उत्तर प्रदेश लैण्ड लाक्ड राज्य होने के कारण प्रदेश की निर्यातक इकाईयों द्वारा जो माल निर्यात किया जाता है वह समुद्र के किनारे स्थित राज्यों की इकाईयों की अपेक्षा काफी मॅहगा पड़ता है, इस कारण प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में पारम्परिक उत्पादन कौशल होते हुए भी निर्यात का विकास वांछित स्तर तक नहीं हो पाता। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए योजनान्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योग श्रेणी की निर्यातक इकाईयों को निर्यात हेतु गेट वे पोर्ट तक भेजे गये माल के भाड़े पर हुए व्यय की

प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। शासनादेश संख्या 1470/77–4–09–142एन./08 दिनांक 25.10.2009 में आंशिक संशोधन करते हुए इस योजनान्तर्गत अब मध्यम श्रेणी के इकाईयों को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी, ऐसे निर्यातक जो पूरे कन्टेनर के स्थान पर लूज/पार्ट कन्टेनर में माल भेजते हैं या सीधे ट्रक के माध्यम से अथवा प्रदेश के बाहर स्थित कन्टेनर डिपो के माध्यम से किये गये निर्यात पर अनुदान इस शर्त के साथ देय होगा कि निर्यात किया गया माल उत्तर प्रदेश में निर्यात के पूर्व प्रत्येक कन्साइनमेन्ट व्यापार कर विभाग से प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो।

(3) निर्यातकों की क्षमता का विकास–

वर्ष 2005 से विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार के कोटा सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है जिससे विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गयी है। केवल वही निर्यातक सफल हो सकता है जो विश्व व्यापार संगठन के नियमों से भलीभांति परिचित हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्यातकों तथा विभागीय अधिकारियों को विश्व व्यापार संगठन के नियमों से अवगत कराने तथा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लद्यु उद्यमियों/एंव भावी निर्यातको को निर्यात प्रक्रिया की जानकारी प्रदान किये जाने के उद्देश्य से जैसे विशेषज्ञ फैकल्टी के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जा रहे है।

(4) अध्ययन, सर्वे, ब्राण्ड प्रमोशन एवं आंकड़े उपलब्ध कराना–

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा अपने उत्पादन को विश्व व्यापार में बेचने के लिए ख्याति प्राप्त रिसर्च तथा कंसल्टेन्सी आदि पर काफी धनराशि व्यय की जा रही है। चूँकि प्रत्येक निर्यातक द्वारा स्वयं के स्रोतों से ऐसी स्टडीज/सर्वे आदि पर इतनी भारी धनराशि व्यय करना सम्भव नहीं है। अतः ब्यूरो के माध्यम से इस प्रकार की स्टडीज करायी जा रही है। ब्राण्ड प्रमोशन हेतु स्थान विशेष के उत्पादों के लिए जियोग्राफिकल इंडीकेटर के अन्तर्गत पेटेन्ट/पंजीकरण प्राप्त किये जा रहे हैं।

(5) निर्यात पुरस्कार–

इस योजनान्तर्गत प्रदेश के उत्कृष्ट निर्यातकों को विभिन्न 25 निर्यात ग्रुप के अन्तर्गत पुरस्कार प्रदान कर उन्हें और अधिक निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

3. निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना –

निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन हेतु दिन प्रतिदिन के अनुवर्ती व्ययों जैसे कार्यालय परिसर का किराया, स्टेशनरी (फोटो स्टेट पेपर, फ्लापी, सी. डी., कार्टेज, एस.पी.एस., इन्वलप आदि), विद्युत, दुरभाष, कार्यालय वाहन हेतु ईंधन, वाहन की मरम्मत आदि की व्यवस्था उक्त योजनान्तर्गत आवंटित बजट से की जा रही है।

4. वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजना

भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश एक भू–आच्छादित राज्य है जहां से लगभग 1500 कि0मी0 की दूरी पर पोर्ट (बन्दरगाह) स्थित है। निर्यातकों को निर्यात हेतु अपने उत्पाद इन पोर्टो पर भेजना होता है तदुपरान्त इन पोर्टो से निर्यात हेतु माल विदेशी क्रेताओं को उपलब्ध कराया जाता है । स्पष्ट है इस प्रकार निर्यात हेतु भेजे गये माल को सर्वप्रथम पोर्ट तक पहुंचाने तदुपरान्त पोर्ट से विदेशी क्रेताओं के सम्बन्धित देश में भेजने पर यातायात व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप निर्यात हेतु भेजे गये माल की लागत बढ़ जाती है । उत्तर प्रदेश के निर्यातकों को इस दृष्टिकोण से प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से ऐसे निर्यातक जो अपना निर्यात हेतु माल प्रदेश के एयर कारगो काम्पलेक्स के माध्यम से भेजते हैं उन्हें रू0 50/– प्रति कि0ग्रा0 अथवा वायुयान किराये का 20 प्रतिशत् जो भी कम हो दिये जाने का प्राविधान किया गया है । इस प्रकार प्रति निर्यातक को प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता दिये जाने की अधिकतम् सीमा रू0 2.00 लाख निर्धारित है ।

3. निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की कार्यप्रणाली

निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं की सुविधा प्राप्त करने हेतु निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीयन का कार्य ब्यूरो मुख्यालय तथा जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है तथा अन्य वित्तीय सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु निर्यातकों को सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्रों में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है जहां से महाप्रबन्धक द्वारा उक्त आवेदन पत्रों को जिला यूजर्स कमेटी के माध्यम से स्वीकृत करा कर निस्तारण किया जाता है। जनपद स्तर पर निर्यातकों को परामर्श सम्बन्धी सुविधा का भी प्राविधान है। उक्त हेतु निर्यात बाहुल्य जनपदों के जिला उद्योग केन्द्रों में कार्यरत प्रबन्धक, निर्यात प्रोत्साहन से सम्बन्धित कार्य का भी अनुश्रवण करते हैं। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की कार्यप्रणाली कम्प्यूटराइज्ड है। ब्यूरो से सम्बन्धित सूचनाएं ब्यूरो की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

4. विगत तीन वर्षों की उपलब्धियों का वित्तीय तथा भौतिक विवरण

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2007–08		वर्ष 2008–09		वर्ष 2009–10	
		वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
1	**त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना**						
	1.अ–अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता	200.00	439	200.00	335	400.00	519
	1.ब–राष्ट्रीय स्तर पर विपणन सहायता	40.00	....	40.00	....	40.00	....
	2. गेट वे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान	300.00	299	500.00	303	300.00	201
	3.निर्यातकों की क्षमता का विकास	18.00	18	5.00	19	5.00	10
	4.अध्ययन, सर्वे, ब्राण्ड प्रमोशन एवं आंकड़े उपलब्ध कराना	32.00	....	10.00	4	10.00	4
	5. निर्यात पुरस्कार	8.00	....	8.00	26	8.00	34
2.	**वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजना**			5.84	11	4.72	7

5. चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में दिनांक 31.12.2010 तक की वित्तीय/भौतिक प्रगति :–

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	बजट प्राविधान	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्रगति		अभ्युक्ति
						भौतिक	वित्तीय	
1	**त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना**	**563.00**	**563.00**	**558.00**	**527.00**	**534**	**527.00**	–
	1.अ–अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता	260.00	260.00	260.00	260.00	319.00	260.00	–
	1.ब–राष्ट्रीय स्तर पर विपणन सहायता	30.00	30.00	30.00	...	...	...	
	2. गेट वे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान	260.00	260.00	260.00	260.00	212	260.00	–
	3.निर्यातकों की क्षमता का विकास	3.00	3.00	3.00	2.00	3	2.00	–
	4.अध्ययन, सर्वे, ब्राण्ड प्रमोशन एवं आंकड़े उपलब्ध कराना	5.00	5.00	5.00	5.00	...	5.00	–
	5. निर्यात पुरस्कार	5.00	5.00	...	...	...	...	–
2	**वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजना**	40.00	20.00	20.00	3.19	6	3.19	–

6. अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए किये गये कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण

ब्यूरो द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं (अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन विकास सहायता, गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान, निर्यात पुरस्कार आदि) के माध्यम से निर्यातकों को जो भी सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं उनमें उपरोक्तानुसार आरक्षित श्रेणी के निर्यातकों के दावों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है।

7. अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ किये गये/किये जा रहे कार्य/कार्यक्रमों का विवरण

ब्यूरो द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन विकास सहायता, गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान, निर्यात पुरस्कार आदि योजनाओं के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकांश लघु/लघुत्तर श्रेणी में लगे निर्यातक विभिन्न जनपदों विशेषकर भदोही में कालीन, मुरादाबाद में ब्रास आर्टवेयर, सहारनपुर में काष्ठ कला तथा लखनऊ में चिकन तथा जरदोजी के अन्तर्गत लाभान्वित हो रहे हैं। ये योजनाएं अल्पसंख्यकों के काल्याण हेतु अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है।

10. महिलाओं/विकलांगों/भूतपूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अन्य विशेष वर्ग के लोगों के लिये दिये गये/किये जा रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण :–

निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपरोक्त वर्ग के निर्यातकों के दावों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है।

8. क्षेत्रीय असंतूलन की विषमता दूर करने तथा प्रदेश की औद्योगिक प्रगति में विशेष योगदान का उल्लेख

प्रदेश के निर्यात में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित एसाइड योजना के अन्तर्गत निर्यात बाहुल्य जनपदों में अवस्थापना विकास सम्बन्धी विभिन्न परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं । प्रदेश में स्थापित इकाईयों द्वारा अपने उत्पाद को विदेशी बाजार में बेचने हेतु प्रदेश सरकार (निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो) द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है तथा इस दिशा में आने वाली समस्याओं का निदान भी तीव्र गति से किया जा रहा है जिससे सीधे निर्यात से जुड़ने वाली निर्माता इकाईयों में दिन–प्रतिदिन वृद्धि हो रही है इससे यह सिद्ध होता है कि प्रदेश के औद्योगीकरण में भी काफी विकास हुआ है।

✷✷✷

६-भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

प्रदेश के विकास में खनिजों को महत्वपूर्ण योगदान है। खनिजों के खनन से एक तरफ जहॉ सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है वहीं दूसरी ओर खनिजों का उपयोग प्रदेश में निर्माण कार्यो एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास में होता है।

1— खनिज अन्वेषण:

वर्तमान में निदेशालय द्वारा खनिज अन्वेषण हेतु प्रदेश में कुल 10 परियोजनायें कार्यरत है जिसमें से 6 परियोजनाओं में प्रथम चरण, 03 परियोजनाओं में द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। जनपद ललितपुर में किम्बरलाईट के अन्वेषण हेतु इस वर्ष एक नया कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है, क्योंकि इस चट्टान में हीरा मिलने की सम्भावना होती है। इसके अतिरिक्त मे0 डी—वियर्स लि0 तथा मे0 स्कान्दा इम्पेक्स लि0 को जनपद इलाहाबाद अन्य धातुओं के अन्वेषण हेतु आवीक्षी परमिट वर्ष 2009—10 में स्वीकृत किया गया तथा मे0 मैक्सटेक रिर्सोस को जनपद ललितपुर में स्वर्ण धातु की खोज हेतु वर्ष 2010—11 में रिकोनेसा परमिट स्वीकृत किया गया है। विगत वर्षो में प्रदेश के दक्षिण भाग में चाईना क्ले एवं सिलेमिनाइट के बृहद भण्डार का ऑकलन किया गया है जिस पर उद्यमियों द्वारा खनन पट्टा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । बॉदा क्षेत्र में निदेशालय की अन्वेषण टीम को तीन हीरों की प्राप्ति हुई है।

2— खनन पट्टे:

वर्तमान में प्रदेश में स्वीकृत खनन पट्टो की स्थिति निम्नवत् हैः—

क— उप खनिजों के खनन पट्टों की संख्या—**2479**

ख— उप खनिजों के अनुज्ञा पत्रों की संख्या—**07**

ग— मुख्य खनिजों के खनन पट्टों की संख्या—**75**

घ— खनिजों के अन्वेषण हेतु स्वीकृत आवीक्षी परमिट—**03**

च— ईट—भट्ठों की संख्या—**11099**

3— खनिजों से प्राप्त राजस्व की स्थितिः—

क्रमांक	वर्ष	प्राप्त राजस्व रू0 लाख में
1.	1995—96	**14681.78**
2.	1996—97	**15843.29**
3.	1997—98	**15211.98**
4.	2002—03	**26242.10**
5.	2007—08	**39515.10**
6.	2008—09	**42718.42**
7.	2009—10	**60497.32**
8.	2010—11	**44872.23**

4— <u>खनिज राजस्व वृद्धि हेतु किये गये कार्य :</u>

खनिजों से प्राप्त राजस्व की वृद्धि हेतु अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद स्तर पर एवं समय–समय पर निदेशालय स्तर पर गठित टीम द्वारा जॉच की जाती है एवं यदि कोई राजस्व अपवंचन का मामला प्रकाश में आता है तो उसके विरू(नियमानुसार कार्यवाही करते हुए राजस्व क्षति की वसूली की जाती है।

विगत वर्षो में किये गये प्रवर्तन कार्यो का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0सं0	वर्ष	मारे गये छापों की कुल संख्या	जमा धनराशि रूपया लाख में
1.	2008–09	2828	344.54
2.	2009–10	5472	847.67
3.	2010–11 माह दिसम्बर, 10 तक	4565	999.24

5— <u>खनिज बाहुल्य क्षेत्रों में विकास कार्यः</u>

खनिज विकास निधि के अन्तर्गत खनिज बाहुल्य क्षेत्रों में रू0 390.47 लाख की लागत से 24.97 किमी0 सड़क का निर्माण कार्य कराया गया है एवं जनपद हमीरपुर में दो खनिज विश्राम गृहों का निर्माण कराया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न जनपदों में खनिज श्रमिकों को पेयजल आपूर्ति हेतु 32 हैण्डपम्प लगवाये गये।

6— प्रदेश में कार्यरत खनन पट्टा क्षेत्रों, ईट–भट्ठों एवं खनिज आधारित उद्योगों में अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 04 लाख लोग रोजगार पा रहे हैं।

7— जनपद इलाहाबाद एवं जनपद मिरजापुर में निर्धन वर्ग के लोगो के स्वयं सहायता समूहों का गठन कराकर खनन पट्टे आवंटित किये गये जिससे समूह के लोगो के आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है।

✷✷✷

७-उ० प्र० खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ

प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योगी क्षेत्र के चतुर्मुखी विकास के लिए उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम संख्या 10, 1960 के अन्तर्गत बोर्ड का गठन एक सलाहकार बोर्ड के रूप में हुआ था। तदोपरान्त उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधित अधिनियम संख्या 64, 1966 द्वारा उपरोक्त अधिनियम को संशोधित किया गया, जिसके फलस्वरूप बोर्ड को खादी ग्रामोद्योग की योजनाओं को प्रदेश में क्रियान्वित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस प्रकार खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में पुनर्गठित हुआ था तथा अप्रैल 1967 में उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 से समस्त खादी ग्रामोद्योगी योजनायें बोर्ड को स्थानान्तरित कर दी गयीं। उक्त से पूर्व ये योजनायें प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत संचालित की जा रही थीं।

ग्रामोद्योग कैसे लगायें?

ग्रामीण औद्योगीकरण के क्षेत्र में उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की अहम भूमिका है। इसका सीधा संबंध **ग्रामीण अर्थव्यवस्था, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलायें, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं पिछड़े व कमजोर वर्ग** के उत्थान से है।

ग्रामीण क्षेत्र में आज भी परम्परागत कौशल को बढ़ावा देने से विकास की अच्छी संभावना है। ग्रामीण अंचलों के शिक्षित बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित करके उन्हें अपने ही गांव में मनपसन्द उद्योग स्थापित करने में बोर्ड आर्थिक सहायता सुविधा प्रदान करता है।

ग्रामोद्योग की परिभाषा

ग्रामोद्योग का तात्पर्य यह है कि वह उद्योग नगर निगम/नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर जो ग्रामीण क्षेत्र में हो तथा जहां की आबादी बीस हजार से अधिक न हो वहां स्थापित हो, जिसके उत्पादन व सेवा कार्य करने में विद्युत का प्रयोग हो अथवा न हो एवं रू0 50,000 प्रति व्यक्ति पूंजी विनियोग से अधिक न हो, ऐसी इकाईयों को ग्रामोद्योग माना जायेगा।

ऋण सहायता सुविधा किसको?

उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दी जाने वाली सहायता सुविधा हेतु निम्न पात्र हैं :–

1. पंजीकृत ग्रामोद्योगी सहकारी समितियां।
2. पंजीकृत समाज सेवी संस्थायें।
3. व्यक्तिगत उद्यमियों के साथ–साथ शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों, महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों एवं परम्परागत कारीगर।

सहायता किन ग्रामीण उद्योगों हेतु दी जाती है?

खादी और ग्रामोद्योगों को 7 समूहों में बांटा गया है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित उद्योग आते हैंः।

1. खनिज आधारित उद्योग : 1. कुटीर कुम्हारी उद्योग 2. चूना पत्थर, चूना सीपी और अन्य चूना उत्पाद उद्योग 3. मन्दिरों एवं भवनों के लिए पत्थर कटाई, पिसाई, नक्काशी तथा खुदाई 4. पत्थर से बनी हुई उपयोगी वस्तुयें 5. प्लेट और स्लेट पेंसिल निर्माण 6. प्लास्टर आफ पेरिस का निर्माण 7. बर्तन धोने का पाउडर 8. जलावन के विकेट 9. सोने चांदी, पत्थर सीपी और कृत्रिम सामग्रियों से आभूषणों का निर्माण 10. गुलाल, रंगोली निर्माण 11. चूड़ी निर्माण 12. पेंट, रंजक, वार्निश और डिस्टेम्पर निर्माण 13. कांच के खिलौने का निर्माण 14. सजावटी शीशे की कटाई, डिजाइनिंग, पालिशिंग 15. रत्न कटाई

2. वनाधारित उद्योग : 16. हाथ कागज उद्योग 17. कत्था निर्माण 18. गोंद और रेजिन निर्माण 19. लाख निर्माण 20. कुटीर दियासलाई उद्योग, पटाखे और अगरबत्ती निर्माण 21. बांस और बेंत कार्य 22. कागज से प्याले, तश्तरी, झोले और कागज के डिब्बे का निर्माण 23. कापियों का निर्माण, जिल्दसाजी, लिफाफा निर्माण, रजिस्टर निर्माण और कागज से बनाई जाने वाली अन्य लेखन सामग्रियां 24. खस टट्टी और झाड़ू निर्माण 25. वनोत्पादों को संग्रह प्रशोधन एवं पैकिंग 26. फोटो जड़ना 27. जूट उत्पादों का निर्माण (रेशा उद्योग के अन्तर्गत)

3. कृषि आधारित और खाद्य उद्योग : 28. अनाज दाल, मसाला, चटपटे मसाले आदि का प्रशोधन, पैकिंग और विपणन 29. ताड़ गुड़ निर्माण और अन्य ताड़ उत्पाद उद्योग 30. गन्ना गुड़ और खाण्डसारी निर्माण 31. मधुमक्खी पालन 32. अचार सहित फल और सब्जी का प्रशोधन, परिरक्षण एवं डिब्बाबंदी 33. घानी तेल उद्योग

34. नारियल जटा के अलावा रेशा 35. औषधीय कार्यों के जड़ी–बूटियों का संग्रह 36. मकई और रागी का प्रशोधन 37. मज्जा चटाईयों और हारों आदि का निर्माण 38. काजू प्रशोधन 39. दोना बनाना 40. नूडल निर्माण 41. विद्युत चालित आटा चक्की 42. दलिया निर्माण 43. चावल छिलका उतारने की छोटी इकाई 44. भारतीय मिष्ठान निर्माण 45. रसवन्ती–गन्ना रसपान इकाई 46. मेन्थाल तेल 47. दुग्ध उत्पाद निर्माण इकाई 48. पशु चारा, मुर्गी चारा निर्माण

4. बहुलक और रसायन आधारित उद्योग : 49. शवच्छेदन, चर्मशोधन तथा खाल व त्वचा से संबन्धित अन्य सहायक उद्योग एवं कुटीर चर्म उद्योग 50. कुटीर साबुन उद्योग 51. रबर वस्तुओं का निर्माण (डिप्ड लेटेक्स उत्पाद) 52. रैक्सीन पी0वी0सी0 के बने उत्पाद 53. हाथी दांत समेत सींग और हड्डी उत्पाद 54. मोमबत्ती कपूर और मोहर वाली मोम का निर्माण 55. प्लास्टिक की पैकेजिंग वस्तुओं का निर्माण 56. बिंदी निर्माण 57. मेंहदी निर्माण 58. इत्र निर्माण 59. शैम्पू निर्माण 60. केश तेल निर्माण 61. डिटर्जेन्ट और धुलाई पाउडर (अविषाक्त)

5. इंजीनियरिंग और गैर परम्परागत ऊर्जा : 62. बढ़ईगिरी 63. लोहारी 64. अल्युमिनियम के घरेलू बर्तनों का उत्पादन 65. गोबर और अन्य अपशिष्ट उत्पाद जैसे मृत पशु के मांस और मल आदि से खाद और मीथेन (गोबर) गैस का उत्पादन और उपयोग 66. कागज पिन, क्लिप, सेफ्टी पिन, स्टोव पिन आदि का निर्माण 67. सजावटी बल्बों, बोतलों, ग्लासों आदि का निर्माण 68. छाता उत्पादन 69. सौर तथा पवन ऊर्जा उपकरण 70. हस्त निर्मित पीतल के बर्तनों का निर्माण 71. हस्त निर्मित तांबे के बर्तनों का निर्माण 72. हस्त निर्मित कांसे के बर्तनों का निर्माण 73. पीतल, तांबे और कांसे से अन्य वस्तुओं का निर्माण 74. रेडियो निर्माण 75. कैसेट प्लेयर का निर्माण चाहे वह रेडियो में लगा हुआ हो या न हो 76. कैसेट रिकार्डर का निर्माण 77. बोल्टेज स्टेब्लाईजर का उत्पादन 78. इलेक्ट्रानिक घड़ियों एवं अलार्म घड़ियों का निर्माण 79. लकड़ी पर नक्काशी एवं कलात्मक फर्नीचर निर्माण 80. टीन सम्बन्धी कार्य 81. मोटर बाइंडिंग 82. तार की जाली बनाना 83. लोहे की झंझरी (ग्रिल) निर्माण 84. ग्रामीण यातायात वाहन जैसे हाथ गाड़ी, बैलगाड़ी, छोटी नाव, दुपहिया साइकिल/साइकिल रिक्शा, मोटर युक्त गाड़ियों आदि का निर्माण 85. संगीत साजों का निर्माण 86. केंचुआ पालन तथा कचरा निपटारा

6. वस्त्रोद्योग (खादी को छोड़कर) : 87. पाली वस्त्र यानी ऐसा वस्त्र जो भारत में मानव निर्मित रेशे की रूई, रेशम या ऊन के साथ या इसमें से किसी दो या सभी को मिलाकर हाथ से काता गया तथा हथकरघे पर बुना गया हो या भारत में बना ऐसा वस्त्र जो हाथ कते मानव निर्मित रेशों के धागे को सूती, रेशमी या ऊनी धागे या इसमें से किसी दो धागे या सभी धागों को मिलाकर हथकरघे पर बुना गया हो 88. लोक वस्त्र का निर्माण 89. होजरी 90. सिलाई और सिली–सिलाई पोशाक तैयार करना 91. हाथ से मछली मारने वाले नायलोन/सूती जाल तैयार करना 92. छींटकारी 93. खिलौना और गुड़ियों का निर्माण 94. कशीदाकारी 95. शल्य चिकित्सकीय पट्टी का निर्माण 96. स्टोब की बत्तियां 97. धागे का गोला, ऊनी गोला तथा लच्छी निर्माण 98. पारम्परिक पोशाकें 99. दरी बुनाई

7. सेवा उद्योग : 100. धुलाई 101. नाई 102. नलसाजी 103. बिजली की वायरिंग और घरेलू इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों की मरम्मत 104. डीजल इंजनों, पम्पसेटों आदि की मरम्मत 105. टायर बल्कनीकरण (रिट्रीडिंग) इकाई 106. छिड़काव, कीटनाशक, पम्पसेटों आदि के लिए कृषि सेवा कार्य 107. लाउडस्पीकर, ध्वनिप्रसारक, माइक आदि ध्वनि प्रणालियों को किराये पर देना 108. बैटरी भरना 109. कलाफलक चित्रकारी 110. साइकिल मरम्मत की दुकानें 111. राजगीर 112. ढाबा (शराब रहित) 113. चाय की दुकान 114.चिकन इम्ब्रायडरी 115. बैंड मण्डली 116. आयोडीन युक्त नमक

वर्ष 2010–11 में बोर्ड के आयोजनागत कार्यक्रमों की वित्तीय प्रगति

वार्षिक योजना 2010–11 की माह दिसम्बर, 2010 तक की योजनावार वित्तीय प्रगति निम्नानुसार हैः–

अनुदान संख्या – 05 (धनराशि रु0 लाख में)

योजनाएं	बजट प्राविधान	जारी स्वीकृतियाँ	व्यय
1	2	3	4
(क) राज्य सेक्टर			
1. खादी रिबेट	800.00	800.00	400.00
2. ग्रामोद्योगी प्रदर्शनी का आयोजन	76.00	76.00	38.00
3. खादी एवं कम्बल उत्पादन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण	0.01	0.00	0.00
4. कौशल सुधार एवं प्रषिक्षण कार्यक्रम	61.00	61.00	30.50
5. उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय	21.00	21.00	10.00
6. ई–गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी	20.00	20.00	10.00
योग : राज्य सेक्टर	**978.01**	**978.00**	**488.50**
(ख) जिला सेक्टर			
1. मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना	848.00	424.00	408.59
योग : जिला सेक्टर	**848.00**	**424.00**	**408.59**
महायोग : (राज्य+जिला)	**1826.01**	**1402.00**	**897.09**

बोर्ड द्वारा संचालित योजनायें

उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्य रूप से वर्तमान में 2 योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं।

1. राज्य सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (जिला सेक्टर)
2. केन्द्रीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

1. व्यक्तिगत/साझेदारी उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (जिला सेक्टर)

राज्य सरकार की जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन करने हेतु व्यक्तिगत उद्यमशीलता के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने के अन्तर्गत योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/पालीटेक्निक द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों तथा ट्राइसेम व शासन की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों, स्वरोजगार में रूचि रखने वाली महिलाओं एवं व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय लेक उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस योजना के पात्र हैं।

योजना की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में शासनादेश संख्या 957(बी)/का0नि0–6/10 दिनांक 20 जुलाई, 2010 द्वारा योजना की अवधि 31 मार्च, 2015 तक बढ़ा दी गई है तथा योजना की अधिकतम ऋण सीमा रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर रू0 10.00 लाख कर दी गई है।

संशोधित योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :–

1. योजनान्तर्गत ऋण की अधिकतम सीमा रू0 10.00 लाख कर दी गई है।
2. सामान्य वर्ग के लाभार्थियों द्वारा सिर्फ 4 प्रतिशत ब्याज वहन किया जायेगा तथा शेष ब्याज की राशि योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।
3. आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक व महिलाओं) को योजना के अन्तर्गत ब्याज की पूर्ण धनराशि ब्याज उपादान (शून्य ब्याज) के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
4. शासन द्वारा कुल स्वीकृत धनराशि का 1–1 प्रतिशत क्रमशः जागरूकता शिविर, प्रचार–प्रसार, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए प्राविधानित होगा।

योजनान्तर्गत विगत 3 वर्षों की उपलब्धियां निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	वर्ष	ईकाई संख्या	वित्तपोषित धनराशि (करोड़ रू0 में)	रोजगार संख्या
1.	2008-2009	6030	124.70	51709
2.	2009-2010	6534	147.30	59314
3.	2010-2011 (12/10)	3689	102.91	41036

2. खादी और ग्रामोद्योग आयोग का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मार्जिन मनी योजना समाप्त करते हुए 15 अगस्त, 2008 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. इस योजना के अन्तर्गत रू0 25.00 लाख तक ऋण आवेदन पत्र स्थानीय बैंकों को जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करते हुए अग्रसारित किया जायेगा कि प्रोजेक्ट ग्रामोद्योग की परिभाषा के अनुरूप एवं मार्जिन मनी के लिए पात्र है।
2. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना उन सभी ऋण पर लागू होगी जो व्यवसायिक बैंकों, शेड्यूल बैंक, सहकारी बैंक आदि द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं।
3. बैंक से ऋण स्वीकृत वितरित होने के पश्चात मार्जिन मनी की राशि इकाई के नाम बैंक में 3 वर्षों हेतु एफ0डी0 के रूप में जमा की जाती है। रू0 25.00 लाख तक के प्रोजेक्ट पर सामान्य वर्ग के उद्यमियों को 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, महिलाओं, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को 35 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) दी जायेगी।
4. इकाई के सफलतापूर्वक स्थापित होने पर मार्जिन मनी 3 वर्ष बाद अनुदान में परिवर्तित हो जाती है।
5. इकाई को स्वीकृत होने वाले ऋण पर बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर का भुगतान करना होगा।
6. इस परियोजना लागत में उद्यमी/संस्था/समिति का अंशदान कम से कम 10 प्रतिशत होने पर यह योजना लागू होगी, किन्तु अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों को अपना अंशदान 5 प्रतिशत देना होगा।
7. 1991 की जनगणना के आधार पर जिस गांव की आबादी 20,000 से अधिक न हो, वहां योजना के अन्तर्गत ग्रामीण उद्योग स्थापित किया जा सकता है।
8. ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत जो उद्योग खादी और ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, उनको इस योजनान्तर्गत वित्तपोषित नहीं किया जा सकता है (जैसे–मांस संबंधी, नशीली वस्तुएं, फसल उगाना, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन इत्यादि और खादी तथा पोली वस्त्र, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली कोई भी परियोजना)।
9. यह योजना केवल खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा घोषित ग्रामोद्योग इकाईयों के लिए अनुमन्य होगी।
10. योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु 2496 इाकईयों की स्थापना करके 24960 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है।

क्रमांक	वर्ष	ईकाई संख्या	वित्तपोषित धनराशि (करोड़ रू0 में)	रोजगार संख्या
1.	2008-2009	1157	96.00	24475
2.	2009-2010	2109	192.95	49684
3.	2010-2011 (12/10)	437	47.49	12625

बोर्ड द्वारा प्रदत्त सुविधायें

उद्यमियों को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट के आधार पर आर्थिक सहायता के साथ–साथ निम्नलिखित सुविधायें भी प्रदान की जाती हैं।

प्रशिक्षण की व्यवस्था

उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों/परम्परागत कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1987–88 में 10 मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कराई गई थी। उद्यमियों को उद्योग विशेष के संबंध में इकाई की स्थापना से पूर्व उद्योग स्थापना से संबंधित बिन्दुओं पर जानकारी देने हेतु 15 दिवसीय व्यवहारिक प्रशिक्षण सुविधा प्रदान की जाती है। जिसके अन्तर्गत बोर्ड के मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त उद्यमिता विकास प्रशिक्षण एवं कौशल सुधार प्रशिक्षण भी संचालित किये जा रहे हैं।

गत 3 वर्षों में दिये गये प्रशिक्षण एवं स्थापित इकाईयों का विवरण निम्नप्रकार हैः–

क्रमांक	वर्ष	प्रशिक्षण का लक्ष्य	प्रशिक्षार्थी संख्या
1.	2008-2009	6500	6796
2.	2009-2010	8000	7704
3.	2010-2011 (12/10)	8000	3802

गुणवत्ता नियंत्रण

उद्यमियों द्वारा उत्पादित किये जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता एवं मानकीकरण की दृष्टि से गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना बोर्ड द्वारा लखनऊ एवं गोरखपुर में की गयी है, जिससे उद्यमियों के उत्पाद उच्च गुणवत्ता के साथ स्थानीय/प्रदेश/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बिक्री हेतु बाजार की स्पर्धा में खड़े हो सकें।

ऋण की वसूली

विशेष अभियान चलाकर वसूली का कार्य किया गया जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत् है :–

(धनराषि लाख रू0 में)

क्रमांक	वर्ष	आयोग	कन्सोर्शियम	अवर्गीकृत	योग
1.	2008-2009	129.47	316.41	0.00	445.88
2.	2009-2010	183.30	332.72	0.00	520.02
3.	2010-2011 (12/10)	84.04	165.84	0.00	249.88

प्रचार–प्रसार

बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं की शुद्धता एवं विश्वसनीयता को जन–जन तक पहुंचाने के लिए समय–समय गोष्ठियों एवं प्रदर्शनियों आदि का आयोजन किया जाता है जिससे इकाईयों के उत्पाद की बिक्री के लिए समुचित प्रचार–प्रसार हो सके जिसके लिए इकाईयों पर पूरा व्यय भार न पड़े। वर्ष 2010–11 में बिजनौर में आंचलिक प्रदर्शनी का आयोजन कराया जा चुका है। माह जनवरी, 2011 में लखनऊ में राज्य स्तरीय गोरखपुर, मेरठ व कानपुर में आंचलिक प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 15 जनपदों में जिला स्तरीय प्रदर्शनियों का आयोजन कराया जायेगा।

आवेदन कैसे करें?

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में बोर्ड के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय स्थापित हैं। जिनके द्वारा पूर्व में वर्णित स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत व्यक्तिगत उद्यमियों, सहकारी समितियों/संस्थाओं को वित्तपोषित कराया जाता है। उद्यमियों को चाहिए कि वे अपने जनपदीय कार्यालय से सम्पर्क करके जानकारी प्राप्त करके समिति/संस्था का गठन करें। सहकारी समिति के पंजीकरण से संबंधित समस्त फार्म एवं नियमावली आदि जिला कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

समाज सेवी संस्था हेतु रजिस्ट्रार सोसाइटीज एण्ड चिट फण्ड एक्ट, 1860 से (मण्डल स्तरीय कार्यालय) अपनी संस्था पंजीकृत करायें। व्यक्तिगत उद्यमी आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करके निर्धारित प्रारूप पर अपना प्रार्थना पत्र आर्थिक सहायता हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं।

वर्ष 2010–11 में रोजगार के लक्ष्य एवं उनके सापेक्ष पूर्ति
(माह 12/2010 तक)

क्रमांक	नाम योजना	ऋण की धनराशि (रू0 करोड़ में)		स्थापित इकाईयां (संख्या में)		संभावित रोजगार सृजन (संख्या में)	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1.	मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना	110.00	102.91	5500	3689	44000	41036
2.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	99.84	47.49	2496	437	24960	12625

✷✷✷

८-रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

कृषि पर आधारित कुटीर उद्योगों में रेशम उद्योग अग्रणी स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश की शस्य–श्यामला उर्वरा भूमि, भौगोलिक स्थिति, जलवायु एवं जैव विविधता इस उद्योग हेतु सर्वथा अनुकूल एवं उपयुक्त है। रेशम उद्योग के अर्न्तगत शहतूत, अर्जुन एवं अरण्डी की खेती, रेशम कीटपालन एवं धागाकरण आदि क्रियाकलाप प्रमुख पहलू हैं। चूँकि शहतूती रेशम कीट का भोज्य पदार्थ शहतूत की पत्ती एवं टसर रेशम हेतु अर्जुन एवं आसन की पत्ती तथा एरी रेशम हेतु अरण्डी की पत्ती है। अतः इस उद्योग हेतु शहतूत, अर्जुन एवं अरण्डी की खेती अत्यन्त आवश्यक है। यह उद्योग पर्यावरण मित्र होने के साथ–साथ श्रमजनित भी है। रेशम उद्योग ग्रामीण बेरोजगार नवयुवकों को शहरी क्षेत्र की ओर पलायन रोकने में भी सहायक एवं प्रभावी सिद्व हो रहा है।

प्रदेश जहॉ एक ओर परम्परागत रेशम बुनाई का क्षेत्र है वहीं दूसरी ओर रेशम उत्पादन के क्षेत्र में गैर परम्परागत है। प्रदेश की कच्चें रेशम की मांग का वर्तमान ऑकलन लगभग 5000 मे0टन वार्षिक है, जिसकी पूर्ति देश के अन्य राज्यों तथा विभिन्न देशों से आयातित रेशम से होती है। भारत में उत्पादित कुल कच्चें रेशम की पर्याप्त मात्रा में खपत प्रदेश के परम्परागत रेशम बुनाई केन्द्र वाराणसी एवम् आजमगढ़ में हो रही है। प्रदेश में रेशम की सुदृढ़ बाजार व्यवस्था उपलब्ध है तथा कच्चें रेशम उत्पादन की असीम सम्भावनायें हैं। यह कार्यक्रम कृषकों के लिये प्रदेश में गैर परम्परागत होने के कारण प्रत्येक स्तर पर प्रोत्साहन की आवश्यकता है ताकि विकसित रेशम उत्पादन राज्यों यथा–कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू–कश्मीर आदि से प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्रदेश में रेशम उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकें।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना मे रेशम उत्पादन स्तर का 318.56 मे0टन लक्ष्य है जिसके सापेक्ष वर्ष 2007–08 में 35.35 मे0टन वर्ष 2008–09 में 43.75 मे0टन एवं 2009–10 में 58.70 मे0टन का उत्पादन किया गया है एवं वर्ष 2010–11 के लिए 78.00 मे0टन कच्चा रेशम उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है तथा वर्ष 2011–12 के लिये 105.00 मे0टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कृषि एवं वनीकरण पर आधारित ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग में रेशम उत्पादन कार्यक्रमों का अग्रणी स्थान है। उत्तर प्रदेश की शस्य–श्यामला उर्वरा भूमि, भौगोलिक स्थिति, जलवायु एवं जैव विविधता इस उद्योग हेतु सर्वथा अनुकूल एवं उपयुक्त है। रेशम उद्योग के अर्न्तगत शहतूत, अर्जुन, अरण्डी की खेती को बढावा देते हुए तीनों प्रकार के रेशम उत्पादन से जुडें क्रिया–कलापों हेतु श्रंखलाबद्ध कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेशम उत्पादन से जुड़ें कार्यक्रमों में रेशम कीट के खाद्य वृक्षों का पौध उत्पादन, वृक्षारोपण, पत्ती उत्पादन, शिशु/चाकी कीटपालन, उत्तरावस्था कीटपालन, कोया उत्पादन तथा पोस्ट ककून के अन्तर्गत धागाकरण, टयूस्टेड रेशम वस्त्रों का उत्पादन, रंगाई–छपाई एवं विपणन आदि प्रमुख क्रियाकलाप सम्मिलित हैं।

भारत वर्ष, रेशम उत्पादन के क्षेत्र में विश्व स्तर पर द्वितीय स्थान रखता है, भारतवर्ष में लगभग 17797 मी0टन रेशम उत्पादन हो रहा है। उत्तर प्रदेश पुर्नगठन के उपरान्त प्रदेश का रेशम उत्पादन का स्तर वर्ष 2000 में लगभग 23.00 मी0टन था जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु रेशम निदेशालय द्वारा विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के माध्यम से रेशम उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से वार्षिक योजनाओं के माध्यम से बढायें जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश के रेशम बुनाई के परम्परागत क्षेत्र वाराणसी एवं मुबारकपुर में कच्चे रेशम की वार्षिक खपत लगभग 5000 मी0टन है, जो कि भारत के कुल रेशम उत्पादन का लगभग एक तिहाई है। इस प्रकार यह कहना अतिश्योक्ति नही होगा कि उत्तर प्रदेश रेशम की खपत का भारत वर्ष का प्रमुख केन्द्र बिन्दु है। प्रदेश की ऊष्ण कटिबन्धीय एवं शीतोष्ण जलवायु में शहतूती रेशम के अतिरिक्त ट्रापिकल टसर एवं एरी रेशम उद्योग के क्रियाकलाप सफलतापूर्वक क्रियान्वित किये जाने हेतु सभी आवश्यक सम्भावनायें विद्यमान हैं।

देश में उत्पादित होने वाले चार प्रकार के व्यवसायिक रेशम की किस्मों में भारतवर्ष ही एकमात्र ऐसा देश है, जहां चारों प्रकार की रेशम (शहतूती, टसर, अरण्डी एवं मूंगा सिल्क) का उत्पादन हो रहा है। मूंगा रेशम का उत्पादन पूरे विश्व में मात्र भारत के आसाम राज्य में किया जाता है। प्रदेश में तीन प्रकार का शहतूती, टसर एवं अरण्डी रेशम का उत्पादन किया जा रहा है। शहतूती रेशम का उत्पादन ज्यादातर तराई, पूर्वांचल एवं पश्चिमी क्षेत्र के जनपदों में किया जा रहा है तथा टसर रेशम का उत्पादन बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्यांचल क्षेत्र तथा अरण्डी रेशम का उत्पादन यमुना नदी के किनारे कानपुरनगर, रमाबाई नगर, फतेहपुर, हमीरपुर, चित्रकूट, जालौन, बांदा आदि जनपदों में किया जा रहा है।

रेशम निदेशालय के गठन का मुख्य उद्देश्यः–

- प्रदेश में रेशम उत्पादन के विभिन्न क्रियाकलापों को निजी क्षेत्र में प्रोत्साहित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन।
- प्रदेश में रेशम धागे की मांग एवं आपूर्ति के अन्तर को कम करना।
- प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रेशम उत्पादन की संभावनाओं के अनुरूप योजनाओं/ परियोजनाओं की सरंचना कर उनका क्रियान्वयन कराया जाना।
- प्रदेश में रेशम उद्योग के विकास की सुद्वढ़ व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाना।

11वी पंचवर्षीय योजना हेतु महत्वपूर्ण विभागीय कार्यक्रम

- **बन्द पड़ी रेशम धागाकरण इकाईयों को संचालन कराते हुए धागा उत्पादन का कार्य प्रारम्भ किया जाना।**
- **एरी रेशम विकास कार्यक्रमों का विस्तार एवं ऐरी क्लस्टर डेवलपमेन्ट योजना के अन्तर्गत जनपद फतेहपुर में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सहयोग से एरी रेशम विकास योजना का क्रियान्वयन ।**
- **प्रदेश के निजी क्षेत्र में केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा वित्त पोषित कैटालिटिक सूक्ष्म योजनाओं के माध्यम से रेशम उत्पादन क्रियाकलापों को प्रोत्साहन।**
- **केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा विकसित तकनीकियों का प्रदेश मे अनुकूलता हेतु शोध एवं विकास कार्यक्रमों का संचालन।**
- **विन्ध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड के वर्षा आधारित क्षेत्रों मे टसर रेशम उत्पादन को बढावा।**
- **नक्सल प्रभावित जनपदों मे रेशम उत्पादन के माध्यम से रोजगार सृजन के कार्यक्रमों का प्रोत्साहन।**
- **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत चिन्हिंत जनपदों मे रेशम क्रियाकलापों के अन्तर्गत शहतूत वृक्षारोपण एवं कोया उत्पादन कराते हुए रोजगार का सृजन।**
- **अनुसूचित जाति एवं जनजाति विशेष रूप से महिलाओं को रेशम उत्पादन के विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से स्वरोजगार के संसाधनों मे वृद्धि।**

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत रेशम फार्मो में तारबाड़ एवं सिचाई सुविधा का विकास, रीलिग इकाईयों का सुदृढ्डीकरण तथा रेशम प्रशिक्षण संस्थान एवं सिल्क एक्सचेंज की स्थापना ।

प्रादेशिक को–आपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन लिमिटेड का गठन :–

प्रदेश में अलग रेशम निदेशालय की स्थापना के पश्चात् वर्ष 1987 से 1992 तक की उपलब्धियों एवं कृषकों/कीटपालकों द्वारा उत्पादित रेशम कोयों के त्वरित भुगतान में आने वाली कठिनाइयों, रेशम उद्योग के कार्यक्रमों में गतिशीलता लाने एवं दूरस्थ इलाकों में कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन आदि को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1992 में ''प्रादेशिक को–आपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन'' का गठन निबन्धन उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अधीन दिनांक 14.12.1992 को किया गया जिसका निबंधन संख्या एल0के0ओ0–सेरी 00241 है जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश है। पी0सी0एस0एफ0 के गठन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से रेशम उद्योग के विकास एवं उत्पादित रेशम कोया/धागा के विक्रय की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु किया गया। वर्तमान में राज्य सरकार के अतिरिक्त 74 सहकारी समितियाँ फेडरेशन की सदस्य हैं। इसकी अंश पूँजी 9.90 लाख रू0 तथा कार्यशील पूँजी 89.00 लाख रू0 है। प्रमुख सचिव/सचिव रेशम फेडरेशन के अध्यक्ष हैं तथा निदेशक (रेशम) पी0सी0एस0एफ0 के पदेन प्रबन्ध निदेशक हैं। निदेशालय के अधीन तैनात अन्य अधिकारी/कर्मचारी फेडरेशन में पदेन कार्य करते है।वर्तमान समय में फेडरेशन में प्रशासक कमेटी विद्यमान है।

रेशम निदेशालय के अर्न्तगत गत तीन वर्षो की भौतिक प्रगति

क0 सं0	मद	इकाई	2007–08	2008–09	2009–10
1–	**रेशम कोया उत्पादन**				
	क–शहतूती कोया	मे0टन	238.752	333.990	458.926
	ख–टसर कोया	लाख संख्या	41.611	49.51	58.698
	ग–एरी कोया	मे0टन	7.000	7.23	19.200
2–	रेशम धागा उत्पादन(अनुमानित)	मै0टन	35.35	43.75	58.700
3–	रोजगार सृजन	संख्या	24253	25239	25811
4–	शहतूत वृक्षारोपण	एकड़	407.90	2053.66	3572.65
5–	अर्जुन वृक्षारोपण	एकड़	126.60	1025.10	522.160
6–	अरण्डी वृक्षारोपण	एकड़	––	592.50	1090.00

रेशम निदेशालय के अर्न्तगत स्वीकृत एवं व्यय धनराशि का गत तीन वर्षो का विवरण

आयोजनेत्तर

क0सं0	वर्ष	स्वीकृत धनराशि	व्यय धनराशि(लाख में)
1	2007–08	616.45	603.05
2	2008–09	892.17	804.494
3	2009–10	1174.81	1069.758

आयोजनागत

क0सं0	वर्ष	स्वीकृत धनराशि	व्यय धनराशि(लाख में)
1	2007–08	719.360	717.052
2	2008–09	910.400	909.593
3	2009–10	1226.36	1225.427

रेशम विकास विभाग, उ0प्र0 अन्तर्गत सृजित अवस्थापना सुविधाए

1. राजकीय शहतूत उद्यानो की संख्या – 171
2. शहतूत उद्यानो का कुल क्षेत्रफल (एकड) – 1750.62
3. शहतूत उद्यानो का कुल वृक्षारोपित क्षेत्रफल(एकड़) – 1550.00
4. राजकीय टसर उद्यानो की संख्या – 54
5. राजकीय टसर उद्यानो का क्षेत्रफल (एकड) – 3310.79
6. राजकीय टसर उद्यानो का वृक्षारोपित क्षेत्रफल(एकड़) – 2500.00
7. **बीज उत्पादन केन्द्र की संख्या**
   - 1– शहतूती – 02 बहराइच(नगरौर) एवं मेरठ (कंकरखेड़ा)
   - 2– टसर – 05 सोनभद्र (परासी पाण्डेय, मल्देवा दुद्वी, बोकराखाड़ी, मुनगाडीह, मुर्धवा)
   - 3– एरी – 01 कानपुरनगर(रामसारी)
8. वार्षिक कीटाण्ड उत्पादन क्षमता (रोग रहित कीटाण्ड सं0 लाख में) – 11.50
   कोया बाजार(शहतूती एवं टसर) – 07(06 शहतूती एवं 01 टसर)
9. रेशम धागाकरण इकाइया
   - अ– निजी क्षेत्र – 117 बेसिन
   - ब– राजकीय क्षेत्र – 102 बेसिन
10. चाकी कीटपालन केन्द्र की संख्या – 100

वर्ष 2010–11 को वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि (रू0 लाख में)

क्र0सं0	योजना का नाम	आय–व्ययक प्रावधान	स्वीकृति (दिसम्बर,10 तक)	व्यय (दिसम्बर,10 तक)
1	आयोजनेत्तर	1154.97	1154.97	756.25
2	आयोजनागत	1420.23	1345.00	853.88
	योग	2575.00	2499.97	1610.13

वित्तीय वर्ष 2010–11 की भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

मद	लक्ष्य	उपलब्धि (माह दिसम्बर–10तक)
शहतूती कोया उत्पादन (मे0टन)	650.00	427.132
ट्रापिकल टसर कोया उत्पादन (लाख सं0)	80.64	43.512
एरी कोया उत्पादन (किग्रा)	39.20	3.782
कच्चा रेशम उत्पादन (मे0टन)	78.00	50.70
रोजगार सृजन (संख्या)	25000	18405
शहतूत वृक्षारोपण (एकड)	3250	3748.5
अर्जुन वृक्षारोपण (एकड)	677	317
अरण्डी वृक्षारोपण (एकड)	2000	2995

क–केन्द्र पुरोनिधानित योजना

1–*केन्द्रीय रेशम बोर्ड सहायतित कैटालिटिक विकास योजनाः–*

यह योजना केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न रेशम उत्पादक प्रदेशों में रेशम विकास को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से संरचना की गयी है। भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम में अपने साथ–साथ प्रदेश सरकार व लाभार्थी को भी वित्तीय श्रोतों एवं कार्यान्वयन में साझेदार बनाया गया है। कैटालिटिक विकास योजना में निहित सूक्ष्म परियोजनाओं को प्रदेश की आवश्यकतानुसार तैयार कराकर विभिन्न कार्यक्रमों को सम्पन्न कराते हुये रेशम विकास को गति प्रदान की जाती है। प्रदेश में कीटाण्ड, प्रीककून एवं पोस्ट ककून सेक्टर में शहतूती, टसर एवं अरण्डी के अन्तर्गत 20 सूक्ष्म योजनाए वर्ष 2010–11 में कियान्वित है। ग्यारवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में राज्यांश के रूप में रू0 213.00 लाख एवं केन्द्रांश के रूप में रू0 255.050 लाख कुल रू0 468.05 लाख, वर्ष 2008–09 में राज्यांश के रूप में रू0 196.20 लाख एवं केन्द्रांश के रूप में रू0 284.47 लाख कुल रू0 480.67 लाख, वर्ष 2009–10 में राज्यांश के रूप में रू0 266.10 लाख तथा केन्द्रांश के रूप में 662.591 लाख कुल रू0 928.691 लाख का उपयोग किया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में राज्यांश के रूप में रू0 100.00 लाख का बजट प्रावधान है जिसके सापेक्ष केन्द्रांश के रूप में रू0 999.951 लाख का अनुमोदन केन्द्रीय रेशम बोर्ड (भारत सरकार) से प्राप्त हो चुका है तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा रू0 66.921 लाख का केन्द्रांश अबतक अवमुक्त किया गया है।

ख–राज्य सेक्टर की योजनायें

1– रेशम अनुसंधान एवं विकास की योजनाः–

प्रदेश के जलवायु एवं भौगौलिक परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुए रेशम उद्योग के विकास में आ रही सामरिक, तकनीकी, पर्यावरण, मौसम एवं परिक्षेत्र संबंधी समस्याओं के निदान हेतु रेशम उत्पादन के क्षेत्र में केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा विकसित नवीन तकनीकियों को प्रदेश की जलवायु एवं भौगोलिक स्थति के अनुरूप उपयोगिता का परीक्षण करने हेतु शोध एवं विकास के कार्यो हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत शहतूती क्षेत्र के 09 तथा टसर एवं एरी क्षेत्र के 12 कार्यक्रमों पर शोध एवं विकास विषयों पर अध्ययन कार्य प्रगति पर है। अनुसंधान कार्यक्रमों के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु भूमि की किस्मों की उपयुक्तता, वृक्षारोपण पद्वति एवं समय, पौध प्रजातियों की गुणवत्ता, प्रूनिंग कार्य, रासायनिक एवं बायोफर्टिलाइजर का प्रयोग, विशुद्धीकरण, कीटपालन, धागाकरण, कीटाण्ड उत्पादन तथा बीमारियों आदि से संबंधित कार्यक्रमों पर अध्ययन किया जा रहा है। यह शोध कार्यक्रम शहतूती क्षेत्र के लिए सुभागपुर–गोण्डा, टसर सेक्टर हेतु परासी पाण्डेय–सोनभद्र एवं अरण्डी हेतु जनपद औरैया में किये जा रहे है। उपरोक्त कार्यो हेतु ग्यारवी पंचवर्षीय योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में स्वीकृति परिव्यय रू0 5.010 लाख के सापेक्ष रू0 5.007 लाख का उपयोग वर्ष 2008–09 में रू0 6.50 लाख स्वीकृत परिव्यय के सापेक्ष रू0 6.336 लाख एवं वर्ष 2009–10 में रू0 7.50 लाख स्वीकृति के सापेक्ष रू0 2.212 लाख का उपयोग किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में रू0 0.09 लाख का प्रतीक प्रावधान हुआ है।

2–रेशम कीटाण्ड के विकास की योजनाः–

प्रदेश मे गुणवत्तायुक्त रेशम कोये के उत्पादन एवं सफल कीटपालन हेतु उन्नत प्रजाति के रोग रहित रेशम कीटाण्डों के उत्पादन का विशेष महत्व होता है। प्रदेश में शहतूती कीटाण्ड उत्पादन हेतु जनपद–मेरठ व बहराइच में एक–एक, टसर कीटाण्ड उत्पादन हेतु जनपद–सोनभद्र में 05 एवं एरी कीटाण्ड उत्पादन हेतु कानपुर नगर के रामसारी(घाटमपुर) में एक बीजागार स्थापित है। प्रदेश के इन बीजागारें में उन्नत किस्म के रेशम कीटाण्डों के उत्पादन हेतु शहतूती, टसर एवं अरण्डी बीजू कीटपालन केन्द्रों पर सिंचाई व्यवस्था, तारबाड़, चाकी भवन सुदृढ़ीकरण, आधुनिक उपकरणों, बीजू कोये, विशुद्वीकारकों का क्रय, बीजू कीटपालकों का उच्चीकरण, पाली हाउस एवं लघु निर्माण आदि कार्य कराये जाते है। बीजागार में रेशम कीटाण्ड उत्पादन कार्यो हेतु नवीनतम उपकरणों एवं विविध सामग्री क्रय की जाती है। रेशम कीटाण्ड उत्पादन कार्यो हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में रू0 30.00 लाख स्वीकृत परिव्यय के सापेक्ष रू0 29.99 लाख का उपयोग वर्ष 2008–09 में रू0 40.50 लाख स्वीकृति परिव्यय के सापेक्ष रू0 40.495 लाख एवं वर्ष 2009–10 में रू0 40.50 लाख स्वीकृति के सापेक्ष रू0 40.494 लाख का उपयोग किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में रू0 0.07 लाख का प्रतीक प्रावधान हुआ है।

3–नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रेशम उत्पादन द्वारा रोजगार का सृजनः–

उक्त योजना नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र, चन्दौली व मिर्जापुर में टसर रेशम विकास एवं जनपद–गाजीपुर, बलिया, मऊ एवं देवरिया में शहतूती विकास के लिये नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु राज्य सेक्टर के अन्तर्गत संचालित है। योजना का मुख्य उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक/ग्राम समाज एवं वन भूमियों पर अतिक्रमण हटाकर अर्जुन वृक्षारोपण कराना तथा निजी क्षेत्र में शहतूत वृक्षारोपण कराते हुए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को रेशम विकास कार्यक्रमों से जोड़कर स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में रू0 115.00 लाख स्वीकृत परिव्यय के सापेक्ष रू0 114.995 लाख का उपयोग वर्ष 2008–09 में रू0 184.90 लाख स्वीकृत परिव्यय के सापेक्ष रू0 184.868 लाख एवं वर्ष 2009–10 में रू0 380.76 लाख स्वीकृति के सापेक्ष रू0 380.715 लाख का उपयोग किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान सं0–83 के अन्तर्गत रू0 450.00 लाख का परिव्यय स्वीकृति है जिसकी शतप्रतिशत स्वीकृति शासन से निर्गत है।

4–जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजनाः–

प्रदेश के रेशम कृषकों को रेशम उत्पादन के प्रति जागरूक करने एवं कौशल अभिवृद्वि के उद्देश्य से उक्त योजना का संचालन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रचार–प्रसार हेतु पम्पलेट/ रेशम साहित्य का प्रकाशन, वीडियों फिल्म का प्रदर्शन, साईनबोर्ड एवं वालपेन्टिंग का कार्य कराया जाता है तथा

ग्राम/ब्लाक/जनपद/मण्डल/राज्य स्तर पर कृषक मेलों/गोष्ठियों का आयोजन करते हुए व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सर्वाधिक शहतूती रेशम उत्पादन के 20 तथा टसर एवं अरण्डी रेशम उत्पादन के 10–10 कृषकों को रू0 11000.00 प्रति लाभार्थी/कृषक की दर से रेशम पुरस्कार राज्य स्तर पर गोष्ठी का आयोजन करते हुए वितरण किया जाता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में रू0 5.00 लाख स्वीकृत परिव्यय के सापेक्ष रू0 4.998 लाख का उपयोग वर्ष 2008–09 में रू0 5. 00 लाख स्वीकृत परिव्यय के सापेक्ष रू0 4.996 लाख एवं वर्ष 2009–10 में रू0 5.00 लाख स्वीकृति के सापेक्ष रू0 5.00 लाख का उपयोग किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में रू0 0.02 लाख का प्रतीक प्रावधान हुआ है।

ग–जिला सेक्टर की योजनाएंः–

1– माडल चाकी कीटपालन शहतूत उद्यानो की स्थापना योजनाः–

यह योजना प्रदेश मे स्थापित 171 शहतूती राजकीय रेशम फार्मो, जिसका कुल क्षेत्रफल 1750.62 एकड़ है जिसमें 1550.00 एकड़ क्षेत्रफल शहतूत वृक्षारोपण से आच्छादित है पर कियान्वित की जा रही है। उक्त वृक्षारोपित क्षेत्रफल में निराई, गुड़ाई, सिंचाई, प्रूनिंग एवं कर्षण आदि कार्य वर्ष में दो बार कराये जाते है तथा शहतूत नर्सरी का उत्पादन एवं अविकसित एवं खाली क्षेत्रफल में तथा लगभग 20 वर्ष या इससे अधिक पुराने शहतूत वृक्षारोपण को हटाकर उच्च पत्ती उत्पादकता के शहतूत प्रजातियों का रोपण कराया जाता है। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता युक्त रेशम कोये के उत्पादन हेतु विभागीय देखरेख मे रेशम कीटों का इन्क्यूबेशन कराकर 10 दिनों तक चाकी कीटपालन कराते हुए चाकी कीटपालन के उपरान्त रेशम कीटों को कृषकों में कीटपालन हेतु वितरित कर कोया उत्पादन का कार्य कराया जाता है। यह योजना जिला सेक्टर की योजनाओं के अन्तर्गत शहतूती रेशम उत्पादन के लिए संचालित है जिसके अन्तर्गत फार्मो पर उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं का रखरखाव/मरम्मत, सुदृढीकरण एवं आवश्यकता के आधार पर अन्य विकास के कार्य किये जाते है। सफल कीटपालन के लिए विशुद्धीकारक, रेशम कीट औषधियों, रासायनिक उर्वरकों, नवीन कीटपालन एवं फार्म उपकरणों आदि का क्रय किया जाता है। रेशम उत्पादको को रेशम कीटपालन मे दक्ष बनाने के लिए स्थानीय एवं जनपद स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हुये रेशम कृषकों को प्रशिक्षित किया जाता है। उक्त योजना अनुदान संख्या–83 (अनुसूचित जाति सब–प्लान) एवं अनुदान संख्या–81(जनजाति सब–प्लान) के अन्तर्गत संचालित है। अनुदान संख्या–81 के अन्तर्गत जनजाति बाहुल्य जनपद–लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती बलरामपुर एवं महाराजगंज में जनजाति समुदाय के लोगों के निजी भूमि पर वृक्षारोपण कराते हुए प्रशिक्षित कर उन्हें कीटपालन गृह निर्माण एवं कीटपालन उपकरण क्रय हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। शहतूत वृक्षारोपक/लाभार्थी को रेशम उत्पादन कार्यक्रम से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, जिससे लाभार्थी कोया उत्पादन कर विक्रय के पश्चात आय अर्जित करते हैं। शहतूती रेशम उत्पादन कार्यक्रमों के संचालन हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में रू0 290.45 लाख स्वीकृत परिव्यय के सापेक्ष रू0 289.299 लाख का उपयोग वर्ष 2008–09 में रू0 420.00 लाख स्वीकृत परिव्यय के सापेक्ष रू0 419.498 लाख, एवं वर्ष 2009–10 में रू0 438.00 लाख स्वीकृति परिव्यय के सापेक्ष रू0 437.44 लाख का उपयोग किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में रू0 716.80 लाख का परिव्यय स्वीकृति है जिसकी शतप्रतिशत स्वीकृति शासन से निर्गत है।

2– टसर रेशम विकास योजनाः–

उक्त योजना वर्षाधिकारीत बुन्देलखण्ड एवं विध्यांचल के क्षेत्र जनपद सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, झांसी, ललितपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट में जिला योजना के अन्तर्गत कियान्वित है। टसर रेशम उत्पादन की अच्छी सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए नये क्षेत्र महोबा, जालौन, सुल्तानपुर एवं मथुरा में इसका विकास एवं विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 54 टसर रेशम फार्म/केन्द्र स्थापित है जिनका कुल क्षेत्रफल 3310.79 एकड है जिसमें लगभग 2500.00 एकड़ क्षेत्र अर्जुन वृक्षारोपण से आच्छादित है उक्त स्थापित फार्मो पर अवस्थापना सुविधाये जैसे चाकी भवन/बीजागार भवनों का निर्माण, तारबाड, सिचाई सुविधा का विकास आदि कार्य कराया जाता है। इसके अतिरिक्त फार्मो में वृक्षारोपित क्षेत्रफल में कषर्ण कार्य जैसे निराई, गुडाई, सिचाई प्रूनिग आदि का कार्य कराये जाते है तथा अर्जुन नर्सरी आदि का उत्पादन करते हुए नवीन/अविकसित क्षेत्रों में अर्जुन वृक्षारोपण का कार्य कराया जाता है। कीटपालन के अन्तर्गत वैज्ञानिक विधि से टसर कीटों का नायलान नेट में चाकी कीटपालन कराते हुए स्थानीय कृषकों को कीटपालन हेतु कीटों की आपूर्ति की जाती है। यह योजना अनुदान संख्या–83 (अनुसूचित जाति सब–प्लान) एवं अनुदान संख्या–81(जनजाति सब–प्लान) के अन्तर्गत संचालित है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में रू0 53.10 लाख स्वीकृत परिव्यय के

सापेक्ष रू0 50.817 लाख का उपयोग वर्ष 2008–09 में रू0 50.00 लाख स्वीकृत परिव्यय के सापेक्ष रू0 49.924 लाख, एवं वर्ष 2009–10 में रू0 79.00 लाख स्वीकृति परिव्यय के सापेक्ष रू0 78.97 लाख का उपयोग किया गया है तथा चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु रू0 118.20 लाख का परिव्यय स्वीकृत है जिसकी शतप्रतिशत स्वीकृति शासन से निर्गत है।

3– एरी रेशम विकास की योजनाः–

प्रदेश में एरी रेशम कोया उत्पादन की अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त योजना प्रदेश के फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर, बॉदा, चित्रकूट, जालौन इत्यादि के अत्यन्त पिछड़ें ग्रामीण इलाकों में जिला योजनान्तर्गत अनुदान संख्या–83(अनुसूचित जाति सब–प्लान) के अन्तर्गत कियान्वित की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में यमुना नदी के किनारे जहॉ परम्परागत तरीके से अरण्डी की खेती मात्र सहफसल एवं बीज उत्पादन के उद्देश्य से की जाती है, वही कृषकों को अरण्डी के पत्तों का उपयोग रेशम कीटपालन में कराते हुए उनकी आय में वृद्वि करायी जाती है। योजनान्तर्गत कृषकों को प्रशिक्षित कर कीटपालन उपकरणों की सुविधा से सुसज्जित करते हुए कीटपालन कराया जाता है तथा उत्पादित कोयों का विक्रय करते हुए अतिरिक्त लाभ अर्जित किया जा रहा है। इच्छुक कृषकों को धागाकरण में प्रशिक्षण प्रदान कर धागा उत्पादन एवं वस्त्रोत्पादन कार्यक्रम से समूह बनाकर जोड़ा जाता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में रू0 8.97 लाख स्वीकृत परिव्यय के सापेक्ष रू0 8.941 का उपयोग वर्ष 2008–09 में रू0 7.30 लाख स्वीकृत परिव्यय के सापेक्ष रू0 7.276 लाख, वर्ष 2009–10 में रू0 9.50 लाख स्वीकृति परिव्यय के सापेक्ष रू0 9.49 लाख का उपयोग किया गया है तथा चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु रू0 35.00 लाख का परिव्यय स्वीकृत है जिसकी शतप्रतिशत स्वीकृति शासन से निर्गत है।

प्रदेश में रेशम उद्योग को बढ़ावा दिये जाने हेतु रणनीति के मुख्य बिन्दु

- योजनान्तर्गत लाभार्थियों के यहॉ शहतूती/अरण्डीं वृक्षारोपण, कीटपालन, कोया उत्पादन, धागाकरण एवं वस्त्रोत्पादन से सम्बन्धित क्रियाकलापो का संचालन।
- योजनान्तर्गत क्रियाकलापों के संचालन में रेशम सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूह/स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता को प्रात्साहन ।
- भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को राजकीय रेशम फार्मो के वृक्षारोपण के माध्यम से रेशम उत्पादन के क्रियाकलापों को प्रोत्साहित किया जाना।
- विभिन्न ऋण योजनाओं के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यवाही कराना।
- कैटालिटिक विकास की विभिन्न सूक्ष्म योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को वृक्षारोपण से लेकर रेशम वस्त्र उत्पादन तक की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रोत्साहन ।
- उच्च गुणवत्ता के रेशम उत्पादन हेतु कृषकों को कीटपालन गृह निर्माण एवं सिचाई सुविधा के विकास हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
- कौशल अभिवृद्वि हेतु प्रदेश मे एवं प्रदेश के बाहर कृषकों/कार्मिकों को प्रशिक्षण पर भेजा जाना तथा प्रदेश में निर्मित रेशम उत्पाद को प्रदर्शन हेतु प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर प्रदर्शनियों का आयोजन कराना।
- विभाग के अन्तर्गत स्थापित अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का सृजन ।
- रेशम विपणन केन्द्रों को प्रत्येक स्तर पर बढ़ावा दिया जायेगा यथा–कोया उत्पादन, धागा उत्पादन, वस्त्रोत्पादन।
- वन विभाग के माध्यम से रेशम कीट के खाद्य वृक्षों (अर्जुन) का वृक्षारोपण कराये जाने का प्रयास।
- रेशम विकास हेतु अर्न्तविभागीय सहयोग के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वन, ग्रामीण विकास, कृषि, बागवानी, डी.आर.डी.ए., के.वी.आई.सी, के.वी.आई.वी. एवं बैंकों से समन्वय स्थापित किया जाना।
- अनुश्रवण व्यवस्था को शासन एवं जिला स्तर पर प्रभावी रूप से कार्यान्वित कराये जाने हेतु जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी स्तर पर अनुश्रवण समिति के गठन की कार्यवाही ।

अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्प संख्यक/विकलांगों/महिला/भूतपूर्व स्वतंत्रा संग्राम सेनानियों एवं पिछडे वर्गो के लिये कार्य किये जाते है।

रेशम विकास विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिये अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत माडल चाकी कीटपालन, टसर रेशम विकास योजना, एरी रेशम विकास योजना एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेशम उत्पादन द्वारा रोजगार सृजन योजना कियान्वित है तथा जनजाति वर्ग के लोगों के लिये अनुदान सं0–81 के अन्तर्गत माडल चाकी कीटपालन एवं टसर रेशम विकास योजना कियान्वित है। भूतपूर्व स्वतंत्रा संग्राम सेनानियों एवं पिछडे वर्ग के लिये अलग से कोई योजना कियान्वित नही की जा रही है विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं से इन वर्गो के लोगों का प्रतिनिधित्व लगभग 65–70 प्रतिशत है इस प्रकार इस उद्योग के माध्यम से सभी वर्ग के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोग लाभान्वित हो रहे है। वर्ष 2009–10 में कुल 25811 लोगों का रोजगार सृजन किया गया जिसमें से 14379 अनुसूचित जाति, 998 अनुसूचित जनजाति, 5972 अन्य पिछडा वर्ग तथा 1370 अल्प संख्यक समुदाय के लोग लाभान्वित हुए है। कुल रोजगार सृजन में 6996 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

✷✷✷

9-उत्तर प्रदेश निवेश केन्द्र, नई दिल्ली

1—स्थापना

- उत्तर प्रदेश केन्द्र की स्थापना के लिए दिनॉक 23.09.1998 को उ.प्र. शासन द्वारा शासनादेश जारी ।
- नवम्बर, 1998 में स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली में स्थानिक आयुक्त के अधीन उत्तर प्रदेश निवेश केन्द्र का कार्यालय खोला गया ।
- दिसम्बर, 2000 में पूर्णकालिन निवेश आयुक्त के अधीन कार्यालय स्थापित किया गया । फरवरी 12 2001 को यह कार्यालय लोधी होटल, नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया तत्पश्चात अक्टूबर, 2002 में यह केन्द्र उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली के कक्ष संख्या 324—327 में स्थाई रूप से स्थापित किया गया। जिसे वर्ष 2008 मे उत्तर प्रदेश सदन, 4, बीर टिकेन्द्रजीत मार्ग,चाणक्यपुरी, नई दिल्ली—21 के कक्ष संख्या 406 एंव 401 में स्थाई रुप से स्थापित किया गया ।
- उ. प्र. निवेश केन्द्र, नई दिल्ली के अध्यक्ष मुख्य निवेश आयुक्त एवंम् कैबनेट सचिव, उ.प्र. शासन तथा इसके दैनिक कार्यों का दायित्व उप निवेश आयुक्त द्वारा किया जाता है ।

2. उत्तर प्रदेश निवेश केन्द्र की स्थापना का उद्देश्य

- उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में तीव्र गति लाने एवं आर्थिक उदारीकरण में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नये निवेशों को आकर्षित करने, अप्रवासी भारतीयों को उत्तर प्रदेश में निवेश करने हेतू सभी प्रकार की सूचना व सहायता देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में स्थापित ।
- औद्योगिक नीति, अन्य नीतियॉ एंव सुविधाएं आदि की सूचना प्रदान करना ।
- घरेलू एवं विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहन देना ।
- आई.ई.एम. (औद्योगिक आशय पत्र), सीधा विदेशी निवेश, निर्यात मूलक इकाईयां तथा विदेशी तकनीकी सहयोग की इकाईयों में कियान्वयन का अनुश्रवण ।

3 वित्तीय संसाधन

- बजट आंबटन उद्योग बंधु, लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष अलग से आंबटित एंव निर्गत किया जाता है ।

4. कार्यकलापों का विवरण

- निवेश केन्द्र के अधिकारियों द्वारा प्रमुख औद्योगिक घरानों, व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों यथा पी.एच.डी. चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, फिक्की, एसोचैम इत्यादि के साथ संपर्क तथा व्यापार गोष्ठियों में भाग लिये जाने आदि कियाकलापों द्वारा प्रदेश में निवेश संभावनाओं को साकार करने के उद्देश्य से प्रयास किये गये हैं एवं जारी हैं।
- इस केन्द्र द्वारा न केवल उद्योग बल्कि अर्थव्यवस्था के अन्य विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकृष्ट करने हेतु भी प्रयास किए गये हैं एंव जारी हैं।
- इस कार्यालय द्वारा अन्य देशों के दिल्ली एंव मुम्बई स्थित दूतावास से प्रदेश में निवेश लाने हेतू संपर्क किया गया एवंम् सूचनाऐं प्रदान करायी गयी।
- उ. प्र. शासन एवंम् भारत सरकार के विभिन्न विभागों से जनसंपर्क ।
- भारत सरकार से निवेश केन्द्र द्वारा नियमित रूप से आई.ई.एम., सीधा विदेशी निवेश, निर्यात मूलक इकाईयां तथा विदेशी तकनीकी सहयोग की इकाईयों के संबंध में डाटा प्राप्त कर उद्योग बन्धु, लखनऊ को अग्रिम कार्यवाही हेतू प्रतिमाह उपलब्ध कराया गया ।
- निवेश केन्द्र द्वारा प्रदेश मे अवस्थापना इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना, हैल्थ एंड नॉलिज सिटिए एस. ई. जैड., आई. टी. पार्क इत्यादि में निवेश हेतू उद्यमियों / निवेशकों के प्रस्तावों पर प्रस्तुतीकरण तथा समन्वय किया गया ।

- उ. प्र. निवेश केन्द्र द्वारा भारतीय अन्तराष्ट्रीय व्यापार मेला, (14 नवंम्बर से 27 नवंम्बर तक) नई दिल्ली में उद्योग बन्धु लखनऊ (उ. प्र. शासन का औद्योगिक प्रगति हेतू एक अभिकरण) के साथ मिलकर उ. प्र. मण्डप में निवेश केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा निवेशकों एवं उद्यमियों को उ.प्र. में निवेश करने हेतू वृस्तत जानकारी से अवगत कराया गया ।
- प्रगति से औद्योगिक वातावरण के सृजन के महत्वाकांक्षी उद्यमियों को उत्प्रेरित करने एंवम् उनसे प्राप्त प्रस्तावों को आवश्यक कार्यवाही हेतू औद्योगिक विकास एंव अन्य सम्बन्धित विभागों को इस केन्द्र द्वारा अग्रसारित किया गया है।
- उ. प्र. निवेश केन्द्र के अधिकारियों द्वारा भारतीय प्रवासी दिवस (7 जनवरी 2010 से 9 जनवरी 2010) नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय निवेशकों एवं अन्य उद्यमियों को उ. प्र. में निवेश करने हेतू विस्तृत जानकारी से भी अवगत कराया गया।

✷✷✷

४-औद्योगिक निगम/प्राधिकरण

१-उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर

1. **स्थापना वर्ष :**

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 01नवम्बर,1954 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अन्तर्गत की गई थी ।

2. **उददेश्य**

अ उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम लघु एवं मध्यम वर्गीय उघोगों के माध्यम से प्रदेश के सर्वागीढ विकास को सुद्रढ बनाने का विनम्र प्रयास कराना है।

ब निगम की वर्तमान अंश पूँजी रु0 500.00करोड. है।निगम की चुकता अंश पूँजी रु0 179.28करोड है ।

3. **निगम के मुख्य कार्यकलाप**

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ने औघोगिक विकास हेतू प्रदेश के लघु एवं मध्यम वर्गीय उघोगों को दीर्घकालीन ऋण एवं कार्यशील पूँजी ऋण उपलब्ध कराता रहा है ।

निगम सार्वाधिक ऋण के रुप में वित्तीय सहायता देने में देश के प्रमुख राज्य वित्तीय निगम एवं उघमिता विकास की दिशा में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी ।

निगम ने 31मार्च,2008 तक लगभग 41358 इकाइयों को रु0 5249.08 करोड. स्वीकृत एवं 3248.82 करोड की दीर्घावधि ऋण के रुप में वित्त पोषित किया ।

निगम की आगामी कार्य योजना एवं वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु कदम

1. वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिडबी को निर्देशित किया गया है कि जिन वित्तीय निगमों की नेटवर्थ निगेटिव है उनकी पुर्नवित्त सुविधा पर रोक लगा दी जाये,।चूँकि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की नेटवर्थ निगेटिव है,इस कारण सिडबी द्वारा पुर्नवित्त सुविधा पर रोक लगा दी गई । इसके अतिरिक्त दिनॉक 14.04.2007 को शासन ने यह भी निर्णय लिया कि निगम की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये वह अपनी ऋण वितरण प्रकिया बन्द रक्खे ।

2. निगम द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली बढ.ाने हेतु हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं,जिससे निगम की अक्रियशील सम्पत्ति(एन0पी0ए0)में कमी की जा सके । निगम द्वारा अक्रियशील सम्पत्तियों में कमी हेतु एकमुश्त भुगतान योजना चलाई जा रही है । वसूली प्रमाण पत्र के अनुश्रवण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जिसके कारण निगम को अदायगी न करने वाले प्रवर्तकों से एकमुश्त भुगतान करने अथवा न्यायालय के बाहर विवाद को सुलझााने के मामले आ रहे हैं ।

3. इसी प्रकार सम्पत्तियों के त्वरित विक्रय हेतु धारा 29के अन्तर्गत अधिकृत सम्पत्तियों को बेंचे जाने वाली प्रक्रिया को और प्रभावशाली बनाकर ऋण वसूली नीति को और कारगर बनाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं ।

4. जो मामले विभिन्न मा0 न्यायालयों/बी0आई0एफ0आर0/ए0ए0आई0एफ0आर0 में विचाराधीन हैं, उनमें अविलम्ब निर्णय कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

5. वित्तीय वर्ष 2006..07 से 2010.11माह अक्टूबर 2010 तक ऋण स्वीकृत,वितरण एवं वसूली पर विवरण निम्नवत है।

(रु0 करोड.में)

क्र0सं0	विवरण	2006..07	2007...08	2008..09	2009..10	2010..11	2010..11
1	ऋण स्वीकृत	92.59	11.14	.	.	.	.
2	ऋण वितरण	47.61	11.00	.	.	.	.
3	ऋण वसूली	137.58	85.18	56.59	36.43	60.60	23.67

निगम के अन्तर्गत चल रही वर्तमान चालू योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

औधोगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2006

उत्तर प्रदेश में मेगा इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने तथा उत्पादन के प्रारम्भिक वर्षों में कार्यशील पूॅजी उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा औधोगिक निवेश परियोजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना को संचालित करने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या 3090 दिनॉक 06.11.2003 को औधोगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2003 जारी की गई। इस नियमावली के अनुसार उन मेगा इकाइयों को जिन्होंने खाद्य प्रसंस्करण अथवा पशु सम्पदा आधारित क्षेत्र में औधोगिक इकाई की स्थापना के लिये रु0 10. 00करोड या अधिक का पूॅजी निवेश किया हो या बुन्देलखण्ड/पूर्वान्चल में रु0 10.00करोड या उससे अधिक अथवा किसी अन्य जनपद में रु0 25.00 करोड से अधिक का पूॅजी निवेश किया हो, उनको ब्याज मुक्त ऋण नये पूॅजी निवेश से निर्मित वार्षिक विक्रय धन के अनुपात के आधार पर उस वर्ष के वार्षिक विक्रय पर भुगतान किये गये उत्तर प्रदेश व्यापार कर तथा केन्द्रीय विक्री कर के योग की सीमा में रहते हुये नियमावली के प्रस्तर 5(4) में दी गई सारिणी के अनुसार दिया जाएगा जो कि किसी भी दशा में वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

दिसम्बर 2006 की संशोधित नियमावली में पिकप तथा यू0पी0एफ0सी0 के मध्य इकाइयों का वर्गीकरण भी कर दिया गया है,जिसके अनुसार खाध प्रसंस्करण अथवा पशु सम्पदा पर आधारित जिनमें रु0 5 से 15 करोड. का पूॅजी निवेश किया गया हो, इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र तथा बुन्देलखण्ड व पूर्वांचल में रु0 10.15 करोड तथा इसके अतिरिक्त अन्य जनपदों/क्षेत्रों में जिनमें रु0 25.30 करोड. का पूॅजी निवेश किया गया हो, ऐसी इकाईयों को ब्याज मुक्त ऋण यू0पी0एफ0सी0 द्वारा दिया जायेगा। इस सीमा के बाद की पूॅजी निवेश पर पिकप द्वारा ब्याज मुक्त ऋण दिया जायेगा ।

✷✷✷

२-उ० प्र० राज्य हथकरघा निगम लि०, कानपुर

राम सहाय आयोग की संस्तुतियों के आधार पर 9 जनवरी ,1973 को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अन्तर्गत **उ0प्र0 राज्य शक्तिचालित करघा वित्त एवं विकास निगम** का गठन एक शासकीय सार्वजनिक कम्पनी के रुप में हुआ था तथा 20 दिसम्बर ,1977 को इसका नाम **उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम** में परिवर्तित कर दिया गया ।

उद्देश्य :

उ0 प्र0 राज्य हथकरघा निगम की स्थापना का उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र में लगे हुए बुनकरों को उचित मार्गदर्शन तथा तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना, प्रदेश के असंगठित क्षेत्र अथवा व्यक्तिगत क्षेत्र के बुनकरों को प्रोत्साहन प्रदान करना, नये हथकरघों की स्थापना करना, पुराने करघों का आधुनिकीकरण कराना, बुनकरों द्वारा निर्मित माल की गुणवत्ता बृद्धि हेतु समुचित मार्गदर्शन कराना, बुनकरों को नवीनतम् उत्पादन विधियों, डिजाइनिंग, रंगाई एवं छपाई आदि के सम्बन्ध में समुचित मार्गदर्शन की व्यवस्था कराना।

निगम के मुख्य कियाकलाप

1. भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बुनकरों को उपलब्ध कराना ।
2. असंगठित क्षेत्र में कार्यरत बुनकरों को हथकरघा उद्योग के विकास हेतु नई तकनीक एवं डिजाइन उपलब्ध कराना ।
3. असंगठित क्षेंत्र में कार्यरत बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराना ।
4. बुनकरों द्धारा उत्पादित वस्त्रों की बिक्री की व्यवस्था करना ।

हथकरघा निगम एक दृष्टि में

1. प्रदेश में कुल बुनकरों की सं0 (1996–97) की गणना के आधार पर	6.64 लाख
2. प्रदेश में कुल करघों की सं0	2.24 लाख
3. हथकरघा निगम के द्वारा अच्छादित बुनकरों की सं0	20, 520
4. परियोजनाओं की सं0	10
5. क्षेत्रीय विपणन कार्यालय	10
6. बिक्री केन्द्रों की सं0	79
7. निगम मे कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों सं0	327
8. छटनी के माध्यम से अवमुक्त कार्मिकों की सं0	855
9. वी0आर0एस0के अर्न्तगत सेवामुक्त कार्मिकों की सं0	906

विपणन

1– **बिक्री केन्द्र :–**

प्रदेश के बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की बिक्री हेतु देश भर में 10 विपणन कार्यालय स्थापित किए गए हैं जिसके अन्तर्गत वर्तमान में 79 बिक्री केन्द्र हैं । इन बिक्री केन्द्रों के माध्यम से प्रदेश के बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की बिक्री की जाती है ।

विपणन परिक्षेत्र एवं बिक्रीकेन्द्रों की संख्या

क्रमांक	परिक्षेत्र	बिक्रीकेन्द्रों की संख्या	
		प्रदेश के अंदर	प्रदेश के बाहर
1—	कानपुर	16	—
2.	लखनऊ—	06	—
3—	बरेली	08	—
4—	वाराणसी	09	—
5—	देहरादून	—	07
6—	बंगलौर	—	04
7—	कलकत्ता	—	09
8—	दिल्ली	02	10
9—	मुम्बई	—	04
10—	भुवनेश्वर	—	04
	योग	41	38

2—**कन्साइनमेंट योजना**:—

इसके अन्तर्गत निगम द्वारा बिना कार्यशील पूंजी लगाये प्रदेश के बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्रों को बिक्री कर लाभ अर्जित करने की योजना है । योजना के अन्तर्गत विभिन्न हथकरघा क्षेत्र से जुड़ी इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्त्र बिक्रीकेन्द्र पर रखे जाते हैं । इकाइयों को वस्त्रों की बिक्री के उपरांत ही , बिक्री के अनुरूप वस्त्रों का भुगतान किया जाता है । योजना में बिक्री पर 13.33 प्रतिशत मार्जिन है ।

3— **सरकारी आपूर्ति :—**

शासन के आदेश संख्या 859/18—5—2007—59(एसपी)/92 दिनांक 27.09.07 के अन्तर्गत प्रदेश के सरकारी विभागों, शासकीय नियंत्रणाधीन विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं इत्यादि को सूटिंग, शर्टिंग, काटन बेड दरी, हक्का बैग/हनीकाम्ब टेरी टावेल, साड़ी एवं धोती, बेडशीट/पिलोकवर, पर्दे का कपड़ा एवं टेपेस्ट्री, ऊनी कम्बल, ऊनी वर्दी, फर्शी दरी, गाज बैण्डेज एवं दो सूती क्लाथ हथकरघा निगम से क्रय करने का प्राविधान है निगम द्वारा वस्त्रों की आपूर्ति की जा रही है । योजना में बिक्री पर 10 प्रतिशत लाभांश है ।

4— '' **आकाश '' के माध्यम से आपूर्ति :—**

एसोसिएशन आफ कारपोरेशन एपेक्स सोसाइटी आफ हैण्डलूम्स (आकाश) नई दिल्ली के माध्यम से हथकरघा निगम से भारत सरकार के सिंगल टेण्डर सिस्टम के तहत विभिन्न विभागों से आपूर्ति के आदेश प्राप्त होते हैं । निगम द्वारा आपूर्ति दर पर 2.66 प्रतिशत लाभांश प्राप्त होता है ।

5— **हास्पिटल क्लोदिंग :—**

अस्पतालों में नित्य प्रयोग में आने वाले वस्त्रों जैसे डस्टर, कोट, पेसेन्ट सूट, मैट्स कवर, चादर, पिलोकवर, एप्रन, ड्रा शीट, कम्बल, तौलिया, इत्यादि की आपूर्ति की जाती है । योजना के अन्तर्गत निगम को 10 प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है ।

6— **उधार बिक्री योजना** :—

योजना का उद्येश्य सरकारी / अर्द्ध सरकारी विभागों / निगमों एवं अन्य संस्थाओं के सभी कर्मचारियों/ अधिकारियों को हथकरघा निगम के बिक्री केन्द्रों से आसान किस्तों में हथकरघा वस्त्र उपलब्ध कराए जाते हैं जिसका भुगतान सम्बन्धित संस्था / विभाग द्वारा छः समान मासिक किस्तों में निगम को दिया जाता है । योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित संस्था / विभाग को दो प्रतिशत इन्सेन्टिव नेट बिक्री पर दिया जाता है ।

वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक की वित्तीय प्रगति

कमांक	विवरण	वर्ष 2008–09	वर्ष 2009–10	वर्ष 2010–11 (दिस0, 2010तक
1.	उत्पादन	1814.32	2321.89	931.72
2.	विकय	2244.36	2762.32	1141.78
3.	कुल व्यापार	2244.36	2762.32	1141.78

दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम का पुर्नगठन पैकेज

हथकरघा विकास आयुक्त वस्त्र मंत्रालय उद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा हथकरघा क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु दिनांक 1.4.2000 से दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है। योजना का उददेश्य हथकरघा क्षेत्र का उत्थान करना एवं बुनकरों से जुड़े संस्थाओ का सुदृढ़ीकरण करना है ।

निगम के सुदृढ़ीकरण की योजना का प्रस्ताव यू0 पी0 इंडस्ट्रियल कन्सल्टेण्ट लि0, कानपुर से तैयार कराकर उसका वित्तीय आकलन उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर से कराया गया है । योजना का अनुमोदन प्रदेश शासन पर गठित राज्यस्तरीय प्रोजेक्ट कमेटी द्वारा ही किया गया है । योजना को माननीय मन्त्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है । पैकेज को भारत सरकार द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है । योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं :–

1– निगम में मानवशक्ति 1748 से 599 करना ।
2– अलाभकारी बिक्री केन्द्रों को बंद करते हुए वर्तमान बिक्री केन्द्रों की संख्या 159 से 100 करना
3– निर्यात बढ़ाने पर जोर देना ।
4– आयातित सिल्क धागे की बिक्री पर लाभ अर्जित करना ।
5– अनुपयोगी उत्पादन केन्द्र एवं परियोजनाओं को बंद करना ।
6– निगम द्वारा आकाश, हास्पिटल, थोक आपूर्ति एवं सरकारी विभागों को अधिक से अधिक आपूर्ति कर लाभ अर्जित करना ।

सचिव (वस्त्र) भारत सरकार नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 13.09.04 को आयोजित बैठक में उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0,कानपुर के पुर्नगठन पैकेज को अनुमोदित किया गया था । पैकेज के कुल आउटले रु0 40.00 करोड़ में से भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अश रु0 20.00 –रु020.00 करोड़ का है । भारत सरकार द्धारा केन्द्रांश के रुप में प्रथम किश्त रु0 10.00 करोड़ अनुमोदित करते हुए रु0 5.00 करोड़ अवमुक्त किया था । राज्य सरकार द्वारा भी इसके सापेक्ष रु0 5.00 करोड़ अवमुक्त किया था । इस प्रकार हथकरघा निगम को सीडमनी के रुप मे कुल रु0 10.00 करोड़ प्राप्त हुआ है ।

पुर्नगठन पैकेज के अन्तर्गत निगम द्वारा अब तक किये गये कार्य :–

क. पैकेज के अर्न्तगत मानवशक्ति 1748 से 599 की जानी थी । वर्तमान में मानवशक्ति 327 है। वार्षिक वेतन बिल लगभग रु0 13.50 करोड़ से घटकर लगभग रु0 2.75 करोड़ रह गया है ।

ख. योजना के अन्तर्गत 159 बिक्री केन्दों में से 100 बिक्री केन्द्र चलाये जाने थे । वर्तमान में 79 बिक्री केन्द्र कार्यरत है।

ग. दिनांक 31.12.2010 को निगम में लगभग कुल पुरानी इन्वेन्ट्री रु0 1.90 लाख उत्पादन मूल्य की उपलब्ध है जिसकी निकासी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ।

***

3–उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०, कानपुर

उ0प्र0 में औद्योगिक विकास को त्वरित गति प्रदान करने के लिये उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 की स्थापना मार्च 1961 में की गयी थी। वर्तमान में निगम राज्य शासन अभिकरण के रूप में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में चयनित स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं से युक्त एकीकृत औद्योगिक क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करके औद्योगिक एवं अन्य सम्बन्धित उपयोगों हेतु भूखण्ड उपलब्ध कराता है।

वर्ष 2010–2011 हेतु लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियॉ (दिसम्बर 2010 तक)

क0सं0	कार्यक्रम	2009–10		2010–11		प्रतिशत
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
1.	भूमि अधिग्रहण (एकड़ में)	1000	1034.479	600.00	626.102	104.35
	(रुपये लाख में)	25000	6554.74	15000.00	10915.92	56.11
2.	भूमि विकास (एकड़ में)	1202	327.20	421	15.00	3.56
	(रुपये लाख में)	37014	19536.54	25200.00	6608.00	26.22
3.	भूमि आवंटन (एकड़ में)	450	413.82	800.00	258.99 (20.11.10)	32.77
4.	औद्योगिक क्षेत्रों से प्राप्ति ब्याज सहित (रु0 लाख में)	35000	32096.41	50000.00	25433.41 (20.11.10)	50.87

1. भूमि अधिग्रहणः–

उ0प्र0 शासन स्तर पर धारा 4/17 की विज्ञप्ति जारी होने हेतु 360.289 एकड़ के प्रस्ताव विचाराधीन है, जिला स्तर पर 4/17 की संस्तुति हेतु प्रस्ताव रकबा 3393.686 एकड़ भूमि के परीक्षण में लम्बित है । धारा 6/17 की संस्तुति हेतु विभिन्न जनपदों में प्रस्ताव रकबा 877.2404 एकड़ के विचाराधीन है । वित्तीय वर्ष 2010–11 के भूमि अधिग्रहण के निर्धारित लक्ष्य 600 एकड़ के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2010 तक 626.102 एकड़ भू अर्जन हो सकी है। भूमि अधिग्रहण पर कुल प्रस्तावित व्यय रू0 15000.00 लाख के सापेक्ष दिसम्बर, 2010 तक रू0 10915.92 लाख व्यय हुआ हैं।

2. औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि विकास : –

निगम की कार्य योजना 2010–11 में भूमि विकास हेतु व्यय के लक्ष्य रू0 25200.00 लाख के सापेक्ष दिसम्बर, 2010 तक रू0 6608.00 लाख व्यय किये गये हैं ।

3. औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन सम्बन्धी क्रियाकलापः–

वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु भूमि आवंटन लक्ष्य 800.00 एकड़ के सापेक्ष 20 दिसम्बर, 2010 तक 258. 99 एकड़ भूमि आवंटित हुयी है तथा औद्योगिक क्षेत्रों से निर्धारित प्राप्ति लक्ष्य रू0 50000.00 लाख के सापेक्ष 20 दिसम्बर, 2010 तक रू0 25433.41 लाख प्राप्त हुये हैं।

वर्ष 2010–11 के लिए निगम की मुख्य परियोजनाये–

4. ग्रोथ सेन्टर्स परियोजनायेः–निगम द्वारा प्रदेश में जैनपुर,शाहजहॉपुर दिबियापुर एवं झांसी ग्रोथ सेन्टरों का विकास क्रमशः 331 एकड़, 324 एकड़ 346 एकड़ एवं 385.04 एकड़ भूमि पर किया गया है। इनकी परियोजना लागत क्रमशः रू0 3100.76 लाख, रू0 1622 लाख, रू0 1950 लाख एवं रू0 1885 लाख है। इन ग्रोथ सेन्टर परियोजनाओं में जैनपुर तथा शाहजहॉपुर का विकास कार्य पूर्ण हो चुका है। झांसी एवं दिबियापुर विकास केन्द्रों का कार्य प्रगति पर है जिसमें से झांसी विकास केन्द्र जिसकी परियोजना लागत रू0 1885.00 लाख है, पर माह दिसम्बर, 10 तक रू0 1463.98 लाख व्यय किया गया है । इस व्यय के सापेक्ष केन्द्र एवं राज्य सरकार से क्रमशः रू0 685.90 लाख तथा रू0 296.50 लाख की धनराशि निगम को प्राप्त हुयी है तथा अवशेष रू0 481.58 लाख निगम के निजी स्रोतों द्वारा व्यय किया गया है। इसके अतिरिक्त दिबियापुर ग्रोथ सेन्टर की परियोजना लागत रू01950.00 लाख है। इस विकास केन्द्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु दिसम्बर,10 तक रू0 1548.37 लाख का व्यय किया जा चुका है। इसके सापेक्ष केन्द्र एवं राज्य सरकार से क्रमशः रू0 450.00 लाख तथा रू0 250.00 लाख की धनराशि निगम को प्राप्त हुयी है तथा अवशेष रू0 848. 37 लाख का व्यय निगम के निजी स्रोतों से किया गया है। इन परियोजनाओं में राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार से कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं होनी है।

5. एग्रो पार्क्सः–

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्राालय, भारत सरकार के सहयोग से कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु निगम द्वारा कुर्सी रोड (बाराबंकी) तथा करखियांव (वाराणसी) में दो एग्रो पार्क विकसित किये गये हैं। एग्रो पार्क बाराबंकी की कुल परियोजना लागत रू0 1543.00 लाख तथा एग्रो पार्क वाराणसी की कुल परियोजना लागत रू0 2250.00 लाख है। एग्रो पार्क कुर्सी रोड, बाराबंकी तथा वाराणसी हेतु भारत सरकार द्वारा क्रमशः रू0 338 लाख एवं रू0 200 लाख तथा उ0प्र0 शासन द्वारा प्रत्येक पार्क हेतु रू0 300.00 लाख अवमुक्त किये गये हैं। दोनों एग्रो पार्को में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु क्रमशः रू0 1314.53 लाख तथा रू0 1417.03 लाख व्यय किये जा चुके हैं। दोनों एग्रो पार्को का विकास कार्य पूर्ण हो चुका है।

6. (अ) विशेष आर्थिक जोन(एस0ई0जेड0) कानपुर :–

इस परियोजना हेतु जनपद उन्नाव में स्थित शंकरपुर सराय की 760.301 एकड़ तथा मनभौना की 311.536 एकड़ तथा ग्राम कन्हवापुर की 28.725 एकड़ कुल लगभग 1101.00 एकड़ में धारा 6/17 की अधिसूचना जारी हो गई है। तीनों ग्रामों की भूमि पर औपचारिक कब्जा प्राप्त हो गया है। ग्राम शंकरपुर सराय, मनभौना व कन्हवापुर की अर्जित 1100 एकड़ भूमि का करार नियमावली 1997 के अंतर्गत ग्राम शंकरपुर सराय, मनभौना तथा कन्हवापुर की संशोधित संस्तुति रू0 5,51,000/– प्रतिबीघा जिला समिति द्वारा भेजी गई थी जिसे मण्डलायुक्त ने स्वीकृत कर दिया है। गॉव सभा की 115.163 एकड़ भूमि के प्रस्ताव जिला स्तर पर बाजारू मूल्य व पंजीकृत मूल्य निर्धारण एवं पुर्नग्रहण आदेश हेतु लम्बित हैं। अब तक भूमि अर्जन हेतु जिलाधिकारी ,उन्नाव को रू0 20.06 करोड़ की धनराशि भेजी जा चुकी है। जिसमें रू0 37.00 लाख काश्तकारों को वितरित हो गई है। प्रभावित काश्तकारों से करार पत्र निष्पादित कराकर विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, उन्नाव के समक्ष प्रस्तुत कराकर धारा 11(2) के अन्तर्गत अभिनिर्णय घोषित कराकर प्रतिकर वितरण कराने के निर्देश अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–10, कानपुर को भेजे गये हैं।

विशेष आर्थिक परिक्षेत्र परियोजनाओं को सिंगल प्रोडक्ट के रूप में शासन के निर्देशानुसार यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा विकासकर्ता की भूमिका अदा करते हुए कानपुर में 3 सेक्टर स्पेसिफिक परियोजनाऍ विकसित की जानी हैं। उक्त परियोजनाओं पर बोर्ड आफ एप्रूवल, भारत सरकार द्वारा दि0 31.05.07 को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(ब) विशेष आर्थिक जोन(एस0ई0जेड0) भदोही :– इस परियोजना की स्थापना के लिए भदोही जिला संत रविदास नगर स्थित 5 ग्रामों की 514.059 एकड़ निजी भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु उ0प्र0 करार नियमावली 1997 के अन्तर्गत प्रतिकर दर रू0 3,20,000/– प्रति एकड़ पर अनुमोदन मण्डलायुक्त स्तर से दि0 15.03.05 को प्राप्त हो चुका है। कुल 1774 काश्तकारों में से 1036 काश्तकारों का अभिनिर्णय धारा 11(2) के अन्तर्गत घोषित करने के लिये जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया है तथा निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है । भूमि पर भौतिक कब्जा प्राप्त होना है। गॉव सभा भूमि रकबा 11.34 एकड़ के पुनर्ग्रहण आदेश दिनांक 03.07.03 को हो गये हैं जिसका

बाजारू मूल्य व पंजीकृत मूल्य जमा करके कब्जा प्राप्त हो चुका हैं। अब तक निजी व गॉव सभा भूमि अर्जन हेतु कुल धनराशि रू0 16.66 करोड़ का भुगतान किया गया है। जिसमें निजी भूमि का रू0 9,11,37,021.50 प्रतिकर वितरित हो चुका है परन्तु लेखा प्राप्त नहीं हुआ है। गॉव सभा की सार्वजनिक प्रयोजन की 7.354 एकड़ भूमि के पुर्नग्रहण का प्रकरण जिला स्तर पर लम्बित है।

भदोही विशेष आर्थिक परिक्षेत्र परियोजना को सेक्टर स्पेसिफिक परियोजना (कारपेट उत्पाद) के रूप में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा विकासकर्ता की भूमिका अदा करते हुए विकसित किया जाना है। इस परियोजना पर बोर्ड आफ एप्रूवल, भारत सरकार द्वारा जून 2008 में औपचारिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। भूमि का वास्तविक कब्जा प्राप्त कर विकास कार्य प्रारंभ करने में स्थानीय काश्तकारों द्वारा विरोध किया जा रहा है। जिला प्रशासन के सहयोग से भौतिक कब्जा प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

(स) <u>विशेष आर्थिक जोन, मुरादाबादः–</u>

इस विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना हेतु 4 ग्रमों की 422.108 एकड़ निजी भूमि अर्जित होकर भूमि पर कब्जा दिनांक 17.07.01 व 16.12.02 को प्राप्त हो चुका है। अब तक रू0 14,89,47,638.17 जिलाधिकारी को भेजा गया है जिसके सापेक्ष रू0 14,08,63,149.35 प्रतिकर वितरित हो चुका है। मु0 27,39,540.47 रूपया धनराशि वितरण हेतु जिला स्तर पर अवरूद्व है।

गॉव सभा की चार ग्रामों की 13.245 एकड़ गॉव सभा सार्वजनिक उपयोग की भूमि के पुर्नग्रहण का प्रस्ताव शासन स्तर पर पुर्नग्रहण आदेश हेतु लम्बित है।

मुरादाबाद में हस्तनिर्मित वस्तुओं के लिये विशेष आर्थिक परिक्षेत्र स्थापित करने हेतु भारत सरकार से अनुमोदित इस परियोजना में उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा जल, विद्युत, जल निकासी, सामान्य सुविधायें, इन्लैन्ड कन्टेनर डिपो, विकास आयुक्त कार्यालय, कस्टम कार्यालय, बैंक, पोस्ट आफिस, टेलीफोन, पुलिस आउटपोस्ट, फायर स्टेशन, बाउन्ड्रीवाल, आवासीय क्षेत्र, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, सी0ई0टी0पी0 आदि सुविधाओं का निर्माण /विकास कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। पाकेट–ए का कार्य पूर्ण होने के फलस्वरूप कस्टम विभाग द्वारा नोटिफिकेशन निर्गत कर दिया गया है। उद्यमियों को भू–आवंटन की प्रक्रिया की जा रही है।

7. <u>औद्योगिक अवस्थापना उच्चीकरण योजना (औद्योगिक क्लस्टर योजना)</u>:–

भारत सरकार की क्लस्टर योजना के अर्न्तगत बन्थर (उन्नाव), कानपुर में क्लस्टर योजना भारत सरकार से स्वीकृत हो चुकी है। उद्यमियों द्वारा गठित एस0पी0वी0 द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन की कार्यवाही की जा रही है। कानपुर देहात (रनियां) परियोजना रिपोर्ट/प्रस्ताव राज्य सरकार की संस्तुति के साथ भारत सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई है। निगम के 04 औद्योगिक क्षेत्रों (गाजियाबाद–2, बुलन्दशहर एवं कानपुर) में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण हेतु परियोजनायें भी राज्य सरकार की संस्तुति सहित भारत सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई हैं जिसमें से बुलन्दशहर रोड, गाजियाबाद तथा पनकी, कानपुर की परियोजना रिपोर्ट पुनः पुनरीक्षित कर प्रेषित की गई हैं। इसके अतिरिक्त मेरठ कलस्टर हेतु भी एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई हैं। उक्त तीनों परियोजनायें उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 11.02.09 को भारत सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित की गई हैं।

8. <u>एकीकृत अवस्थापना विकास केन्द्र (आई0आई0डी0सी0)</u> :–

लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 मार्च, 1994 द्वारा पिछड़े क्षेत्रों/जनपदों में लघु उद्योगों को बढ़ावा दिये जाने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में 50 एकड़ भूमि पर रू0 2.00 करोड़ प्रति केन्द्र के आधार पर अनुदान देने की घोषणा की गयी थी। इस योजना के अर्न्तगत यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा उत्तर प्रदेश के पिछड़े जनपदों में लघु उद्योग स्थापित किये जाने हेतु कोसी–कोटवन (मथुरा), एटा, बन्थर (उन्नाव), में परियोजनायें स्थापित किये जाने हेतु भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 1996–97 में स्वीकृति प्रदान की गयी थी एवं इन परियोजनाओं का विकास कार्य पूर्ण हो चुका है। सम्बन्धित केन्द्रो में उद्यमियों को अवस्थापना सुविधायें प्रदान करते हुये 200 मीटर एवं 300 मीटर के भूखण्डों को उपलब्ध कराया गया है। भारत सरकार से उक्त तीनों परियोजनाओं के लिये कुल अनुदान रू0 514.40 लाख निगम को प्राप्त हुआ है।

भारत सरकार द्वारा तीन अन्य एकीकृत अवस्थापना केन्द्रों कुर्सी रोड (बाराबंकी), बागपत, मसूरी–गुलावटी (गाजियाबाद) की स्थापना हेतु स्वीकृति दिनॉक 10.12.2001 को प्रदान की गयी थी। इन तीनों केन्द्रों का विकास कार्य अन्तिम चरण में है। रामनगर (चन्दौली) में एकीकृत अवस्थापना विकास केन्द्र की अनुमति दिनॉक 18.06.02 को प्रदान की गयी है। यहॉ विकास कार्य पूर्ण हो चुका हैं। भारत सरकार द्वारा उक्त चारों परियोजनाओं में रू0 495.34 लाख का अनुदान अभी तक प्राप्त हुआ है।

9. चोला, औद्योगिक क्षेत्र बुलन्दशहर :–

यह निगम की एक महत्वाकांक्षी योजना है । 10 ग्रामों की 2607.00 एकड़ भूमि अर्जित हो चुकी है तथा 191 एकड़ ग्राम सभा भूमि का पुनर्ग्रहण हो चुका है । काश्तकारों से वार्ता कर उ0प्र0 करार नियमावली 1997 के अन्तर्गत रू0 405/– प्रति वर्गगज(समस्त लाभों यथा अतिरिक्त प्रतिकर, सोलोशियम तथा ब्याज को शामिल करके) प्रतिकर दर पर सहमति पर प्रस्ताव दि0 30.07.07 को जिलाधिकारी को भेजा गया। जनपद से 4 बार प्रस्ताव प्रस्तावित दर अधिक बताते हुये वापस आया । अंततः दि0 10.10.08 को मण्डलायुक्त के अनुमोदन के लिये भेजा गया । मण्डलायुक्त ने पत्र दि0 26.03.09 के द्वारा वर्तमान बाजारू दर के परिप्रेक्ष्य में काश्तकारों से वार्ता कर संशोधित प्रस्ताव भेजने को जिलाधिकारी को निर्देश दिये गये हैं। पुनः दर पर काश्तकारों से वार्ता की गई। इधर ग्रेटर नोएडा में वर्तमान प्रचलित प्रतिकर की दर रू0 850/– प्रति वर्गमी0 एवं गाजियाबाद में रू0 1100/– प्रति वर्गमी0 में करार हो रहे है । करारों के आधार पर काश्तकार प्रतिकर में बढ़ोत्तरी की बात करने लगे है। मंडलायुक्त द्वारा प्रतिकर की प्रस्तावित दर को वर्तमान बाजार मूल्य के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षित करके प्रस्ताव भेजने के निर्देश के अनुपालन में पुनः काश्तकारों से वार्ता की जा रही है। दिनांक 06.06.09 को बैठक में काश्तकारों ने पूर्व दर पर असहमति प्रकट की तथा ग्रेटर नोएडा एवं नोएडा की वर्तमान दर के मध्य किसी दर पर वार्ता किये जाने का प्रस्ताव रखा । ग्रेटर नोएडा/नोएडा की दरों पर प्रतिकर काश्तकारों को दिये जाने की स्थिति में परियोजना की टपंइपसपजल समाप्त हो जाने की संभावना है अतएव धारा 48(1) के अन्तर्गत शासन को निरस्तीकरण की अधिसूचना हेतु प्रस्ताव भेजा गया है फिर भी निगम जिला प्रशासन एवं शासन के सहयोग से काश्तकारों से प्रतिकर की दर निर्धारण हेतु वार्ता करने हेतु प्रयासरत है।

10. उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण

निगम द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, प्रबन्धन, रख–रखाव का निर्धारण, मास्टर प्लान व विकास योजनायें बनाने, स्वीकृत भू–उपयोग के अनुश्रवण व कराधान हेतु शासन द्वारा उ0प्र0रा0औ0वि0 प्राधिकरण के गठन की स्वीकृति देते हुए यूपीसीडा के गठन को शासन के नोटिफिकेशन संख्या 1418/77–2001–267भा/97 टीसी–1 दिनांक 5 सितम्बर, 2001 द्वारा अभिज्ञापित कर दिया गया। इस अधिसूचना को संशोधित करते हुये शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0 2877/86–08–32/2008 दि0 30.07.08 के माध्यम से निगम के अध्यक्ष को पदेन प्राधिकरण का अध्यक्ष भी नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त शासन की अधिसूचना सं0 3470/80–08–52/2008/एसआईडी दि0 16.09.08 द्वारा दो नये गैर शासकीय सदस्यों को यूपीसीडा के संचालक मण्डल में नामित कर दिया गया है। प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों के विकास के रेग्यूलेशन हेतु भवन उप नियम, भूविकास एवं योजना निर्धारण हेतु विनियमन लागू किये गये हैं जिनकी शासन द्वारा अधिसूचना जारी करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। यूपीसीडा के विनियमनों का हिन्दी अनुवाद पूर्ण हो गया है एवं शासन को नोटिफिकेशन हेतु 5 अप्रैल,10 को प्रेषित किया जा चुका है। समय–समय पर संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयों का संशोधन पत्र भी माह मई,10 में शासन को प्रेषित किया जा चुका है। शासन द्वारा नोटीफिकेशन की कार्यवाही की जानी है। नोटिफिकेशन कराने हेतु शासन स्तर पर प्रयास किया जा रहा है।

✷✷✷

४-उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि०, कानपुर

उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 की स्थापना प्रदेश में लघु औद्योगिक क्षेत्र के पूर्ण विकास हेतु जून 1958 में हुई।

अधिकृत पूंजी	रू0 25.00 करोड़
प्रदत्त पूंजी	रू0 5.96 करोड़ (अधिकृत पूंजी का मात्र 23.84%)
अधिकतम व्यवसाय	रू0 502.28 करोड़ (वर्ष 2009–10)
व्यवसाय वर्ष 2010–11	रू0 389.63 करोड़ (माह दिसम्बर, 2010 तक)

- विभिन्न प्रकार के कच्चे माल जैसे लौह एवं इस्पात, अलौह धातुऐं/स्क्रेप, कोयला आदि लघु इकाईयों को उपलब्ध कराना ।
- पूर्व में निगम द्वारा निदेशालय के औद्योगिक आस्थानों की स्थापना एवं अनुरक्षण ।
- लघु उद्यमियों को विपणन सहायता उपलब्ध कराना ।
- लघु इकाईयों को किराया क्रय योजना के अधीन मशीनों की आपूर्ति ।
- आयातित कच्चे माल एवं मशीनों की इकाईयों की विशिष्ट मांग पर आपूर्ति ।
- पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थान एवं संकुल समूहों की स्थापना ।
- प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में संयुक्त क्षेत्र के अधीन अंशपूंजी में सहभागीदारी के अन्तर्गत उद्योगों की स्थापना।

वित्तीय वर्ष 2010–2011 के माह दिसम्बर 2010 तक निगम के व्यवसायिक लक्ष्यो के सन्दर्भ में भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियॉ ।

अ) सेवा विषयक योजनायें :–

1) **विपणन सहायता योजना :–**

निगम द्वारा प्रदेश की विभिन्न लघु एवं टाइनी उद्योग इकाईयों के लिए एक विपणन सहायता योजना संचालित की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा छोटी–छोटी इकाईयों द्वारा उत्पादित माल को शासकीय, अर्द्ध शासकीय विभागों में अपने माध्यम से विक्रय कराया जाता है। निगम द्वारा छोटी–छोटी इकाईयों के लिए प्रदेश में निकलने वाली विभिन्न निविदाओं में भाग लिया जाता है क्योंकि छोटी–छोटी इकाईयॉ निविदाओं में मॉगी जाने वाली धरोहर धनराशि तथा सुरक्षा धनराशि में छूट शासन द्वारा प्राप्त है इस कारण इसका सीधा लाभ इकाईयों को प्राप्त होता है। निगम द्वारा इकाईयों के लिए उनके उत्पादों की खपत वाले संस्थानों से सम्पर्क कर आपूर्ति आदेश प्राप्त किये जाते हैं तथा उत्पादों की आपूर्ति गुणवत्ता एवं समयबद्धता के अनुसार सुनिश्चित करायी जाती है। भारत सरकार के एम0एस0एम0ई0 मन्त्रालय द्वारा लघु उद्योग इकाईयों के लिए 358 उत्पाद आरक्षित किये गये हैं तथा प्रदेश सरकार द्वारा भी लघु उद्योग इकाईयों को वरीयता देने के दृष्टिकोण से निगम के पक्ष मे शासनादेश जारी किया गया है जिससे प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयॉ निगम की विपणन सहायता योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हो रही है।

विपणन सहायता योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 हेतु वार्षिक लक्ष्य रू0 17500.00 लाख के अनुपातिक लक्ष्य रू0 13125.00 लाख के विरूद्व माह दिसम्बर 2010 तक रु0 8451.33 लाख की उपलब्धि रही, जो दिसम्बर 2010 के अनुपातिक लक्ष्य का 64.39 % है।

2) **निर्माण योजना :–**

शासनादेश संख्या 6459/18–2–25(59)/84 दिनॉक अगस्त 30, 1986 द्वारा निगम के अभियन्त्रण अनुभाग को लघु औद्योगिक आस्थानों की स्थापना हेतु निर्माण एजेन्सी नामित किया गया। इसके तद्क्रम में उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 ने पत्रांक 4556/611/11 दिनॉक 25.09.1989 द्वारा निगम को प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित वृहद औद्योगिक आस्थानों एवं मिनी औद्योगिक आस्थानों के रखरखाव एवं मरम्मत कार्य हेतु गोरखपुर मण्डल, वाराणसी मण्डल, इलाहाबाद मण्डल, आगरा मण्डल, झॉसी मण्डल, फैजाबाद मण्डल एवं कुमायूँ मण्डल के लिए निर्माण एजेन्सी नामित किया। उक्त आदेशों के फलस्वरूप निगम द्वारा प्रदेश में एक वृहद औद्योगिक आस्थान, इटावा में एवं 127 लघु औद्योगिक आस्थानों की स्थापना का विकास कार्य 1988 से 1992 के मध्य सम्पादित विभिन्न मण्डलों में कराया, जिसकी लागत लगभग रू0 10.00 करोड़ थी। वर्ष 1992 मे लघु

औद्योगिक आस्थानों की स्थापना न किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया, जिसके क्रम में लघु उद्योग निगम के अभियन्त्रण अनुभाग के पास नवसृजित जनपदों में जिला उद्योग केन्द्रों का निर्माण, वृहद एवं लघु औद्योगिक आस्थानों के रखरखाव का कार्य किया जाने लगा है। निगम को लघु उद्योग अनुभाग, उ0 प्र0

शासन की निर्माण एजेन्सी भी घोषित किया गया है तथा शासन स्तर पर राज्यकीय निर्माण एजेन्सी घोषित किये जाने हेतु युक्ति युक्त प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त के साथ–साथ निगम द्वारा सांसद /विधायक निधि के अन्तर्गत भी अभियन्त्रण सम्बन्धी कार्य सफलतापूर्वक सम्पादित किये जा रहे है।

निर्माण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 हेतु वार्षिक लक्ष्य रु0 5000.00 लाख के अनुपातिक लक्ष्य रू0 3750.00 लाख के विरूद्व माह दिसम्बर 2010 तक रु0 3215.85 लाख की उपलब्धि रही, जो दिसम्बर 2010 तक के अनुपातिक लक्ष्य का 85.76 % है। लगभग रू0 29.00 करोड के कार्यादेश एम0एस0एम0ई0 मंत्रालय से अन्तिम रूप से स्वीकृत होने लम्बित है, जिसकी एप्रैजल सिडबी द्वारा मूल्यांकित कर लिये गये है।

ब) कच्चे माल का संग्रह एवं वितरण विषयक योजनायें :–

1) लौह एवं इस्पात :–

भारत सरकार के इस्पात मन्त्रालय द्वारा विभिन्न प्रदेशों को लौह एवं इस्पात का आवंटन किया जाता है। उत्तर प्रदेश को भी भारत सरकार के इस्पात मन्त्रालय द्वारा लौह एवं इस्पात का आवंटन किया जाता रहा है तथा उक्त आवंटन के विरूद्ध उठाये गये माल पर रू0 550 प्रति मै0टन की रिबेट/सब्सिडी इस्पात मन्त्रालय द्वारा निगम को प्रदत्त की जाती है। निगम द्वारा उक्त आवंटन के सापेक्ष में भारतीय इस्पात प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम (भारत सरकार का उपक्रम) से लौह एवं इस्पात निस्पादित मैमोरेण्डम आफ अन्डरस्टेन्डिंग (एम0ओ0यू0) के अन्तर्गत उठाया जाता रहा है तथा विभिन्न व्यवसायिक छूटों का लाभ प्रदेश की लघु औद्योगिक इकाईयों को वितरित किया जाता है। उक्त आवंटित माल को प्रदेश की लघु औद्योगिक इकाईयों को उनकी मॉग के अनुसार, व्यवयायिक दरों पर उपलब्ध कराया जाता रहा है तथा लघु उद्योग निगम ही एक मात्र संस्था प्रदेश में स्थित लघु औद्योगिक इकाईयों को लौह एवं इस्पात व्यवसायिक दरों पर उपलब्ध करा रहा है, जैसा कि भारत सरकार के इस्पात मन्त्रालय द्वारा निर्दिष्ट है।

लौह एवं इस्पात योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 हेतु वार्षिक लक्ष्य रु0 15075.00 लाख के अनुपातिक लक्ष्य रू0 11306.25 लाख के विरूद्व माह दिसम्बर 2010 तक रु0 9508.83 लाख की उपलब्धि रही, जो लक्ष्य का 84.10 % है।

2) लौह / अलौह स्क्रैप :–

निगम द्वारा स्क्रेप के रूप में विभिन्न अलौह कच्चा माल इकाईयों को भारत सरकार रक्षा मन्त्रालय से खाली कारतूस पीतल के खोखों के रूप में तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश के अन्तर्गत सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश से जले हुये तॉबे का तार, जला हुआ एल्यूमीनियम का तार तथा गनमैटल एवं लौह एवं इस्पात उपलब्ध कराया जाता है। निगम को सिंचाई विभाग से प्राप्त होने वाले अलौह स्क्रैप पर बाजार मूल्य से

10 प्रतिशत की छूट शासनादेश के अन्तर्गत प्रदान की जाती रही थी, जिसका शासनादेश सिचाई विभाग में वर्ष 2010–11 हेतु विचाराधीन है। उक्त क्रय मूल्य पर निगम द्वारा प्रचलित नीति अन्तर्गत व्यापार कर तथा निगम का सूक्ष्म लाभांश सम्मिलित करते हुए इकाईयों को बाजार मूल्य से कम मूल्य पर उपलब्ध कराता है।

लौह/आलौह स्क्रैप योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 हेतु वार्षिक लक्ष्य रु0 2000.00 लाख के अनुपातिक लक्ष्य रू0 1500.00 लाख के विरूद्व माह दिसम्बर 2010 तक रू0 931.06 लाख की उपलब्धि रही, जो अनुपातिक लक्ष्य का 62.08 % है।

3) कोयला :–

भारत सरकार द्वारा नवीन कोल नीति के अन्तर्गत विभिन्न प्रदेशों को लघु उद्योग इकाईयों (जिसमें ईट भटठे भी शामिल हैं) के प्रयोगार्थ कोयले का आवंटन प्रदत्त किया जाता है। भारत सरकार की नवीन कोल नीति के अन्तर्गत प्रदेश को वर्ष 2009–10 हेतु 7.95 लाख टन का कोयल आवंटन प्रदत्त किया गया था, जिसके आधार पर निगम द्वारा **(बतौर शासन द्वारा नामित नोडल एजेन्सी) ईधन आपूर्ति संविदा (एफ0एस0ए0)** का निष्पादन कोल इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) से किया गया था। कोल इण्डिया द्वारा ईधन आपूर्ति संविदा के सापेक्ष लगभग 7.73 लाख टन का आवंटन ही उपलब्ध कराया गया जो निगम द्वारा 100 प्रतिशत मूवमेन्ट समन्वयक के माध्यम से करा लिया गया है, जबकि पावर सेक्टर को मात्र 40 प्रतिशत ही उनकी आवश्यकता का उपलब्ध कराया गया है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2010–11 हेतु 17.95 लाख टन का कोल आवंटन प्रदेश को करने हेतु निवेदन भारत सरकार के कोल मन्त्रालय को प्रेषित किया गया है, जो उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा आंकलित प्रदेश के कोयले की मॉग के आधार पर है। प्रदेश शासन का उक्त प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया था, जिस पर भारत सरकार के पंत्राक : एफ नं0 23021/94/2006–सी0पी0डी0 (VOL-II) दिनांकित 29 मार्च 2010 द्वारा निदेशक विपणन, कोल इण्डिया लि0, को पत्र प्रेषित करते हुये अतिरिक्त आवंटन प्रदान करने पर

शीध्र निर्णय लेने हेतु अपने निर्देश प्रेषित किये है, जिसके विरूद्व वर्ष 2010–11 हेतु 9.41 लाख मै0 टन कुल कोयला आवंटन किया गया है।

कोयला योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 हेतु वार्षिक लक्ष्य रु0 20400.00 लाख के अनुपातिक लक्ष्य रू0 15300.00 लाख के विरूद्व माह दिसम्बर 2010 तक रु0 16844.25 लाख की उपलब्धि रही, जो अनुपातिक लक्ष्य का 110.00 % मूवमेन्ट है। विदित हो कि पूर्व वर्ष 2009–10 में माह दिसम्बर, 2009 में मात्र रू0 11731.98 लाख का कोयले की आपूर्ति हुई थी, जो वर्ष 2010–11 में बढ कर रू0 16844.25 लाख रही है।

स) **मुख्य उत्पादकों के अभिकर्ता के रुप में :–**

1) **भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि0 :–**

निगम द्वारा आगरा एवं लखनऊ में मुख्य उत्पादनकर्ता भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अभिकर्ता के रूप में भी कार्य किया जाता है। चूँकि मुख्य उत्पादनकर्ता के स्टाकयार्ड प्रदेश में गाजियाबाद, कानपुर तथा इलाहाबाद में स्थित हैं, निगम द्वारा आगरा एवं लखनऊ में स्टाकयार्ड संचालित कर उस क्षेत्र की इकाईयों को लौह एवं इस्पात उपलब्ध कराया जाता है अन्यथा आगरा एवं आस–पास की इकाईयों को गाजियाबाद अथवा कानपुर से ही माल उपलब्ध हो सकता है जिस कारण इकाईयों को परिवहन में अत्यधिक व्ययभार वहन करना पडेगा। स्टाकयार्ड स्थापित कर निगम द्वारा इकाईयों को माल की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है।

इस योजना में वर्ष 2010–11 हेतु वार्षिक लक्ष्य रु0 25.00 लाख के अनुपातिक लक्ष्य रू0 18.75 लाख के विरूद्व माह दिसम्बर 2010 तक रु0 11.66 लाख की उपलब्धि रही, जो अनुपातिक लक्ष्य का 62.19 % है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि0 के वरिष्ठ अधिकारियों को यह निवेदन किया गया था कि वे उक्त कन्साइनमेन्ट एजेन्सी में अधिक से अधिक लौह एवं इस्पात भिजवाना सुनिश्चित करें, परन्तु भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि0 द्वारा भी लौह एवं इस्पात में मन्दी के कारण उक्त एजेन्सी में अपनी उठान लक्ष्य के अनकूल नहीं की जा सकी।

द) **वसूली विषयक योजनायें :–**

निगम की अंशपूंजी **प्रीइम्प्लीमेंटेशन सर्पोट एक्टीविटीज** जैसे – किराया क्रय योजना के अधीन मशीनों की आपूर्ति, संयुक्त क्षेत्र में कम्पानियों की स्थापना, सहायक कम्पनी की स्थापना, औद्योगिक आस्थानों एवं संयुक्त समूहों का विकास, प्रदर्शन एवं उत्पादन केन्द्रों के संचालान आदि में निगम की पूंजी फंस जाने के कारण निगम द्वारा **पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एक्टीविटीज** जैसे – विपणन सहायता योजना के अधीन इकाईयों को आपूर्ति आदेश उपलब्ध कराना, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल/कोयला उपलब्ध कराना, प्रतिष्ठित उत्पादकों के एजेण्ट के रूप में प्रदेश की इकाईयों को विभिन्न प्रकार के गुणवत्तायुक्त कच्चे माल को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना, निर्माण योजना आदि के माध्यम से प्रदेश के लघु उद्योग क्षेत्र को सहयोग प्रदान कर रहा है ।

निगम की किराया क्रय , ऊनी धागा योजना, आयात योजना आदि निष्क्रिय योजनाओं में केवल वसूली विषयक कार्य सम्पादित किया जा रहा है तथा वर्ष 2010–11 में रू0 5.97 लाख की वसूली रही। निगम का यह प्रयास है कि विभिन्न विधिक विवादो की सघन पैरवी तथा एक मुश्त समझौता योजना के माध्यम से वार्षिक लक्ष्य कों प्राप्त किया जा सकें जिस हेतु सम्बन्धी क्षेत्रीय प्रबन्धकों को सघन प्रयास करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

<u>गत तीन वर्षो में निगम के मुख्य भौतिक उपलब्धियों का विवरण</u>

क्रय एवं विक्रय विषयक कार्यकलापों में भौतिक तथा वित्तीय ढ़ाचें के संदर्भ में दोनो उपलब्धियॉ तदानुसार इंगित की गयी है। अन्य में वित्तीय उपलब्धियां इंगित की जा रही है।

वर्ष	कच्चा माल लौह, अलौह एवं कोयला		मुख्य उत्पादकों के अभिकर्ता के रुप में कच्चा माल का वितरण	विपणन सहायता योजना	निर्माण
	मात्रा (मै0 टन)	मूल्य (रु0 लाख में)	मूल्य (रु0 लाख में)	मूल्य (रु0 लाख में)	मूल्य (रु0 लाख में)
2007–08	159695.33	17194.94	30.22	2738.83	2092.64
2008–09	626235.62	26816.40	23.80	9362.93	2331.19
2009–10	844606.67	31650.57	24.72	15213.60	3338.61
2010–11 दिसम्बर 2010 तक	755150.57	27284.14	11.66	8451.33	3215.85

✷✷✷

७-उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड , कानपुर

निगम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्देश्य तथा कार्य कलापों का विवरण।

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की स्थापना 2 दिसम्बर, 1969 को उत्तर प्रदेश सरकार की एक कम्पनी के रूप में हुई थी तथा 24 दिसम्बर, 1973 को इस निगम को पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में परिवर्तित किया गया। केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति की आवश्यकतानुसार वर्ष 1974 में दो सहायक कम्पनियों क्रमशः उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स कम्पनी लि0 (नं0–1) तथा उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स कम्पनी (नं0–2) की स्थापना की गई। दिनांक 2.4.90 से निगम की दोनों सहायक कम्पनियों के नाम बदल दिये गये है, जो क्रमशः उत्तर प्रदेश राज्य कताई कम्पनी लि0 एवं उत्तर प्रदेश राज्य यार्न कम्पनी लि0 है। दिनांक 31.03.2010 को निगम की अधिकृत पूंजी रू0–166.00 करोड़ तथा चुकता पूंजी रू0–160.79 करोड़ थी।

स्थापना के उद्देश्य :–

निगम की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे :–

1– कताई मिल व्यवसाय को इसकी सभी शाखाओं में करना एवं कम्पनी के इस प्रकार के व्यवसाय का प्रबन्ध करना जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये हो।

2– किसी भी टेक्सटाइल मिल या इसकी सहायक कम्पनी को बढ़ावा देना।

3– कताई मिलों की स्थापना करना एवं व्यवसायों का चलाना जो रूई में बिनौला निकालने, कताई, बुनाई, रंगाई, निर्माण सभी प्रकार की रूई की गाँठे बनाना, जूट, रेषम बटुआ, ऊन, रोओ, रेयान और दूसरे मनुष्य निर्मित रेशे का कार्य करते हों।

4– सभी प्रकार के धागों का निर्माण करना।

5– नई वस्त्र मिलों की स्थापना हेतु धन लगाना तथा वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित किसी भी कम्पनी, व्यक्ति, फर्म को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

6– चल रही कताई मिलें जिनका अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया गया है, का प्रबन्ध करना।

7– परियोजना रिर्पोटों की तैयारी तथा फिजीबिल्टी अध्ययन एवं वस्त्र व्यवसाय में सामान्य सलाहकार के रूप में कार्य करना।

बी0आई0एफ0आर0 को संदर्भ :–

राज्य वस्त्र निगम को दिनांक 5.12.1994 को बी0आई0एफ0आर0 में संदर्भित किया गया। बी0आई0एफ0आर0 ने अपने आदेश दिनांक 2.2.1995 के माध्यम से राज्य वस्त्र निगम को एक रूग्ण कम्पनी घोषित किया। कार्यशील पूंजी के अभाव और वस्त्रोद्योग में व्याप्त मंदी के कारण निगम की पांचों मिलों को चलाया जाना सम्भव नहीं हो सका। फलस्वरूप एक–एक कर सभी मिलों में उत्पादन गतिविधियाँ ठप्प हो गयी और अंततः 14 मार्च, 2001 को पांचों मिलों में औपचारिक बंदी की घोषणा कर दी गयी। मिलवार उत्पादन गतिविधियां बंद होने की तिथियां निम्न प्रकार हैं :–

झांसी	–	नवम्बर, 1997
सण्डीला	–	नवम्बर, 1998
मेरठ	–	जून, 1999
काशीपुर	–	दिसम्बर, 1998
जसपुर	–	अक्टूबर, 1998

मिलों में उत्पादन गतिविधियां बंद होने के उपरान्त मुख्यालय सहित झांसी, सण्डीला और मेरठ मिलों के कार्मिकों को वी0आर0एस0 देकर सेवामुक्त कर दिया गया। काशीपुर और जसपुर इकाईयों की सम्पत्तियों का भौतिक हस्तान्तरण दिनांक 20 अगस्त, 2004 को उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, (सिडकुल) को औपचारिक रूप से कर दिया गया है। वर्तमान में मा0 एएआईएफआर द्वारा जारी आदेश दिनांक 6.5.2008 के अनुसार निगम को निर्देशित किया गया कि निगम से सम्बन्धित संशोधित पुर्नवासन योजना 8 सप्ताह के अन्दर प्रेषित करें। इस सम्बन्ध में दिनांक 23.6.2009 को शासन के निर्णयानुसार निगम से सम्बन्धित संशोधित पुर्नवासन योजना तैयार किये जाने का कार्य नार्दन इण्डिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन(निट्रा) गाजियाबाद को सौंपा गया था। निट्रा द्वारा निगम की बंद मिलों के निजीकरण (विक्रय के माध्यम से) हेतु संशोधित पुर्नवासन योजना शासन के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। शासन ने अपने पत्र संख्या–एमएस–425(1) 77–1–2010–34(मिस)/99 दिनांक 21.10.2010 द्वारा उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम की बन्द मिलों का विक्रय के माध्यम से निजीकरण किये जाने की सहमति प्रदान की गई है साथ ही यह निर्देषित किया है कि शासन द्वारा अनुमोदित एमडीआरएस को बैंक आफ बड़ौदा के माध्यम से मा0 बीआईएफआर के समक्ष प्रस्तुत की जाये। बीआईएफआर ने अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 3.2.2011 को निर्धारित की है।

पिछले तीन वर्षो की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियाँ

(अ) वित्तीय उपलब्धियाँ :–

वर्ष	संचालन लाभ(हानि) ब्याज, ह्रास के पूर्व लेकिन पिछले वर्ष के समायोजन के बाद	नकद लाभ/हानि ह्रास के पूर्व लेकिन ब्याज एवं पिछले वर्ष के समायोजन के बाद)	षुद्ध लाभ हानि(ह्रास, ब्याज एवं पिछले वर्ष के समायोजन के बाद)
2008–2009	225.90	176.25	27.69
2009–2010	(–)758.96	(–)923.44	(–)1050.00
2010–2011 (अप्रैल से नवम्बर 2010)	(–)49.13	(–)176.55	(–)270.95

(ब) भौतिक उपलब्धियाँः–

वर्ष	चालित तकुये	उपयोग प्रतिशत	उत्पादन (लाख कि0ग्रा0 में)	टर्न ओवर (लाख रू0 में)
2008–2009	75,000	69.84	64.48	7536.80
2009–2010	75,000	85.22	75.03	8830.04
2010–2011 (अप्रैल से नवम्बर 2010)	75,000	85.86	52.31	6600.72

पिछले तीन वर्षो में कम्पनी की लाभ (हानि) की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

(रू0 लाख में)

वर्ष	नकद लाभ (हानि)	शुद्ध लाभ/हानि (लाभ/हानि)
2008–2009	**176.25**	**27.69**
2009–2010	**(–)923.44**	**(–)1050.00**
2010–2011 (अप्रैल से नवम्बर 2010)	**(–)176.55**	**(–)270.95**

नोट :– उपरोक्त आँकड़ों में बन्द मिल अकबरपुर एवं मऊनाथभंजन के आँकड़े शामिल हैं।

संगठनात्मक ढाँचा

मुख्यालय सहित झांसी, सण्डीला और मेरठ मिलों के कार्मिकों को वी0आर0एस0 देकर सेवामुक्त कर दिया गया है। विधिक प्राविधानों के अनुपालन में केवल अंशकालिक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक पदासीन है, शेष पद समाप्त हो गये हैं। अतः संगठनात्मक ढांचा के सम्बन्ध में टिप्पणी शून्य है।

लेखों की स्थितिः–

कम्पनी के वर्ष 2009–10 के लेखे पूर्ण कर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किये जा चुके हैं। लेखों पर महा नियंत्रक लेखा परीक्षक द्वारा गठित टीम ने अंकेक्षित कार्य कर लिया है। कम्पनी द्वारा ड्राफ्ट कमेन्ट्स का उत्तर दिया जा चुका है। लेखों पर नियंत्रक महा लेखा परीक्षक की टिप्पणी प्राप्त होते ही कम्पनी की वार्षिक सामान्य सभा में अंगीकार कर लिया जायेगा।

✷✷✷

६– उ0प्र0 राज्य कताई कम्पनी लि0, कानपुर

उ0प्र0 राज्य कताई मिल्स कम्पनी नं0–1 लि0, की स्थापना 20 अगस्त, 1974 को उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम की एक सहायक कम्पनी के रूप में हुई थी। दिनांक 2.4.90 से इस कम्पनी का नाम बदलकर उ0प्र0 राज्य कताई कम्पनी लि0, कर दिया गया है। प्रारम्भ में कम्पनी की अधिकृत पूंजी रू0–7.00 करोड़ एवं चुकता पूंजी 2. 93 करोड़ थी। दिनांक 31.03.2010 को कम्पनी की अधिकृत पूंजी रू0–93.30 करोड़ एवं चुकता पूंजी रू0–93.24 करोड़ थी।

राज्य सरकार के निर्णय पर उ0प्र0 राज्य कताई कम्पनी लि0, द्वारा प्रदेश में 25,000 तकुओं की क्षमता वाली 4 कताई मिलें क्रमषः रायबरेली, बाराबंकी, मऊनाथभंजन एवं अकबरपुर में स्थापित की गयी। सूत की बढ़ती हुई मांगों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लेकर राज्य कताई कम्पनी की उपरोक्त चारों कताई मिलों की क्षमता 25,000 तकुओं से बढ़ाकर 50,000 तकुये कर दी गयी। 11 जून, 1990 से अकबरपुर इकाई बन्द हो चुकी है और बी0आई0एफ0आर0 के निर्देशानुसार इसकी सम्पत्तियों का निस्तारण भी हो चुका है। शेष 3 मिलें क्रमशः रायबरेली, बाराबंकी एवं मऊनाथभंजन व्यवसायिक उत्पादन कर रही थी किन्तु श्रमिक अशान्ति के कारण मऊ मिल में दिनांक 30.10.2005 से औपचारिक बंदी घोषित कर दी गयी है। उ0प्र0 राज्य कताई कम्पनी की इन तीनों मिलों की क्षमता व व्यवसायिक उत्पादन की तिथियां निम्न प्रकार हैः–

क्रम सं0	अधीनस्थ इकाईयां	वर्तमान	व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि	
			25,000 तकुओं की	50,000 तकुओं की
1–	रायबरेली	50,000✸	1.10.75	25.03.83
2–	बाराबंकी	50,000	1.4.77	25.03.83
3–	मऊनाथभंजन	50,000✸✸	1.11.76	27.04.84

✸वर्तमान में रायबरेली मिल में 25,000 तकुये ही चल रहे हैं।

✸✸मऊ मिल में दिनांक 30.10.2005 से उ0प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत औपचारिक बंदी घोषित कर दी गयी है।

कार्य प्रणालीः–

उ0प्र0 राज्य कताई कम्पनी की कताई मिलें, सभी प्रकार के सूत जैसे काटन, सिन्थेटिक, होजरी, ब्लैण्डेड एवं औद्योगिक सूत 3 काउन्ट से 80 काउन्ट तक के कार्डेड तथा कोम्बड सूत के उत्पादन के लिए पूर्ण रूपेण सक्षम है। इन मिलों द्वारा उत्पादित सूत देश में हर प्रकार के कपड़ों, जैसे फैन्सी कपड़े होजरी एवं अन्य वस्त्र उत्पादों के लिए उपयुक्त है।

पिछले तीन वर्षो की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियाँ

(अ) वित्तीय उपलब्धियाँ :–

वर्ष	संचालन लाभ(हानि) ब्याज, ह्रास के पूर्व लेकिन पिछले वर्ष के समायोजन के बाद	नकद लाभ/हानि ह्रास के पूर्व लेकिन ब्याज एवं पिछले वर्ष के समायोजन के बाद)	षुद्ध लाभ हानि(ह्रास, ब्याज एवं पिछले वर्ष के समायोजन के बाद)
2008–2009	225.90	176.25	27.69
2009–2010	(–)758.96	(–)923.44	(–)1050.00
2010–2011	(–)49.13	(–)176.55	(–)270.95

(ब) भौतिक उपलब्धियाँः–

वर्ष	चालित तकुये	उपयोग प्रतिशत	उत्पादन (लाख कि0ग्रा0 में)	टर्न ओवर (लाख रू0 में)
2008–2009	75,000	69.84	64.48	7536.80
2009–2010	75,000	85.22	75.03	8830.04
2010–2011	75,000	85.86	52.31	6600.72

पिछले तीन वर्षो में कम्पनी की लाभ (हानि) की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

(रू0 लाख में)

वर्ष	नकद लाभ (हानि)	शुद्ध लाभ/हानि (लाभ/हानि)
2008–2009	176.25	27.69
2009–2010	(–)923.44	(–)1050.00
2010–2011	(–)176.55	(–)270.95

नोट :– उपरोक्त आँकड़ों में बन्द मिल अकबरपुर एवं मऊनाथभंजन के आँकड़े शामिल हैं।

बी0आई0एफ0आर0 की स्थितिः–

कम्पनी का प्रकरण सिक कम्पनीज एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत मा0 बीआईएफआर के समक्ष दिनांक 8.7.92 को संदर्भित किया गया था और केस संख्या–612/92 पंजीकृत किया गया है। तदोपरान्त बीआईएफआर द्वारा दिनांक 21.12.92 को रूग्ण घोषित किया गया है। मा0 एएआईएफआर द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.1.2008 को सुनवाई के बाद कम्पनी की पुर्नवासन योजना प्रेषित किये जाने हेतु आदेशित किया गया। इसी क्रम में शासन द्वारा तीनों मिलों का मूल्यांकन करने एवं पुर्नवासन योजना तैयार किये जाने हेतु निट्रा को कन्सलटेन्ट नियुक्ति किया गया था। निट्रा द्वारा प्रस्तुत योजना शासन द्वारा दिनांक 21.10.2010 को अनुमोदित कर दी गयी है। अनुमोदित रिपोर्ट को मनीटरिंग एजेन्सी (भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि0) के माध्यम से मा0 बीआईएफआर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रेषित कर दी गयी है।

उपर्युक्त पुर्नवासन योजना के प्रस्ताव के अनुसार उ0प्र0 सरकार द्वारा इस कम्पनी की तीनों कताई मिलें, बाराबंकी, रायबरेली एवं मऊनाथभंजन को निजीकरण/विक्रय किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। कम्पनी की मऊनाथभंजन इकाई में उ0प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 6 के अन्तर्गत दिनांक 30.10.2005 से औपचारिक बंदी घोषित है।

लेखों की स्थितिः–

कम्पनी के वर्ष 2009–10 के लेखे पूर्ण कर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किये जा चुके हैं। लेखों पर महा नियंत्रक लेखा परीक्षक द्वारा गठित टीम ने अंकेक्षित कार्य किया जा रहा है।

✷ ✷ ✷

७-यू० पी० इण्डस्ट्रियल को.आपरेटिव एसोसिएशन लि०, (यूपिका) कानपुर

ifjp;%&

यू0पी0 इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसिएशन लि0 (यूपिका) प्रदेश की बुनकर सहकारी समितियों की शीर्षस्थ संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1952 में उ0प्र0 सहकारी संस्था अधिनियम 1912 के अन्तर्गत हुई थी। संस्था के मूल उद्देश्य निम्न हैः–

1– बुनकर सहकारी समितियों का उत्थान, उनके द्वारा उत्पादित वस्त्रों का विपणन, संस्था के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से करते हुए किया जाना।
2– बुनकर क्षेत्र में सहकारिता एवं सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा एवं सहयोग प्रदान करना।
3– भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सदस्य समितियों के बुनकरों को उपलब्ध कराना।
4– सदस्य सहकारी समितियों के बुनकरों को हथकरघा उद्योग के विकास हेतु नई तकनीक एवं डिजाइन उपलब्ध कराना।
5– सदस्य समितियों को कच्चा माल सूत आदि उपलब्ध कराना।

यूपिका से वर्तमान में 2443 सदस्य समितियाँ सम्बद्ध हैं, जिनके कुल बुनकर सदस्यों की संख्या 63726 है।

आरम्भ से ही यूपिका प्रदेश के बुनकर सहकारी समितियों की शीर्षस्थ संस्था के रूप में कार्यरत रहकर प्रदेश के औद्योगिक परिदृष्य को सहकारिता के माध्यम से विकसित करने एवं औद्योगिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। वर्ष 1992–1993 में संस्था द्वारा 45.14 करोड़ की सर्वाधिक बिक्री करने का रिकार्ड कायम किया गया और इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रायोजित नेशनल हैण्डलूम एक्सपो में भाग लेने वाली समस्त एपेक्स/ हथकरघा निगम की प्रतिस्पर्धा में सर्वाधिक बिक्री के लिए 4–5 बार पुरस्कृत किया गया है। यूपिका को केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेन्सी घोषित किया गया है। वर्तमान में यूपिका के 60 बिक्री केन्द्र देश के विभिन्न शहरों में स्थित हैं। इन बिक्री केन्द्रों द्वारा मेलों, प्रदर्शनी एवं मोबाईल वाहनों आदि के माध्यम से हथकरघा वस्त्रों का विक्रय कर संस्था से जुड़ी बुनकर सहकारी समितियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

संगठनः–

यू0पी0 इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसिएशन् लि0 (यूपिका) का पंजीकरण वर्ष 1952 में कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट नं0–2 सन् 1912 की धारा–6 के अन्तर्गत उपधारा (2), पद (अ) (ब) के अन्तर्गत हुआ था। तदोपरान्त यूपिका द्वारा यू0पी0 कोआपरेटिव सोसायटी एक्ट 1965 की धारा 131(4) के अन्तर्गत दिनांक 22.07.1970 को मॉडल बाईलाज अंगीकृत एवं पंजीयन कराया गया था।

यूपिका – एक दृष्टि में

1.	प्रदेश में कुल बुनकरों की संख्या (1996–97 की गणनानुसार)	6.64 लाख
2.	प्रदेश में कुल करघों की संख्या	2.24 लाख
3.	यूपिका द्वारा आच्छादित बुनकरों की संख्या	63,725
4.	सदस्य समितियों की संख्या	2,443
5.	क्षेत्रीय विपणन कार्यालय	10
6.	बिक्री केन्द्रों की संख्या	52
	अ– उ0प्र0 में स्थित बिक्री केन्द्र	38
	ब– उ0प्र0 के बाहर स्थिति बिक्री केन्द्र	14
7.	वी0आर0एस0 के माध्यम से अवमुक्त कर्मी (–)	416
8.	छँटनी के माध्यम से अवमुक्त कर्मी (–)	308
9.	वर्तमान में कार्यरत् कुल कर्मचारी/अधिकारी	152

यूपिका द्वारा संचालित मुख्य योजनायें :–

1– सेल एण्ड रिटर्न योजनाः–

कार्यशील पूँजी के अभाव में इस योजना के अन्तर्गत बुनकर समितियों द्वारा उत्पादित एवं विभिन्न हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रिन्टिंग इत्यादि क्षेत्र से जुड़ी इकाईयों द्वारा निर्मित वस्त्रों को यूपिका के बिक्री केन्द्रों पर रख कर उनके द्वारा प्रदत्त दरों पर 50 प्रतिशत लाभांश सम्मिलित करने के उपरान्त 15 प्रतिशत छूट देते हुए बिक्री की जाती है। इस प्रकार संस्था को बिना कार्यशील पूँजी लगाये 18.33 प्रतिशत का शुद्ध लाभ होता है। माल की बिक्री हो जाने के उपरान्त संस्था का मार्जिन यूपिका द्वारा प्राप्त करते हुए शेष राशि का भुगतान सम्बन्धित समिति/इकाई को तत्काल कर दिया जाता है। बिक्री केन्द्र पर रखा गया समिति का माल यदि तीन माह के अन्दर नहीं बिकता है, तो उसे समिति को वापस कर दिया जाता है। इस योजना को और अधिक व्यापक बनाये जाने की रणनीति अपनायी गयी है, जिसके अनुसार राजकीय आपूर्ति हेतु समितियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी मात्रा का 10 प्रतिशत सम्बन्धित बिक्री केन्द्र पर विक्रय हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में रू0 130.20 लाख एवं वर्ष 2008–09 में रू0 131.78 लाख तथा वर्ष 2009–10 में रू0 219.40 लाख (पी0पी0 सेल एवॅ हैण्डीक्राफ्ट् सेल सहित) के वस्त्रों की बिक्री की गयी है। उत्पादनार्थ सम्बद्ध समितियों को अधिक लाभान्वित करते हुए बिक्री बढ़ाने का प्रयास किये जा रहे हैं।

2. राजकीय आपूर्ति :–

शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार राजकीय विभ्रागों/शासकीय नियन्त्रणाधीन उपक्रमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आपूर्ति सम्बन्धी शासनादेश संख्या 1757/ 18 – 2 – 2010 – 12 (एस0पी0) /2010 दिनांक 09.08.2010 के तारतम्य में अन्य संस्थाओं/ निगमों के साथ–साथ यूपिका से भी क्रय करने की अनिवार्यता है, जिसके अनुसार राजकीय विभागों में आवश्यकतानुसार सूटिंग/शर्टिंग, बैडदरी, फर्शीदरी, टावेल, पर्दे के कपड़े, पिलोकवर व बैडशीट, धोती एवं साड़ी, ऊलेन कम्बल एवं ऊनी वर्दी के कपड़े आदि की आपूर्ति प्रभावी ढंग से मानक के अनुरूप एवं समयबद्ध तरीके से की जा रही है। इस योजनान्तर्गत हथकरघा बुनकर समितियों द्वारा उत्पादित वस्त्रों को आपूर्ति में प्राथमिकता दी जाती है। प्रबन्ध समिति की बैठक द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार रू0 1.00 लाख तक की आपूर्ति 10 प्रतिशत संस्था लाभांश पर एवं रू0 1.00 लाख से रू0 5. 00 लाख तक की आपूर्ति हथकरघा सहकारी समितियों के माध्यम से किये जाने की दशा में 7.5 प्रतिशत संस्था लाभांश पर एवं नामिनल मैम्बरों के माध्यम से किये जाने की दशा में 10 प्रतिशत संस्था लाभांश पर की जाती है। रू0 5.00 लाख से ऊपर की आपूर्ति न्यूनतम 7.5 प्रतिशत लाभांश पर की जाती है। वर्ष 2007–08 में राजकीय विभागों को रू0 805.68 लाख एवं वर्ष 2008–09 में रू0 1110.06 लाख एवॅ वर्ष 2009–10 में 2278.73 लाख के वस्त्रों/ गॉज–बैण्डेज की आपूर्ति की गयी है।

3. आकाश के माध्यम से हथकरघा वस्त्रों की आपूर्ति :–

केन्द्र सरकार के अधीनस्थ ''एसोसिएशन ऑफ कारपोरेशन एण्ड अपेक्स सोसाइटीज ऑफ हैण्डलूम्स'' (आकाश) को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। आकाश भारत सरकार का उपक्रम है जिसके माध्यम से यूपिका द्वारा रक्षा, पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेलवे आदि विभागों को सदस्य समितियों द्वारा उत्पादित हथकरघा वस्त्रों की आपूर्ति की जाती है। इस प्रक्रिया में यूपिका को लगभग 2.60 प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है। वर्ष 2005–2006 में इस योजना के अन्तर्गत कुल रू0 219.59 लाख तथा वर्ष 2006–07 में रू0 302.81 लाख की आपूर्ति की गयी है, परन्तु वर्ष 2007–08 में आकाश कार्यालय से कम मात्रा में आपूर्ति आदेश प्राप्त होने से रू0 108.78 लाख की आपूर्ति ही सम्भव हो सकी है। उल्लेखनीय है कि वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यूपिका को डिबार किये जाने के फलस्वरूप इस संस्था को वर्ष 2008–09 में माह दिसम्बर, 2008 के बाद आपूर्ति आदेश प्राप्त होना बन्द कर दिया गया था फलस्वरूप वर्ष 2008–09 में मात्र रू0 78.32 लाख एवॅ वर्ष 2009–10 में रू0 74.55 लाख (यूपिका के अनुसार) की आपूर्ति ही सम्भव हो सकी है। आलोच्य वर्ष 2010–11 में अधिक से अधिक आपूर्ति किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। आकाश, नई दिल्ली स्तर से कम आदेश प्राप्त होने के कारण आपूर्ति प्रभावित हुयी हैं।

4. राजकीय विभागों को नान–टैक्सटाईल आईटमों की बिक्री :–

इस संस्था की उपविधियों के क्रम में प्रशासक समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार यूपिका बिक्री केन्द्रों के माध्यम से मात्र राजकीय विभागों के कार्यालय/ विद्यालयों में प्रयुक्त होने वाले जनरल आईटमों की मार्केटिंग/ट्रेनिंग के अन्तर्गत आपूर्ति की जाती है। इस योजनान्तर्गत संस्था द्वारा 7.5 प्रतिशत लाभांश प्राप्त किया जाता हैं । वर्ष 2009–10 में रू0 33.89 लाख की आपूर्ति की गयी है।

5. गॉज/बैण्डेज, हास्पिटल क्लोदिंग की आपूर्तिः–

सरकारी चिकित्सालयों में प्रयोग होने वाले गॉज/ बैण्डेज, डाक्टर कोट, एप्रेन, मैट्स कवर, बैडशीट, पिलोकवर, पेशेन्ट सूट, कम्बल, तौलिया आदि बिक्री केन्द्रों को मुख्यालय के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। इस योजनान्तर्गत संस्था को 7.5 प्रतिशत लाभांश प्राप्त होता है। योजना को और अधिक प्रभावी बनाने एवं बिक्री बढ़ाने के लिये नई नीति तैयार की गयी है।

6. क्रेडिट सेल योजनाः–

सरकारी कर्मचारियों, अर्द्धसरकारी कर्मचारियों एवं बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों के हितों एवं बिक्री बढ़ाने के दृष्टिकोण से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत सम्बन्धित विभागों के अध्यक्ष द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों के सम्बन्ध में धनराशि की संस्तुति के अनुसार कर्मचारी को वांछित वस्त्र उपलब्ध कराये जाते हैं एवं उक्त का भुगतान छः किस्तों में प्राप्त किया जाता है, उल्लेखनीय है कि इस पर कोई ब्याज नहीं सम्मिलित होता है तथा कर्मचारी को 1.5 प्रतिशत छूट भी प्रदान की जाती है।

7. प्रर्दशनियों एवं एक्सपो के द्वारा बिक्री :

इस संस्था द्वारा विकास आयुक्त, हथकरघा, भारत सरकार, नई दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित नेशनल हैण्डलूम एक्सपो तथा ''आकाश'', एन0एच0डी0सी0 और राज्य स्तर की अन्य प्रर्दशनियों में प्रतिभागिता कर सम्बद्ध हथकरघा बुनकर समितियों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की बिक्री करते हुए लाभान्वित किया जा रहा है।

8. बिक्री सहभागिता योजना :–

संस्था द्वारा वित्तीय अभाव में बिक्री केन्द्रों का किराया / बिजली व्ययों का भुगतान करना सम्भव नहीं हो पा रहा है एवं बिक्री केन्द्रों पर नवीन मांग अनुरूप वस्त्र भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। फलस्वरूप संस्था की साख एवं काउन्टर बिक्री भी प्रभावित हुई है तथा बिक्री केन्द्रों के किराये के रूप में यूपिका पर अधिभार भी बढ़ गया है अतः यूपिका द्वारा पायलेट योजना के अन्तर्गत बिक्री केन्द्र का 70 प्रतिशत भाग पायलेट इकाइयों को दिये जाने का निर्णय लिया गया है एवं शेष 30 प्रतिशत भाग पर यूपिका द्वारा अपने वस्त्रों की बिक्री की जायेगी, जिससे केन्द्रों पर नवीन माल उपलब्ध होने से ग्राहक आकर्षित होंगे एवं इकाई के वस्त्रों के साथ–साथ संस्था का माल भी विक्रय होगा। इकाईयों से निर्धारित धनराशि प्राप्त होने पर योजना के अर्न्तगत 22 बिक्री केन्द्रों का चयन कर इसका प्रचार–प्रसार विभिन्न समाचार–पत्रों एवॅ संस्था के बेवसाइट पर किया गया है। वर्तमान में निम्न ग्यारह बिक्री केन्द्र पायलेट योजना के अन्तर्गत किये गये हैं तथा शेष बिक्री केन्द्रों को इस योजना में दिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस योजनार्न्तगत वर्ष 2009–10 में रू0 51.83 लाख का व्यापार किया गया है।

पायलेट योजनार्न्तगत संचालित बिक्री केन्द्र

(1)	नई दिल्ली	(2)	हजरतगंज (चर्च बिल्डिंग) लखनऊ
(3)	बॉसफाटक वाराणसी	(4)	रूड़की
(5)	साड़ी इम्पोरियम आगरा	(6)	इन्द्रा बाजार, जयपुर
(7)	मुम्बई	(8)	सिविल लाईन्स, इलाहाबाद
(9)	घण्टाघर, इलाहाबाद	(10)	अहमदाबाद
(11)	नदेसर, वाराणसी		

9. **प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना** :– वर्तमान में भारत सरकार एवॅ प्रदेश सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अर्न्तगत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित जिला नगरीय विकास अभिकरणों(डूडा) द्वारा संचालित स्वर्ण जयन्ती शहरी योजना की उप योजना नगरीय स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना एवॅ जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों द्वारा संचालित स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण रोजगार योजना के अर्न्तगत चयनित गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लाभार्थियों को संस्था में नामिनल सदस्य के रूप में पॅजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के माध्यम से सिलाई–कटाई, सिलाई–कढ़ाई, जरी–जरदोज़ी, कताई–बुनाई (कालीन), ब्यूटीशियन, कम्प्यूटर आदि का प्रशिक्षण दिलाया जाता हैं। इसके अर्न्तगत सम्बन्धित विभागों से प्रशिक्षण कराने के मद में प्राप्त होने वाली धनराशि में से 10(दस) प्रतिशत की दर से प्रशासनिक व्यय यूपिका को प्राप्त हेाता है एवॅ शेष धनराशि का भुगतान प्रशिक्षणदाता फर्म को किया जाता है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अर्न्तगत प्राप्त होने वाले कार्यादेशों का संक्षिप्त विवरण एवॅ प्रगति आख्या निम्नवत् है–

क्रमॉक	विभाग का नाम	कार्यादेशों का विवरण		प्रगति
		वित्तीय(रू0में)	प्रशिक्षणार्थी	
1.	जिला ग्राम्य विकास अभि. गोण्डा	08.56 लाख	250	पूर्ण
2.	जिला ग्राम्य विकास अभि. गोण्डा	11.03 लाख	322	पूर्ण
3.	जिला नगरीय वि. अभि.,कानपुर(न)	04.50 ''	100	पूर्ण
4.	जिला नगरीय वि. अभि.,कानपुर(दे)	08.68 ''	193	पूर्ण
5.	जिला नगरीय वि. अभि.,कानपुर(दे)	07.20 ''	160	प्रगति पर
6.	जिला नगरीय वि. अभि.,कानपुर(दे)	08.68 ''	193	पूर्ण

संस्था द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्यों को और अधिक बढ़ाने हेतु पूर्व प्रबन्ध निदेशक महोंदय द्वारा प्रमुख सचिव, नगर विकास /नगरीय गरीबी उन्मूलन, उ0प्र0 शासन लखनऊ एवॅ प्रमुख सचिव, जिला ग्राम्य विकास अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ से शासन स्तर से प्रशिक्षण दिलाने के लिये प्राधिकृत/नामित किये जाने हेतु अनुरोध पत्र निर्गत किये गये थे। इसके साथ ही निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), लखनऊ को पत्र निर्गत करते हुये उनके अधीनस्थ कार्यरत् जिला नगरीय विकास अभिकरणों द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अर्न्तगत प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु प्राधिकृत/नामित किये जाने हेतु उनके स्तर से आवश्यक निर्देश जारी किये जाने का अनुरोध किया गया था, किन्तु कोई प्रगति न हो पाने के फलस्वरूप दिनॉक 31.08.10 को पुनः पत्र निर्गत करते हुये अनुरोध किया गया है, जिन पर शासन स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित है।

इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ एवॅ उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवॅ जन–जाति निगम, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अर्न्तगत प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे है।

बिक्री प्रगति रिपोर्ट

(लाख रू0 में)

क्र.	विषय	2005.06	2006.07	2007.08	2008.09	2009.10	न्चजव
1.	बिक्री केन्द्र/एस.ए.ड	183.06	165.08	161.00	159.10	311.14	226.51
3.	राजकीय आपूर्ति	483.14	522.87	806.40	1111.38	2278.73	773.13
4.	आकाश	215.87	292.09	104.77	78.32	74.55	59.40
6.	निर्यात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	..
	योग	**882.07**	**980.04**	**1072.17**	**1348.80**	**2665.22**	**1058.68**

***

८-दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू०पी० लि०, लखनऊ

1. **पिकप की पृष्ठ भूमि**

पिकप की स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वर्ष 1972 में की गई थी।

निगम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु एक औद्योगिक विकास बैंक की भूमिका निभाते हुये वृहद एवं मध्यम उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना एवं संयुक्त क्षेत्र एवं सहायतित क्षेत्र में वृहद् इकाईयों को स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है।

निगम की वर्तमान अंश पूंजी रु0 150.00 करोड़ है निगम की चुकता अंश पूंजी रु0 135.57 करोड़ है।

2. **पिकप का प्रदेश के औद्योगीकरण में योगदान**

निगम द्वारा 1104 इकाईयों को रू0 1458 के ऋण स्वीकृत किये गये जिसके सापेक्ष रू0 1423 के ऋण वितरित किये हैं जिसमें से दिनांक 31.12.2010 तक 854 इकाइयों द्वारा पूर्ण वितरित धनराशि के सापेक्ष लगभग रू0 1160 का भुगतान निगम को प्राप्त हो चुका है। शेष 250 इकाइयों से रू0 263 करोड़ मूलधनराशि की वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे है।

निगम द्वारा संयुक्त क्षेत्र एवं सहायतित क्षेत्र में 17 इकाईयां स्थापित की गई है। जिनमें से मुख्य इकाईयां निम्नवत् है :–

- मे0 इण्डोगल्फ फर्टिलाईजर्स लि0 (में0 आदित्यबिरला न्यूवो लि0)
- मे0 जैलपैक इण्डिया लि0,
- मे0 हैरिग कैनकशाफ्टस लि0
- मे0 आई0पी0सी0एल0 लि0 (मे0 इण्डिया पालीफाईबर्स लि0)
- मे0 पशुपति एक्रीलोन्स लि0
- मे0 हिन्द एग्रो इण्डस्टिज लि0

3. **100 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश करने वाली इकाइयों हेतु योजना**

प्रदेश में 100 करोड़ या उससे अधिक का स्थायी पूंजी निवेश करने वाली इकाइयों हेतु राज्य सरकार द्वारा एक प्रोत्साहन योजना लागू है जिसके द्वारा ऐसी इकाइयों को पूंजी उपादान /अवस्थापना उपादान / यातायात अनुदान एवं ब्याज मुक्त व्यापार कर ऋण उपलब्ध कराये जाने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत रू0 100 करोड़ से अधिक परन्तु रू0 200 करोड़ से कम स्थायी पूंजी निवेश करने वाली इकाईयों को 10 प्रतिशत की दर से तथा रू0 200 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश करने वाली इकाइयों को 20 प्रतिशत की दर से पूंजी उपादान तथा पूंजी उपादान के अतिरिक्त 10 प्रतिशत की सीमा में रहते हुए अवस्थापना सुविधाओं में निवेश की गयी धनराशि एवं यातायात अनुदान इकाईयों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। यह सुविधा केवल उन इकाइयों को उपलब्ध होनी है जिन्होंने दिनांक 31.5.2009 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। यह योजना दिनांक 01.06.2006 से प्रारम्भ की गयी थी जिसके कियान्वयन हेतु पिकप को नोडल एजेन्सी नामित किया गया था। उपरोक्त योजना दिनांक 03.08.2007 की प्रभावी तिथि से बन्द कर दी गयी है परन्तु योजना के अंतर्गत ऐसी पात्र इकाइयॉ जिन्होनें शासनादेश में संदर्भित प्रारम्भिक कार्यवाहियां दिनांक 01.06.06 से 03.08.07 के मध्य पूर्ण कर ली हैं / जिन्हें लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत किये जा चुके हैं, अर्ह होगी।

उपरोक्त योजना के सम्बन्ध में निगम को प्राप्त प्रस्तावों में से 13 इकाईयों के प्रस्तावों पर उच्च स्तरीय समिति का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात लेटर आफ कम्फर्ट जारी किये गये हैं जिनमें से 2 इकाइयों के लेटर आफ कम्फर्ट निर्धारित तिथि तक परियोजना लगा लेने की अनिवार्यता पूरी न कर सकने के कारण निरस्त किये जा चुके हैं।

विगत वित्तीय वर्ष 2008–09 तथा 2009–10 में योजना के अंतर्गत क्रमशः रू0 22.52 करोड़ एवं रू0 115.70 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई जो राज्य सरकार के द्वारा नोडल एजेन्सी पिकप को उपलब्ध करायी गयी थी तथा नोडल एजेन्सी ¼पिकप½ द्वारा वितरित कर दी गयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में शेष इकाइयों को पूंजी उपादान/अवस्थापना उपादान एवं यातायात अनुदान हेतु कुल रू0 290 करोड़ अनुमानित है। उ0प्र0 शासन द्वारा उक्त के सापेक्ष 180.00 करोड़ का प्राविधान बजट में किया जा चुका है। बजट में शेष धनराशि के आवंटन हेतु शासन से अनुरोध किया गया है। वर्ष 2011–12 मे योजना के अन्तर्गत पूंजी उपादान/ अवस्थापना अनुदान/यातायात

अनुदान हेतु रू0 270 करोड़ का प्राविधान भी प्रस्तावित है जिसमें वित्तीय वर्ष 2010–11 की अवशेष धनराशि रू0 110 करोड़ सम्मिलित है।

4. <u>पिकप द्वारा राज्य सरकार के अभिकर्ता के रूप में निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं जिसके अंतर्गत पात्र इकाईयों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किये जाने जाने की सुविधा का प्राविधान है:–</u>

क. <u>औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति –2006</u>

प्रदेश में रूपये 100 करोड़ व अधिक पूंजी निवेश वाली पात्र औद्योगिक इकाइयों को योजनान्तर्गत उनके द्वारा जमा किये गये प्रान्तीय एवं केन्द्रीय बिक्री कर की धनराशि के योग की सीमा में रहते हुए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

ख. <u>औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना –2003 यथा संशोधित 2006।</u>

उपरोक्त योजनान्तर्गत प्रदेश में बुन्देलखण्ड एवं पूर्वाचल क्षेत्र में रू0 10.00 करोड़ व उससे अधिक तथा अन्य जनपदों में रू0 25.00 करोड़ व उससे अधिक पूंजी निवेश करने वाली नई मेगा औद्योगिक इकाईयां जिनके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि 11.3.2003 को या उसके बाद पड़ती हो वे इकाईयां योजनान्तर्गत ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा के लिए पात्र होंगी।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु पिकप तथा यू0पी0एफ0सी0 के लिए रू0 85.00 करोड़ की धनराशि का प्राविधान पात्र इकाइयों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने हेतु उद्योग विभाग के बजट में किया गया है एवं पिकप द्वारा इसी वित्तीय वर्ष में रू0 13.76 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण चार इकाइयों को स्वीकृत किया जा चुका है।

ग.<u>उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1984 की धारा–4(क) एव धारा–38</u>

मध्यम/वृहद औद्योगिक इकाइयों को व्यापार कर आस्थगन के विकल्प में ब्याज मुक्त ऋण योजना के अंतर्गत सुविधा प्रदान कराना –

उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु रूपये 45.00 करोड़ की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

✷✷✷

९- उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि० लखनऊ

(पूर्ववर्ती नाम- उ० प्र० निर्यात निगम लि०)

(1) निगम के स्थापना का उद्देश्य व उद्देश्यों की पूर्ति :

उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0 (पूर्ववर्ती नाम–उ0 प्र0 निर्यात निगम लि0) की स्थापना दिनांक 20 जनवरी, 1966 को कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक पब्लिक लिमिटेड/गवर्नमेन्ट कम्पनी के रूप में की गई थी। निगम का पंजीकृत कार्यालय 2, राणा प्रताप मार्ग, मोती महल, लखनऊ में है।

स्थापना के समय निगम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना था। वर्ष 1971 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उद्योग निदेशालय द्वारा संचालित गवर्नमेन्ट यू0पी0 हैण्डीक्राफ्ट प्रभाग भी निगम को हस्तान्तरित कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप निगम की स्थापना का उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के साथ–साथ हस्तशिल्प व हथकरघा विकास व विपणन भी हो गया।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1998–99 में उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन व्यूरो की स्थापना किये जाने के उपरान्त निर्यात प्रोत्साहन का कार्य मूल रूप से उक्त व्यूरो द्वारा किया जा रहा है। अतः वर्तमान में निगम का मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा वस्तुओं का विकास एवं विपणन करना है।

प्रदेश में हस्तशिल्पियों, दस्तकारों एवं बुनकरों तथा पंजीकृत समितियों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प तथा हथकरघा वस्तुओं की बिक्री व्यवस्था हेतु देश के प्रमुख शहरों में स्थित गंगोत्री प्रदर्शनकक्षों का संचालन करना एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करना तथा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) व विकास आयुक्त (हथकरघा), भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों/एक्सपो/क्राफ्ट बाजार में निर्यात निगम द्वारा भाग लिया जाता है।

(2) निगम द्वारा सम्पादित किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यः

निगम द्वारा वर्तमान में निम्न कार्य सम्पादित किये जा रहे हैंः–

(अ) ' गंगोत्री' प्रदर्शनकक्षों के माध्यम से आन्तरिक विपणन
(ब) वुड सीजनिंग प्लान्ट (काष्ठ सिंझाई संयंत्र), सहारनपुर का संचालन
(स) एयर कारगो कामप्लेक्स, बाबतपुर वाराणसी का संचालन
(द) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं का कियान्वयन
(य) विकास योजना का संचालन

(अ) 'गंगोत्री' प्रदर्शनकक्षों के माध्यम से आन्तरिक विपणन

निगम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शिल्पकारों द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प, हथकरघा एंव अन्य वस्तुओं के विपणन, विकास एंव निर्यात को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत निगम द्वारा देश के प्रमुख शहरों मे 'गंगोत्री' के नाम से प्रदर्शनकक्ष संचालित किये जा रहे हैं। इन प्रदर्शनकक्षों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न शिल्पियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का प्रदर्शन एवं विक्री की जाती है। निगम इन शिल्पियों से सीधा जुड़ा हुआ है एवं उनके उत्थान तथा उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने मे निगम की प्रमुख भूमिका है। वर्तमान में निगम द्वारा देश के प्रमुख शहरों में 10 प्रदर्शनकक्षों का संचालन किया जा रहा है, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

1. गंगोत्री प्रदर्शनकक्ष, पी0पी0एन0 मार्केट, कानपुर
2 गंगोत्री प्रदर्शनकक्ष, अमीनाबाद, लखनऊ
3. गंगोत्री प्रदर्शनकक्ष, हजरतगंज, लखनऊ
4. गंगोत्री प्रदर्शनकक्ष, नागपुर
5. गंगोत्री प्रदर्शनकक्ष, हैदराबाद
6. गंगोत्री प्रदर्शनकक्ष, लिण्डसे स्ट्रीट, कोलकता
7. गंगोत्री प्रदर्शनकक्ष, नई दिल्ली
8. गंगोत्री प्रदर्शनकक्ष, अहमदाबाद
9. गंगोत्री प्रदर्शनकक्ष, दक्षिणापन, कोलकता
10. गंगोत्री प्रदर्शनकक्ष, मुम्बई

उपर्लिखित प्रदर्शनकक्षों द्वारा विगत वर्षों में की गयी बिक्री का विवरण निम्नवत् हैः–

वित्तीय वर्ष	कुल बिक्री (रू0 लाख में)
2008–09	861.77
2009–10	1878.58
2010–11(दिसम्बर,10 तक)	772.69
2011–12 (प्रस्तावित)	2100.00

(ब) काष्ठ सिंझाई संयंत्र (वुड सीजनिंग प्लान्ट) सहारनपुर :–

सहारनपुर में काष्ठ सिंझाई संयंत्र एवं कैमिकल ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित है। इस प्रशाखा द्वारा स्थानीय काष्ठ उद्योग से जुड़े कारीगरों, निर्यातकों एवं कारखानेदारों की लकड़ी की सीजनिंग एवं कैमिकल ट्रीटमेन्ट की जाती है। इस प्रशाखा द्वारा विगत वर्षों में की गई लकड़ी की सिंझाई एवं ट्रीटमेन्ट का विवरण निम्नवत् हैः–

वित्तीय वर्ष	कुल सिंझाई (घन मी0 में)	कुल ट्रीटमेन्ट(घन मी0)
2008–09	365.44	388.55
2009–10	124.21	215.83
2010–2011(दिसम्बर तक)	871.97	399.56
2011–12(प्रस्तावित लक्ष्य)	3000.00	1900.00

(स) एयर कारगो कामप्लेक्स, बाबतपुर वाराणसी :–

वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से निर्यात की सभावना वाले उत्पादों के निर्यात सम्बर्धन हेतु प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1978–79 मे उपलब्ध कराये गये अनुदान से भारतीय विमान पतन प्राधिकरण द्वारा संचालित बावतपुर हवाई अड्डा परिसर में वर्ष 1979–80 से एयर कारगो काम्पलेक्स संचालित किया जा रहा है। एयरकारगो काम्प्लेक्स से विगत वर्षों में कार्गो हैण्डिलिंग का विवरण निम्नवत् हैः–

वित्तीय वर्ष	निर्यात किये गये कारगो का भार (टन में)	निर्यात किये गये कारगो का एफ0ओ0बी0 मूल्य (रूपया लाख में)
2008–2009	103.71	2230.35
2009–10	105.37	2634.80
2010–2011(दिसम्बर तक)	121.22	2960.20

(द) निर्यात

निगम द्वारा नई दिल्ली स्थित प्रदर्षकक्ष के माध्यम से ग्राहकों द्वारा चयनित उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है। विगत वर्षो में निर्यात बिक्री का विवरण निम्नवत् हैः–

वित्तीय वर्ष	निर्यात बिक्री (रू0 लाख में)
2008–09	22.27
2009–10	27.68
2010–11(दसम्बर,10 तक)	13.82

(य) <u>विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं का कियान्वयन</u>–

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के आधार पर देश एवं विदेश में प्रदर्शनियॉ आयोजित करने, क्राफ्ट बाजार/एक्सपो का संचालन करने, हस्तशिल्पियों को फोटो पहचान पत्र जारी करने का कार्य किया जाता है।

(र) <u>विकास योजनाओं का संचालन</u>

निगम द्वारा एसाइड योजना के अन्तर्गत निम्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा हैः–

i) <u>चिकन उद्योग हेतु निर्यात प्रोत्साहन केन्द्र की स्थापनाः</u>

चिकन उद्योग के लिये निर्यात प्रोत्साहन केन्द्र की स्थापना निगम मुख्यालय, मोती महल, लखनऊ में की गयी है जिसमें उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सिलाई, धुलाई, ग्रेडिंग व ब्लाक मेकिंग हेतु मशीनों/उपकरणों की व्यवस्था की गयी है। इस योजना की स्थापना हेतु शासन के पत्र सं0 300/18–4–2006–7(एसाइड)/03 दिनॉक 1.2.2006 द्वारा रू0 73.15 लाख की परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस केन्द्र का संचालन पी0पी0पी0 माडल आधार पर करने हेतु नेशनल सेन्टर फार डिजाइन एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेन्ट, नई दिल्ली का प्रारम्भिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। संस्था द्वारा भारत सरकार के अनुमोदनोपरान्त विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करने की सूचना प्रेषित की गयी है। संस्था का विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होने पर केन्द के संचालन के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जायंगी।

ii) <u>निर्यात प्रोत्साहन हेतु प्रदर्शनकक्षों का उच्चीकरण</u>

नई दिल्ली प्रदर्शनकक्ष के नवीनीकरण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। प्रदर्शनकक्ष के उच्चीकरण हेतु पत्रॉक 2279/एस0आई0डी0सी0/पी0आर0 /यू0पी0एस0आई0डी0सी0, दिनॉक 2.1.07 द्वारा रू0 124.70 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसके सापेक्ष रू0 124.70 लाख के सद्पयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

iii) <u>वुड सीजनिंग प्लान्ट का उच्चीकरण</u>

सहारनपुर स्थित वुड सीजनिंग प्लान्ट का उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण एसाइड योजना से प्राप्त धनराशि रू0 262.80 लाख से उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम से कराया गया है। फारेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट, देहरादून द्वारा परियोजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के लिये कन्सल्टेन्सी प्रदान की गयी है। इस परियोजना के लिये प्राप्त राशि रू0 262.80 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

2. <u>क्लस्टर योजना</u> :

क्लस्टर योजना के अन्तर्गत नोडल एजेन्सी का कार्य शासन द्वारा भारत सरकार के एम0एस0एम0ई0 मन्त्रालय द्वारा क्लस्टर योजना के अन्तर्गत क्लस्टर योजना में हार्ड इन्टरवेन्शन/साफ्ट इन्टरवेन्शन हेतु उत्तर प्रदेश ह्स्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0 (पूर्ववती नामः उ0 प्र0 निर्यात निगम लि0) को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

3. <u>नये प्रदर्शनकक्षों की स्थापना :–</u>

प्रदेश के हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने हेतु निगम द्वारा 10 प्रदर्शनकक्षों का संचालन देश के प्रमुख शहरों में किया जा रहा है। इन 10 प्रदर्शनकक्षों में से 03 प्रदर्शनकक्ष यथा, नई दिल्ली, कोलकता दक्षिणापन एवं अहमदाबाद के अतिरिक्त शेष प्रदर्शनकक्षों का संचालन किराये के भवनों में किया जा रहा है।

नये प्रदर्शनकक्ष खोले जाने की स्थिति निम्नवत् है :–

(अ) <u>लखनऊः</u>

लखनऊ में एक सुसज्जित प्रदर्शनकक्ष स्थापित करने की आवश्यकता के दृष्टिगत कार्यवाही की जा रही है।

(ब) <u>नोएडाः</u>

नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर में यू0पी0 काफ्ट मार्ट की स्थापना के लिये 1397 वर्गमी0 भूमि क्रय की गयी है।

निगम की वित्तीय स्थिति

निगम का पूँजीगत ढाँचा

अधिकृत पूँजी	रू0 1000.00 लाख
चुकता पूँजी	रू0 724.27 लाख

चुकता पूँजी का स्रोत

राज्य सरकार का अंश	रू0 634.27 लाख
केन्द्र सरकार का अंश	रू0 90.00 लाख

चुकता पूँजी का विवरण

कार्यशील पूँजी/लिक्विड	रू0 724.27 लाख

ऋणः

राज्य सरकार का ऋण	रू0 743.67 लाख(वी0आर0एस0)

वित्तीय विश्लेषणः

निगम के विगत पॉच वर्षों का लाभ/हानि विवरण

(रू0 लाख में)

वित्तीय वर्ष	परिचालन लाभ/हानि	शुद्ध लाभ/हानि	संचित लाभ/हानि
2004–05	11.05	11.12	(–) 2174.35
2005–06	(–) 9.36	(–) 17.46	(–) 2191.80
2006–07	(–) 31.98	(–) 32.51	(–) 2224.31
2007–08	(–) 31.43	(–) 29.20	(–) 2260.38
2008–09	(–) 79.79	(–) 79.79	(–) 2340.17

१०–यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

निगम के उद्देश्य

यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) उत्तर प्रदेश शासन के सूचना प्रौद्योगिकी एवँ इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अन्तर्गत कार्यरत निगम है। निगम का रजिस्ट्रेशन दिनॉक 30 मार्च 1974 को ''दि प्रदेशीय इ.डस्ट्रियल ए.ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड'' (पिकप) की एक सहायक कम्पनी के रुप में हुआ था। निगम के कार्य के महत्व को देखते हुए जुलाई 1976 में पिकप से पृथक करके इसे भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक स्वतन्त्र कम्पनी का रुप दिया गया। इस निगम की अधिकृत पूँजी रु 90 करोड़ है, जो रु 100/– के 90 लाख इक्विटी शेयर्स में विभक्त है। उन उद्देश्यों सहित, जिनके लिए निगम की स्थापना की गई थी, निगम के कुछ मुख्य उद्देश्य, निम्नवत् हैंः–

- उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों का उन्नयन, विकास एवँ प्रोत्साहन
- उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के विकास सम्बन्धी योजनाओं के संचालन हेतु राज्य सरकार के एजे.ट के रुप में कार्य करना, इलेक्ट्रानिक्स औद्योगिक उद्यमों की स्थापना या उन्हें अपने हाथ में लेना। नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना या विद्यमान इकाइयों का विस्तार। बड़ी इकाइयों के लिए पूरक उद्योगों की स्थापना।
- इलेक्ट्रानिक्स में अनुसन्धान एवँ विकास को बढ़ावा देना।
- इलेक्ट्रानिक्स उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को सहायता देना तथा उनके लिए एक औद्योगिक, वित्तीय एवँ प्रबन्धकीय कन्सलटे.ट के रुप में कार्य करना।
- इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों के सहायतार्थ विभिन्न क्षेत्रों तथा इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों आदि से सम्बन्धित बाजार सर्वेक्षा.ा, प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स, सम्भाव्यता अध्ययन इत्यादि का निर्मा.ा।
- परीक्षा.ा, कैलीब्रेशन एवँ मानकीकर.ा की सुविधायें प्राप्त कराना।
- उद्यमियों एवँ तकनीकी जनशक्ति का विकास एवँ प्रशिक्षा.ा।
- सॉफ्टवेयर विकास, इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, इन्टरनेट, ई–कामर्स से सम्बन्धित व्यवसाय, कार्य तथा कार्यकलाप
- सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तथा उससे समर्थित सेवाओं यथा मूल्य संवर्धित सू0प्रौ0 सेवायें, सॉफ्टवेयर उत्पाद, ई–बिजनेस आदि से सम्बन्धित व्यवसाय, कार्य तथा कार्यकलाप
- सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित ज्ञान–अभिवृद्धि, कम्प्यूटर शिक्षा.ा आदि से सम्बन्धित कार्यकलाप
- राज्य सरकार के 'स्मार्ट स्टेट' के लक्ष्य की पूर्ति हेतु ई–गर्वेन्स, ई–कॉमर्स, दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में योगदान

निगम की स्थापना के पश्चात, उसकी उत्प्रेरक भूमिका के फलस्वरुप उत्तर प्रदेश राज्य राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स उत्पादन में लगभग 20 प्रतिशत योगदान सहित भारत के सर्वाधिक इलेक्ट्रानिक्स उत्पादक राज्यों में से एक के रुप में उभरा। इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के क्षेत्र में तीव्र विकास के फलस्वरुप वर्ष 1988, 1989 तथा 1991 में उत्तर प्रदेश को देश के शीर्षस्थ इलेक्ट्रानिक्स उत्पादक राज्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ।

वर्तमान में सूचना प्रोद्योगिकी उद्योग ने विकास के मामले में अन्य सभी उद्योगों को काफी पीछे छोड़ दिया है। यूपी इलेक्ट्रानिक्स निगम कम्प्यूटर एवँ सूचना प्रोद्योगिकी उद्योग से काफी पहले से जुड़ा रहा है तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निगम ने इस उद्योग को अपने कार्यक्षेत्र में मुख्य रुप से सम्मिलित किया है।

निगम के अन्तर्गत चालू एवँ वर्तमान योजनाओं एवँ कार्यकलापों का सँक्षिप्त विवरण :

1 **उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों में ई–प्रोक्योरमे.ट प्र.ाली का कियान्वयनः**– उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों में ई–प्रोक्योरमे.ट प्र.ाली लागू किये जाने विषयक शासकीय नि.िय के क्रम में, प्रथमतः पायलट परियोजना के अन्तर्गत चिन्हित विभागों में से लोक निर्मा.ा विभाग, मुद्रा.ा एवं लेखन विभाग, उ0प्र0 सिंचाई विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, लघु उद्योग तथा आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग में सफलतापूर्वक उपरोक्त प्र.ाली लागू की गई है। जल निगम तथा वैकल्पिक ऊर्जा (नेडा) विभागों द्वारा भी इसी प्र.ाली के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं। उपरोक्त प्र.ाली के अन्तर्गत समस्त टेन्डर उत्तर प्रदेश शासन की वेबसाइट पर प्रकाशित कराये जा रहे हैं तथा ई–टे.डरिंग से सम्बन्धित अन्य जानकारी यूपी इलेक्ट्रानिक्स निगम लि0 की वेबसाइट पृष्ठ पर उपलब्ध है। प्रदेश में ई–प्रोक्योरमे.ट के कियान्वयन हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 को नोडल संस्था नामित किया गया है, तथा निगम द्वारा अन्य शासकीय विभागों में ई–प्रोक्योरमे.ट प्र.ाली के शीघ्र कियान्वयन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

2 **सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स** : नोयडा, कानपुर लखनऊ एवं इलाहाबाद में साफ्टवेयर टैक्नालाजी पार्क कार्यरत हैं। अतएव आगरा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की स्थापना हेतु प्रदेश सरकार द्वारा आगरा विकास प्राधिकर.ा द्वारा प्रस्तावित भूमि का निरीक्षा.ा करा दिया गया है तथा रू 150 लाख की धनराशि निर्गत कर दी गई

है। वर्ष 2011–12 में इस योजना हेतु रू 750 लाख की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जा रहा है। इसकी स्थापना भारत सरकार के उपक्रम साफ्टवेयर टैक्नालाजी पार्क्स आफ इंडिया के सहयोग से की जानी है।

3 शासकीय विभागों को कम्प्यूटर हार्डवेयर एवॅ सॉफ्टवेयर की आपूर्तिः यूपी इलेक्ट्रानिक्स निगम लि0 विभिन्न शासकीय विभागों को हार्डवेयर की आपूर्ति एवॅ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विकास और उसकी स्थापना के लिए शासन द्वारा अधिकृत है। निगम द्वारा शासकीय विभागों/उपक्रमों को न्यूनतम दरों पर कम्प्यूटर एवॅ तत्सम्बन्धी उपकर.ाों तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आपूर्ति की जाती है। निगम द्वारा वर्ष 2010–11 में दिसम्बर 2010 तक लगभग रू 17.15 करोड़ का व्यवसाय किया गया है।

4 सूचना प्रौद्योगिकी का प्रचार–प्रसार, व्यापार मेलों में प्रतिभागिता एवॅ उनका आयोजनः वर्ष 2009–2010 के अन्तर्गत व्यापार मेलों में प्रतिभागिता/ प्रस्तुतिकर.ा तथा समाचार–पत्रों आदि के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार की मद में रू 20.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी। यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 द्वारा शासकीय निर्देशानुसार निम्नलिखित महत्वपूर्ा आईटी इवेन्ट्स में प्रतिभागिता की गईः–

1 दिनॉक 25–27 अगस्त 2009 को हैदराबाद में ''यूनिक आई.डी.'' विषय पर आयोजित संगोष्ठी एवॅ प्रदर्शनी में प्रतिभाग

2 एसोचेम द्वारा दिनॉक 30–9–2009 को नई दिल्ली मे 6वीं ईगवर्नेन्स की राष्ट्रीय समिति अवार्ड विषय पर आयोजन में प्रतिभाग

3 दिनॉक 04 सितम्बर 2009 को मुम्बई में आयोजित 8वे इण्डिया टेक एक्सीलेंस आवार्ड में ज्यूरी पैनल की पूर्ा पीठ के समक्ष विषय पर प्रस्तुतिकरण

4 आर्थिक अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा दिनॉक 08 अक्तूबर 2009 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रतिभाग

5 दिनॉक 11–13 नवम्बर 2009 को बैंगलोर में आयोजित आईटी बिज 2009, तथा दिनॉक 14–16 नवम्बर 2009 को नई दिल्ली में आयोजित भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में प्रतिभाग

उपरोक्त कार्यशालाओं/सहसंगोष्ठी/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने का निम्नवत लाभ रहा तथा निगम द्वारा भविष्य में भी शासन की अपेक्षानुसार विभिन्न प्रदर्शनियों/गोष्ठियों में प्रतिभाग किया जायेगा। वर्ष 2010–11 में प्रचार–प्रसार के मद में रू0 20.00 लाख को शासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई हैः–

- उत्तर प्रदेश में ई–गवर्नेन्स के क्षेत्र में किए गए सफल प्रयासों का प्रदर्शन
- देश एवॅ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू विभिन्न ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं का प्रदर्शन ताकि विभिन्न विभागीय अधिकारी/कर्मचारी अपनी सुविधानुसार इनका अवलोकन व अध्ययन कर अपने विभागों में लागू करने हेतु प्रेरित हो सकें।
- उत्तर प्रदेश को सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना हेतु एक आदर्श गन्तव्य स्थान के रूप में प्रदर्शन ताकि निवेशक आकर्षित हों।
- आम जनता को सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र के नए–नए उत्पादों को देखने एवं समझने का अवसर प्रदान करना।

इसके अतिरिक्त प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से ही 2009-10 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त धनराशि से निम्नवत् बहुरंगी पुस्तिकाओं का मुद्रण भी सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के माध्यम से कराया गया है:-

1	यू0पी0आई0टी0 पालिसी–2004
2	उ0प्र0 की सूचना प्रौद्योगिकी नीति–2004
3	उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से सम्बन्धित महत्वपूर्ा सूचनाओं का संकलन
4	निगम द्वारा शासन की ई–गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत चलाये गये कार्यक्रम तथा उन पर की गई प्रगति पर हिन्दी/अंग्रेजी में पुस्तिका

अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ

उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों में ई–प्रोक्योरमे.ट प्रणाली का कियान्वयनः– उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों में ई–प्रोक्योरमे.ट प्रणाली लागू किये जाने विषयक शासकीय निर्णय के क्रम में, प्रथमतः पायलट परियोजना के अन्तर्गत चिन्हित विभागों में से लोक निर्माण विभाग, मुद्रण एवं लेखन विभाग, उ0प्र0 सिंचाई विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, लघु उद्योग तथा आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग में सफलतापूर्वक उपरोक्त प्रणाली लागू की गई है। जल निगम तथा वैकल्पिक ऊर्जा (नीडा) विभागों द्वारा भी इसी प्रणाली के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं। उपरोक्त प्रणाली के अन्तर्गत समस्त टेण्डर उत्तर प्रदेश शासन की वेबसाइट पर प्रकाशित कराये जा रहे हैं तथा ई–टेण्डरिंग से सम्बन्धित अन्य जानकारी यूपी इलेक्ट्रानिक्स निगम लि0 की वेबसाइट पृष्ठ पर उपलब्ध है। प्रदेश में ई–प्रोक्योरमेण्ट के कियान्वयन हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 को नोडल संस्था नामित किया गया है, तथा निगम द्वारा अन्य शासकीय विभागों में ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रणाली के शीघ्र कियान्वयन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

सहयोगी कम्पनियों के कार्यकलाप

(क) अपट्रान इ.डिया लिमिटेड

अपट्रान इ.डिया लिमिटेड में वर्ष 1988–89 से लगातार हो रहे वित्तीय घाटे के कारण इसे वर्ष 1994 में बी0आई0एफ0आर0 द्वारा रूग्ण औद्योगिक इकाई घोषित कर दिया गया था। दिनॉक 31–8–2010 को पक्षों को सुनने के उपरान्त मा. बी.आई.एफ.आर, नई दिल्ली द्वारा अपट्रान इण्डिया लि0 के समापन (वाइडिंग–अप) की संस्तुति की है, जो आदेश दिनॉक 31–8–2010 को मा. इलाहाबाद उच्च न्यायालय को प्रेषित कर दी गई है। आदेश दिनॉक 31–8–2010 के विरुद्ध कम्पनी द्वारा ए.ए.आई.एफ.आर., नई दिल्ली के समक्ष अपील दायर की गई है, जिस पर सुनवाई होना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1998 में अपट्रान इण्डिया लिमिटेड की जनशक्ति को कम करने के उद्देश्य से अपट्रान कर्मियों को शासन के विभिन्न विभागों में शासनादेश दिनांक 22.12.1998 द्वारा तैनात किये जाने की व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत वर्तमान में 440. , अपट्रान कर्मी शासन के विभिन्न विभागों में संविदा/प्रतिनियुक्ति/बाडीशापिंग के आधार पर तैनात हैं। इसके अलावा 235 अपट्रान कर्मी शासन के अन्य विभागों द्वारा संविलीन/ समायोजित किये जा चुके हैं। कम्पनी द्वारा वर्तमान में अत्यन्त कम स्तर पर व्यावसायिक कार्यकलाप संचालित किये जा रहे हैं।

संविदा/प्रतिनियुक्ति/बाडीशापिंग के आधार पर कार्यरत उक्त अपट्रान कर्मियों के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र संख्या– 1078/78–1– 2005–51 इले0/92 (टी0सी0–5) दिनांक 08.11.2005 द्वारा समस्त शासकीय विभागेां से अनुरोध किया गया था कि वे अपने अधीनस्थ विभागों में संविदा/ प्रतिनियुक्ति/बाडीशापिंग पर कार्यरत अपट्रान कर्मियों को समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में विभागीय सहमति दिनांक 30.11.2005 तक उपलब्ध करा दें, उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानते हुये कि उक्त विभाग द्वारा इन कर्मियों को अपने विभागों में समायोजित किये जाने हेतु सहमत है, अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कम्पनी की जनशक्ति को कम करने के उद्देश्य से उ0 प्र0 शासन की सहमति से वर्ष 2000, 2001 एवं पुनः 2004 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की गई, उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक 1346 कर्मियों को सेवा से कार्यमुक्त किया जा चुका हैं। इन कर्मियों को शासन से प्राप्त धनराशि कुल रू. 42.75 करोड़ से

वीआरएस हितलाभों का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में 60 कर्मी कम्पनी के पे–रोल पर हैं जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन नहीं किया है।

(ख) अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड

यह कम्पनी बीआईएफआर में एक रूग्ण इकाई के रूप में पंजीकृत है। कम्पनी दूरभाष एक्सचेंजेस हेतु पावर प्लान्ट्स, बैटरी चार्जस, फ्लोट चार्जस, इनवर्टर कन्वर्टर का निर्माण करने हेतु स्थापित की गई थी। वर्तमान में कम्प्यूटर हार्डवेयर साफ्टवेयर एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण का कार्य इस इकाई द्वारा किया जा रहा है। कम्पनी द्वारा 31 मार्च 10 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान रूपये 596.33 लाख का विक्रय व्यवसाय (अन्य आय सहित) अर्जित किया गया एवं उसे रू0 20.27 लाख का शुद्ध लाभ हुआ था। उक्त तिथि तक कम्पनी की संचित हानियॉ रू0 560.34 लाख थीं। शासन द्वारा कम्पनी के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु रू0 287.45 लाख की धनराशि प्रदान की गई जिससे 107 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की गई और वर्तमान में कम्पनी में केवल 30 कर्मचारी शेष है।

(ग) श्रीट्रान इंडिया लिमिटेड

यह कम्पनी बीआईएफआर में एक रूग्ण इकाई के रूप में पंजीकृत है। कम्पनी मेटल फिल्म रेसिस्टर पावर प्लान्ट्स, बैटरी चार्जस, फ्लोट चार्जस, इनवर्टर कन्वर्टर का निर्माण करने हेतु स्थापित की गई थी। वर्तमान में कम्प्यूटर हार्डवेयर साफ्टवेयर एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण का कार्य इस इकाई द्वारा किया जा रहा है। कम्पनी द्वारा 31 मार्च 10 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान रूपये 3012.27 लाख का विक्रय व्यवसाय (अन्य आय सहित) किया गया एवं उसे रू0 61.84 लाख का शुद्ध लाभ हुआ था। उक्त तिथि तक कम्पनी का संचित लाभ रू0 12.00 लाख था। शासन द्वारा कम्पनी के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु रू0 246.44 लाख की धनराशि प्रदान की गई जिससे 123 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की गई और वर्तमान में कम्पनी में केवल 16 कर्मचारी शेष है। वर्ष 2005–06 के दौरान कम्पनी द्वारा बैंको से प्राप्त दीर्घकालीन ऋण एवं कैश क्रेडिट का एक मुश्त समायोजन बैंकों से करा लिया गया है।

(घ) अपलीज फाइनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड

इस कम्पनी का मुख्य व्यवसाय उपभोक्ता वस्तुओं तथा उपकरणों की लीजिंग/हायर परचेज तथा सावधि जमायें प्राप्त करना था। कम्पनी के वर्ष 1997–98 तक के लेखे निर्मित हुये है एवं धनराशि के अभाव में अनुवर्ती वर्षो हेतु कम्पनी के लेखे नहीं बनाये जा सके हैं। कम्पनी में धनराशि का अभाव है एवं कम्पनी के व्यवसायिक कार्यकलाप बन्द है।

निगम की कार्यप्र.ाली

निगम का प्रबन्ध एक निदेशक मण्डल में निहित है, जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा सरकार द्वारा मनोनीत अन्य सदस्यगण हैं। प्रबन्ध निदेशक निगम के नित्य–प्रति के कार्यकलापों हेतु उत्तरदायी मुख्य कार्यकारी अधिकारी है।

वित्तीय / भौतिक उपलब्धियों का विवर.ा

चालू वित्तीय वर्ष 2009–2010 में दिनॉक 31 दिसम्बर 2010 तक वित्तीय/भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नवत है :–

* प्रदेश की इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी योजनाओं का क्रियान्वयन
* निगम की मुख्य सहायक कम्पनी अपट्रान इण्डिया लिमिटैड बी.आई.एफ.आर. में एक रुग्ण इकाई के रुप में पॅजीकृत है। कार्यशील पूॅजी के अभाव में कम्पनी का व्यवसाय नगण्य है।
* एक अन्य कम्पनी अपलीज फाइनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड का व्यवसाय (फाइनेन्सिंग) भी पूॅजी के अभाव में सितम्बर 1999 से बन्द है।

वर्ष 2007–2008 से वर्ष 2009–2010 तक की वित्तीय/भौतिक उपलब्धियों का विवरण :–

(रुपये लाख में)

	वर्ष		
	2008–2009	2009–2010	2010–2011 (दिसम्बर 10 तक)
(अ) वित्तीय उपलब्धि	15-00	170-00	20-00
निगम की विभिन्न योजनाओं हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि			
(ब) भौतिक उपलब्धि			
क– यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 द्वारा व्यवसाय			
कम्प्यूटर हार्डवेयर की ट्रेडिंग	2289-78	3014-44	1517-87
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एवँ नेटवर्किंग कार्य का व्यवसाय	136-06	163-79	378-99
कम्प्यूटर प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्यकलाप	271-29	198-85	232-22
अन्य प्राप्तियॉ	94-81	182-61	63-54
			2192-62
ख– सहयोगी कम्पनियों का व्यवसाय			
1 अपट्रान इण्डिया लिमिटेड	कम्पनी की बन्दी का निर्णय लिया जा चुका है।		
2 श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड	3004-69	3012-27	उपलब्ध नहीं
3 अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड	1134-87	596-33	उपलब्ध नहीं
4 अपलीज फाइनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व नाम अपट्रान लीजिंग लिमिटेड)	कम्पनी का व्यवसाय (फाइनेंसिंग) सितम्बर 1999 से बन्द है		

<u>प्रस्तावित मुख्य योजनाओं का सॅक्षिप्त विवरणः–</u> उत्तर प्रदेश शासन के आईटी एवॅ इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अन्तर्गत दो फील्ड संस्थायें – यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा यू0पी0डेस्को कार्यरत हैं। वर्ष 2010–11 में यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम निम्न प्रकार हैः–

1. ई–प्रोक्योरमे.ट प्रणाली का समस्त विभागों में क्रियान्वयन किया जाना निगम की मुख्य योजना है।

2. व्यापार मेलों आदि में प्रतिभाग/प्रस्तुतिकरण – रू 20 लाख – इससे प्रदेश में अन्य प्रदेशों/देशों की कम्पनियों का निवेश आकर्षित हो सकेगा।

निगम में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्गों, अल्पसॅख्यकों, महिलाओं, विकलॉगों, भूतपूर्व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों एवॅ अन्य विशेष वर्ग के लोगों के लिए किये गये / किये जा रहे कार्यों का विवरणः–

निगम द्वारा उ0प्र0 अनुसूचित जाति/जनजाति निगम द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए कम्प्यूटर पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं तथा महिला कल्याण निगम के माध्यम से दुर्बल वर्ग की महिलाओं के लिए रोजगार परक कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए जाते है।

✷✷✷

११-भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण(बीडा)

1– प्राधिकरण की स्थापना

भदोही कालीन परिक्षेत्र के औद्योगिक एवं नगरीय योजनाबद्ध विकास, कालीन बुनकरों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, अवस्थापनागत् समस्याओं के निराकर.ा एवं कालीन के निर्यात प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के अधीन निर्गत अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त, 1981 के माध्यम से प्राधिकर.ा की स्थापना की गई है। प्राधिकर.ा के कार्यक्षेत्र में भदोही नगर एवं उसके चतुर्दिक 8.00 कि0मी0 का 314 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र समाहित हैं जिसमें कुल 328 राजस्व गांव सम्मिलित हैं।

प्राधिकर.ा के उद्देश्यः

घोषित क्षेत्र का योजनाबद्ध विकास।
नियोजित विकास हेतु भू–अधिग्रहण/पुनर्ग्रहण आदि।
घोषित क्षेत्र के विकास हेतु योजनाएं तैयार करना।

योजनाओं के अनुसार स्थलों का सीमांकन एवं विकास।

औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं आवासीय प्रयोजनों के लिए अनुरचना

(इन्फ्रास्ट्रक्चर) की व्यवस्था करना।

जन–सुविधाएं (सड़क, जलापूर्ति तथा ड्रेनेज आदि) उपलब्ध कराना।

औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा आवासीय भवनों/भू–ख.डों का आबंटन।

भवनों के परिनिर्माण और उद्योगों की स्थापना को विनियमित करना।

घोषित क्षेत्र का नियोजन एवं विनिर्दिष्ट प्रयोजनों का निर्धार.ा।

2. प्राधिकरण के अन्तर्गत चल रही वर्तमान योजनाओं का संक्षिप्त विवर.ाः–

क.सं.	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रू. लाख में)	विवर.ा
1	हरियॉव आवासीय योजना	187.47	योजना के फेज–1 में अवर जलाशय, सम्पर्क मार्ग, वाटर मेन एवं सीवर लाईन के कार्य पूर्ण। सड़क एवं नाली का निर्मा.ा कार्य प्रगति पर।
2	कारपेट सिटी भदोही में मार्डन डाइंग हाउस की स्थापना	906.06	प्लान्ट के शेड का कार्य पूर्ण। अन्य कार्य प्रगति पर। कार्य स्थल पर 04 मशीने आ चुकी हैं। शेष 05 मशीनों की आपूर्ति क्रमशः फर्म द्वारा की जा रही है।
3	कारपेट वैकिंग प्लान्ट	517.50	सिविल निर्माण का कार्य कुर्सी लेबल तक पूर्ण। मशीनरी हेतु कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है।
4	नई बाजार में ईदगाह से सेन्ट मेरीज स्कूल तक सी0सी0 रोड/नाली निर्माण	200.43	कंक्रीट का कार्य हो चुका है। शेष नाली एवं पटरियों का कार्य प्रगति पर।

3–कार्याधीन तथा नई योजनाओं की कार्य प्रगति

1. **हरियॉव आवासीय योजना :–** योजना के फेज–1 में अवर जलाशय, सम्पर्क मार्ग, वाटर मेन एवं सीवर लाईन के कार्य पूर्ण। सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य प्रगति पर।

2. **कारपेट सिटी भदोही में मार्डन डाइंग हाउस की स्थापना :–** प्लान्ट के शेड का कार्य पूर्ण। अन्य कार्य प्रगति पर। कार्य स्थल पर 04 मशीने आ चुकी हैं। शेष 05 मशीनों की आपूर्ति क्रमशः फर्म द्वारा की जा रही है।

3. **कारपेट वैकिंग प्लान्ट :–** सिविल निर्माण का कार्य कुर्सी लेबल तक पूर्ण। मशीनरी हेतु कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है।

4. **नई बाजार में ईदगाह से सेन्ट मेरीज स्कूल तक सी0सी0 रोड/नाली हेतु एसाइड योजनान्तर्गत निर्माण –** कंक्रीट का कार्य हो चुका है। शेष नाली एवं पटरियों का कार्य प्रगति पर।

4. विगत दो वर्षो से वर्ष 2010–11 तक की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण

क.सं.	वर्ष	योजना	भौतिक प्रगति	वित्तीय रू. लाख में
1	2008–09	हरियॉव आवासीय योजना	सड़कों पर मिट्टी भराई व अवर जलाशय के निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित कर कार्य प्रगति पर	39.74
		नई बाजार व कारपेट सिटी योजना में सड़क व नालियों का निर्माण	नालियों का निर्माण कार्य पूर्ा	3.33
		औराई रोड एवं रजपुरा चौराहे पर जल निकासी हेतु एसाइड योजना के अन्तर्गत नाला/नाली का निर्माण	निर्माणाधीन नाले का समस्त कार्य प्रगति पर	121.55
2	2009–10	हरियॉव आवासीय योजना	योजना के फेज–1 में सड़कों पर मिट्टी भराई, अवर जलाशय, टयूवेल बोरिंग, पम्प रूम एवं सम्पर्क मार्ग में मिट्टी भराई का कार्य पूर्ण । विद्युतीकरण, वाटरमेन एवं सीवर लाइन का कार्य एवं योजना के अवशेष भाग में सड़कों पर मिट्टी भराई कार्य प्रगति पर।	80.77
			समस्त कार्य पूर्ा ।	
		नई बाजार व कारपेट सिटी योजना में सड़क व नालियों का निर्माण		148.08
		औराई रोड एवं रजपुरा चौराहे पर जल निकासी हेतु एसाइड योजना के अन्तर्गत नाला/नाली का निर्माण	नाला/नाली का निर्माण कार्य पूर्ण। 9.00 मीटर लम्बाई में वाद दायर के कारण कार्य अवशेष है।	164.35
3	2010–11	हरियावं आवासीय योजना	योजना के फेज–1 में अवर जलाशय, सम्पर्क मार्ग, वाटर मेन एवं सीवर लाईन के कार्य पूर्ण। सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य प्रगति पर।	123.75
			प्लान्ट के शेड का कार्य पूर्ण। अन्य कार्य प्रगति पर। कार्य स्थल पर 04 मशीने आ चुकी हैं। शेष 05 मशीनों की आपूर्ति क्रमशः फर्म द्वारा की जा रही है।	658.36
		कारपेट सिटी में मार्डन डाइंग हाउस की स्थापना	सिविल निर्मा.ा का कार्य कुर्सी लेबल तक पूर्ण। मशीनरी हेतु कार्यादेश निर्गत किया	

			जा चुका है।	
				10.00
			कंक्रीट का कार्य हो चुका है। शेष नाली एवं पटरियों का कार्य प्रगति पर।	
		कारपेट बैकिंग प्लान्ट		
		नई बाजार में ईदगाह से सेन्ट मेरीज स्कूल तक सी0सी0 रोड/नाली हेतु एसाइड योजनान्तर्गत निर्माण		147.14

5— चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में 31 दिसम्बर, 2010 तक की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण

(रू0 लाख में)

क.सं.	योजना का नाम	वार्षिक लक्ष्य		31 दिसम्बर 10 तक की प्रगति	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	हरियाव आवासीय योजना	विकास कार्य	187.47	योजना के फेज–1 में अवर जलाशय, सम्पर्क मार्ग, वाटर मेन एवं सीवर लाईन के कार्य पूर्ण। सड़क एवं नाली का निर्मा.ा कार्य प्रगति पर।	123.75
2	कारपेट सिटी भदोही में मार्डन डाइंग हाउस की स्थापना	निर्माण कार्य	906.06	प्लान्ट के शेड का कार्य पूर्ण। अन्य कार्य प्रगति पर। कार्य स्थल पर 04 मशीने आ चुकी हैं। शेष 05 मशीनों की आपूर्ति क्रमशः फर्म द्वारा की जा रही है।	658.36
3	कारपेट वैकिंग प्लान्ट	विकास कार्य	517.50	सिविल निर्माण का कार्य कुर्सी लेबल तक पूर्ण। मशीनरी हेतु कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है।	10.00
4	नई बाजार में ईदगाह से सेन्ट मेरीज स्कूल तक सी0सी0 रोड/नाली निर्माण	निर्माण कार्य	200.43	कंक्रीट का कार्य हो चुका है। शेष नाली एवं पटरियों का कार्य प्रगति पर।	147.14

6. भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा)

सेवा में आरक्षण मासिक सूचनाओं का प्रारूप											
	श्रे.ी	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	नियमित रूप से भरे गये पदों की संख्या	अवशेष रिक्त पदों की संख्या		मास के आरम्भ में नये अधिनियम के अनुसार सीधी भर्ती की रिक्तयों की संख्या			कालम 6,7,8 के विरूद्ध माह दिसम्बर में भरे गये पदों की संख्या		
				सीधी भती के पद	प्रोन्नति के पद	अनुसूचित जाति	जन जाति	अन्य पिछडा वर्ग	अनुसूचित जाति	जन जाति	अन्य पिछडा वर्ग
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क											
	2	प्रोन्नति	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	3	प्रतिनियुक्ति									
ख											
	3	सीधी भर्ती	2	1	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		(एक अधि0 पद)									
	4	प्रोन्नति	4								
		(एक अधि0 पद)	(एक अधि0 पद)								
	1	प्रतिनियुक्ति	.								
ग											
	23	सीधी भर्ती	20	3	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	14	प्रोन्नति	13								
	2	प्रतिनियुक्ति	1								
घ											
	21	सीधी भर्ती	14	7	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2 प्रोन्नति स्वीपर छोड़कर	2	.							

मास के अन्त में अवशेष रिक्त पदों की संख्या			मास के आरम्भ में पदोन्नति की रिक्तयों की संख्या		कालम 15,16 के विरूद्ध मास में भरे गये पदों की संख्या		अवशेष आरक्षित पदोन्नति/ रिक्त पदों की संख्या		लोक सेवा/अधीनस्थ सेवा आयोग के परिधि के पदों की संख्या
अनुसूचित जाति	जन जाति	अन्य पिछडा वर्ग	अनुसूचित जाति	जन जाति	अनुसूचित जाति	जन जाति	अनुसूचित जाति	जन जाति	
12	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

7	अल्प संख्यकों के कल्यार्थ किये गये/ किये जा रहे कार्य/कर्यक्रमों का विवरण	शून्य
8.	महिलाओं/विकलांगों/भूतपूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अन्य विशेष वर्ग के लोगो के लिए किये गये कार्यो का संक्षिप्त विवरण	शासनादेश के अनुसार महिलाओं के पक्ष में किये जाने वाले निबन्धन में स्टाम्प शुल्क कम दर पर लेकर निबन्धन कराया जा रहा है।
9.	क्षेत्रीय असंतुलन की विषमता दूर करने तथा प्रदेश की औद्योगिक प्रगति में विशेष योगदान का उल्लेख	भदोही कारपेट वेल्ट में निर्यात बडाये जाने की दृष्टि से प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्र में लगभग 100 एकड भू–भाग में औद्योगिक क्षेत्र विकास कर आवंटित किया गया है। औद्योगिक भूख.डों पर उद्योग लगाने से रोजगार के अवसर सृजित हुये है। उक्त के अतिरिक्त अवस्थापनागत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से प्राधिकरण द्वारा एसाइड योजना के अन्तर्गत कारपेट सिटी में मार्डन डाईंग हाउस का निर्मा.ा तथा नई बाजार में ईदगाह से सेन्ट मेरीज तक सी.सी. रोड का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे निर्यात में वृद्धि होने की प्रबल सम्भावना है।

✷✷✷

१२–सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा), जौनपुर

1. स्थापना एवं उद्देश्य –

सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकार.ा का गठन शासन की अधिसूचना संख्या–8425 भाऊ/18–11–223भा/88 दिनांक 30 नवम्बर, 1989, उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्रा विकास अधिनियम 1976 की धारा (3) के अधीन किया गया है। प्राधिकर.ा का मूलभूत उद्देश्य प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्रा में भूमि अधिग्रहीत कर समस्त औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकसित करते हुए, उद्यमियों को उदार शर्तो पर औद्योगिक भूख.ड उपलब्ध कराना है।

2. भौतिक प्रगति–

सीडा कुल 508 एकड़ भूमि पर विकसित है। इस क्षेत्र में कुल 17 किमी0 पक्की सड़के, 800 किलोलीटर क्षमता का एक वाटर टैक, 33/11 के.बी.ए. का एक विद्युत सब स्टेशन, पक्की नालियां, एक सामुदायिक सुविधा केन्द्र, फिल्ड हास्टल, गेस्ट हाऊस, बैंक, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र, स्कूल आदि औद्योगिक अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध है। सीडा क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा उच्चीकृत चिकित्सालय भी स्थापित है।

सीडा क्षेत्र में 600 वर्गमीटर से लेकर 27000 वर्गमीटर के साईज के औद्योगिक भूख.ड उपलब्ध है। औद्योगिक भूख.डों की वर्तमान दर रू0 525/– प्रति वर्गमीटर है। कुल 465 औद्योगिक भूख.ड बनाये गये है। जिसमें 399 औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है। 66 औद्योगिक भूख.ड आवंटन हेतु रिक्त है। वर्तमान में 58 औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था जिसके सापेक्ष्य 49 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। जिसमें कुल 27 उद्यमियों को भूखण्ड आवंटित किया गया है।

सीडा क्षेत्र में में0–हॉकिग्स कुकर्स, अंजनी स्टील्स प्रा0लि0, अभिनव स्टील्स प्रा0लि0, हैदराबाद इ. ड्रस्टीज लि0, अमित आयल प्रा0लि0 एवं वैद्यनाथ आर्युवेद आदि प्रमुख औद्योगिक इकाईयॉ उत्पादनरत है। उल्लेखनीय है कि में0 अभिनव स्टील्स प्रा0लि0 द्वारा 20 मेगावाट कोयले पर आधारित पावर प्लान्ट की स्थापना की जा रही है। पेप्सिको इण्डिया द्वारा अपनी बंद इकाई को पुनः चालू किया जा रहा है।

3. वित्तीय प्रगति–

वसूली एवं आवंटन–

क्र0	मद	वित्तीय वर्ष		
		2008–09	2009–10	2010–11 (दिनांक 01.04.10 से 31.12.10 तक)
1.	औद्योगिक क्षेत्र से वसूली (रू0 लाख में)	111.33	251.11	136.82
2.	औद्योगिक/वाणिज्यिक भूख.डों का आवंटन (एकड़ में)	4.26	37.40	15.81
3.	आवासीय भूखण्ड आवंटन (एकड़ में)	0.03	––	––

4. चालू वित्तीय वर्ष में कराये जा रहे कार्यो का विवरण–

1. सीडा क्षेत्र के उत्तरी सेक्टर में स्थित आवासीय परिक्षेत्र के सड़को की मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। जिसकी कुल लागत रू0 80.00 लाख है।
2. सीडा क्षेत्र में टूफायर फायटिंग अग्नि शमन केन्द्र की स्थापना का कार्य कराया जा रहा है। जिसकी कुल लागत रू0 266.00 लाख है।
3. रेट्रो रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड लगाये जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
4. सीडा क्षेत्र में बिछायी गयी पुरानी पाईपों के नवीनीकरण का कार्य कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम जौनपुर को रू0 4.00 लाख की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है।

6. विभागीय प्रगति–

1.	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव,	पदेन अध्यक्ष
2.	आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वारा.ासी	पदेन उपाध्यक्ष
3.	जिलाधिकारी, जौनपुर	पदेन मुख्य कार्यपालक अधिकारी
4.	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जौनपुर	पदेन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न स्टाफ सीडा में कार्यरत है–

1.	प्रबन्धक सम्पत्ति एवं विधि/योजना	01	नियमित
2.	लिपिक (कार्यालय अधीक्षक/स0प्र0)	01	नियमित
3.	अवर अभियन्ता (सिविल)	01	नगर पालिका मुं0बादशाहपुर से
4.	सहायक लेखाकार	01	कार्य की संविदा
5.	वाहन चालक	01	नियमित
6.	चपरासी	03	नियमित
7.	चपरासी	01	कार्य की संविदा
8.	मस्टर रोल कर्मी	10	मस्टर रोल
9.	स्वीपर	01	संविदा

7. वर्ष 2010–11 में दिनांक 01.04.2010 से 31.12.2010 तक किये गये वास्तविक व्यय का विवरण–

क्र0 सं0	मद का नाम	वर्ष 2009–10		वर्ष 2010–11	
		स्वीकृत बजट (रू0 लाख में)	वास्तविक व्यय (रू0 लाख में)	स्वीकृत बजट (रू0 लाख में)	वास्तविक व्यय (रू0 लाख में)
1.	वेतन	22.00	15.50	25.00	11.00
2.	मॅहगाई भत्ता	––	4.00	––	2.80
3.	अन्य भत्ता	––	0.65	––	0.37
4.	कार्यालय व्यय	2.00	0.51	1.00	0.84
5.	यात्राा भत्ता	1.00	0.18	0.50	0.21
		25.00	20.84	26.50	15.22

१३–गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा)

स्थापना का उद्देश्य एवं प्रगति

शासन द्वारा पूर्वान्चल के सुनियोजित औद्योगिक विकास हेतु उ0 प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के अन्तर्गत वर्ष 1989 में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की स्थापना की गयी है। इस योजना के विकास हेतु कुल 76 ग्राम अध्रिसूचित किये गये है तथा उक्त ग्रामों की लगभग 10000 एकड़ भूमि का विकास करने हेतु गीडा विकास योजना 1992–2012 तैयार की गयी है। गीडा क्षेत्र में कुल 23 सेक्टर्स का विकास कार्य प्रस्तावित है जिसमे 14 आवासीय एवं संस्थागत 7 सेक्टर्स औद्योगिक एक मिश्रित एवं एक वाणिज्यिक उपयोग हेतु विकसित किये जाने है।

वर्तमान आर्थिक परिवेश में गीडा द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि गीडा में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण किया जाय तथा कतिपय आवश्यक विशिष्ट अवस्थापना सुविधाएं इस क्षेत्र में उपलब्ध करायी जायं। न्यू गोरखपुर आवासीय योजना, ट्रान्सपोर्ट नगर, फूड पार्क इसी प्रयास की कड़ियां है। वर्तमान में 1537.00 एकड़ भूमि अर्जित की जा चुकी है जिसमें से लगभग 1186.15 एकड़ भूमि विकसित कर ली गयी है जिसमें से लगभग 835.25 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है जिसमें लगभग 410.00 एकड़ बल्क लैण्ड नीति के अन्तर्गत आवंटित भूमि भी सम्मिलित है। गत् वित्तीय वर्ष में गीडा द्वारा रु0 1757.22 लाख की धनराशि के भूखण्डों का आवंटन किया गया है तथा आवंटन मद् में रु0 3087.47 लाख की आय हुई है जो गीडा की स्थापना वर्ष से अब तक की सर्वाधिक उपलब्धि है।

भूमि अधिग्रहण

वर्तमान में 1537 एकड़ भूमि अर्जित की जा चुकी है तथा 806 एकड़ भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव प्रेषित किये जा चुके है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवासीय/संस्थागत भूमि उपयोग के लगभग 500 एकड़ भूमि का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का लक्ष्य है। गीडा द्वारा आलोच्य वित्तीय वर्ष–2010 में लगभग 182 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु धारा 4(1)/17 तथा लगभग 250 एकड़ भूमि हेतु धारा 6(1)/17 की विज्ञप्ति जारी करायी गयी है। वर्णित अवधि में भूमि अधिग्रहण मद् में रु0 980.87 लाख का व्यय हुआ है। उक्त समस्त भूमि लगभग 432 एकड़ भूमि का कब्जा आगामी वर्ष में प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

गीडा की स्थापना से दिनांक 31–12–2010 तक योजनावार आवंटित भूखण्डों/शेडों का विवरण।

(रु0 लाख में)

क0 सं0	योजना का नाम	आवंटित भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	आवंटित भूखण्डों का प्रीमियम	उत्पादनरत /निर्मित इकाईयों की संख्या	निर्माणाधीन इकाईयों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	औद्योगिक भूखण्ड/शेड	441	2758497	5711	165	75
2	संस्थागत भूखण्ड	20	699254	1646	13	2
3	ट्रांसपोर्ट नगर	481	109465	1461	40	28
4	आवासीय योजना	566	79192	830	63	38
5	व्यावसायिक	103	65687	1062	9	02
	योग	**1611**	**3712095**	**10710**	**290**	**145**

उल्लेखनीय बिन्दु–

1. औद्योगिक योजना में उत्पादनरत इकाईयों की संख्या – **165**

2. औद्योगिक योजना में निजी पूँजी निवेश – **रु0 40448.59 लाख लगभग**

3. औद्योगिक योजना में उत्पादनरत इकाईयों में रोजगार सृजन (प्रत्यक्ष) – **5000 रोजगार लगभग**

4. औद्योगिक योजना में उत्पादनरत इकाईयों में रोजगार सृजन (अप्रत्यक्ष) – **3000 रोजगार लगभग**

5. औद्योगिक योजना में निर्माणाधीन इकाईयों की संख्या – **75**

6. औद्योगिक योजना में निर्माणाधीन इकाईयों में प्रस्तावित निजी पूँजी निवेश–**रु0 22000.00 लाख लगभग**

7. औद्योगिक योजना में निर्माणाधीन इकाईयों में प्रस्तावित रोजगार सृजन (प्रत्यक्ष)–**3000 रोजगार**

विगत 3 वर्षो का योजनावार आवंटित भूखण्डों का विक्रय मूल्य तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवंटन से प्राप्तियों का विवरण (लाख रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	विक्रय मूल्य			आवंटन से प्राप्तियां 2010–11 (दिनांक 31–12–2010 तक)
		08–09	09–10	10–11	
1	औद्योगिक योजना	809-53	45-14	-	87-40
2	शेड आवंटन	7-79	-	-	
3	संस्थागत	82-48	-	-	347-27
4	व्यवसायिक / ट्रान्सपोर्ट नगर	520-40	376-12	-	162-11
5	आवासीय योजना	33-77	-	-	67-72
6	बल्क लैण्ड	-	1335-96	850-21	872-75
	योग	1453-97	1757-22	850-21	1537-25

विगत 3 वर्षो का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण

वर्ष	आवंटित क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)	आवंटन से प्राप्तियां (लाख रू0 में)
2007–2008	106945	1208.91
2008–2009	118621	521.29
2009–2010	780738	3087.47
2010–2011 (दिनांक 31–12–2010 तक)	331854	1537.25

वित्तीय वर्ष 2010–11 में गीडा में प्राईवेट पूँजी निवेश का लक्ष्य एवं उसके सापेक्ष दिनांक 31–12–2010 तक की उपलब्धियॉ

क्रम संख्या	आय का मद्	निवेश का लक्ष्य (रु0 करोड़ में)	लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियॉ (रु0 करोड़ में)		
			गत् माह तक	माह दिसम्बर–10 में	अद्यतन
1	औद्योगिक/ संस्थागत क्षेत्र में पूँजी निवेश	100.00	41.43	15.31	56.74

गीडा की महत्वपूर्ा योजनाओं का विवरण

1–सेक्टर संख्या–23 में सहजनवां आवासीय योजना की स्थापना

सहजनवां कस्बे के निकट गीडा क्षेत्र में स्थित सेक्टर–23 मिश्रित भू–उपयोग का सेक्टर है। सहजनवां कस्बे की आबादी लगभग 25000 है। गीडा क्षेत्र में औद्योगिक विकास होने के कार.ा जनसंख्या बढ़ती जा रही है। प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र सहजनवा कस्बे के सन्निकट है तथा रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्थान पर लगभग 38 एकड़ अर्जित भूमि पर गीडा द्वारा आवासीय योजना का प्राविधान किया गया है, जो कि सभी अवस्थापना सुविधाओं जैसे–स्कूल, शापिंग सेन्टर, कम्युनिटी सेन्टर, पार्क आदि से युक्त होगा। उक्त योजना के विकास हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है, कार्यदायी संस्था द्वारा विकास कार्य किया जा रहा है। आगामी वर्ष में आवंटन की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

2– मै0 इण्डिया ग्लायकोल्स लि0 को मोलैसिस बेस्ड मार्डन डिस्टलरी प्लान्ट की स्थापना :–

मै0 इण्डिया ग्लायकोल्स लि0 को मोलैसिस बेस्ड मार्डन डिस्टलरी प्लान्ट की स्थापना हेतु गीडा के सेक्टर–15 में लगभग 56 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है जिस पर इकाई द्वारा उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हैं। इस इकाई द्वारा विद्युत ऊर्जा का भी उत्पादन किया जा रहा है। कम्पनी द्वारा इकाई के विस्तारीकरण हेतु 75 एकड़ अतिरिक्त भू–आवंटन की मॉग करते हुये गीडा की बल्क लैण्ड आवंटन नीति के अन्तर्गत एम0ओ0यू0 भी हस्ताक्षरित किया गया है। भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही करते हुये कब्जा गीडा के पक्ष में प्राप्त हो चुका है। कम्पनी को धनराशि जमा करने हेतु सूचित किया गया है। धनराशि जमा होते ही आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

3–मै0 गैलेन्ट इस्पात लि0 द्वारा इण्डस्ट्रीयल कॉम्पलेक्स/इंटीग्रेटेड स्टील कॉम्पलेक्स की स्थापना

गैलेन्ट इस्पात लि0 द्वारा एक इण्डस्ट्रीयल कॉम्पलेक्स की स्थापना गीडा क्षेत्र में 113 एकड़ भूमि में की जा रही है। इंटीग्रेटेड कॉम्पलेक्स की प्रस्तावित लागत लगभग 335 करोड होगी जिसमें प्रथम चरण में 225 करोड की लागत से इंटीग्रेटेड स्टील यूनिट व कैप्टिव पावर प्लान्ट तथा द्वितीय चरण में 110 करोड की लागत से फ्लोर मिल तथा स्पीनिंग मिल की स्थापना की जानी प्रस्तावित थी। प्रस्तावित इकाई में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से लगभग 1500 लोंगों को रोजगार सुलभ होगा। इकाई की वार्षिक उत्पादन क्षमता प्रथम चरण में 1.50 लाख टन टी0एम0टी0 सरिया बनाने की है। अब तक लगभग रू0 200.00 करोड़ का पूँजी निवेश करते हुए इकाई द्वारा फ्लोर मिल तथा स्टील प्लान्ट में उत्पादन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। कम्पनी द्वारा इकाई के विस्तारीकरण हेतु लगभग 70 एकड़ अतिरिक्त भूमि की मॉग की गयी है। इसके सम्बन्ध में परीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

4– गीडा में संस्थागत उपयोग की भूमि का विकास

गीडा में सेक्टर संख्या–7 एवं 9 के अन्तर्गत लगीाग 100 एकड़ भूमि संस्थागत उपयोग हेतु निर्धारित की गयी है। इस भूमि में से 21 एकड़ क्षेत्र में एक नीजि इंजिनियरिंग/फार्मेसी कालेज स्थापित किया गया है। 10 एकड़ क्षेत्रफल का भूखण्ड नगर की एक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्था डायोसिस आफ गोरखपुर को माध्यमिक स्कूल की स्थापना हेतु आवंटित किया गया है जिस पर स्कूल प्रारम्भ हो गया है। सेक्टर संख्या 23 में 9.45 एकड़ भू–क्षेत्र में एक राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना भी की गयी है। 10 एकड़ क्षेत्र में एक डेन्टल कालेज स्थापित होकर सत्र आरम्भ हो गया है एवं दॉतो का अस्पताल भी प्रारम्भ

कर दिया गया है। गत् सेशन से बुद्धा इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी द्वारा बी0टेक0 की विभिन्न ब्रान्च हेतु तथा कैलाश इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट ए.ड फार्मेसी द्वारा मैनेजमेन्ट एवं फार्मेसी का कोर्स भी प्रारम्भ कर दिया गया हैं। उक्त के अतिरिक्त गीडा में मेनेजमेन्ट कालेज, एक अन्य डेन्टल कालेज, कैन्सर इंस्ट्टीट्यूट, बी.एड. कालेज, खादी ग्रामोद्योग कार्यालय भारत सरकार एवं पब्लिक स्कूल की स्थापना हेतु भूमि का आवंटन किया गया है जिसमें निर्मा.ा शीघ्र होने की सम्भावना है। वर्तमान समय तक संस्थागत उपयोग के कुल 20 भूख.डों का आवंटन किया जा चुका है।

5–एस0एस0बी0 सेक्टर हेड क्वार्टर एवम् कम्पोजिट हास्पीटल की स्थापना

एस0एस0बी0 द्वारा सेक्टर–7 (ग्राम–बड़गहन) में एस0एस0बी0 सेक्टर हेड क्वार्टर एवम् कम्पोजिट हास्पीटल की स्थापना हेतु 31 एकड़ भूमि की मांग की गई है। इस हेतु एस0एस0बी0 द्वारा गीडा की मांग के अनुरुप रु0 10,00,93,000.00 (रु0 दस करोड़ तिरानवे हजार मात्र) दिनांक 13–01–2010 को जमा भी कर दिया गया है। एस0एस0बी0 द्वारा मांगी गयी भूमि के अधिग्रहण हेतु धारा–6(1)/17 की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। गीडा द्वारा कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है, गीडा के पक्ष में कब्जा प्राप्त होते ही एस0एस0बी0 के पक्ष में आवंटन की कार्यवाही कर दी जायेगी।

6– मैसर्स अम्बा फाइवर्स लि0, गोरखपुर द्वारा राईस प्लान्ट, साल्वेन्ट प्लान्ट, रिफाईन्ड आयल प्लान्ट एवं पावर प्लान्ट की स्थापना।

मैसर्स अम्बा फाइवर्स लि0, गोरखपुर द्वारा राईस प्लान्ट, साल्वेन्ट प्लान्ट, रिफाईन्ड आयल प्लान्ट एवं पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु गीडा क्षेत्र में बल्क लै.ड आवंटन नीति के अन्तर्गत 50 एकड़ भूमि आवंटित की गयी है। कम्पनी द्वारा लगभग रु0 55.69 करोड़ के पूॅजी निवेश से राईस प्लान्ट 20एम0टी प्रति घंटा, साल्वेन्ट प्लान्ट 500एम0टी0 प्रतिदिन, इडिबिल आयल रिफाईनरी 100एम0टी0 प्रतिदिन तथा 1200 किलोवाट की क्षमता का पावर प्लान्ट स्थापित किये जाने की परियोजना है। इकाई द्वारा गीडा के सम्पू.ा धनराशि का भुगतान करते हुये दिनांक 31–03–2010 को अनुबन्ध निस्पादित कराते हुये पंजीकृत करा लिया गया है। इकाई के पक्ष में भूमि के कब्जा की हस्तान्तरण की कार्यवाही कृषकों के विरोध के कार.ा बाधित है जिसके लिये मण्डलायुक्त, गोरखपुर महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 24–12–2010 को कृषकों से वार्ता करते हुये समझौते की कार्यवाही सम्पन्न हुई है जिसके अनुसार कृषकों को अनुग्रह राशि वितरित करते हुये शीघ्र ही आवंटी को भौतिक कब्जा उपलब्ध करा दिया जायेगा। प्रस्तावित इकाई में प्रत्यक्ष रुप से लगभग 100 लोंगों को रोजगार सुलभ होगा।

7– मैसर्स अंकुर उद्योग प्रा0 लि0, गोरखपुर द्वारा लगभग 300 करोड के पूॅजी निवेश से इंटीग्रेटेड स्टील प्लान्ट एवं टेक्सटाईल यूनिट की स्थापना।

मैसर्स अंकुर उद्योग प्रा0 लि0, गोरखपुर के पक्ष में 82 एकड़ भूमि का आवंटन दिनांक 10–12–2010 को कर दिया गया है। इस इकाई द्वारा लगभग 300 करोड के पूॅजी निवेश से इंटीग्रेटेड स्टील प्लान्ट एवं टेक्सटाईल यूनिट की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। प्रस्तावित इकाई में प्रत्यक्ष रुप से लगभग 1000 लोंगों को रोजगार सुलभ होगा।

✷✷✷

१४–ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

विभाग के अभ्युदय, विकास तथा उसके मूलभूत उद्देश्य

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के अधीन वर्ष 1991 में किया गया जिसमें तहसील सिकन्दराबाद जिला–बुलन्दशहर के 75 गॉव तथा तहसील दादरी जिला गाजियाबाद के 49 गॉव को अधिसूचित किये गये थे। इस प्रकार ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में सम्मिलित कुल गांवो की संख्या 124 है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। वास्तुशिल्प एवं इंजीनियरिंग की आधुनिकतम तकनीकी पर आधारित तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मानको के अनुरूप ग्रेटर नोएडा का विकास किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र के साथ–साथ यहां आवश्यक सुविधाओं, व्यवसायिक क्षेत्रों व्यापार केन्द्रों, कार्यालयों, सेकेण्ड्री स्कूलों तकनीकी एवं प्राविधिक संस्थानों, अस्पतालों और चिकित्सा सेवा सुविधाओं तथा मनोरंजन के क्षेत्रों का एक आधुनिक एवं व्यापक मूल ढांचा भी उपलब्ध होगा। क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु भूमि अर्जन कर बाह्य एवं आन्तरिक सड़कों का निर्माण एवं जल निकासी, पेयजल व्यवस्था, विद्युतीकरण, मल निकासी, ऑक्सीडेशन पॉण्ड एवं सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना, उद्यानों का विकास एवं पर्यावरण सुधार हेतु वृक्षारोपण आदि प्राधिकरण के मुख्य कार्यक्रम हैं। समस्त नगरीय मूलभूत सुविधाओं का विकास एवं अनुरक्षण का कार्य प्राधिकरण की मुख्य गतिविधियों में सम्मिलित हें।

इस क्षेत्र का विकास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उ0प्र0 उप क्षेत्रीय योजना 2001 के प्राविधानों के अनुरूप किया जा रहा है। योजना के प्रथम चरण (1991–2001) में 5075 हेक्टेयर तथा द्वितीय चरण (2001–2011) में लगभग 8500 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है। महायोजना 2021 के अनुसार वर्ष 2021 तक कुल 21570 हेक्टेयर भूमि को विकसित करने का प्रस्ताव है। महायोजना 2011 के अनुसार क्षेत्र की आबादी लगभग 7 लाख तथा महायोजना 2021 के अनुसार क्षेत्र की आबादी लगभग 12 लाख होगी जिसमें क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों की आबादी भी सम्मिलित है।

प्राधिकरण हेतु तैयार किये गये मास्टर प्लान–2021 के अनुसार विभिन्न भू–उपयोगों की फॉट निम्नानुसार है :–

भू–उपयोग	वर्ष 2001 (हेक्टेयर)	प्रतिशत (लगभग)	वर्ष 2011 (हेक्टेयर)	प्रतिशत (लगभग)	वर्ष 2021 (हेक्टेयर)	प्रतिशत (लगभग)
आवसीय	1310.00	26	3000	22	5000	23
उद्योग	1569.96	32	2600	19	3800	18
व्यवसायिक	99.40	2	720	5	1200	6
संस्थागत	570.63	11	1970	15	2970	14
हरित क्षेत्र	1361.90	27	3000	22	5000	23
ट्रांसपोर्टेशन	137.32	2	1280	10	2600	12
एस0ई0जेड0	––	––	1000	7	1000	4
कुल	**5075.00**	**100**	**13570**	**100**	**21570**	**100**

ग्रेटर नोयडा प्राधिकरण द्वारा संस्थागत क्षेत्र के नियोजन एवं विकास पर विशेष महत्व दिया गया है। ग्रेटर नोयडा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित शिक्षण, प्रबन्धन एवं तकनीकी संस्थानों की भागीदारी से एक महत्वपूर्ण नगर की परिकल्पना को साकार करने में काफी योगदान रहा है। वर्तमान में ग्रेटर नोयडा में डी0पी0एस0, समरविले, रेयान इन्टरनेशनल, रामीश इन्टरनेशनल, केमब्रिज स्कूल न केवल ग्रेटर नोयडा के क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे है, बल्की एक बड़ी संख्या में नोयडा तथा राजधानी दिल्ली के बच्चों को भी उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान की जा रही है। ग्रेटर नोयडा में गलगोटिया इन्जीनियरिंग कालेज, आई0ई0सी0 इन्जीनियरिंग कालेज, बीमटेक, शारदा यूनिर्वसिटी, आई0आई0एल0एम0, जी0एन0आई0टी0 के माध्यम से तकनीकी एवं प्रबन्धन की शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। ग्रेटर नोयडा को एजुकेशन हब के रूप में भी नयी पहचान मिल रही है।

ग्रेटर नोयडा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न उद्योगों की स्थापना हेतु अभी तक 2229 औद्योगिक भूखण्ड आवंटित किये गये है। वर्तमान में ग्रेटर नोयडा के क्षेत्र में एल0जी0 इलेक्ट्रांनिक्स इण्डिया लि0, मोजर वायर, होण्डा सिएल, न्यू हालैण्ड ट्रैक्टर्स, सी0डब्लू0सी0, भारत पेट्रोलियम, डेल्फी आटोमोटिव एवं होण्डा पावर प्रोडक्ट आदि औद्योगिक इकाइयॉ उत्पादन कर रही है।

प्राधिकरण क्षेत्र में एनाआईआईटी, एस0टी0 माइक्रोइलेकट्रानिक्स, विप्रो, जे0पी0 गोल्फ कोर्स, इण्डिया एक्सपोजीशन मार्ट एवं वेगमेन आई0टी0 पार्क जैसी इकाईयॉ /संस्थान क्रियाशील है।

गत तीन वर्षों के लक्ष्य एवं उपलब्धियॉ

औद्योगिक प्रगति **(रू0 लाख में)**

विषय	2008–09		2009–10		2010–11	
	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति (दिसम्बर, 2010 तक)
आवंटियों से प्राप्त (लाख रू0 में)	16690	14551	15553	11968	16040	7477

निर्माण एवं विकास कार्य पर व्यय

(रू0 लाख में)

विषय	2008–09		2009–10		2010–11	
	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति (दिसम्बर, 2010 तक)
1–आन्तरिक विकास कार्य	11100.00	5852.00	22700.00	13362.00	20000.00	14550.00
2–वाह्य विकास कार्य	9000.00	7554.00	15500.00	10770.00	16000.00	11621.00
3–निर्माण कार्य	31300.00	25299.00	51300.00	65973.00	50000.00	33739.00
4–ग्राम्य विकास कार्य	3750.00	5658.00	10000.00	7992.00	15000.00	11768.00
5–उद्यानीकरण	1750.00	1967.00	3000.00	3657.00	3500.00	5378.00
6–विशेष परियोजनायें	44500.00	34579.00	55000.00	70716.00	100000.00	44765.00

विकास के आगामी लक्ष्य तथा वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित कार्यक्रम

1–भू–अर्जन :–

वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर, 2010 तक 60.7129 हेक्टेयर रू0 56.46 करोड़ की भूमि अधिगृहित कर कब्जा प्राप्त किया गया है।

2–आवासीय :–

वर्ष 2010–11 में आवंटन से रू0 128473 लाख की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें दिसम्बर, 2010 तक रू0 85600 लाख प्राप्त हो चुका है।

3–व्यवसायिकः–

वर्ष 2010–11 में आवंटन से रू0 205800 लाख की प्राप्तियों का अनुमान है। जिसमें माह दिसम्बर, 2010 तक रू0 12100 लाख की प्राप्ति हुई है।

4–संस्थागत :–

वर्ष 2010–11 में आवंटन से रू0 22450 लाख की प्राप्तियों का अनुमान है। जिसमें माह दिसम्बर, 2010 तक रू0 4963 लाख की प्राप्ति हुई है।

5–औद्योगिक :–

वर्ष 2010–11 में आवंटन से रू0 29124 लाख की प्राप्तियों का अनुमान है। जिसमें माह दिसम्बर, 2010 तक रू0 2433 लाख की प्राप्ति हुई है।

6–निर्माण एवं विकास कार्य :–

प्रस्तावित कार्यो में सेक्टर ओमीक्रोम–1, 2, 3 न्यू–1, जीटा–1,ईटा–2, जीटा–2, सेक्टर–1,2,3,16बी,,10,4, जू–1, जू–2, इकाटेक–6, इकोटेक–11, इकोटेक–1 एक्सटेंशन के आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्य के प्रगतिशील एवं ओमीक्रोम–2 व म्यू0–01 में 5046 भवनों के निर्माण प्रगतिशील कार्यों को पूर्ण किये जाने प्रस्तावित है।

विशेष कार्य :–

सीवेज पम्पिंग स्टेशन व ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, गंगाजल परियोजना दादरी के निकट आर0ओ0बी0 का निमार्ण,गौतमबुद्व विश्वविद्यालय, मा0 कांशीराम मल्टी स्पेशियलिटी हास्पीटल का निर्माण, बालक एवं बालिका इन्टर कॉलेज की स्थापना, डा0 भीमराव अम्बेडकर बालक छात्रावास का निर्माण, स्पोर्ट स्टेडियम का निर्माण।

आवासीय :–

सेक्टर न्यू–1, न्यू–2 व ओमीक्रोम–1ए के आन्तरिक विकास कार्य तथा इन्हीं सेक्टरों में प्रस्तावित भवनों के निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं आवासीय सेक्टरों में प्रस्तावित सेक्टर–1,2,3,4, ईटा–2, जीटा–2 एवं कप्पा–1 को विकसित किया जाना है। जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 650 हेक्टेयर है।

औद्योगिक :–

सेक्टर इकोटेक–1, एक्सटेंशन–1 व एक्सटेंशन–2, इकोटेक–6 एवं इकोटेक–11 के आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्य, एस0ई0जेड0 के वाह्य विकास कार्य किये जा रहे है। अन्य औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास कार्य किये जा रहे है।

संस्थागत :–

सेक्टर नौलेज पार्क–5 के वाह्य एवं आन्तरिक विकास किये जा रहे है।

व्यवसायिक :–

सेक्टर अल्फा–2 कामर्शियल बेल्ट, सिटी सेन्टर के विकास कार्य एवं विभिन्न सेक्टरों में प्रस्तावित शापिंग सेन्टर्स व विभिन्न सेन्टर्स के निर्माण किये जा रहे है।

<u>गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय–</u>

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 511 एकड़ क्षेत्र में 1290 करोड़ की लागत से गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 5000 विद्यार्थियों के अध्ययन एवं आवास की व्यवस्था की गयी है। जुलाई, 2008 में गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में एम0बी0ए0 कोर्स का प्रथम सत्र प्रारम्भ किया गया था सत्र 2009 में विश्वविद्यालय का द्वितीय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ किया गया है जिसमें एम0बी0ए0 के अतिरिक्त बायोटेक तथा आई0सी0टी0 के कोर्स प्रारम्भ किए गये हैं जिसमें लगभग 350 छात्र/छात्रायें शिक्षा ग्रहण कर रहे है। प्रशासनिक भवन, फैकल्टी भवन(मैनेजमेंट), फैकल्टी भवन(आई0सी0टी0), फैकल्टी भवन(बायोटेक), फैकल्टी भवन(इंजीनियरिंग) मेडिटेशन सेन्टर, लाइब्रेरी भवन, 489 छात्रों और 400 छात्राओं के छात्रावास, फैकल्टी के लिए आवासीय परिसर, इण्टरनेशनल सेन्टर(गेस्ट हाउस) खेल संकुल,मेरिड रिसर्च सेन्टर में 78 नग आवासीय भवनों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है एवं विश्वविद्यालय को

हस्तान्तरित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त चार फैकल्टी भवन, छात्र/छात्राओं के हास्टल, डाइनिंग हाल, गेस्ट हाउस, फैकल्टी हाउसिंग टाइप VI, V एवं VI आडिटोरियम, कम्प्यूटर सेन्टर, फैकल्टी क्लब, ओपन इयर थिएटर, वर्कशाप एवं स्पोटर्स फील्ड के निर्माण कार्य प्रगति में है। सम्पूर्ण परियोजना मार्च, 2010 तक पूर्ण की जानी प्रस्तावित है।

मा0 कांशीराम मल्टी स्पेशियलिटी हास्पीटल का निर्माण–

प्राधिकरण द्वारा 500 बेड का मा0 कांशीराम मल्टी स्पेशियलिटी हास्पीटल का निर्माण कराया जा रहा है जिसकी अनुमानित लागत 760 करोड रुपये है। प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, अटेंडेंट भवन एवं अस्पताल में मुख्य भवन का निर्माण प्रगति पर है। परियोजना का समस्त कार्य दिनांक 30–06–2011 तक पूर्ण कर लिया जाना संभावित है।

बालिका इण्टर कालेज की स्थापना–

प्राधिकरण क्षेत्र में सावित्रीबाई फूले बालिका इण्टर कालेज का निर्माण 20 एकड़ क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसमें 1200 छात्राओं के शिक्षण की व्यवस्था है। स्कूल परिसर में मुख्य शैक्षिक भवन, हास्टल भवन एवं स्कूल के स्टाफ हेतु आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। परिसर में आडोटोरियम का भवन निर्माण भी दिनांक 31–05–2011 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इस पर कुल व्यय लगभग रु0 80 करोड़ होगा।

बालक इण्टर कालेज की स्थापना–

प्राधिकरण क्षेत्र में गौतमबुद्ध बालक इण्टर कालेज का निर्माण 20 एकड़ क्षेत्रफल में किया जा रहा है, जिसमें 1200 छात्रों के शिक्षण की व्यवस्था है। मुख्य भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शैक्षिक सत्र 2010 से प्रारम्भ किया जा चुका है। पूर्ण परियोजना का कार्य 31–03–2011 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इस पर लगभग 80 करोड़ का व्यय होगा।

डा0 भीमराव अम्बेडकर बालक छात्रावास–

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर फाई–04 में 18.22 करोड़ की लागत से 500 छात्रों हेतु छात्रावास का निर्माण किया गया। मुख्य भवन का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा वाह्य विकास कार्य 93 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। परियोजना 31–03–2011 तक पूर्ण कर ली जायेगी।

85 क्यूसेक गंगाजल परियोजना–

यह परियोजना ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में मास्टर प्लान 2021 की प्रस्तावित जनसंख्या की पेयजल आपूर्ति हेतु प्रस्तावित है। परियोजना के अन्तर्गत 85 क्यूसेक गंगाजल का प्रस्ताव है जो कि मास्टर प्लान 2021 के संभावित जनसंख्या हेतु प्रस्तावित है। परियोजना की लागत 530 करोड़ है जिसमें 100 कि0मी0 लम्बाई में नहरों की लाइनिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। परियोजना 30 माह में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

श्री कांशीराम शहरी गरीब आवासीय योजना–

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में श्री कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना लाई गयी हैं। इस योजना के अन्तर्गत 13.20 करोड़ की लागत से 500 भवन निर्मित किए गये है। इन भवनों का आवंटन जिलाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2010–2011 में भी 500 भवन रु0 15.00 करोड़ की लागत से निर्मित किए जा रहे हैं।

मनोरंजन के क्षेत्र से सम्बन्धित कार्य–

<u>नाईट सफारी–</u>

प्राधिकरण क्षेत्र के ग्राम मुरशदपुर में 277 करोड़ की लागत से 250 एकड़ भूमि में एक नाइट सफारी परियोजना स्थापित की जानी प्रस्तावित है। इस परियोजना के लिए दिनांक 09–01–2009 को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी प्राप्त हो गयी है।

दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर एक परिकल्पना व उसका विस्तारीकरण–

दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर की परिकल्पना भारत सरकार द्वारा जापान की सरकार के साथ समन्वय करके तैयार की गयी है परियोजना का स्वरूप इस आधार पर तैयार किया गया है कि फ्रेट (गुड्स मूवमेंट) का आवागमन बिना किसी रोक टोक के तीव्र गति से किया जा सके। दिल्ली से मुम्बई कॉरीडोर का निर्माण कार्य प्रथम चरण में किया जाना है। इस कॉरीडोर की लम्बाई 1483 किमी0 है। यह कॉरीडोर दादरी से प्रारम्भ होकर जे0एन0 पोर्ट पर समाप्त होगा। यह कॉरीडोर देश के पश्चिमी भाग के छः प्रदेशों क्रमशः उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्रा से गुजरेगा। कॉरीडोर के दोनों ओर 150 किमी0 तक के क्षेत्र में उच्चस्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

कॉरीडोर का प्राथम नोड उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा होगा, ग्रेटर नोएडा के नोड–1 होने से आस पास के समस्त क्षेत्र पर इस कॉरीडोर के प्रारम्भ होने का प्रभाव होगा। प्रथम चरण में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस्वे प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र के विकास हेतु निम्न परियोजनाओं को चिन्हित किया गया हैः–

- बोड़ाकी ग्रेटर नोएडा में एक नये रेलवे स्टेशन का विकास।
- मेट्रो रेल नोएडा से ग्रेटर नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा से जेवर तक प्रस्तावित।
- दादरी तुगलकाबाद बल्लभगढ़ फ्रेट रेल कॉरीडोर जो जे0एन0 पोर्ट मुम्बई तक जायेगा।
- नोएडा में सिटी सेन्टर।
- नोएडा में ऑटो मार्ट।
- क्षेत्र के लिए पॉवर प्लान्ट।
- लॉजेस्टिक पार्क्स।
- यमुना एक्सप्रेस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
- नोएडा में बहुमंजलीय कार पार्किंग।

द्वितीय चरण में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, खुर्जा, बुलन्दशहर, हापुड़ गाजियाबाद, आदि शहरों के विकास प्राधिकरणों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अवस्थापना सुविधाओं व स्पेशल परियोजनाओं के सम्बन्ध में बैठक की गयी एवं उद्योग पर्यटन स्वास्थ्य, अवस्थापना सुविधाओं इत्यादि से सम्बन्धित परियोजना पर चर्चा की गयी व योजनाओं के आईटेन्टीफाइ करने की प्रक्रिया प्रारम्भ में की गयी।

डी0एम0आई0सी0डी0सी से एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कर लिया गया है एवं 04 अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट्स की डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु डी0एम0आई0सी0डी0सी0 द्वारा कन्सलटैंट नियुक्त कर लिए गये हैं।

<u>मैट्रो रेल परियोजना–</u>

दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा दिल्ली–नोएडा–ग्रेटर नोएडा रेल लिंक का रूट मैप तैयार कर लिया गया है। दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा ग्रेटर नोएडा–नोएडा हाईवे के किनारे 20 वर्ग मीटर चौड़ी रेलवे ट्रेक बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। मैट्रो परियोजना के अन्तर्गत 14 मैट्रो स्टेशन नोएडा क्षेत्र में तथा 08 मैट्रो स्टेशन ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में चिन्हित किए गये हैं। मैट्रो डिपो के लिए 50 एकड़ भूमि चिन्हित करली गयी है। यह परियोजना दिनांक 31–12–2014 तक पूर्ण होनी संभावित है।

भूमि अधिग्रहण एवं कृषकों को दी जाने वाली सुविधायें

1– प्राधिकरण क्षेत्र में दिनांक 13–05–2007 से 31–12–2010 तक कुल 5173.8709 हैक्टेयर भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया है।

2– अर्जन से प्रभावित कृषकों को क्षेत्र के विकास के फलस्वरूप होने वाले लाभों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए निम्न सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैः–

- प्राधिकरण द्वारा प्रतिकर की दर 385 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़ाकर 01–04–2007 के बाद अर्जित भूमि का प्रतिकर 850 रुपये प्रति वर्गमीटर किया गया है तथा 01–04–2010 के पश्चात अर्जित व कब्जा प्राप्त भूमि पर रु0 930.00 प्रति वर्गमीटर की दर से भुगतान किया जा रहा है।
- पुस्तैनी कृषकों को उनके अर्जित क्षेत्रफल का 6 प्रतिशत के समतुल्य विकसित भूमि आबादी के रूप में देते हुए 8269 कृषकों को भूखण्ड आवंटित किए जाने की सूची जारी कर दी गयी है। दिनांक 03 सितम्बर, 2010 से पुस्तैनी कृषकों को उनके अर्जित क्षेत्रफल का 7 प्रतिशत के समतुल्य विकसित भूमि आबादी के रूप में दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
- प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में प्रभावित कृषकों को 17.5 प्रतिशत भवन/भूखण्ड आरक्षित करके आवंटित किए गये हैं।
- ऐसे प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार, जिसकी प्रभावित क्षेत्र में कृषि भूमि हो तथा जिसकी पूरी भूमि अर्जित की गयी हो, से उसका आजीविका की क्षतिपूर्ति के लिए 05 वर्षो की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर एक मुश्त धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में दी जायेगी।
- प्रभावी क्षेत्र में कृषि भूमि रखने वाले ऐसे प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार जिसकी पूरी भूमि अर्जित नहीं की गयी है और भूमि अर्जन के परिणाम स्वरूप वे सीमान्त किसान बन गये हैं, को 500 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर एक बार दी जाने वाली सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जायेगी।
- कृषि श्रमिक या गैर कृषि श्रमिक की श्रेणी से सम्बन्धित प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को 625 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर एक बाद दी जाने वाली सहायता के रूप्स में वित्तीय सहायता दी जायेगी।
- परियोजना प्रभावित प्रत्येक विस्थापित परिवार को 250 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर एक मुश्त धनराशि आजीविका के क्षतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त रूप में भुगतान किया जायेगा।
- प्रत्येक किसान, जिसकी भूमि अधिग्रहीत की जा रही है, को 33 साल के लिए रु0 20,000/– प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से वार्षिकी दी जायेगी, जो भूमि प्रतिकर के अतिरिक्त होगी।
- रु0 20,000/– प्रति एकड़ प्रति वर्ष की वार्षिकी पर प्रतिकर प्रतिवर्ष रु0 600/– की निश्चित दर से बृद्धि की जायेगी जो प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में देय होगी।
- यदि कोई किसान वार्षिकी नहीं लेना चाहता है तो उसे एक मुश्त रु0 2,40,000/– प्रति एकड़ की दर से पुनर्वास अनुदान दिया जायेगा।
- प्रभावित कृषकों के आश्रितों को रोजगार परक प्रशिक्षण की व्यवस्था इटप तथा आई0टी0आई0 आदि के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है।

✷✷✷